

लेखक —

दयाशंकर दुबे एम. ए

भारतमें कृषि-सुधार



ग्रन्थकार

भूमिका

भारतीय किसानोंकी दशा आजकल बहुत ही शोचनीय हो गई है। अधिकाश किसानोंको कठिन परिश्रम करनेपर भी रूखा-सूखा भरपेट भोजन नही मिल पाता। इनकी सख्या भारतकी जन संख्याके करीब ७० फी सैकडा है। ये राष्ट्रके प्रधान अग हैं। विना इनकी दशा सुधारे देशकी दशा सुधरना असम्भव है। भारतीय किसान बहुत गरीब हैं। इनकी कठिनाइया विशेषत आर्थिक हैं। इसलिये मैंने अपनी क्षुद्र बुद्धिके अनुसार इस पुस्तकमें यह बतलानेका प्रयत्न किया है कि उनकी सब असुविधाए एक साथ कैसे दूर की जा सकती हैं और उनकी आर्थिक दशा राष्ट्रीय सरकार, अर्थात् ऐसी सरकार जो जनताके प्रति पूर्णरूपसे उत्तरदायी हो, शिक्षित जनता और किसानोंके सम्मिलित प्रयत्नोंसे २० २५ वर्षोंके अन्दर ही कैसे सुधर सकती है।

जबसे मैंने अर्थशास्त्रका अध्ययन आरम्भ किया तबसे ही मेरा ध्यान किसानोंकी गिरी हुई दशाकी तरफ आकर्षित हुआ। मैंने पहिले भारतीय किसानोंके सम्बन्धकी पुस्तकें पढीं और ग्रामोंमें जा जाकर उनकी दशा अच्छी तरहसे समझनेका प्रयत्न किया। इसके बाद मैंने यह जाननेकी कोशिश की कि ससारके अन्य सभ्य देशोंमें कृषि सुधार किस प्रकार हो रहा है। कई महीनोंतक

अनुक्रमणिका ।

आठवां अध्याय—पानीकी कमी दूर करना

नवां अध्याय—किसानोंको ऋणमुक्त करना

दसवां अध्याय—बीचके दलालोंकी संख्या कम करना

ग्यारहवां अध्याय—किसानोंकी शेष असुविधाओंका दूर करना

बारहवां अध्याय—सारांश और उपसंहार

परिशिष्ट (१)-खादका महत्व और उपयोग

परिशिष्ट (२)-कपास

परिशिष्ट (३)-गन्ना, गुड और शक्कर

कोष्ठक सूची ।



चित्र व नकशा-सूची



समर्पण

वेदशास्त्र सम्पन्न, परमपूज्य पिताजी

श्रीयुत पंडित बलरामजी देवेश्वरजी दुबे

के

कर-कमलोंमें यह पुस्तक

सादर समर्पित

है।

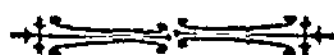
दयाशंकर दुबे

भारतमें कृषि-सुधार



श्रीमान् पंडित बलरामजी देवेश्वरजी दुबे

भारतमें कृषि-सुधार



पहला अध्याय

रोटीका प्रश्न

[भारतमें अनाजकी आवश्यकताका परिमाण, अनाजकी पूर्ति, अनाजकी कमी, आधा पेट भोजन पानेवालोंकी संख्या ।]

जीवनका मुख्य आधार अन्न है। पेटकी भली-भांति पूजा किये बिना कोई भी मनुष्य अपना काम अच्छी तरह नहीं कर सकता। यदि कुछ दिनोंतक अन्न न मिले तो मृत्युका सामना करना पडता है। दुर्भिक्षके समयमें अन्नके अभावसे बहुतेरे मनुष्य अपने प्राणोंका बलिदान देते हुए दृष्टिगोचर होते हैं। परन्तु मामूली समयमें भी यदि किसी मनुष्यको, कुछ दिनोंतक लगातार आधा पेट खानेको मिले तो धीरे धीरे उसकी शक्तियोंका ह्रास होने लगेगा और एक न एक रोगका शिकार बनकर अन्तमें उसे अपने प्राणोंसे हाथ धोना पडेगा। सन् १८७० में डाक्टर दादाभाई नौरोजीने अपनी पुस्तक "Poverty and Unbritish Rule in India, पावर्टी एण्ड अनब्रिटिश रूल

इन इण्डिया" में यह अच्छी तरहसे सिद्ध करके दिखा दिया था कि उस समय अधिकाश भारतवासियोंको भरपेट भोजन मुश्किलसे मिल सकता था। प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता सर विलियम हण्टरने स्वीकार किया है कि भारतमें ४ करोड मनुष्योंको, जन्मभर, आधा पेट खाकर ही रहना पडता है। सन् १६०१ में विलियम डिगबी साहबने भी, अपनी पुस्तक "Prosperous British India, प्रास्परस ब्रिटिश इण्डिया" में डाक्टर दादाभाई नौरोजीके उक्त कथनका बहुत अच्छी तरह समर्थन किया हे। १६०१ की और इस समयकी दशामे अवश्य ही बहुत कुछ परिवर्तन हो गया है। परन्तु खेदकी बात है कि डिगबी साहबके बाद, अभीतक, किसीने आधे पेट भोजन पानेवाले मनुष्योंकी सख्याका पता लगानेका, निष्पक्षभावसे प्रयत्न नही किया। अब भी देशके कई नेताओंका मत है कि हमारे करोडों देशवासियोंको आधे पेट खाकर ही जन्म बिताना पडता है और ऐसे मनुष्योंकी सख्या दिनपर दिन बढ़ती जाती है, परन्तु दूसरे पक्षवाले इसका बडे जोरोंके साथ खण्डन करते हैं। इसलिए, इस प्रश्नको हल करनेकी आवश्यकता और भी बढ गई है। देशमें अनाजकी वार्षिक माग और उसकी वार्षिक पूर्त्ति का अन्दाजा किये बिना आधे पेट भोजन पानेवालोंकी सख्याका हिसाब लगाना सम्भव नहीं। इसलिए हम नीचे इन्हीं दो बातोंका अन्दाज़ा लगानेका प्रयत्न करते हैं। इसमें हम उन्हीं चिट्ठों (Statistics) से काम लेगे जो सरकारी रिपोर्टमें दिये हुए हैं।

भारतवर्षमें बहुतसे देशी राज्य भी सम्मिलित हैं। परन्तु सरकारी रिपोर्टोंमें उनके सम्बन्धमें सब प्रकारके ब्यौरे नहीं रहते। इसलिए केवल ब्रिटिश भारतके सम्बन्धमें ही इन बातोंकी जाच करना ठीक होगा। अनाजकी उपज वर्षापर बहुत कुछ आश्रित रहती है और प्रति वर्ष वर्षा एक सी नहीं होती। किसी वर्ष अधिक होती है, किसी वर्ष कम। और अनाज भी जिस वर्ष उत्पन्न होता है उसी वर्ष सबका सब खा नहीं लिया जाता। इसलिए यदि एक ही वर्षका हिसाब लगाया जायगा तो उससे प्रश्नका सन्तोषदायक उत्तर न मिल सकेगा। अतएव हमने सन् १९११–१२ से १९१९-२० तक नौ वर्षोंके अनाजकी माँग और पूर्तिका हिसाब लगाना उचित समझा है। इसमें भले बुरे सब प्रकारके वर्ष आजायँगे और उनका औसत लगानेपर विश्वास-जनक परिणाम निकलेगा। उन नौ वर्षोंमें, कृषिकी दृष्टिसे, सन् १९११–१२, १२-१३, १४-१५, १५-१६ और १७-१८ साधारण वर्ष थे। १९१६–१७ और १९–२० अच्छे वर्ष थे, १९१३–१४ और १८–१९ खराब।

अब हम, देशके अनाजकी वार्षिक मांगका अन्दाजा लगानेका प्रयत्न करते हैं। इसके लिये हमें तीन बातोंके पता लगानेकी आवश्यकता है —

(अ) यदि हम यह मान लें कि सब मनुष्योंको भरपेट खानेको मिल जाता है, तो भारतवासियोंको अपना स्वास्थ्य ठीक बनाये रखनेके लिए कितने अनाजकी आवश्यकता होती है?

(ब) गाय, बैल इत्यादि पशु वर्षभरमें कितना अनाज खा लेते हैं ?
(स) और बीजके लिए कितना अनाज आवश्यक है ?

अपने स्वास्थ्यको ठीक रखनेके लिए, भारतवासियोको सालमे कितने अनाजकी आवश्यकता है, इसका हिसाब लगाते समय यह जानना आवश्यक है कि अपनी आयुके अनुसार प्रत्येक मनुष्यको प्रतिदिन कितने अनाजकी आवश्यकता पडती है। अकालके समय सरकारकी ओरसे जो काम खोले जाते हैं वहा काम करनेवालोंको इतना ही वेतन दिया जाता है जिससे वे केवल अपने स्वास्थ्यकी रक्षा कर सके। सयुक्त देश, पञ्जाब, बङ्गाल, बम्बई और मदरासके अकाल-नियमों (फेमिन कोडों) में निम्न लिखित मिहनताना लिखा हुआ है:—

कोष्ठक नं० (१)

उन मनुष्योंके लिये जो मजदूरी करते हैं—	
मिट्टी खोदनेवाले	१८ छटाक अनाज
सामान ढोनेवाले	१४ „ „
मिहनत करनेवाले बालक	१० „ „
काम न कर सकने योग्य मनुष्योंके लिए—	
युवा पुरुष	१२ „ „
युवती स्त्रिया	१० „ „
बालक १०-१४ वर्ष	८ „ „
„ ७ १० „	६ „ „
„ ७ वर्षके नीचे	४ „ „
„ गोदके बच्चेके लिए—	
बालककी माँको	३ „ „

और संयुक्त प्रदेश, पञ्जाव और वम्बईके अकाल-नियमों (फेमिन कोडों) में यह भी लिखा है कि यदि पका पकाया अन्न मनुष्योंको दिया जाय तो नमक, मसाला, तेल, लकडी इत्यादिके एवजमें कुछ अन्न कम भी कर लेना चाहिये। वङ्गालके 'फेमिन कोड' में लिखा है कि काम करनेवाले और काम न करनेवाले युवा मनुष्योंके हिस्सोमेंसे २ छटाक और १४से ७ वर्षतकके वालकोंके हिस्सोंमेंसे १ छटाक अन्न, पूर्वोक्त वस्तुओंके एवजमें, कम कर लेना चाहिए। इसलिए यदि पका हुआ भोजन दिया गया तो, उम्रके लिहाजसे वह इस परिमाणमें दिया जायगा।

कोष्ठक नं० (२)

उम्र वर्ष	अन्नका परिमाण छटाक
० से १	—
१ से २	३ (वालककी माँको)
२ से ५	४
५ से १०	५
१० से १५	७ से ८ तक
१५ से ५० (मर्द)	१० से १६ तक
१५ से ५० (औरत)	८ से १२ तक
५० से ऊपर	× × ×

मध्य प्रदेशकी १८६६ वाली अकाल नियमावली (फेमिन कोड) में भी अन्नका परिमाण इसी प्रकार निर्दिष्ट है और वहाके जेल मेन्युअलमे कैदियोंको प्रतिदिन जितना अन्न दिया जाता है उसका परिमाण,भी लिखा है। अस्पतालमें रोगीको पूरा भोजन जिस परिमाणमें दिया जाता है उसका उल्लेख भी उक्त मेन्युअलमें है। ये वातें नीचेके कोष्ठकमें वताई गई हैं।

(ब) गाय, बैल इत्यादि पशु वर्षभरमें कितना अनाज खा लेते
(स) और बीजके लिए कितना अनाज आवश्यक है?

अपने स्वास्थ्यको ठीक रखनेके लिए, भारतवासियोंको स
कितने अनाजकी आवश्यकता है, इसका हिसाब लगाते स
यह जानना आवश्यक है कि अपनी आयुके अनुसार प्र
मनुष्यको प्रतिदिन कितने अनाजकी आवश्यकता पडती
अकालके समय सरकारकी ओरसे जो काम खोले जाते हैं
काम करनेवालोंको इतना ही वेतन दिया जाता है जिस
केवल अपने स्वास्थ्यकी रक्षा कर सकें। संयुक्त देश, प
बङ्गाल, बम्बई और मदरासके अकाल-नियमों (फेमिन कोडों
निम्न लिखित मिहनताना लिखा हुआ है।—

कोष्ठक नं० (१)

उन मनुष्योंके लिये जो मजदूरी करते हैं—	
मिट्टी खोदनेवाले	१८ छटाक अन
सामान ढोनेवाले	१४ " "
मिहनत करनेवाले बालक	१० " "
काम न कर सकने योग्य मनुष्योंके लिए—	
युवा पुरुष	१२ " "
युवती स्त्रियां	१० " "
बालक १०-१४ वर्ष	८ " "
" ७-१० "	६ " "
" ७ वर्षके नीचे	४ " "
" गोदके बच्चेके लिए—	
बालककी माँको	३ " "

वार्षिक आवश्यकताके परिमाणका अन्दाजा लगाना बहुत सरल है। यह हिसाब सन् १९११-१२ के लिये नीचे एक कोष्ठकमें लगाया गया है।

कोष्ठक नं० (६)

उम्र (वर्षों में)	मनुष्य संख्या (लाख)	अन्नका परिमाण (छटाकोंमें)	प्रतिदिनके लिए अनाजकी आवश्यकता	मन
० से १	८०	—	—	
१ से २	४०	२॥	१५६२५	मन
२ से ५	२१२	४	१३२५००	”
५ से १०	३४५	६	२२३४३७	”
१० से १५	२७०	८	३३७५००	”
१५ से ५० (मर्द)	६१०	१४	१३३४३७५	”
१५ से ५० (औरत)	६०६	१२	११३६२५०	”
५० से ऊपर	२८०	१०	४३७५००	”
प्रतिदिनका कुल परिमाण			३७१७१८७	”
प्रतिवर्षका कुल परिमाण			१३५ ७	करोड मन

यदि हम यह मान लें कि जनताको भरपेट खानेको मिल जाता है तो सन् १९११-१२ में भारतवासियोंको १३५ ७ करोड

हैं वे १४ छटाकका आधा भी नहीं खा सकते। जो मांसाहारी हैं वे अवश्य ही १४ छटाकसे कम अन्न खाते होंगे। इसलिए हमने जान बूझकर १४ छटाकके परिमाणसे हिसाब लगानेका निश्चय किया है। इसमें यदि कुछ गलती हो भी तो उससे अन्तिम परिमाण कम ही होगा, अधिक नहीं।

उम्रके अनुसार प्रति मनुष्यके लिए अन्नकी दैनिक आवश्यकताका परिमाण निकालनेके उपरान्त अब हमें यह जानना चाहिए कि अवस्थाके लिहाजसे ब्रिटिश भारतकी मनुष्य संख्या कितनी है। १६११ की मर्दुमशुमारीकी रिपोर्टमें यह संख्या इस प्रकार है —

कोष्ठक नं० (५)

उम्र (वर्षोंमें)	मनुष्य-संख्या
० से १	८० लाख
१ से २	४० ,,
२ से ५	२१२ ,,
५ से १०	३४१ ,,
१० से १५	२७० ,,
१५ से ५० (मर्द)	६१० ,,
१५ से ५० (औरत)	६०६ ,,
५० से ऊपर	२८० ,,

अवस्थाके अनुसार मनुष्य-संख्या और अन्नकी आवश्यकताका परिमाण जान लेनेपर समूचे ब्रिटिश भारतके अनाजकी

वार्षिक आवश्यकताके परिमाणका अन्दाजा लगाना बहुत सरल है। यह हिसाब सन् १९११-१२ के लिये नीचे एक कोष्ठकमें लगाया गया है।

कोष्ठक नं० (६)

उम्र (वर्षों में)	मनुष्य संख्या (लाख)	अन्नका परिमाण (छटाकोंमें)	प्रतिदिनके लिए अनाजकी आवश्यकता	मन
० से १	८०	—	—	
१ से २	४०	२॥	१५६२५	मन
२ से ५	२१२	४	१३२५००	”
५ से १०	३४५	६	३२३४३७	”
१० से १५	२७०	८	३३७५००	”
१५ से ५० (मर्द)	६१०	१४	१३३४३७५	”
१५ से ५० (औरत)	६०६	१२	११३६२५०	”
५० से ऊपर	२८०	१०	४३७५००	”
प्रतिदिनका कुल परिमाण			३७१७१८७	”
प्रतिवर्षका कुल परिमाण			१३५ ७	करोड मन

यदि हम यह मान लें कि जनताको भरपेट खानेको मिल जाता है तो सन् १९११-१२ में भारतवासियोंको १३५ ७ करोड

मन अनाजकी आवश्यकता थी। सन् १९२१ की मनुष्य-गणना १८ मार्च १९२१ को हुई थी। उसकी पूरी रिपोर्ट तो अभी प्रकाशित नहीं हुई है, परन्तु उसका कच्चा चिट्ठा सरकारी गजटमें प्रकाशित हो गया है। उससे मालूम होता है कि अंगरेजी शासनके अधीन भारतमें उस दिन २४, ७१, ३८, ३९६, मनुष्य थे। सन् १९११ में इस देशकी मनुष्य-संख्या २४, ३९, ३३, १७८ थी। इस प्रकार दस वर्षोंमें केवल ३२,०५, २१८ मनुष्योंकी वृद्धि हुई। उसका औसत हुआ १.३ प्रति हजार प्रतिवर्ष, अर्थात् एक हजार पीछे १.३ मनुष्योंकी वृद्धि प्रतिवर्ष हुई। भिन्न २ वर्षोंके लिये भारतवासियोंकी अनाजकी आवश्यकताका हिसाब लगानेके अर्थ, यदि हम यह मान लें कि उनकी अनाजकी आवश्यकता प्रतिवर्ष उसी अनुपातमें बढ़ी जिस अनुपातमें उनकी संख्या बढ़ी है तो सन् १९११-१२ की आवश्यकताको उसी अनुपात (१.३ प्रति हजार)से प्रतिवर्ष बढ़ा देनेसे भारतवासियोंको भरपेट भोजन खानेके लिये अनाजकी वार्षिक आवश्यकता मालूम हो जावेगी। वह इस प्रकार है —

कोष्ठक नं० (७)

१९११—१२	१३५.७ करोड़ मन
१९१२—१३	१३५.९ „ „
१९१३—१४	१३६.१ „ „
१९१४—१५	१३६.३ „ „
१९१५—१६	१३६.५ „ „
१९१६—१७	१३६.७ „ „

१९१७—१८	१३६ ९	,,	,,
१९१८—१९	१३७.१	,,	,,
१९१९—२०	१३७ ३	,,	,,

अब हमको यह जानना आवश्यक है कि गाय, बैल और अन्य पशु कितना अनाज खा जाते हैं और बीज बोनेमें कितना अनाज खर्च होता है। बैलों, गायों, भैंसों और घोड़ोंकी संख्या सरकारी रिपोर्ट (Agricultural Statistics of India, Vol I) में इस प्रकार दी हुई है —

कोष्ठक नं० (८)

सन् ईसवी	बैल (लाख)	गाय (लाख)	भैंस (लाख)	घोड़े (लाख)
१९११—१२	४६६	३६७	१३६	१९
१९१२—१३	४६३	३५४	१२५	१८
१९१३—१४	४७५	३६५	१२९	१८
१९१४—१५	४८६	३७५	१३५	१८
१९१५—१६	४९१	३७८	१३६	१८
१९१६—१७	४९४	३७६	१३७	१८
१९१७—१८	४९३	३७५	१३६	१७
१९१८—१९	४९३	३७४	१३६	१७
१९१९—२०	४९२	३७२	१३३	१७

जब बैलोंको दाना दिया जाता है तब उसकी मात्रा अवश्य ही आध सेरसे अधिक रहती है। परन्तु यह मान लेना ठीक न होगा कि सभी बैलोंको बराबर दाना दिया जाता है। ऐसे बैलों-की ही संख्या बहुत होगी जिन्हें दाना बिलकुल दिया ही नहीं जाता। इसलिये उनके सम्बन्धमें प्रतिदिन आध सेर अनाज दिये जानेका औसत मान लेना ठीक होगा। गायों और भैंसोंको, जब वे दूध नहीं देतीं तब, प्राय अनाज नहीं दिया जाता। जब वे दूध देने लगती हैं तभी उन्हें खली, बिनौले वगैरह भी दिये जाते हैं। इसलिए उन गायोंके सम्बन्धमें, जो दूध देती हैं और जिनकी संख्या उनकी कुल संख्याकी आधीसे अधिक न होगी, प्रति दिन आध सेर अनाज दिये जानेका औसत लगाना अधिक न होगा। दुधार भैंसोंको गायोंकी अपेक्षा अधिक परिमाणमें दाना दिया जाता है। इसलिए उनके सम्बन्धमें एक सेर अनाज प्रतिदिन दिये जानेका औसत मान लिया गया है। घोड़ोंको दाना ज़रूर दिया जाता है। उसका परिमाण १॥ सेर प्रतिदिनके हिसाबसे कम नहीं हो सकता। इसलिए हमने अपने हिसाबमें वही औसत मान लेना ठीक समझा है।

जब प्रतिवर्ष जानवरोंकी संख्या मालूम हो गई और यह भी ज्ञात हो गया कि प्रतिदिन उनको दानेमें कितना अनाज दिया जाता है तब इस बातको जान लेना बहुत सरल हो जाता है कि वे प्रतिवर्ष कितना अनाज खा जाते हैं। हिसाब लगानेपर उस अनाजका परिमाण नीचे लिखे अनुसार है —

कोष्ठक नं० (९)

१९११—१२	३८४ करोड मन
१९१२—१३	३७५ „ „
१९१३—१४	३८२ „ „
१९१४—१५	३९५ „ „
१९१५—१६	३९८ „ „
१९१६—१७	३९९ „ „
१९१७—१८	३९६ „ „
१९१८—१९	३९.६ „ „
१९१९—२०	३९३ „ „

भिन्न भिन्न चीजोंकी फसलके लिए प्रति एकड प्राय निम्न लिखित परिमाणमें बीजकी आवश्यकता होती है —

कोष्टक नं० (१०)

चावल	१२ सेर
गेहूँ	२४ सेर
जव	२० सेर
ज्वार	६ सेर
बाजरा	२ सेर
मकई	१० सेर
चना	१६ सेर
रवी	१२ सेर
अन्य प्रकारके अनाज	८ सेर

भारतमें प्रतिवर्ष कितनी एकड जमीनमें भिन्न भिन्न प्रकारका अनाज बोया गया, यह हिसाब सरकारी रिपोर्ट (Agricultural Statistics, Vol I) में इस प्रकार है —

कोष्ठक नं० (११) (लाख एकड़में)

सन् ईसवी	११-१२	१२-१३	१३-१४	१४ १५	१५-१६	१६-१७	१७-१८	१८-१९	१९-२०
चावल	७६६	७८७	७६९	७७७	७८७	८१०	८०७	७७६	७८७
गेहूं	२५०	२३९	२२७	२५५	२३९	२५१	२६४	१९१	२३५
जव	८४	७४	७२	७९	८०	७९	८५	६५	७५
ज्वार	१८४	२०९	२१४	२१२	२३०	२१९	२११	२०५	२२५
बाजरा	१३१	१६३	१५४	१६०	१४३	१५२	१२७	११२	१४६
मकई	५६	६३	६२	६२	६७	६५	६५	६१	६७
चना	१४१	१२४	९३	१४४	१३६	१५७	१६७	७६	१२९
रवी	४३	४४	४४	४२	४३	४०	४३	४०	४२
अन्य प्रकारके अनाज	२९५	३०९	२८१	३१४	३११	३१६	३०५	२५२	२९०

जब यह मालूम हो गया कि कितनी एकड जमीनमें भिन्न भिन्न प्रकारके अनाज बोये जाते हैं और एक एकड जमीनमें कितने बीजकी आवश्यकता होती है, तब यह बहुत सरलतासे मालूम किया जा सकता है कि प्रतिवर्ष भारतमें, सिर्फ बोनेके लिए, कितना बीज लगता है। वह नीचे लिखे अनुसार हैं —

कोष्टक नं० (१२)

१९११—१२	५८ करोड मन
१९१२—१३	५७ " "
१९१३—१४	५४ " "
१९१४—१५	६१ " "
१९१५—१६	६० " "
१९१६—१७	६२ " "
१९१७—१८	६२ " "
१९१८—१९	५३ " "
१९१९—२०	६० " "

अब भारतवासियोंको अपना स्वास्थ्य ठीक रखनेके लिए जितना अनाज चाहिए वह तथा बैल, गाय वगैरह जितना अन्न खा जाते हैं वह, और बीजके रूपमें जितना खर्च होता है वह सब जोड देनेसे मालूम हो जाता है कि देशकी अनाजकी वार्षिक माग कितनी है। वह इस प्रकार है —

कोष्टक नं० (१२)

(करोड़ मन)

सन्	मनुष्योंके लिए	जानवरोंके लिए	बीजके लिए	मीजान
१९११—१२	१३५७	३८४	५८	१७९९
१९१२—१३	१३५९	३७५	५७	१७९१
१९१३—१४	१३६१	३८२	५४	१७९७
१९१४—१५	१३६३	३९५	६१	१८१९
१९१५—१६	१३६५	३९८	६०	१८२३
१९१६—१७	१३६७	३९९	६२	१८२८
१९१७—१८	१३६९	३९६	६२	१८२७
१९१८—१९	१३७१	३९६	५३	१८२०
१९१९—२०	१३७३	३९३	६०	१८२६

अब हम देशकी सालाना अनाजकी पूर्तिका अन्दाजा लगानेका प्रयत्न करते हैं। इसके लिए हमें निम्न लिखित चार बातें जाननेकी आवश्यकता है :—

(१) भारतवर्षमें प्रतिवर्ष भिन्न भिन्न अनाजोंकी उपज कितनी हुई?

(२) उस उपजका कितना भाग नष्ट हो गया!

(३) देशी राज्योंसे रेलों और नावों द्वारा ब्रिटिश भारतमें कितना अनाज आया और कितना वहां भेजा गया ?

(४) अन्य देशोंको भारतने प्रतिवर्ष कितना अनाज भेजा ?

भारत सरकार प्रतिवर्ष एक रिपोर्ट (Estimate of Area and Yield) प्रकाशित करती है। उस रिपोर्टसे पता लग जाता है कि समूचे भारतवर्षमें चावल, गेहू, जव, ज्वार, बाजरा, मकई और चना कितना पैदा हुआ। परन्तु उसमें कहीं कहीं देशी राज्योंकी उपज भी शामिल रहती है और कई जगह रिपोर्ट अपूर्ण भी रहती है। इस रिपोर्टमें हिसाब दे दिया जाता है कि भिन्न भिन्न अनाज कितने एकड़ोंमें बोया गया। वह हिसाब कोष्ठक न० ११ (Agricultural Statistics) में दी हुई सख्यासे प्राय भिन्न रहता है। इसलिये, त्रैराशिक लगा कर, हमने यह अन्दाजा लगाया है कि कोष्ठक न० ११ में दिये हुए अङ्कोंके अनुसार कितनी उपज होगी। परन्तु इतना जान लेनेपर भी हमें कुछ और अनाजोंकी उपज इस रिपोर्टसे मालूम नही हो सकती। हम कोष्ठक न० ११ से यह जानते हैं कि प्रतिवर्ष अन्य प्रकारका अन्न कितने एकड़में बोया गया था। यदि यह मालूम हो जाय कि प्रति एकड इनकी कितनी उपज साधारणत होती है तो काम चल जायगा। पूर्वोक्त रिपोर्टसे पता लगता है कि १ एकड जमीनमें ५७४ सेर रगी नामक अनाज पैदा होता है। हमने अपने हिसाबमें भी रगीकी उपज ५७४ सेर प्रति एकड मान ली है। श्रीयुत एन० जी० मुकर्जी, एम० ए०, ने अपनी पुस्तक (Handbook of Agriculture) में अन्य प्रकारके अनाजोंकी उपज प्रति एकडके हिसाबसे दी है, जिनका औसत २५० सेर होता है। इसलिए हमने अपने हिसाबमें अन्य प्रकारके अनाजोंके लिए २५० सेर प्रति एकड उपज मान ली है। इस प्रकार भिन्न भिन्न अनाजोंकी उपज, प्रतिवर्ष, नीचे लिखे अनुसार है —

कोष्ठक नं० (१४) (करोड मनमें)

सन् ईसवी	११-१२	१२-१३	१३-१४	१४-१५	१५-१६	१६-१७	१७ १८	१८-१९	१९-२०
चावल	९६ ८	८४ ९	८३ ५	७६ २	८९ ८	९४ १	९६ ४	६६ ४	९० ३
गेहूँ	२३ ९	२० ९	१८ ८	२१ ५	१८ ५	२० ९	२० ५	१६ ३	२१ ५
जव	८ २	७ ३	७ ५	८ ४	९ १	९ २	९ २	७ ७	८ ८
ज्वार	९ ५	१२ ०	११ १	१४ १	१६ ३	१३ ९	११ ०	९ ३	१५ ५
बाजरा	४ ६	६ ५	६ ०	७ ३	७ ९	७ ९	४ ५	३ ८	७ ७
मकई	५ ६	६ ३	६ ०	७ ९	७ १	६ ४	६ ६	४ ९	६ ८
चना	१२ ८	९ ८	५ ७	११ २	९ ५	१२ ०	१२ ५	५ ३	१० ३
रबी	६ ०	६ १	६ १	५ ९	६ ०	५ २	६ ०	५ ७	६ ०
अन्य प्रकारके अनाज	१८ ०	१८ ७	१७ ०	१९ ०	१८ ८	१९ ६	१८ ५	१५ ८	१८ ७
मीजान	१८५ ४	१७२ ५	१६१ ७	१७१ ५	१८३ ०	१८९ २	१८५ २	१३५ २	१८५ ६

जबसे फसल पकने लगती है और अनाज खाया जाने लगता है उसके बीचके समयमें कई तरहसे अनाज व्यर्थ ही नष्ट हो जाता है। कभी कभी तो फसल, कुसमय पानी पडनेसे, खेतमें या खलिहानमें ही सड जाती है। कभी कभी खलिहानमें बहुतसा अनाज और कई तरहसे खराब हो जाता है। पशु पक्षी बहुतसा अनाज खा जाते हैं। कीडे भी बहुतसा अनाज नष्ट कर देते हैं। जब अनाज भरकर या बोरावन्दी करके रख दिया जाता है तब चूहे, फूस इत्यादिके भण्डारेका तो पूछना ही क्या है, मनमाना अनाज खाते हैं। अनाज खाने योग्य बनानेमें, छिलका, भूसी वगैरह निकालनेमें भी कुछ भाग नष्ट जाता है। और उसे साफ करने या बीनने छाननेमें भी यही हाल होता है। खाने पकानेमें भी कभी कभी बहुत नुकसान हो जाता है और विवाह एव अन्य उत्सवोंमें पका पकाया बहुतसा अन्न व्यर्थ नष्ट जाता है। कभी बाढ आनेपर, कभी अग्नि प्रकोपसे, या नावो इत्यादिके डूबनेसे भी बहुतसा अनाज नष्ट हो जाता है। यह सब सोचकर, हमने उपजके दसवें भागको इस प्रकारसे नष्ट होनेकी मदमें डाल देना ठीक समझा है। असलमें इससे अधिक भाग ही नष्ट होता है। कोष्ठक न० १४ में दी हुई उपजसे १० फी सैकडा भाग निकाल लेनेपर नीचे लिखे अनुसार उपज रह जाती है —

कोष्ठक नं० (१५)

१९११-१२	१६६ ६	करोड मन
१९१२-१३	१५५ ३	,, ,,
१९१३-१४	१४५ ५	,, ,,
१९१४-१५	१५४ ४	,, ,,
१९१५-१६	१६४ ७	,, ,,
१९१६-१७	१७० ३	,, ,,
१९१७-१८	१६६ ७	,, ,,
१९१८-१९	१२१ ७	,, ,,
१९१९-२०	१६७ १	,, ,,

भारत सरकार द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट (Inland Trade, Rail and River-borne) में इस बातका लेखा है कि काश्मीर, राजपूताना, मध्यभारत, हैदराबाद और मैसूरसे ब्रिटिश भारतमें कितना अनाज आता है और उनमें यहाँसे कितना जाता है। वह इस प्रकार है —

कोष्ठक नं० (१६)

सन् ईसवी	देशी राज्यों-से आया	देशी राज्यों-को गया	अधिकता
१९११-१२	१ २	० ५	० ७
१९१२-१३	१ ७	० ९	० ८
१९१३-१४	१ ५	० ८	०.७

१९१४-१५	१२	०८	०४
१९१५-१६	१५	०९	०६
१९१६-१७	१६	०६	१०
१९१७-१८	१५	०७	०८
१९१८-१९	११	०५	०६
१९१९-२०	१२	०६	०३

इस कोष्ठकसे यह विदित होता है कि देशी राज्योंमें भारतसे अनाज जानेकी अपेक्षा वहाँसे ब्रिटिश भारतमें आता ही अधिक है। इसलिये इस अधिकताकी मात्रा भारतकी उपजमें जोड दी जानी चाहिये। सरकारी रिपोर्ट (Trade Review) में, जो भारत सरकार द्वारा प्रति वर्ष प्रकाशित होती है, भारतसे अन्य देशोंको भेजे गये अनाजका हिसाब रहता है। वह नीचे लिखे अनुसार है —

कोष्ठक नं० (१७)

१९११-१२	१३९	करोड मन
१९१२-१३	१५०	,, ,,
१९१३-१४	११३	,, ,,
१९१४-१५	६९	,, ,,
१९१५-१६	६५	,, ,,
१९१६-१७	७९	,, ,,
१९१७-१८	[illegible]	

१९१८-१९	८७	„	„
१९१९-२०	१९	„	„

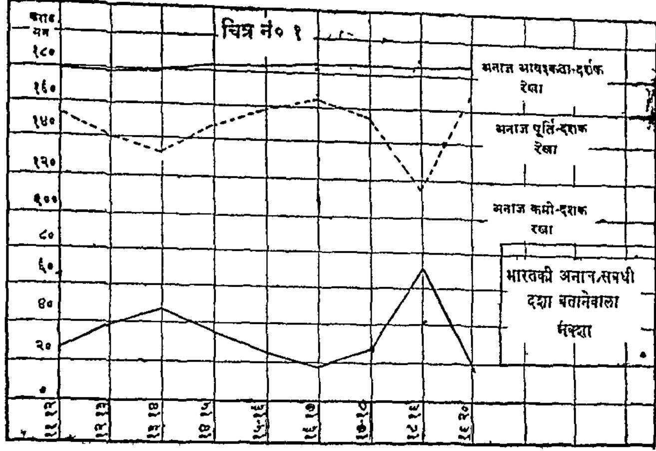
ये संख्यायें भारतकी वार्षिक उपजमेंसे घटा देनी होंगी। इस प्रकार भारतकी सालाना अनाजकी पूर्ति यह हुई—

कोष्ठक नं० (१८)

(करोड मनमें)

	उपज	देशी राज्योंसे आयात की अधिकता	अन्य देशों को निर्यात	अन्तिम पूर्त्ति
१९११-१२	१६६ ६	० ७	१३ ६	१५३ ७
१९१२-१३	१५५ ३	० ८	१५ ०	१४१ १
१९१३-१४	१४५ ५	० ७	११ ३	१३४ ९
१९१४-१५	१५४ ४	० ४	६ ९	१४७ ९
१९१५-१६	१६४ ७	० ६	६ ५	१५८ ८
१९१६-१७	१७० ३	१ ०	७ ९	१६३ ४
१९१७-१८	१६६ ७	० ८	१२ ३	१५५ २
१९१८-१९	१२१ ७	० ६	८ ७	११३ ६
१९१९-२०	१६७ १	० ६	१ ९	१६५ ८

हम भारतमें अनाजकी प्रतिवर्षकी माग और उसकी पूर्त्तिका अन्दाजा लगा चुके। दोनोंको नीचे एक ही कोष्ठकमें दिखानेपर यह सहज ही मालूम हो जाता है कि प्रतिवर्ष भारतमें अनाजकी न्यूनता रही (चित्र न० १ भी देखिये) और वह नीचे लिखे अनुसार है—


करोड़ मन
चित्र नं० १
१८०
१६०
१४०
१२०
१००
८०
६०
४०
२०
०
अनाज आवश्यकता-दर्शक रेखा
अनाज पूर्ति-दर्शक रेखा
अनाज कमी-दर्शक रेखा
भारतकी अनाज-संबंधी दशा बतानेवाला नक्शा
११ १२
१२ १३
१३ १४
१४ १५
१५-१६
१६ १७
१७-१८
१८ १९
१९ २०

१९१६-१७	४८६ ,,		४०
१९१७-१८	६८६ ,,		५७
१९१८-१९	१७१२ ,,		१४०
१९१९-२०	४२१ ,,	औसत	३६ २

इस कोष्ठकसे मालूम होता है कि सन् १९१९-२० में, जो कि कृषिकी दृष्टिसे बहुत अच्छा वर्ष था, आधा पेट भोजन पाने वालोंकी संख्या प्राय ४ करोड थी और यह संख्या १९१३-१४ में १० करोड और सन् १९१८-१९ में १७ करोड तक पहुँच गई थी। नौ वर्षका औसत निकालनेपर प्रगट होता है कि ६८२ फी सैकडा युवा मनुष्योंको, या यों कहिये कि देशके दो तिहाईसे अधिक जवान स्त्री पुरुषोंको, हमेशा आधा पेट भोजन करके ही जीवन व्यतीत करना पडता है। पाठक इससे स्वयं ही अनुमान कर सकते हैं कि भारतमें रोटीका प्रश्न इस समय कितने महत्वका है और देशकी आर्थिक दशा सुधारनेकी, इस समय कितनी आवश्यकता है। यह दशा देखकर ऐसा कौन सच्चा देश-हितैषी मनुष्य होगा जिसको रोमाञ्च न हो आता होगा? देशकी ऐसी गिरी दशा देखकर आँखोंमें आँसू आये विना नहीं रहते। परन्तु केवल आँसू गिरानेसेही काम न चलेगा। प्रारब्धको दोष देकर हाथपर हाथ धरे अकर्मण्य बने वैठे रहनेसे क्या कोई मनुष्य अपनी उन्नति कर सकता है? इस समय हमारा प्रथम कर्त्तव्य यही है कि हम अनाजकी इस क्षतिकी पूर्त्ति करनेका तन, मन, धनसे प्रयत्न करें। इस क्षतिकी पूर्त्ति करनेके केवल दो ही मुख्य साधन हैं—एक तो देशसे बाहर जानेवाले अनाजका परिमाण घटा देना और दूसरा, देशमें अनाजकी उपज बढ़ाना। इन दोनों विषयोंपर हम अपने विचार अगले अध्यायों में प्रगट करेंगे।

दूसरा अध्याय



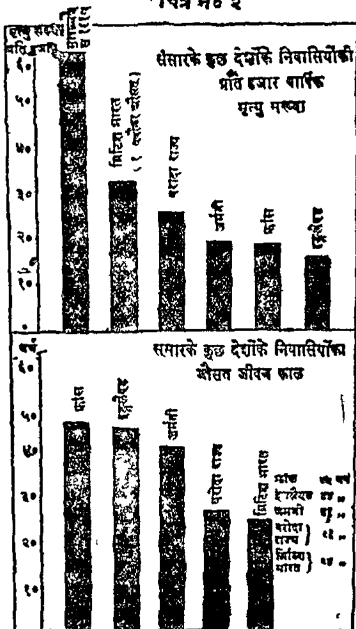
अनाजकी कमी दूर कैसे हो ?

[भारतमें अनाजकी कमीका नतीजा संसारके मुख्य मुख्य देशोंकी मृत्यु-संख्या और जीवन-कालकी औसत उसके साथ भारतकी मृत्यु-संख्या और जीवन-कालका मुकाबिला गेहूँ और चावलकी रफ्तनी रफ्तनीकी रोक और अनाजकी उपज बढ़ानेकी आवश्यकता ।]

सरकारी जेलखानोंमें भारतीय कैदियोंको जितनी खुराक दी जाती है वह उतनी ही होती है जितनीसे कैदियोंका स्वास्थ्य न बिगडे। परन्तु हमारे देशके, कमसे कम दो तिहाई युवकों और युवतियोंको, कैदियोंको मिलनेवाली खुराकसे भी कम खुराकपर सारी उम्र बितानी पडती है। पिछले अध्यायमें प्रत्यक्ष हिसाब लगाकर, यह बात सिद्ध की जा चुकी है। क्या यह अत्यन्त आश्चर्य और शोककी बात नहीं है कि देशके प्राय ८ करोड जवान स्त्री पुरुषोंको, जी-तोड परिश्रम करनेपर भी, उतना भोजन नहीं मिलता जितना कि सरकारी जेलोंमें कठिन कारावासकी सजा काटनेवाले दुराचारी कैदियोंको मिलता है। भोजनके सम्बन्धमें उन कैदियोंकी हालत जेलसे बाहर रहनेवाले निर्दोष लोगोंसे कहीं बेहतर है। भला जिन्हें

भरपेट खाना भी नसीव नहीं होता वे सुखकी कल्पना स्वप्नमें भी कैसे कर सकते हैं? किसी भी मनुष्यको जब तक आधा पेट ही भोजन मिलेगा तबतक वह सुखकी नींद सो कैसे सकता है? इस आधे पेट भोजन पानेका प्रभाव उनके स्वास्थ्यपर बहुत बुरा पड़ता है। पूरी पूरी खुराक न मिलनेसे लोग दुर्बल हो जाते हैं। तब, रोगोंके चक्रावूमें फसकर, शीघ्रही दुनियासे कूच कर देना उनके लिये कोई अचरजकी बात नहीं। भूखसे जर्जर इन दुर्बल भारतवासियोंपर मलेरिया, प्लेग, हैजा, इन्फ्लुएन्जा आदि रोग भी खूब हाथ साफ करते हैं। इस तरह लाखों मनुष्य प्रति वर्ष यमराजकी भेंट हो जाते हैं। इसी कारण इस देशकी मृत्यु-संख्या बढती जाती है। गत दस वर्षोंका औसत लगानेपर मालूम होता है वह सख्या ३१ २ प्रति हजार प्रति वर्षतक पहुँच गई है। सन् १६१८ में यह संख्या ६० प्रति सहस्र तक पहुँच गई थी। भारतवासियोंके जीवन-कालकी औसत अवधि भी, इसी कारण, केवल २४ ७ वर्ष है। नीचेके कोष्ठकमें यूरोपके कुछ देशोंकी और अमरीकाकी औसत वार्षिक मनुष्य सख्या तथा जीवन-कालकी औसत अवधि दी जाती है। इससे यह भली भाँति मालूम होता है कि भारतवासियोंकी मृत्यु सख्या कितनी अधिक है और उनके जीवनकी अवधि अन्य देशोंके मुकाबलेमें कितनी कम है। चित्र नम्बर २ के देखनेसे भी यह बहुत आसानीसे समझमें आ जायगा।

चित्र नं० २


संसारके कुछ देशोंके निवासियोंकी
प्रति हजार वार्षिक
मृत्यु संख्या
ब्रिटिश भारत
बड़ोदा राज्य
जर्मनी
फ्रांस
इंग्लैण्ड
संसारके कुछ देशोंके निवासियोंका
औसत जीवन काल
फ्रांस
इंग्लैण्ड
जर्मनी
बड़ोदा राज्य
ब्रिटिश भारत

कोष्टक नं० (२१)*

देशका नाम	वार्षिक मृत्यु संख्या प्रति हजार	जीवन कालकी औसत अवधि
यूनाइटेड स्टेट्स अमरीका	१३.५	
इङ्गलैण्ड	१४ ८	४४
जर्मनी	१७ ४	४१
फ्रांस	१६ ५	४५
डेनमार्क	१३ ४	५०
स्वीडन	१४ १	५१
बड़ोदा राज्य	२६ ७	२६
ब्रिटिश भारत	३१ २	२४ ७

देशकी ऐसी शोक-जनक तथा हृदय-विदीर्ण करनेवाली अवस्थामें क्या हमारा कुछ भी कर्त्तव्य नहीं है ? हमारी समझमें इन ८ करोड़ आधे पेट भोजन पानेवालोंको पूरे प्रमाणमें भोजन दिलानेकी व्यवस्थाका प्रश्न सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता और राष्ट्रीय सरकारको मिलकर इस भयङ्कर दशासे देशका पीछा छुडानेके लिये शीघ्र ही प्रयत्न करना पड़ेगा।

मध्य एशिया और रूसमें बोल्शेविज्मकी भयङ्कर आग धधक

* इस कोष्टकके अङ्क Baroda Economic Development Committee Report 1918-19 पृष्ठ ११ से लिये गये हैं।

रही है। बोल्शेविकोंके आदर्श चाहे कितने ही उच्च हों, किन्तु जिन साधनोंके द्वारा वे अपने आदर्शको प्राप्त करनेका प्रयत्न करते रहे हैं वे, अनेक अंशोंमें, निन्दनीय हैं। साथ ही इसपर भी हमारा ध्यान रहना चाहिये कि हमेशा भूखों मरनेके कारण असह्य कष्ट उठानेवाले, और अत्यन्त नीच दशा में रहनेके कारण कई प्रकारके अत्याचारोंसे पिसे हुए, मनुष्योंपर ही बोल्शेविकोंका प्रभाव अधिक पड़ता है। जब उन्हें जीवन कष्टमय प्रतीत होने लगता है और सर्वत्र दुःख ही दुःख दिखाई पड़ने लगता है तथा जब उन्हें कठिन परिश्रम करनेपर भी रूखा सूखा अन्न पेटभर खानेको नहीं मिलता तब यन्त्रणासे पीडित होकर, यदि वे बुरेसे बुरा काम करनेको तैयार हो जायँ तो क्या आश्चर्य! इसलिये, देशवासियोंको और राष्ट्रीय सरकारको—अन्य सब कामोंसे पहले—उनकी चिन्ता करनी होगी और जनताकी दशा सुधारनेका इस तरह प्रयत्न करना पड़ेगा जिससे अत्याचार घटे और जनतामें उत्तरोत्तर सुखकी वृद्धि हो। इसका उपाय यह है कि देशमें अन्नके परिमाणकी इस कदर वृद्धि की जाय कि कमसे कम १५ २० वर्षोंके बाद देश भरको, काफी परिमाणमें भोजन मिलने लगे।

अब प्रश्न यह है कि अन्नके परिमाणकी वृद्धि हो किस तरह? उसके केवल दो ही साधन हैं। एक तो यह कि यहासे अन्य देशोंको जितना अनाज भेजा जाता है उसका परिमाण घटाया जाय, और दूसरा यह कि देशमें अनाजकी उपज बढाई जाय। पहले हम देशसे बाहर जानेवाले अनाजके परिमाणको घटानेके विषयमें विचार करते हैं। गत नव वर्षोंमें भारतसे बाहरी देशोंको अनाज इस प्रकार भेजा गया,—

कोष्ठक नं० (२२) *

(करोड मनमें)

सन्	चावल	गेहूँ	ज्वार, बाजरा और जव	दाल	चना और अन्य प्रकारके अनाज
१९११—१२	७१	३८	०९	०७	१३
१९१२—१३	७५	४७	१८	०५	०५
१९१३—१४	६७	३४	०७	०३	०२
१९१४—१५	४२	२१	०४	०२	०१
१९१५—१६	३९	१९	०६	०३	०१
१९१६—१७	४५	२२	०७	०५	०२
१९१७—१८	५३	४२	११	०६	११
१९१८—१९	५६	१.४	०६	०१	१०
१९१९—२०	१८	०२	×	०४	०१
१९२०—२१	२.९	०८	०७	०२	०१

* इस कोष्ठकके अङ्क Review of the Trade of India नामक सरकारी वार्षिक रिपोर्टसे लिये गये हैं।

इस कोष्टकसे यह भली भाँति मालूम होता है कि चावल और गेहूँकी रफ्तनी ही अधिक परिमाणमें होती है। अन्य प्रकारका अनाज कम भेजा जाता है। इसलिए, यदि हम बाहर भेजे जानेवाले अनाजका परिमाण कम करना चाहते हैं तो हमें ऐसा प्रबन्ध करना चाहिए जिसमें इस देशसे बाहर गेहूँ और चावल कम भेजा जाय। दूसरी बात उक्त कोष्टकसे यह मालूम होती है कि यूरोपीय महायुद्धके पहले इस देशसे बाहर अनाज बहुत अधिक परिमाणमें भेजा जाता था। महायुद्धके समय यह परिमाण बहुत कम हो गया था। पर, अब, फिर उसके उत्तरोत्तर बढ़नेकी सम्भावना है। एक तो महायुद्धके समय जहाजोंका अभाव अथवा न्यूनता रहनेसे अनाजकी रफ्तनी अधिक परिमाणमें नहीं हो सकी दूसरे भारत सरकारने विदेशको अनाज भेजनेका अधिकार अपने हाथमें ले लिया था इससे भी रफ्तनीमें रोक टोक बनी रही, और यही कारण है कि देशसे अधिक माल बाहर नहीं भेजा जा सका। इसका परिणाम देशके लिये अच्छा ही हुआ। यदि भारत सरकार राली ब्रदर्सके सदृश कम्पनियोंको मन माना अनाज देशसे बाहर ले जाने देती—अर्थात् अनाजकी रफ्तनीपर नियन्त्रण न रखती—तो वह बेहद महँगा हो जाता जैसा कि १९२१ और १९२० में हो गया। इससे देशमें असन्तोष एव दु ख और भी अधिक बढ़ जाता। हाँ, अन्नकी दर बढ़ जानेसे उन किसानोंको कुछ लाभ अवश्य होता जो केवल बेच देनेके लिये ही गेहूँ-चावल बोते हैं,

परन्तु हमारी समझमें तो बीचके दलाल ही मुनाफेकी गहरी रकम हडप कर जाते, और इस तरह देश घाटेमें ही रहता। इसलिये, हमारी समझमें, यदि इन व्यापारियोंको स्वतन्त्र रूपसे मनमाना गेहूँ चावल विदेश भेजने दिया जाय तो देशका हित नहीं। जब तक सारे देशवासियोंको काफी परिमाणमें भोजन नहीं मिलता तब तक देशसे गेहूँ-चावल विदेश भेजनेकी बिलकुल ही मनाही कर देना ठीक होगा। यदि किसी कारण राष्ट्रीय सरकार ऐसा करनेमें असमर्थ हो तो कमसे कम वह व्यापारियोंको स्वतन्त्र रूपसे गेहूँ-चावल विदेश न भेजने दे, और जितना हो सके उतने कम परिमाणमें गेहूँ-चावल विदेशको जाने दे। अगले पृष्ठमे दिये गये कोष्ठकमें यह बतलाया गया है कि गत नव वर्षोंमें कितना गेहूँ और चावल ब्रिटिश भारतमें उत्पन्न हुआ और उसमेसे विदेशको कितना भेजा गया—

कोष्ठक नं० (२८) (करोड़ मनमें)

सन् ईसवी	गेहूँ			चावल		
	उपज †	जो विदेश भेजा गया *	जो देशमें बचा	उपज †	जो विदेश भेजा गया *	जो देशमें बचा
९११—१२	२३९	३८	२०१	९६८	७१	८९७
९१२—१३	२०९	४७	१६२	८४९	७५	७७४
९१३—१४	१८८	३४	१५४	८३५	६७	७६८
९१४—१५	२१५	२१	१९४	७६२	४२	७२०
९१५—१६	१८५	१९	१६६	८९८	३९	८५९
९१६—१७	२०९	२२	१८७	९४१	४५	८९६
९१७—१८	२०५	४२	१६३	९६४	५३	९११
९१८—१९	१६३	१४	१४	६६४	५६	६०८
९१९—२०	२१५	०२	२१३	९०३	१८	८८५
नौ वर्षोंका वार्षिक औसत			१७६	नौ वर्षों का वार्षिक औसत		८१३

अथवा २८॥ सेर प्रति वर्ष प्रति मनुष्य या सवा छटाक प्रति मनुष्य प्रति दिन

अथवा १३२ सेर प्रति वर्ष प्रति मनुष्य या पौने छटाक प्रतिमनुष्य प्रतिदिन

† ये अङ्क कोष्ठक नं० १४ से लिये गये हैं।

* ये अङ्क कोष्ठक नं० २२ से लिये गये हैं।

इस कोष्ठकसे यह पता लगता है कि गेहूँ और चावल उपजका कितना भाग प्रति वर्ष करोडों देशवासियोंके भू मरनेपर भी अन्य देशोंमें चला जाता है। इस कोष्ठकसे यह भ मालूम होता है कि देशमें कितना कम गेहूँ और चावल भारत वासियोंके उपयोगके लिये बचता है। नौ वर्षोंकी औसत लगानेसे यह विदित होता है कि भारतमे प्रति वर्ष प्रति मनुष्य को केवल २८॥ सेर गेहूँ और १३२ सेर चावल मिल सक हैं। अथवा यों कहिये कि यदि गेहूँ और चावल देशवासियों बराबर बराबर बाँट दिये जायं तो प्रति मनुष्यको प्रति दिन सव छटाँक गेहूँ और पौने छ छटाँक चावल मिलेंगे। पाठक इससे स्वयं ही अनुमान कर सकते हैं कि गेहूँ और चावलका विदेश भेजना बन्द करनेकी और उनकी उपजको शीघ्र बढ़ानेकी कितनी अधिक आवश्यकता है।

अब जरा यूनाइटेड स्टेट्सके समान स्वतन्त्र राष्ट्रकी इस सम्बन्धकी दशापर विचार कीजिये। Statistical Abstrac of United States,(1916) नामक पुस्तकमें यह बतलाय गया है कि यूनाइटेड स्टेट्समें प्रति वर्ष कितना गेहूँ पैदा होता है, कितना बाहर भेजा जाता है और कितना देशमें खर्चके लिये बचता है। सन् १९११-१२ से सन् १९१५-१६ तक पाँच वर्षोंकी उस देशके गेहूँकी खपतकी औसत लगानेसे मालूम होता है कि प्रति वर्ष प्राय ६२ करोड बुशल (१ बुशल = ६० पौंड) या ७४। करोड मन गेहूँ देशके खर्चके लिये बचा। अर्थात् ६ करोड

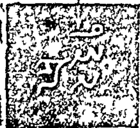
२० लाख मनुष्योंके खर्चके लिये अमरीकामें ४४। करोड मन गेहूँ देशमें प्रति वर्ष बचता है। यदि देशमें बचा हुआ सब गेहू सब मनुष्योंमें बराबर बराबर बाँट दिया जाय तो प्रत्येक मनुष्यको वर्षभरके खर्चके लिये १६२ सेर गेहूँ मिलेंगे। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, भारतमें प्रत्येक मनुष्यको केवल २८॥ सेर गेहूँ और १३२ सेर चावल प्रति वर्ष मिल सकता है। अमरीकाके लोग अधिकाश मास-भोजी हैं और भारतके अधिकाश शाक-भोजी। तिसपर भी अमरीकाके लोग १६२ सेर गेहूँ प्रति मनुष्य अपने देशमें वर्षभरके खानेके लिये रख लेते हैं, परन्तु भारतमें प्रत्यक मनुष्यको केवल २८॥ सेर गेहूँ और १३२ सेर चावल वर्षभरमें खानेको मिलता है। अर्थात् अमरीकन लोग जितना गेहू उपयोगमें लाते हैं उसका केवल सातवाँ हिस्सा गेहूं और दो तिहाई हिस्सा चावल भारतवासियोंको नसीब होता है। चित्र नं० ३ में भी यही बात दिखलाई गई है।

चित्र नं० २

मांसभोजी अमरीका वासियोंकी गेहूंकी प्रतिमनुष्य वार्षिक खपत



शाकभोजी भारतवासियोंकी चावलकी प्रतिमनुष्य वार्षिक खपत



शाकभोजी भारतवासियोंकी गेहूंकी प्रतिमनुष्य वार्षिक खपत



कुछ महाशयोंका मत है कि यदि सरकार अनाजकी रफ्तनीमें दस्तन्दाजी करेगी तो अनाजकी कीमत, जमीनकी अन्य उपजोंके मुकाबलेमें बहुत कम हो जायगी। इससे कृषक लोग अनाज बोनेकी अपेक्षा कपास, सन, तिल आदिका बोना अधिक लाभदायक समझेंगे। इसलिए वही चीजें अधिक परिमाणमें बोई जायगी और गेहूँ-चावलकी खेती कुछ कम हो जायगी। इस कारण उनकी उपज भी पहलेसे कुछ कम होगी। अतएव गेहूँ और चावलकी कीमत फिर भी बढ़ जायगी, और अन्तमें इस नीतिसे देशको कुछ भी लाभ न होगा—लेकिन इस आक्षेप में कुछ भी सार नहीं है। क्योंकि गत चार पाँच वर्षोंकी कृषि-सम्बन्धिनी रिपोर्टें उक्त आक्षेपका समर्थन नहीं करतीं। गेहूँ और चावलकी रफ्तनी करनेका अधिकार सरकारके अधीन हो जानेपर उन चीजोंकी दर अवश्य ही उतनी नहीं बढ़ी जितनी कि अन्य चीजोंकी बढ़ गई थी, परन्तु इससे गेहूँ और चावल पहले-से कम भूमिमें नहीं बोये गये। अनाज बोये जानेका ज्यादातर दारोमदार उसकी कीमतकी अपेक्षा वर्षापर और जमीनके विशेष गुणोंपर ही है। अनाजकी उपजका दारोमदार भी वर्षापर ही है। कुछ महाशयोंका यह भी मत है कि यदि गेहूँ-चावल रोक लिया जायगा तो मोटा (जौ, मटर आदि) अन्न, अधिक परिमाणमें, विदेश जाने लगेगा। इससे गरीबोंको फिर भी अन्नके लाले पड़ने लगेंगे। हमारी समझमें, इसकी वैसी सम्भावना नहीं प्रतीत होती। यदि सरकार सब प्रकारके अनाजकी

रफ्तनी स्वतन्त्र रूपसे न होने दे तो बहुत अच्छा हो। परन्तु यदि सस्ता अन्न स्वतन्त्र रूपसे जाने भी दिया गया तो उसकी माँग विदेशोंमें बहुत कम होनेके कारण उसका परिमाण अधिक बढनेकी सम्भावना बहुत कम है। केवल गेहूं और चावलकी ही माँग विदेशोंमें बहुत है और उनका, स्वतन्त्र रूपसे, इस देशसे न भेजा जाना ही आवश्यक है।

यदि सरकार इन विदेशी व्यापारियोंको स्वतन्त्र रूपसे अनाजका व्यापार करने देनेकी नीतिको देशके लिए हितकर समझे तो उसे देशसे बाहर भेजे जानेवाले गेहूँ और चावलपर १० या १५ प्रति सैकडेके हिसाबसे टैक्स लगा देना चाहिए। स्मरण रहे कि ऐसा कर लगानेसे देशको किसी प्रकारकी अधिक हानि होनेकी सम्भावना नहीं, प्रत्युत इस उपायसे भी देशसे बाहर जानेवाले अनाजका परिमाण कुछ कम हो जायगा और अनाजकी कमीको, कुछ अशमें, दूर करनेमे सहायता मिलेगी।

परन्तु विदेशोंको भेजे जानेवाले अनाजके परिमाणको घटा देनेसे ही काम न चलेगा। यदि अनाजका विदेश भेजा जाना बिलकुल ही बन्द कर दिया जाय तो भी कई करोड मन अनाजकी कमी बनी ही रहेगी। सामनेके कोष्ठकसे यह बात बहुत आसानीके साथ समझमें आ जायगी।

तीसरा अध्याय

किसानोंकी आर्थिक दशा



[भारतवासियोंकी गरीबी और उनके रहन सहनका बहुत नीचे दर्जेका होना, भिन्न भिन्न प्रान्तोंमें जोतने लायक पडती जमीन, किसानोंकी सख्या-वृद्धि, जमीनका छोटे छोटे टुकडोंमें दूर दूर बँटे हुए होना, पानीकी कमी, पूँजीकी कमी, दलालोंका मुनाफेको हडप कर जाना, किसानोंमें शिक्षाका अभाव, जमींदार और किसानोंका सम्बन्ध, असुविधाओंका साराश।]

विगत महायुद्धने ससारके मनुष्योंकी आँखें खोल दी हैं। वे अब कृषिके महत्वको भली भाँति समझने लगे है। इँगलैण्ड सरीखा औद्योगिक देश भी अब अपनी कृषिको बढानेका जी तोडकर प्रयत्न कर रहा है। परन्तु भारतवासी अब भी गाढ निद्रामें पडे हुए हैं। देशकी आर्थिक दशा इतनी गिरी हुई होनेपर भी हम लोग कृषि सुधारकी ओर उचित रूपसे ध्यान नहीं दे रहे हैं।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित Indian Journal ...omics में लेखकने एक लेखमे हिसाब लगाकर यह ... है कि सरकारी जेलोंमें, कठिन कारावासकी सजा

खाद और सिंचाईका उपयोग करके उपज को, अधिक नहीं तो, दूना करनेमें ही समर्थ हो जायँ। तब तो अवश्य ही सुखका साम्राज्य हो जाय और किसीको भी भूखों न मरना पडे। हमारे देशवासी भी अपना पेट भरकर दूसरे देशोको अन्न देनेमें समर्थ हो जायॅ। परन्तु इन साधनोंका उपयोग करनेमें अगणित कठिनाइयाँ हैं। भारतीय किसान बहुत गरीब हैं। उनकी जमीन बहुत ही छोटे छोटे टुकडोंमें भिन्न भिन्न स्थानोंमें, बॅटी हुई है। इससे वे नये नये प्रकारकी खाद देकर, और नये नये यन्त्र लगा कर भी ज्यादा लाभ नहीं उठा सकते। उनको सिंचाईका भी माकूल सुभीता नहीं है। उनके बैल बहुत कमजोर होनेके कारण नये प्रकारके वजनी हल खीचनेमें असमर्थ हैं। वे प्राय लालची साहूकारोंके चङ्गुलमे फँसे रहकर मनमाना व्याज देते देते उजड गये हैं। जमींदारको लगान भी उन्हें बहुत देना पडता है। दूसरे रूपमें रिशवत भी उन्हें देनी पडती है। सौ बातकी बात यह है कि वे अविद्या रूपी अन्धकारमें पडे हुए हैं, जिसके कारण वे जहाँ जाते हैं वहीं धोखा खाते हैं और परिश्रमसे कमाये हुए मुनाफेका बहुत सा भाग व्यर्थ ही खो देते हैं। प्रश्न बहुत जटिल है। इस सम्बन्धमें हम अपने विचार अगले अध्यायोंमें प्रकट करेंगे।





चित्र नं० ४ (अ)

पानेवाले दुराचारी कैदियोंको जितना भोजन मिलता है उसका तीन चौथाई भोजन भी हमारे देशके १६ करोड युवाओंको प्रति वर्ष नहीं मिलता *। पहले अध्यायमें जो हमने भारतके अनाजकी माँग और पूर्त्तिका अन्दाजा लगानेका प्रयत्न किया है, उससे साफ जाहिर होता है कि देशमें, सुकालमें भी, १७ करोड मन अनाजकी वार्षिक कमी वनी रहती है और अकालके समयमें तो इसकी सख्या ६८ करोड़ मन तक बढ जाती है। इस कमीके दुष्परिणामोंसे पाठक भली भाँति परिचित हैं। दुर्भिक्षके समय देशभाइयोंकी दुर्दशा देखकर ऐसा कौन भारतवासी होगा जिसका हृदय विदीर्ण न हो जाता हो ? इस सम्बन्धमें, दुर्भिक्षके समयका एक चित्र दिया जाता है, जिससे देशवासियोंकी दशा समझनेमें पाठकोंको सहायता मिलेगी। देखिए चित्र न० ४

जब तक हमारी यह दशा रहेगी, जब तक हम भूखों मरते रहेंगे, तब तक हमारी किसी भी प्रकारकी उन्नति नहीं हो सकती। अनाजकी कमी दूर करनेका प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण है, अत प्रत्येक देश हितैषी सज्जनका यह पहला कर्तव्य है कि वह उसे दूर करनेका प्रयत्न करे। अनाजकी कमी दूर करनेका एक साधन है देशसे अनाजकी रफ्तनीको बन्द करना। परन्तु देशसे अनाजकी रफ्तनीको रोक देनेसे ही हमारा काम न चलेगा।

* See Indian Journal of Economics Volume III, parts I and II, an article by the author entitled ' A Study of the Indian Food Problem

प्रत्युत देशमें हमें अन्नकी उपजका परिमाण भी बढाना पडेगा। दूसरे अध्यायमें हम यह स्पष्टतया बतला चुके हैं कि अनाजकी कमी इतनी अधिक रहती है कि देशकी उपजको बिना बढाये हमारी दशा सुधर ही नहीं सकती। हमारी जमीनकी उपज प्राय १० मन प्रति एकडके हिसाबसे होती है। वास्तवमें हमारी जमीन खराब नहीं है। इसलिए उपजके इस कदर कम होनेका उसे दोष नहीं दिया जा सकता। क्योंकि कृषि विभागके कर्मचारियोंने नये प्रकारके यन्त्रों, खाद और सिचाई आदिका उपयोग करके उन्ही जमीनसे दुगुनी तिगुनी उपज पैदा करनेमें सफलता प्राप्त की है। जब जमीन खराब नहीं है और उपज बढाई जा सकती है तब फिर वह बढाई क्यों नहीं जाती? इस प्रश्नपर हमको अच्छी तरहसे विचार करना चाहिए। क्योंकि हमारे देशका भविष्य बहुत कुछ इसी प्रश्नके हल होनेपर अवलम्बित है।

कृषकोंकी दशा सुधारनेके लिए सबसे पहले यह जान लेना आवश्यक है कि उनको आजकल क्या क्या असुविधायें हैं, क्योंकि बीमारीको भली भाँति बिना समझे दवाका उपयोग करनेसे सफलता नहीं हो सकती। इस अध्यायमें कृषकोंकी आर्थिक दशाका दिग्दर्शन मात्र कराया जायगा। इसके बाद अन्य अध्यायमें यह बतलानेका प्रयत्न किया जायगा कि ये असुविधायें किस प्रकार दूर हो सकती हैं, राष्ट्रीय सरकार और शिक्षित जनताको उनके निवारणार्थ किस प्रकारके प्रयत्न करने चाहिएँ।

प्रत्युत देशमें हमें अन्नकी उपजका परिमाण भी बढ़ाना पड़ेगा। दूसरे अध्यायमें हम यह स्पष्टतया बतला चुके हैं कि अनाजकी कमी इतनी अधिक रहती है कि देशकी उपजको बिना बढ़ाये हमारी दशा सुधर ही नहीं सकती। हमारी जमीनकी उपज प्राय १० मन प्रति एकड़के हिसाबसे होती है। वास्तवमें हमारी जमीन खराब नहीं है। इसलिए उपजके इस कदर कम होनेका उसे दोष नहीं दिया जा सकता। क्योंकि कृषि विभागके कर्मचारियोंने नये प्रकारके यन्त्रों, खाद और सिंचाई आदिका उपयोग करके उसी जमीनसे दुगुनी तिगुनी उपज पैदा करनेमें सफलता प्राप्त की है। जब जमीन खराब नहीं है और उपज बढ़ाई जा सकती है तब फिर वह बढ़ाई क्यों नहीं जाती? इस प्रश्नपर हमको अच्छी तरहसे विचार करना चाहिए। क्योंकि हमारे देशका भविष्य बहुत कुछ इसी प्रश्नके हल होनेपर अवलम्बित है।

कृषकोंकी दशा सुधारनेके लिए सबसे पहले यह जान लेना आवश्यक है कि उनको आजकल क्या क्या असुविधायें हैं, क्योंकि बीमारीको भली भाँति बिना समझे दवाका उपयोग करनेसे सफलता नहीं हो सकती। इस अध्यायमें कृषकोंकी आर्थिक दशाका दिग्दर्शन मात्र कराया जायगा। इसके बाद अन्य अध्यायमें यह बतलानेका प्रयत्न किया जायगा कि ये असुविधायें किस प्रकार दूर हो सकती हैं, राष्ट्रीय सरकार और शिक्षित जनताको उनके निवारणार्थ किस प्रकारके प्रयत्न करने चाहिएँ।

भारत वासियोंकी गरीबीके सम्बन्धमें समाचारपत्रों और व्याख्यानोंमें बहुत कुछ लिखा और सुना जाता है परन्तु हर एक जिलेमें कुछ गाँवोंकी अच्छी तरहसे जाँच कर इस बातको जाननेका प्रयत्न बहुत कम लोगोंने किया है कि फी सैकड़े कितने आदमियोंकी आमदनी और रहन-सहन ऊँचे दर्जेकी है, कितने आदमियोंकी आमदनी और रहन-सहन मामूली दर्जेकी है और कितने आदमियोंका रहन-सहन और आमदनी बहुत नीचे दर्जेकी है। इँगलैण्ड और अमरीकामें रावेन्ट्री (Rowentree) और बूथ (Booth) जैसे विद्वानोंने अपने देशवासियोंकी दशाकी जाँचकर कई प्रामाणिक ग्रन्थ लिख डाले हैं। परन्तु भारतमें क्या सरकार और क्या जनता किसीने भी इस महत्व पूर्ण विषयपर अभी तक कुछ भी ध्यान नहीं दिया। यदि सरकार प्रत्येक प्रान्तके कुछ गाँवोंकी आर्थिक दशाकी जाँच कराके भारत-वासियोंकी सच्ची दशा समझनेका प्रयत्न करे और दूसरोंको उसके समझनेमें मदद दे तो इस दीन देशका बहुत कुछ कल्याण हो।

कुछ दिन हुए बड़ी व्यवस्थापिका सभामें स्वर्गीय पण्डित विष्णुदत्त शुक्लने कुछ गाँवोंमें इस प्रकारकी जाँच करनेके लिए प्रस्ताव पेश किया था, परन्तु नौकरशाही सरकारने उसे स्वीकार ही नहीं किया। सरकार इस कामको न करना चाहे तो न करे, किन्तु अब शिक्षित जनताको स्वतन्त्र रूपसे शीघ्र ही इस कामको आरम्भ कर देना चाहिए, क्योंकि काश्तकारोंकी

दशाका अच्छी तरहसे ज्ञान प्राप्ति किये बिना उनकी दशा सुधारनेका प्रयत्न करनेमें पूर्ण सफलता न होगी।

जो उत्साही नवयुवक बहुधा यह पूछा करते हैं कि हम देशके लिए क्या करे वे इस प्रश्नको अपने हाथमें ले। हा, इसके लिए अर्थशास्त्रके ज्ञानकी आवश्यकता है। इसलिए इस प्रश्नको वे ही अपने हाथमें ले सकते हैं जिन्होंने बी० ए० या एम ए० में अर्थशास्त्रका अध्ययन किया है या जो उतनी योग्यता रखते हैं। गाँवोंकी आर्थिक जाँच करनेके लिए प्रश्नावली (Village questionare) डाक्टर स्लेटर (Dr Slater) की पुस्तक (Some South Indian Villages) मे मिल सकती है। बन्दोबस्तकी भिन्नताके कारण उसमें आवश्यक संशोधन कर लेनेपर यह भली भाँति काममे लाई जा सकती है।

प्रत्येक समाजमें गरीब, मामूली और धनवान सब प्रकारके आदमी पाये जाते हैं। पर निम्नलिखित कारणोंसे मालूम पडता है कि ब्रिटिश भारतमें बहुत ही गरीब और बहुत ही नीचे दर्जेके रहन सहनवालोंकी संख्या बहुत ही अधिक है। सम्भवत उनकी संख्या ८० फी सैकडा है। हमारे ऐसा समझनेका पहला कारण यह है कि सन् १९०१ में हिसाब लगाकर सरकारकी ओरसे यह कहा गया था कि प्रत्येक भारतवासीकी औसत वार्षिक आमदनी ३०) रु० थी। शायद यह आमदनी अब, रुपयोंके हिसाबसे, कुछ बढ भी गई हो, परन्तु सब वस्तुओंकी कीमत पहलेसे दुगुनी तिगुनी हो जानेके

कारण उनकी दशा पहलेसे अच्छी नहीं हुई इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है। नीचेके कोष्ठकमें ससारके मुख्य मुख्य देशोंके निवासियोंकी प्रति मनुष्य औसत वार्षिक आमदनी दी जाती है। यह लेखा सन् १६०१ का है। आमदनीके ये अङ्क यद्यपि पुराने हैं, तोभी भारतवासियोंकी उस समयकी आमदनीके साथ उनसे तुलना करते ही भारतवासियोंकी भयङ्कर गरीबीका पता लगता है। चित्र (Diagram) नं० ५ में भी इन आमदनियोंकी तुलना की गई है। उससे यह आसानीसे समझमें आ जायगा कि अन्य देशोंके मुकाबलेमें हम कितने अधिक गरीब हैं।

कोष्ठक नं० २५

वार्षिक आमदनी प्रति मनुष्य

आस्ट्रेलिया	६७५)	रुपये
इँगलेंड	६२०)	„
यूनाइटेड स्टेट्स	५८५)	„
फ्रांस	०)	„
जर्मनी	)	
	)	

भ ... गरीब ... क ...

सदी

कि ... तक ... सह

के ... सन् ... ६

पहुँच ...

वर्षकी ही है जब कि इँगलैण्डके लोगोंकी ४४ वर्षकी और न्यूज़ीलैण्डके लोगोंकी ६० वर्षकी है। इन बातोंसे स्पष्ट है कि हमारे देशमें अधिकाश मनुष्योंका रहन सहन बहुत ही नीचे दर्जेका है।

हम पीछे कही चुके हैं कि ब्रिटिश भारतमें १६ करोड मनुष्योंको भर पेट रूखा सूखा भोजन भी नहीं मिलता, इस कारण वे अशक्त हो जाते हैं और प्लेग, मलेरिया, महामारी, इन-फ्ल्यूएन्ज़ा इत्यादि बीमारियोंके शिकार होते हैं। जिनको भरपेट खानेको नहीं मिलता, जो अत्यन्त ही गरीब हैं और जिनका रहन-सहन बहुत ही नीचे दर्जेका है उनसे कृषि सुधारकी क्या आशा की जा सकती है? इससे हमें यह मालूम हुआ कि कृषि सुधारमें सबसे बडी पहली असुविधा अधिकाश कृषकोंकी दरिद्रता और उनके रहन सहनका बहुत नीचे दर्जेका होना है।

उत्पत्तिका पहला और प्रधान साधन जमीन है। सरकार द्वारा प्रकाशित Agricultural Statistics of India Vol I से यह मालूम होता है कि ब्रिटिश भारतमें कुल ६७॥ करोड एकड जमीन है जिसमेंसे करीब ६ करोड एकड जमीनमें जङ्गल हैं और १४॥ करोड एकड जमीन ऐसी है जिसमें किसी भी प्रकारकी खेती नहीं हो सकती। बाकी बची हुई जमीनमेंसे सन् १९१९-२० में २२। करोड एकड जमीनमें खेती हुई थी और करीब २६॥ करोड एकड जमीन यानी सम्पूर्ण भारतकी एक ... कुछ अधिक ज़मीन खेतीके लायक होनेपर भी बेकार

४

कोष्ठक नं० २६

(लाख एकड़में)

प्रान्त	क्षेत्रफल	बोई हुई जमीनका रकबा। (सन् १६१६ २०)	ऐसी बोने लायक पड़ती जमीन जो जोती नहीं गई। (सन् १६१६ २०)	पड़ती जमीन प्रान्तके क्षेत्रफलसे फी सैकड़ा कितनी है?
बंगाल —	५०३	२४५	१०५	२०
मद्रास —	६११	३३१	२१७	२४
बंबई प्रान्त —	४८७	२६६	७५	१५
„ सिन्ध —	३०१	४१	११२	३७
युक्तप्रान्त —	६८३	३५५	१३४	२०
बिहार और उड़ीसा —	५२८	२५६	१२२	२४
पंजाब —	६१६	२५७	१६७	३२
ब्रह्मा —	११५०	१५२	२६८	२६
मध्यप्रान्त —	५२६	१६६	१७१	३२
बरार —	११४	६७	१५	१३
आसाम —	३१३	५६	१६६	५३
पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त	८४	२३	३३	३६
अन्यप्रान्त	३२	७	७	२१
मीजान —	६२५१	२२२८	१६५२	२६

पड़ी रही। सरकार इसे अँगरेजीमें। (Cultivable waste) कहती है। इस १६॥। करोड एकड जमीनमेंसे प्राय ५ करोड एकड़ जमीन ऐसी थी जो एक या दो सालके लिए पडती छोड दी गई थी। कोष्टक न० २६ में यह वतलाया गया है कि भारतके सब प्रान्तोंका क्षेत्रफल क्या है, कितनी ज़मीनमें खेती की जाती है, खेती लायक कितनी जमीन विना जोती वोई पडी है और प्रान्तके क्षेत्रफलसे ऐसी जमीन फी सैकड़ा कितनी है। इस कोष्टकसे यह मालूम होता है कि ब्रह्मा, पञ्जाव, आसाम, मध्यप्रदेश, सिन्ध और पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्तमें विना जोती लेकिन वोने लायक जमीन (Cultivable waste) का रकवा, प्रान्तके क्षेत्रफलके चतुर्थांशसे अधिक है। राजपूताना और मध्य भारतमें भी ऐसी पडती जमीन वहुत है। इसलिए इन्हीं प्रान्तोंके सम्बन्धमें हम नीचे विचार करते हैं।

सिन्ध और राजपूतानेमें वर्षा वहुत कम होती है, इसके सिवा वहाँकी जमीन रेतीली और ऊसर है, इसी लिए उन प्रान्तोंके सम्बन्धमें ऊपर वतलाई हुई जमीन खेतीके काममें तव तक नहीं आ सकती जव तक कि वहाँपर आवपाशीका पूरा प्रवन्ध न किया जाय। आसाम, वरमा, और मध्यभारतमें मलेरिया, काला ज्वर इत्यादि रोगोंके कारण और जाने-आनेके लिए सडकें, रेल इत्यादिका सुभीता न होनेके कारण अन्य प्रान्तोंके निवासी वहाँ जाकर पडी हुई जमीनको जोतनेमें हिचकिचाते हैं। जव तक ये असुविधाएँ दूर न की जावेंगी तवतक वहाँकी पडती जमीनका

पूना कृषि कालेजके भूतपूर्व प्रिंसपल डाक्टर हेराल्ड मेन (Dr Harold Mann) ने बम्बई प्रान्तके एक ग्रामकी जाँच करके यह पता लगाया था कि उस गाँवके ७२६ खेतोंमें से ४६३ खेत ऐसे थे जिनका रकबा एक एकडसे भी कम था। उनमेंसे २३३ खेतोंका रकबा तो आधे एकडसे भी कमका था। इलाहाबाद विश्वविद्यालयके अर्थशास्त्रज्ञ प्रोफेसर जेवन्सने युक्तप्रान्तके एक गाँवकी जाच की, जिससे मालूम हुआ कि उस गाँवके १७३ खेतोंमेंसे ८६ खेत ऐसे थे जिनका रकबा दो एकडसे भी कम था। यही दशा प्राय सब प्रान्तोंकी है। काश्तकारोंकी जमीन बहुत छोटे छोटे टुकडोंमें बँटी हुई होनेके कारण उससे उनका उदर-पोषण नहीं होता। इसके साथ ही साथ यह भी देखा गया है कि यदि किसी काश्तकारके पास एकसे अधिक खेत होते हैं तो वे एक दूसरेसे दूर दूर रहते हैं (अर्थात् एक गाँवके पूर्वमे हैं तो दूसरेके पश्चिममें) जिससे कि काश्तकारोंको नीचे लिखे हुए नुकसान होते हैं —

(१) आने जानेमे उनका बहुत सा समय नष्ट हो जाता है।

(२) उन्हें वैज्ञानिक यन्त्र इत्यादिका उपयोग करनेमे बहुत असुविधा पडती है। वे उससे ज्यादा लाभ नहीं उठा सकते।

(३) रखवाली करनेमें दिक्कत होती है।

(४) उन खेतोंमें जानेके लिए रास्ता बनानेमें और उनमें नहरसे पानी ले जानेमें बडी अडचन पडती है।

(५) काश्तकारोंका पारस्परिक झगडा बढता है।

खेतीके उपयोगमें आना सम्भव नहीं दीखता। केवल पञ्जाब और मध्यप्रदेश ही ऐसे प्रान्त हैं जहाँ थोडी बहुत पड़ती जमीन फिलहाल काश्तकारीके उपयोगमें लाई जा सकती है, परन्तु भारतकी कुल जमीनके रकवे और मनुष्य-सख्याके खयालसे यह जमीन बहुत कम है और हम यह कह सकते हैं कि जब तक ऊपर बताई गई असुविधाएं दूर नहीं होतीं तब तक भारतमें ऐसी पडती जमीन बहुत कम है जो कि काश्तकारीके उपयोगमें एकदम लाई जा सकती हो।

दूसरी बात यह है कि भारतमें काश्तकारोंकी सख्या बहुत बढ गई है। सन् १९०१ में उस वर्षकी मनुष्य-गणनाके अनुसार किसानोंकी सख्या १५॥ करोड थी और सन् १९११ में वह १७ करोड तक बढ गई थी। अभी सन् १९२१ की मनुष्य-गणनाकी पूरी रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई है परन्तु यह अनुमान किया जाता है कि उनकी सख्या अब १९ करोडसे कम न होगी। हम ऊपर बता चुके हैं कि भारतमें केवल २२॥ करोड एकड जमीनमें खेती होती है। इससे यह मालूम होता है कि प्रत्येक काश्तकारको सवा एकड जमीनसे अधिक नहीं मिल सकती या १५ से ४० वर्ष तककी उमर वाले एक जवान काश्तकारको अपने कुटुम्ब और बाल बच्चोंको पालनेके लिये ४॥ एकडसे अधिक जमीन नहीं मिल सकती, इसका फल यह होता है कि किसानको खेतीसे बहुत कम लाभ होता है और उसकी दशा दिन पर दिन खराब होती जाती है।

पूना कृषि कालेजके भूतपूर्व प्रिंसपल डाक्टर हेराल्ड मेन (Dr Harold Mann) ने वम्बई प्रान्तके एक ग्रामकी जाँच करके यह पता लगाया था कि उस गाँवके ७२६ खेतोंमें से ४६३ खेत ऐसे थे जिनका रकवा एक एकडसे भी कम था। उनमेंसे २३३ खेतोंका रकवा तो आधे एकडसे भी कमका था। इलाहावाद विश्वविद्यालयके अर्थशास्त्रज्ञ प्रोफेसर जेवन्सने युक्तप्रान्तके एक गाँवकी जाच की, जिससे मालूम हुआ कि उस गाँवके १७३ खेतोंमेंसे ८६ खेत ऐसे थे जिनका रकवा दो एकडसे भी कम था। यही दशा प्राय सव प्रान्तोंकी है। काश्तकारोंकी जमीन वहुत छोटे छोटे टुकडोंमें वँटी हुई होनेके कारण उससे उनका उदर-पोषण नहीं होता। इसके साथ ही साथ यह भी देखा गया है कि यदि किसी काश्तकारके पास एकसे अधिक खेत होते हैं तो वे एक दूसरेसे दूर दूर रहते हैं (अर्थात् एक गाँवके पूर्वमें हैं तो दूसरेके पश्चिममें) जिससे कि काश्तकारोंको नीचे लिखे हुए नुकसान होते हैं —

(१) आने-जानेमें उनका वहुत सा समय नष्ट हो जाता है।

(२) उन्हें वैज्ञानिक यन्त्र इत्यादिका उपयोग करनेमे वहुत असुविधा पडती है। वे उससे ज्यादा लाभ नहीं उठा सकते।

(३) रखवाली करनेमें दिक्कत होती है।

(४) उन खेतोंमें जानेके लिए रास्ता वनानेमें और उनमें नहरसे पानी ले जानेमें वडी अडचन पडती है।

(५) काश्तकारोंका पारस्परिक झगडा वढता है।

(६) मेंड और बागुड इत्यादि बनानेमे बहुत सी जमीन बेकार पडी रहती है। इन सब कारणोंसे काश्तकारको खेतीसे कुछ भी मुनाफा नहीं होता। इससे स्पष्ट है कि काश्तकारोंकी दूसरी असुविधा जमीनका छोटे छोटे टुकडोंमें दूर दूरपर बँटा हुआ होना है।

भारतवर्षमें खेतकी फसल वर्षापर बहुत कुछ अवलम्बित रहती है। और वर्षा सब जगह सदा एक सी नहीं होती। पाठक जरा पुस्तकके अन्तमें दिये हुए नकशेको देखें। उससे यह मालूम होगा कि देशके भिन्न भिन्न भागोंमें वर्षाकी वार्षिक औसत क्या है। उससे यह भी मालूम होगा कि देशके कौन कौनसे भागों में नहरों द्वारा आबपाशी की जाती है। राजपूताना, पञ्जाबका पश्चिमी हिस्सा, बलूचिस्तान, और सिन्धमें वर्षभरमें केवल दस इञ्च ही पानी बरसता है, और गुजरात, दक्षिण भारत और मध्य भारतमें अधिकसे अधिक ३० इञ्च तक। नकशेके देखनेसे यह भली भाँति मालूम होगा कि इन्हीं देशोंमें नहरों द्वारा सिंचाईका कुछ भी इन्तजाम नहीं किया गया है। इसी कारण इन देशोंमें पानीकी कमी प्राय हमेशा ही बनी रहती है और प्राय दो चार वर्षोंमें वहाँपर अकाल भी पडता रहता है। भारतमें सिचाईके तीन जरिये हैं (१) नहर (२) तालाब (३) कुएं। कोष्टक न० २७ में यह बतलाया गया है कि भिन्न भिन्न प्रान्तोंमें इन जरियों द्वारा कितनी जमीन सन् १९१९-२० में सींची गई थी और उसमें यह भी [illegible] है [illegible] हुई जमीनका कितना हिस्सा प्रत्येक [illegible]

कोष्ठक नं० (२७)

(लाख एकड़में)

प्रान्त	रकबा जिसमें सन् १९१९ २० में आबपाशी की गई					जोई हुई जमीनका फी सैकड़ा कितना हिस्सा सन् १९१९-२० में सींचा गया।
	नहरों द्वारा	तालावसे	कुओंसे	अन्य प्रकारसे	मीजान	
बङ्गाल —	३	८	१	६	१८	७
मद्रास —	४०	३८	१५	९	१०२	३०
बम्बईप्रान्त —	३	१	६		१०	४
„ सिन्ध —	३०			२	३२	७८
युक्तप्रान्त —	२७	१	५९	२२	१०९	३१
बिहार और उडीसा —	१८	१८	८	१४	५८	२३
पञ्जाब —	९२	..	३५	२	१२९	५०
ब्रह्मा —	८	२		३	१३	९
मध्यप्रान्त और बरार	२	६	१		९	४
आसाम —	२				२	४
पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त	८		१	१	१०	४३
मीजान	२३३	७४	१२६	५९	४९२	२२

उपरोक्त कोष्ठकसे यह मालूम होता है कि सन् १९१९-२० में नहर, तालाब और कुँओंसे सब मिलाकर केवल ५ करोड एकड जमीनमें सिचाई हुई थी जब कि उस वर्ष २२। करोड़ एकड जमीन बोई गई थी। इससे यह स्पष्ट मालूम होता है कि भारतमें सिचाई बढानेकी अत्यधिक आवश्यकता है। हम यह माननेको तैयार हैं कि सरकारने अनेक नहरें खोलकर देशके कई वीरान भागोंको हरा भरा कर दिया है परन्तु तिसपर भी अभी इस सम्बन्धमें बहुत कुछ करना बाकी है और हम यह कह सकते हैं कि देशमें, बहुतसे भागोंमें, पानीकी कमीसे काश्तकारोंको बहुत असुविधा होती है।

खेती एक ऐसा धन्धा है जिसमें रुपयोकी हमेशा आवश्यकता पडती है। कभी बैल खरीदनेको, कभी बाँध बाँधनेको और कभी कुँआ खोदनेको रुपयेकी जरूरत होती है। गरीबीके कारण किसानको रुपयोंके लिये हमेशा साहूकारोंका मुँह ताकना पडता है। वे साहूकार प्राय बहुत ही अधिक व्याजपर रुपये उधार देते हैं। इस कारण मूल धन वापिस देना तो दूर रहा, बेचारोंको व्याज चुकानेमे ही अपनी परिश्रमसे कमाई हुई फसलका सब मुनाफा इनकी भेंट कर देना पडता है। यदि कोई काश्तकार इनके चङ्गुलमें एक बार भी पड जाय तो फिर उसका उससे बाहर निकलना अत्यन्त ही कठिन हो जाता है। सरकारका ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ है और उसने कृषकोंको सुभीता देनेके कई प्रकारकेप्रयत्नभी किये हैं। सन् १८८० से तकावी द्वारा

कम व्याजपर रुपये देना उसने शुरू किया है। परन्तु कई कारणोंसे इतना कम रुपया उधार दिया जाता है और वह इतनी सख्तीसे वसूल किया जाता है कि १०० मेंसे एक काश्तकारको भी उससे पूर्ण लाभ नहीं होता। सन् १९०६ से कुछ सहयोग-समितियाँ भी इस देशमें खुली हैं। उन्होंने गत १२—१३ वर्षोंमें नीचे लिखे अनुसार उन्नति की है —

कोष्ठक नं० (२८)

काश्तकारी सम्बन्धी समितियाँ २१, १४१	प्रत्येक १०००० काश्तकारोंके पीछे एक समिति
सभासदोंकी संख्या ८,५१,४०७	एक हजार काश्तकारोंमेंसे केवल चार सभासदके हिसाबसे।
समितियोंकी पूँजी १४,४०,०१,०००)	प्रत्येक काश्तकारके पीछे दस आनेके हिसाबसे।

उपरोक्त वर्णनसे यह मालूम होता है कि सापकी सहयोग समितियोंकी अब तक कितनी कम उन्नति हुई है और उनकी वृद्धिकी अभी कितनी अधिक गुञ्जाइश है। हिसाब लगानेसे मालूम होता है कि अभी १८ प्रति सैकडा काश्तकार ही इन समितियोंसे फायदा उठा सकते हैं। वर्तमान समयके सम्बन्धमें हम यह कह सकते हैं कि ये समितियाँ हमारे काश्तकारोंको साहूकारोंके चगुलसे निकालनेमें असमर्थ सिद्ध हुई हैं। इसलिए

उपरोक्त कोष्ठकसे यह मालूम होता है कि सन् १९१९-२० में नहर, तालाव और कुँओंसे सब मिलाकर केवल ५ करोड एकड जमीनमें सिंचाई हुई थी जब कि उस वर्ष २२। करोड़ एकड जमीन वोई गई थी। इससे यह स्पष्ट मालूम होता है कि भारतमें सिंचाई बढानेकी अत्यधिक आवश्यकता है। हम यह माननेको तैयार हैं कि सरकारने अनेक नहरें खोलकर देशके कई वीरान भागोंको हरा भरा कर दिया है परन्तु तिसपर भी अभी इस सम्बन्धमें बहुत कुछ करना बाकी है और हम यह कह सकते हैं कि देशमें, बहुतसे भागोंमें, पानीकी कमीसे काश्तकारोंको बहुत असुविधा होती है।

खेती एक ऐसा धन्धा है जिसमे रुपयोंकी हमेशा आवश्यकता पडती है। कभी बैल खरीदनेको, कभी बाँध बाँधनेको और कभी कुँआ खोदनेको रुपयेकी जरूरत होती है। गरीबीके कारण किसानको रुपयोंके लिये हमेशा साहूकारोंका मुँह ताकना पडता है। वे साहूकार प्राय बहुत ही अधिक व्याजपर रुपये उधार देते हैं। इस कारण मूल धन वापिस देना तो दूर रहा, बेचारोंको व्याज चुकानेमें ही अपनी परिश्रमसे कमाई हुई फसलका सब मुनाफा इनकी भेट कर देना पडता है। यदि कोई काश्तकार इनके चङ्गुलमें एक बार भी पड जाय तो फिर उसका उससे बाहर निकलना अत्यन्त ही कठिन हो जाता है। सरकारका ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ है और उसने कृषकोंको सुभीता देनेके कई प्रकारके प्रयत्न भी किये हैं। सन् १८८० से तकावी द्वारा

वे खरीद सकते हैं उनके सम्बन्धमें उनको यह विश्वास नहीं होता कि यदि वे उनका उपयोग करेंगे तो उनको आर्थिक लाभ अवश्य होगा। यही कारण है कि अधिकाश किसान प्राय उन्हीं औजारोंसे काम लेते हैं जिन्हें कि उनके बाप-दादे कई शताब्दियोंसे काममें ला रहे हैं। बहुत ही कम मनुष्योंने नये यन्त्रों और मशीनोंका उपयोग करना आरम्भ किया है। उचित यन्त्रोंके उपयोग न किये जानेसे भी देशको नुकसान होता है। प्राय यह देखा जाता है कि किसान लोग पुराने हल और अधमरे बैलोंसे सडा या खराब बीज केवल चार पाँच अगुल गहरी जमीन जोत कर बो देते हैं जिससे फसल बिलकुल खराब पैदा होती है और फी एकड उपज भी कम होती है। इसलिए कृषि सुधारमें एक बडी असुविधा उत्पादक पूँजी—अर्थात् उत्तम बीज, बैल, खाद और औजारोंकी कमी भी है।

जब फसल पक जाती है तब काश्तकारोंको उसके बेचनेमें भी बहुत नुकसान उठाना पडता है। उनको उसी समय अपना लगान चुकाना पडता है और अपने महाजनोंको व्याज इत्यादि भी देना पडता है। इसलिए अक्सर उन्हें अपनी सारीकी सारी फसल उसी समय वेंच देनेके लिए बाध्य होना पडता है। सब काश्तकार जब अपनी फसलको बाजारमें एकही समय बेचनेको लाते हैं तब उसकी कीमत बहुत गिर जाती है। क्योंकि माँग और पूर्त्तिका सिद्धान्त ही यह है कि आवश्यकतासे अधिक माल बाजारमें पाया जाय तो उसकी कीमत उतर जाती है। यह

काश्तकारोंकी दूसरी बडी असुविधा उनको मामूली व्याजपर रुपयोंका उधार न मिलना है।

हमारे दुर्भाग्यसे भारतका गोधन भी दिनपर दिन कम होता जाता है। चरागाहोंकी कमीके कारण ढोरोंको बराबर घास नहीं मिलती। इस कारण वे दुर्बल होते जाते हैं। दूसरे प्रतिवर्ष लाखोंकी तायदादमें गायों और बछड़ोंका वध किये जानेसे उनको सख्या कम भी होती जाती है। इसके सिवा अन्य देशोंको जानवरोंकी रफतनी अलग होती है। दुर्बल और कमजोर वैलोंसे अच्छी खेती होना सम्भव नहीं। बीजके सम्बन्धमें बहुतेरे किसान सावधानीसे काम नहीं लेते। उनको बोनीके समय जैसा सडा घुना बीज महाजन या मालगुजारसे मिल जाता है वैसा ही वे बो देते हैं। जैसा बीज होता है वैसी ही उनकी फसल भी होती है और इसका परिणाम यह होता है कि उनकी फसल भी खराव पैदा होती है। खादके सम्बन्धमें भी वे बडे लापरवाह रहते हैं। ग़रीबीके कारण क़ीमती खाद लेनेका तो उनमें सामर्थ्य है ही नहीं, परन्तु गोबर जैसी उत्तम खादको वे कडे बनाकर जला डालते हैं। इससे उनका और साथ ही साथ देशका बडा नुकसान होता है। यदि उसी गोबरका खादके रूपमें उपयोग किया जाता तो देशकी बहुत उपज बढ जाती। नये यन्त्रों तथा औजारोंके सम्बन्धमें भी उनकी यही दशा है। एक तो ग़रीबीके कारण कई नई मशीनें और यन्त्रोंको अधिकाश भारतीय किसान खरीद नहीं सकते और दूसरे जिन यन्त्रोंको

इतने वर्षोंसे प्रयत्न करनेपर भी शिक्षा प्राप्त करनेकी अवस्था वाले पाँचमेंसे चार लड़कोंको अपढ़ ही रहना पड़ता है, और प्रत्येक छ गाँवोंमेंसे पाँच गाँव ऐसे हैं जिनमें प्रायमरी स्कूल नहीं हैं। सरकारने दस वर्षोंके अन्दर प्रायमरी स्कूलोंमें शिक्षा पानेवाले विद्यार्थियोंको सख्या दूनी करनेका विचार किया है। परन्तु इतनेसे होता क्या है? निरक्षरताके कारण देशवासियोंका बहुत ही अधिक नुकसान हो रहा है। इसी निरक्षरताके कारण हमारे काश्तकारोंको पग पगपर धोखा खाना पड़ता है। यदि वे अदालतमें जाते हैं तो वहाँपर कम वेतन पानेवाले कर्मचारी गण, और बाहर वकील, अर्जी-नवीस, दलाल एवं महाजन इनका खून चूसनेमें किसी भी प्रकारकी कोताही नहीं करते। इसी निरक्षरताके कारण वे पुलिसके अदना कर्मचारी तथा अन्य अफसरोंके अत्याचारोंके भी पात्र होते हैं। इसी निरक्षरताके कारण उनकी निजके परिश्रमसे कमाई हुई सम्पत्तिका बहुत सा भाग, एक विचित्र रूपसे, दूसरोंके हाथोंमें चला जाता है और उन बेचारोंको पेट भर रूखा सूखा अन्न तक नहीं मिलता। सन् १९१२ में सरकारने माननीय गोखलेका अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी बिल ना मंजूर कर दिया था परन्तु अब वैसे बिल प्रत्येक प्रान्तीय कौंसिलोंमें पास हो गये हैं। और शिक्षाका विषय हस्तान्तरित विषय होनेके कारण उसके प्रचारमें उन्नति होनेकी आशा की जा सकती है। जिस मन्थर गतिसे आजकल काम चल रहा है उसको देखते हुए हम यह नहीं कह सकते

मौका पाकर दलाल लोग उनका माल सस्ते भावमें खरीद लेते हैं। फिर कीमत बढ़नेपर वे वेचकर खासा फायदा उठाते हैं। और मजा यह कि किसान लोग फसलके वक्त अपना जो अन्न सस्ते भावपर वेंच गये थे उसीको वे जरूरतके वक्त अक्सर डेवढ़े दूने मूल्यमें खानेके लिए खरीदते हैं। जो मुनाफा वास्तव में काश्तकारोंको मिलना चाहिये था उसे दलाल लोग बीचमें हड़प कर जाते हैं। सन् १९१७-१८ के औद्योगिक कमीशनकी भी यही राय है कि भारतके वाजारोंमे दलालोंकी सख्या बहुत अधिक है। कहीं कहीं तो माल तीन चार दलालोंके हाथसे निकलकर फिर खरीदारको मिलता है। दलालोंकी सख्या बहुत अधिक होनेके कारण उनसे समाजको लाभकी अपेक्षा हानि ही अधिक होती है। इसलिये काश्तकारोंकी एक और असुविधा उनके मुनाफेका बहुत सा भाग दलालों द्वारा हड़प लिया जाना है।

इसके अतिरिक्त हमारे देशके कृपक समाजमे निरक्षरताका साम्राज्य है। सन् १९११ की मर्दुमशुमारीके अनुसार १०० मेसे केवल ६ ही मनुष्य ऐसे थे जो अपने मित्रोंको जैसा तैसा पत्र लिख सकते और उनका उत्तर पढ़ सकते थे। ब्रिटिश भारतमें आजकल कुल १९५ कालेज हैं जिनमें कुल ५९००० लडके पढते हैं। दस हजार माध्यमिक स्कूलों (Secondary schools) में १२॥ लाख विद्यार्थी हैं और १७७००० प्रायमरी स्कूलोंमें ६२॥ लाख विद्यार्थी शिक्षा पाते हैं। हमारी सरकारके

इतने वर्षोंसे प्रयत्न करनेपर भी शिक्षा प्राप्त करनेकी अवस्था वाले पाँचमेंसे चार लडकोंको अपढ ही रहना पडता है, और प्रत्येक छ गाँवोंमेसे पाँच गाँव ऐसे हैं जिनमें प्रायमरी स्कूल नहीं है। सरकारने दस वर्षोंके अन्दर प्रायमरी स्कूलोंमें शिक्षा पानेवाले विद्यार्थियोंको सख्या दूनी करनेका विचार किया है। परन्तु इतनेसे होता क्या है? निरक्षरताके कारण देशवासियोंका बहुत ही अधिक नुकसान हो रहा है। इसी निरक्षरताके कारण हमारे काश्तकारोंको पग पगपर धोखा खाना पड़ता है। [illegible] वे अदालतमें जाते हैं तो वहाँपर कम वेतन पानेवाले [illegible] गण, और बाहर वकील, अर्जी-नवीस, दलाल [illegible] खून चूसनेमें किसी भी प्रकारकी कोताही [illegible] निरक्षरताके कारण वे पुलिसके अदना [illegible] सरोंके अत्याचारोंके भी पात्र होते हैं। [illegible] उनकी निजके परिश्रमसे कमाई हुई [illegible] एक विचित्र रूपसे, दूसरोंके [illegible] और उन बेचारोंको पेट भर रूखा सूखा [illegible]। [illegible] १९१२ में सरकारने माननीय [illegible] आयज शिक्षा सम्बन्धी नि[illegible] प्रत्येक प्रान्तीय कौंसिलने [illegible] विषय हस्तान्तरित [illegible] होनेकी आशा को [illegible] काम चल रहा है [illegible]

कि इस अविद्या-अन्धकारको देशसे बाहर निकालनेमें
कितनी शताब्दियाँ लगेंगी।

भारत कृषि प्रधान देश होनेपर भी यहाँपर कृषि विद्या
तरफ बिलकुल ही ध्यान नहीं दिया जाता। जहाँ प्रत्येक जिले
एक कृषि कालेज होना था वहाँ बड़े बड़े प्रान्तोंमें भी ऐ
कालेज एक या दो ही दिखाई देते हैं। कुछ कुछ प्रान्तोंमें
एक कालेज भी नही है। इसके अतिरिक्त कृषि-सम्बन्धी स्कूल
का तो पता तक नहीं। गाँवोंके प्रायमरी स्कूलोंमें इत
सडियल शिक्षा दी जाती है कि काश्तकारोंके लडके खेतीके
कामके नहीं रहते। हम यह मानते हैं कि हमारे काश्तकारोंक
परम्परासे खेती करनेके कारण, उसका अच्छा इल्म हो गया है
डाक्टर वोयेलकर (Dr Voelcker) और अन्य कुछ महाश
तो यहाँ तक कहते हैं कि भारतीय किसानोंको पश्चिमी देशोंसे
कुछ भी सीखनेकी आवश्यकता नही। परन्तु खेतीकी उप
बढ़ानेके लिए उच्च कोटिकी और नये प्रकारकी खेतीकी शिक्षा
की बहुत आवश्यकता है और उसका इस समय बिलकुल अभाव
है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि भारतीय कृषकोंक
एक बडी असुविधा उनका अज्ञान और उच्च कोटिकी कृषि
शिक्षाका अभाव है।

जमीन, पूँजी और मेहनतके योगसे जो धन उत्पन्न किय
जाता है उसमेंसे यदि जमीदार-पूँजीवाले-और मजदूरके बीच
किसी एक को, किसी भी कारणसे, अपने हकसे अधिक भाग

मिल जाय तो उससे समाजका बहुत नुकसान होता है। इसका परिणाम यह होता है कि कुछ थोड़े आदमी तो अपनी अच्छी आर्थिक दशाके कारण अधिक धनवान् होते जाते हैं और देशके अधिकाश गरीब आदमी अधिक गरीब होते चले जाते हैं। भारतमें काश्तकारों और मजदूरोंको अपना भाग बराबर नहीं मिलता। जमींदार और पूँजीवाले उनका बहुत सा हिस्सा लेकर धनवान् होते चले जा रहे हैं। इससे मजदूरो और काश्तकारोंकी दशा बिगड़ती चली जा रही है जिसके कारण देशकी उपज भी कम होती जाती है। फलत इससे देशको भी बहुत हानि पहुँच रही है। जहाँपर स्थायी बन्दोबस्त हो चुका है—जैसे बङ्गाल, बिहार, मद्रासका कुछ हिस्सा—और जहाँपर प्राय ३० वर्षोंके बाद बन्दोबस्त हुआ करता है (जैसे युक्त प्रान्त, पञ्जाब और मध्य प्रदेश) वहाँ मौरूसी काश्तकारोंकी दशा मामूली तौरसे ठीक मानी जा सकती है। उनसे जमींदार मनमाना लगान वसूल नही कर सकता, परन्तु गैर-मौरूसी काश्तकारोंकी दशा इन सभी प्रान्तोंमें शोचनीय है। काश्तकारोंका हित चाहने वाले जमींदार बहुत ही कम नजर आते हैं। बहुतसे जमीदार तो इन गैर-मौरूसी काश्तकारोंसे कई प्रकारके मावजे (नाजायज कर) इत्यादि भी वसूल करते हैं और उनको खेतीमें सहायता देनेके बदले उनको कई प्रकारसे तकलीफ देते हैं। उनकी इस नीतिमें दूरदर्शिता नाम लेनेको भी नहीं है। वे यह नहीं समझते कि उनका सच्चा हित काश्तकारोंका भला करनेमे ही

है। बहुत शीघ्र मिलने वाले कुछ थोडे फायदेके लिए वे अपनी भावी वडी आमदनीसे हाथ धो वैठते हैं और उनकी इस नीतिसे देशकी उपज न वढनेके कारण देशको भी नुकसान पहुँचता है।

गैर मौरूसी काश्तकारोंके अतिरिक्त शिकमी दर-शिकमी काश्तकारोंकी दशा तो सर्वत्र अत्यन्त शोचनीय है। इन वेचा-रोंके पास खुद की जमीन न होनेके कारण उनको मनमाना लगान देना पडता है जिससे वर्ष भर कठिन परिश्रमके साथ खेती करनेपर भी रूखा सूखा खानेके लिए काफी परिमाणमें, अनाज उनके पास नहीं वचता। मद्रास प्रान्तमे वटाईपर जो खेत दिये जाते हैं उनके लिए जमींदार प्राय सव जगह उनकी आधी उपज ले लेता है। कभी कभी तो वह दो तिहाई और तीन चौथाई तक ले लेता है। पञ्जाव-केनाल-कालोनियोंमें भी कहीं कहीं सरकारी लगानसे अठगुना या दस गुना लगान काश्तकारोंसे वसूल किया जाता है। वम्वई और मध्य प्रदेशमें ऐसे सैकडो मामले देखनेमें आये हैं जिनमें कि शिकमी काश्त-कारोंसे सरकारी लगानका चौगुना और पचगुना तक लगान लिया जाता है। पञ्जाव तथा युक्तप्रान्तमें भी वहुत कुछ ऐसी ही दशा है। इससे हम यह कह सकते हैं कि गैर मौरूसी और शिकमी दर-शिकमी काश्तकारोंकी दशा वहुत ही शोचनीय है और उनसे वहुत ही अधिक लगान लिया जाता है। कृषि सुधारमें यह भी एक वडी असुविधा है।

भारतीय कृषकोंकी आर्थिक दशाका दिग्दर्शन करनेके वाद

उनकी समस्त असुविधाओंको एक साथ नीचे दुहराकर हम इस अध्यायको यहीं समाप्त करते हैं। वे असुविधाएँ नीचे लिखे अनुसार हैं —

(१) उनकी गरीबी, और उनके रहन-सहनका बहुत नीचे दर्जेका होना।

(२) उनकी जमीनका बहुत छोटे छोटे टुकड़ोंमें दूर दूर पर बँटा होना।

(३) देशके कई भागोंमें पानीकी कमी।

(४) कम व्याज पर काफी परिमाणमें उनको रुपये उधार न मिलना।

(५) उत्तम बीज, बैल, खाद और औजारोंकी कमी।

(६) दलालोंद्वारा उनके बहुतसे मुनाफेका हड़प किया जाना।

(७) भारतीय कृषकोंका अज्ञान और नये प्रकारकी खेतीकी शिक्षाका अभाव।

(८) गैर मौरूसी और शिकमी दर शिकमी काश्तकारोंसे बहुत अधिक लगानका वसूल किया जाना।

ये सब असुविधाएँ भारतीय कृषकोंको एक साथही उठानी पड़ती हैं। आगेके अध्यायोंमें हम इन असुविधाओंको एकके बाद एक लेकर यह बतलानेका प्रयत्न करेंगे कि वे सब एक साथ किस तरह दूर की जा सकती हैं, जिससे अधिकसे अधिक २५ या ३० वर्षोंमें सब काश्तकारोंकी दशा सुधर जाय और वे अपने देशको उन्नतिके शिखरपर पहुँचानेमें अपना भाग ले सकें।

कि सुधारके तरीके बताये जानेपर वे उनसे लाभ उठानेका प्रयत्न न करते हों परन्तु इसमें ग़लती बतलाने वालोंकी ही है। कृषकगण प्राय. यह नहीं जानते कि उनकी आधुनिक दशामें नवीन तरीकोंसे काम लेनेपर उनको लाभ अवश्य होगा। परन्तु जब वे किसी भी नये तरीकेकी उपयोगिता एक बार अच्छी तरह समझ लेते हैं तब अन्य मनुष्योंके समान वे उससे लाभ उठानेके लिए उद्यत हो जाते हैं। कुछ सज्जन उनपर यह आक्षेप भी करते हैं कि "भारतीय कृषक हमेशा अपने भाग्यको ही दोष दिया करते हैं। उनको जितना प्रयत्न करना चाहिए उतना वे नहीं करते।" हमारी समझमें उनका भाग्य (प्रारब्ध) पर अवलम्बित रहना उनको इतना अकर्मण्य नहीं बनाता जितना कि ये आक्षेपकर्ता समझते हैं। जिन्होंने भारतीय कृषकोंको कडी धूपमें कठिन परिश्रम करते देखा है वे हमारे कथनका समर्थन करेंगे। जब कठिन परिश्रम करनेपर भी उनको खानेको नहीं मिलता तब वे भाग्यको दोष देनेके सिवा और कर ही क्या सकते हैं? उपरोक्त असुविधाओंके कारण उनकी दशा इतनी खराब हो गई है कि भरसक प्रयत्न करने पर भी वे अपनी दशा नहीं सुधार सकते। वे जिधर पैर फैलानेका प्रयत्न करते हैं उधर ही उन्हें आपत्तियोंका सामना करना पडता है। अमरीका या इंगलैण्डके अच्छेसे अच्छे काश्तकारोंको भी यदि भारतीय कृषकोंकी दशामें रख दिया जाय तो वे भी अपने लिए कुछ अधिक नहीं कर सकेंगे। अतएव उनकी असुविधाओंको एक साथ हटानेके लिए

शिक्षित जनता और राष्ट्रीय सरकारकी सहायता अनिवार्यत आवश्यक है । हमें पूर्ण विश्वास है कि इच्छित सहायता मिलने पर अन्य मनुष्योंके समान वे भी अपनी दशा सुधारनेके लिए भरपूर प्रयत्न करेंगे ।

हम यह देख चुके कि भारतीय कृषकोंमें अपनी दशा सुधारनेकी इच्छाका अभाव नहीं है । आवश्यकता है केवल समुचित पथ प्रदर्शन और पर्याप्त सहायता एवं प्रेरणाकी। अत अब हमें यह देखना है कि राष्ट्रीय सरकारको भारतीय कृषकोंकी दशा सुधारनेके लिए क्या करना चाहिए और किस तरह करना चाहिए। सरकारने अभी तक उनकी असुविधाओंको एक साथ हटानेका प्रयत्न कभी भी नहीं किया। प्रयत्न करना तो अलग रहा, उनकी असुविधाओंको अच्छी तर से जानने तकका प्रयत्न नहीं किया । सरकारकी ओरसे जो कुछ कोशिश हुई भी वह बहुत ही थोडी और केवल एक या दो असुविधाओंको दूर करनेके लिए है । इसलिए जनताको उससे बहुत ही कम लाभ हुआ और कृषकोंकी दशा दिनपर दिन खराब होती गई । हम जानते और मानते हैं कि सरकार काश्तकारोंको तकावी * देती है परन्तु उसका परिमाण इतना कम रहता है और वह इतनी सख्तीसे वसूल की जाती है कि उससे फी सैकडा एक

* तकावी प्राप्त करनेके लिए किसानोंको पटवारीसे लेकर ऊपर तक कितने ही कलि देवताओंको दक्षिणा अलग ही देनी पडती है । यह बात प्राय सभीको मालूम है।

काश्तकारको भी लाभ नहीं पहुँचता। निस्सन्देह सरकारने सहयोग समितियोंके स्थापित करनेमें कुछ सहायता दी है परन्तु वे १४-१५ वर्षोंके प्रयत्न करनेपर २ फी सैकड़ा काश्तकारोंको भी साहूकारों और महाजनोंके चङ्गुलसे बचानेमें समर्थ नहीं हुईं। सरकारी कृषि-विभागसे भी काश्तकारोंको कृषि-सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त करनेमे सन्तोष-जनक लाभ नहीं हुआ। कृषि-शिक्षाके प्रचारके सम्बन्धमें तो सरकारने बहुत ही कम प्रयत्न किया है। जिन कृषकोंसे सरकारको प्रतिवर्ष प्राय ३४ करोड़ रुपये मालगुज़ारी (Land Revenue) में परोक्ष रीतिसे, और कई लाख रुपया अपरोक्ष रीतिसे करोंके रूपमें मिलता है, उनके प्रति क्या उसका यही कर्तव्य बस है? कृषकोंकी दशा दिन पर दिन खराब होती जाती है, परन्तु नौकरशाही सरकार दत्तचित्त होकर उनकी दशा सुधारनेका प्रयत्न नहीं करती। सच बात तो यह है कि कृषि-सुधारके सम्बन्धमें भारत-सरकारकी कोई एक निर्धारित नीति ही नहीं। कृषिविभाग, सहयोग-विभाग, और अन्य कई विभागोंसे वर्षभरमें जो कुछ थोड़ा बहुत काम हो जाता है उसीसे सरकार सन्तुष्ट रहती है। परन्तु इतने कम प्रयत्नसे कुछ भी लाभ नहीं हो सकता। इसलिए उचित तो यह है कि राष्ट्रीय सरकार अपना यह ध्येय निश्चित करे कि वह अधिकसे अधिक २०-२५ वर्षोंमें कृषकोंकी सब असुविधाएँ दूर कर देगी जिससे देशमें एक भी काश्तकार दुखी न रह सके। यह ध्येय निश्चित करनेके बाद उसे उपर्युक्त सब असुविधाओंको

एक साथ दूर करनेके लिए दत्तचित्त होकर प्रयत्न करना चाहिए।

✓सब असुविधाओंको एक साथ हटानेके लिए राष्ट्रीय सरकारको एक विशेष विभाग स्थापन करना चाहिए जिसका नाम कृषक हितैषी विभाग (Agriculturists Benefit Department) रक्खा जा सकता है। इस विभागमें आधुनिक कृषि विभाग, आबपाशी (Irrigation) विभाग, सहयोग विभाग,सेटलमेंट विभाग, पशु चिकित्सा (Veterinary) विभाग और अन्य कृषक हितकारी विभाग सम्मिलित कर दिये जायँ। यह विभाग इस प्रकारसे प्रयत्न करे कि अधिकसे अधिक २०-२५ वर्षोंमें काश्तकारोंकी सब असुविधाएँ दूर हो जायँ। यह विभाग राष्ट्रीय मन्त्रिमण्डलके किसी एक मन्त्रीको सौंपा जाय। कृषि-सुधारके सम्बन्धमें सब काम प्रान्तीय सरकारें करेंगी परन्तु उसकी नीतिकी सफलता असफलताका उत्तर-दायित्व राष्ट्रीय सरकारपर ही पड़ेगा। सब प्रान्तोंके कामको निरीक्षण करनेका और उनको सलाह देनेका काम भी राष्ट्रीय सरकारको ही करना पड़ेगा। प्रत्येक प्रान्तमें कृषकहितैषी विभाग प्रान्तीय मन्त्रिमण्डलके एक मन्त्रीके सिपुर्द रहेगा और प्रत्येक प्रान्तमें कृषक हितैषी विभागका मुखिया एक डायरेक्टर नियुक्त करना होगा। वह अपने काममें एक परामर्शदाता (Advisory) बोर्डसे सहायता लिया करेगा। इस परामर्शदाता (Advisory) बोर्डमें कमसे कम तीन चौथाई सदस्य कृषकों द्वारा चुने हुए

हों। प्रत्येक जिले और बडी बडी तहसीलोंमें काश्तकारोंकी एक कमिटी स्थापित की जानी चाहिए जिसका काम यह हो कि वह कृषक-हितैषी विभागके अफसरोंको सब कामोंमें सलाह दिया करे और जनतामें कृषि-सम्बन्धी समस्त बातोंका प्रचार करनेके लिए उनको सहायता दिया करे। इन कमिटियोंके सब सभासद कृषकों द्वारा ही चुने जायँ। और प्रान्तीय परामर्शदाता बोर्डके तीन चौथाई सभासद इन्ही जिला कमिटियों द्वारा चुने जायँ। राष्ट्रीय सरकारके जिस मन्त्रीके अधीन कृषक-हितैषी-विभाग होगा उसको परामर्श देनेवाली समितिमें प्रान्तीय बोर्ड अपना एक प्रतिनिधि भेज सकेंगे। इन सभासदोंके जरिये कृषक अपनी पुकार राष्ट्रीय सरकार तक आसानीसे पहुँचा सकेंगे।

परन्तु केवल इतनेमें ही काम न चलेगा। साथ ही साथ राष्ट्रीय सरकारको यह भी देखना होगा कि उसके कर्मचारी देशके सच्चे हितके लिए दत्तचित्त होकर काम कर रहे हैं या नहीं। इस विभागके समस्त कर्मचारियोंके हृदयोंमें यह भाव रहना बहुत आवश्यक है कि वे जनताके नौकर हैं, न कि मालिक। उनका काम जनताकी दशा सुधारनेका है न कि अपना मतलब गाँठनेके अतिरिक्त अपना रौब जमानेका। खेदके साथ कहना पडता है कि इस समय ऐसे भाव बहुत ही कम इने-गिने सरकारी कर्मचारियोंमें पाये जाते हैं और उनकी सख्या नहींके बराबर है। पुलिसका सिपाही भी अपनेको जनताका

मालिक समझता है और इसी शानमें आकर जनतापर अत्याचार करनेको उतारू हो जाता है। हमारी समझमें इसमें सरकारकी नीतिका ही दोष है। अनेक अवसरोंपर ऐसा देखा गया है कि सरकार ऐसे काम करने वालोंको उचित दण्ड नहीं देती। दण्ड देना तो अलग रहा, कभी कभी तो सरकार ऐसे कर्मचारियोंकी पीठ ठोकती है जिसका फल यह होता है कि उन कर्मचारियोंकी अपनेको जनताका मालिक समझनेकी प्रवृत्ति दिन पर दिन बढती चली जाती है। जो कर्मचारी सच्चे हृदयसे अपनेको जनताका नौकर समझकर काम करते हैं उनको पर्याप्त आदर और समुचित प्रोत्साहन नहीं मिलता। कभी कभी तो उनको उलटे अनेक कठिनाइयोंका सामना करना पडता है। इसके साथ ही साथ घूसखोरीका शीघ्र ही बन्द किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। यह प्रश्न बडे महत्वका है इसलिए हम नवें अध्यायमें इसपर स्वतन्त्र रूपसे विचार करेंगे। जब तक कर्मचारियोंके हृदयमें यह भाव नहीं रहता कि वे जनताके नौकर हैं—न कि उसके मालिक—और जब तक वे घूसखोरीसे बाज नहीं आते तब तक उनसे देशकी दशा सुधारनेकी आशा करना दुराशा मात्र है।

राष्ट्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकारोंका काम होगा कि वे कृषक हितैषी विभागको उसकी आवश्यकताके अनुसार रुपये देनेका प्रबन्ध अवश्य करें क्योंकि पर्याप्त धनके बिना यह कुछ भी काम नहीं कर सकता। हम यह जानते हैं कि राष्ट्रीय सरकार-

को इन कामोंके लिए करोडों रुपये प्रतिवर्ष खर्च करने पडेंगे। हम यह भी जानते हैं कि सच्चे देश-हितकारी विभागोंको आजकल भी आवश्यकतानुसार रुपया नहीं मिलता। नौकरशाही सरकार कृषकोंसे प्रतिवर्ष मालगुजारी (Land Revenue) के रूपमें ३४ करोड रुपये लेती है परन्तु प्राय उसमेंसे केवल १॥ करोड रुपये ही कृषि, पशु-चिकित्सा और सहयोग-विभागमें खर्च करती है। शिक्षा प्रचारके लिए भी सरकार बडी मुश्किलसे ४॥ करोड रुपया ही व्यय करती है जब कि भारतीय सेना-विभागके लिए वह प्राय ६० करोड रुपया प्रतिवर्ष व्यय कर देती है। देशको लाभ पहुँचानेवाले विभागोंके लिए सरकार इतना कम व्यय क्यों करती है? घरके पीरोंको गुडका मलीदा! क्या कृषकोंके प्रति सरकारका कुछ भी कर्त्तव्य नही है? हमारी राष्ट्रीय सरकारको इस पवित्र कार्यके लिए मुक्तहस्त होकर व्यय करना होगा। यह खर्च कितना ही अधिक क्यों न हो, उसके लिए राष्ट्रीय सरकारको आगा-पीछा नही करना चाहिए क्योंकि यह व्यय ऐसा है जिसके विना कृषकोंकी दशा सुधरना असम्भव है। अगले अध्यायोंमें हम यह [illegible] प्रयत्न करेंगे कि कृषक-हितैषी विभाग द्वारा कृष[illegible] [illegible]नी दूर करनेके लिए सरकारको [illegible]।

अभी तक नौकरशाही सरकारने कृषकोंकी दशा सुधारनेके लिए भली भाँति प्रयत्न ही नहीं किया। अत कहना होगा कि वास्तव-में इन कामोंमें अबतक नौकरशाही सरकारकी ओरसे असहयोग किया जा रहा था। अब जबकि सरकारकी घातक नीतिके कारण देशकी जनता उससे असहयोग करनेके लिए उतारू हो गई है तब यह सरकार सहयोगकी नि सार दुहाई देती है। इस समय सरकार और ब्रिटिश न्यायसे जनताका विश्वास उठता जा रहा है। यही कारण है कि जनता नौकरशाही सरकारसे असहयोग करनेको उतारू हो गई है। परन्तु स्वराज्य स्थापित होनेपर राष्ट्रका शासन जनताकी इच्छाओंके अनुसार होगा और राष्ट्रीय सरकारसे जनताके पूर्ण सहयोगका प्रारम्भ होगा। जब राष्ट्रीय सरकार किसानोंकी दशा अधिकसे अधिक २५ ३० वर्षोंमें सुधारनेका बीडा उठावेगी तो देशकी शिक्षित जनताका यह कर्तव्य होगा कि वह उससे सहयोग करके इस पवित्र कार्यमें उसकी सब प्रकारसे सहायता करे। आगेके अध्यायोंमें हम यह बतलानेका प्रयत्न करेंगे कि कृषकोंकी प्रत्येक असुविधा दूर करनेके लिए शिक्षित जनता राष्ट्रीय सरकारको किस प्रकार सहायता दे सकती है।

भारतीय कृषक राष्ट्रके प्रधान अङ्ग हैं, अत उनकी दशा सुधारे बिना देशकी दशा सुधरना असम्भव है। निस्सन्देह कार्य अत्यन्त कठिन है परन्तु यदि देशका शिक्षित समुदाय दत्तचित्त होकर इस कार्यको अपने हाथमें ले तो हमें पूर्ण विश्वास है कि कृषकोंकी दशाको सुधरनेमे १५ २० वर्षोंसे अधिक समय नहीं लगेगा।

पाँचवाँ अध्याय

किसान और ज़मींदार

[किसानोंसे नाजायज करोंका और नजरानेका वसूल किया जाना, किसान-सभाकी स्थापना, काश्तकार-सम्बन्धी कानूनमें परिवर्तन, जमींदार भाइयोंका कर्त्तव्य, शिकमी दर-शिकमी किसानोंकी दशा सुधारनेका उपाय ।]

पिछले अध्यायमें हम यह बतला चुके हैं कि भारतीय कृषकोंकी सब असुविधाओंको एक साथ दूर करनेके लिए राष्ट्रीय सरकार और शिक्षित जनताको क्या करना चाहिए ।

अब हम सब असुविधाओंपर पृथक् पृथक् विचार करेंगे,
और यथाक्रम यह बतलानेका प्रयत्न करेंगे कि वे शीघ्र ही कैसे दूर
की जा सकती हैं । कृषकोंकी पहली असुविधा उनकी गरीबी
(1) और बहुत नीचे दर्जेका उनका रहन सहन है । इस अध्यायमें
हम इसीपर विचार करते, परन्तु किसान और जमींदारोंके पारस्परिक सम्बन्धका प्रश्न इतने महत्वका है और कृषकोंके रहन सहनसे उसका इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि हम इस अध्यायमें पहले उसीपर विचार करेंगे ।

हम तीसरे अध्यायमें बतला चुके हैं कि पञ्जाब और युक्त-प्रान्तमें गैर मौरूसी काश्तकारों तथा और सब जगह शिकमी दर-शिकमी काश्तकारों (Subtenants) से जमींदार बहुत ही अधिक लगान और कई प्रकारके गैरकानूनी टैक्स वसूल करते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि कृषिसे जीवन-निर्वाह करने वालोंकी संख्या बढ़ती जा रही है। कृषकोंके अपढ़ होनेके कारण और देशमें उद्योग धन्धोंकी कमीके कारण उनको अपनी जीविका प्राप्त करनेका खेतीके सिवा अन्य कोई साधन ही नहीं दिखाई देता इसलिए खेतोंकी माँग बहुत अधिक बढ़ गई है। इसके सिवा जमीनका परिमाण किसी भी प्रकारसे नहीं बढ़ाया जा सकता। फल यह होता है कि एक एक खेतको पानेके लिए पचासों किसान लालायित रहते हैं और वे यहाँ तक लगान देनेको तैयार हो जाते हैं कि बेचारोंको वर्ष भर कठिन परिश्रम करने पर भी कई दिनों तक आधा पेट भोजन पाकर ही रहना पड़ता है। उपजका बहुत अधिक अंश लगानके रूपमें निकल जाता है। उचित शिक्षाका प्रचार और उद्योग धन्धोंकी बढ़तीसे जमीनकी यह अत्यधिक बढ़ी हुई माँग बहुत कुछ कम हो सकती है। शिक्षा-प्रचारके सम्बन्धमें हम विस्तृत रूपसे छठे अध्यायमें विचार करेंगे। उद्योग-धन्धोंकी बढ़तीके सम्बन्धमें हम इस समय केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि हमारे किसान भाई घर घरमें एक या गाँव पीछे दस पाँच चरखे रखनेका प्रयत्न करें, खेती करनेसे जो समय बचे उसमें स्त्रियाँ

रुई कातें और पुरुष कपड़े बुननेका प्रयत्न करें। इससे यह लाभ होगा कि वे स्त्री-पुरुष, जो इस समय अपने छोटे छोटे खेतोंमें बहुत सा समय व्यर्थ नष्ट करते हैं, इस काममें लग जायँगे और अपने जीविका-निर्वाहका कुछ भाग अपने काते हुए सूत और बुने हुए कपड़ेसे पैदा कर लेंगे। साथ ही साथ खेती करनेवालों की सख्या कम होनेके कारण किसानोंकी पारस्परिक स्पर्धा कम हो जायगी इससे उनको खेत मिलनेमें भी कठिनता न होगी और तब जमींदार उनसे मनमाना लगान भी वसूल न कर सकेगा।

इस अध्यायमें हम पहले मौरूसी और गैरमौरूसी काश्त कारोंको असुविधाओंपर विचार करके फिर शिकमी दर शिकमी काश्तकारोंकी असुविधाओंके सम्बन्धमें विचार करेंगे। जिन प्रान्तोंमें रैयतवारी बन्दोबस्त होता है उनको छोड कर देशके अन्य सब भागोंमें काश्तकारोंको जमींदारके विरुद्ध प्राय ये मुख्य शिकायतें होती हैं —

(१) जमींदारों द्वारा उनसे दशहरा और अन्य त्योहारोंपर नजराना तथा साधारणतया हथियावन, घोडावन, मोटरावन, लठियावन इत्यादि नाजायज टैक्स वसूल किये जाते हैं।

(२) गैरमौरूसी काश्तकारोंसे वेदखलीके समय भी नजराने वसूल किये जाते हैं।

(३) किसानोंसे जमीदारो द्वारा रसद और बेगार ली जाती है।

(४) जमींदारके नौकर अत्याचार करते हैं और किसानोंकी शिकायतोंपर जमींदार ध्यान नहीं देता।

नजरानेकी प्रथा आजकलकी नहीं है। यह बहुत पुरानी है। पुराने जमानेमें जमीनकी इतनी माँग न थी। जमींदार और ताल्लुकेदार अपनी प्रजाके दुःख सुखको अपने दुःख सुख समझते थे। वह समय परस्पर प्रेम और सहानुभूतिका था। किसान लोग भी जमींदारको उसके प्रेम और सहानुभूतिके बदले दशहरा इत्यादि त्यौहारोंपर या उसके यहाँ किसी रिश्तेदारकी शादी होने पर भेंट दे दिया करते थे। परन्तु इस भेंटका देना या न देना किसान की इच्छापर ही निर्भर था। उसके देनेके लिए जमींदार किसानको, आजकलकी तरह, बाध्य नहीं कर सकता था। हथियावन और घोडावन पहले भी प्रचलित थे। उस समय समाजकी अवस्था डावाँडोल थी। छोटे छोटे राजाओं तथा नवाबोंकी डकैतीसे किसानोंको और अपनेको सुरक्षित रखनेके लिए ताल्लुकदार और जमींदार हाथी घोडे रखते थे। इसलिए किसान लोग भी जमींदारोंको यथाशक्ति रुपये पैसेकी मदद देते थे। परन्तु यह रकम 'कर'के रूपमें नहीं ली जाती थी। किन्तु व अपना कर्तव्य समझकर अपने जान मालकी रक्षाके एवजमें यह सहायता देते थे। परन्तु अब जब कि किसानोंको ताल्लुकदारके हाथी घोडोंसे कुछ भी लाभ नहीं, किसानोंको इनको खरीदनेमें सहायता देनेके लिए बाध्य करना किसीभी प्रकार उचित नहीं। मोटरावनका रिवाज जबसे मोटर चली तबसे हुआ है। लढ़िया-

वन वह कर है जो लाट साहब या अन्य अफ़सरोंकी दावतके लिए किसानोंसे जबरन वसूल किया जाता है। ऐसे 'कर' देनेके लिए किसानोंको बाध्य करना अन्याय नहीं तो क्या है? नच्चावन वह कर है जो जमींदार महाशय नाच-रङ्गके समय किसानोंसे वसूल करते हैं। इसी प्रकारके अन्य कई कर भी किसानोंसे सर्वत्र ही वसूल किये जाते हैं परन्तु अवधमें ऐसे अत्याचार बहुत होने लगे हैं। बेचारे किसानोंकी शिकायतोंपर न सरकार ध्यान देती है और न शिक्षित जनता ही।

जमींदार कई प्रकारके नाजायज कर किसानोंसे वसूल करते हैं—यह सरकारको कई वर्षोंसे अच्छी तरह मालूम है। भारत सरकारने सन् १९०२ में "India Revenue Policy of the Govt of India" नामक पुस्तकमें स्वीकार किया है कि जमींदार कई प्रकारके गैरकानूनी टैक्स किसानोंसे लेते हैं और उनका परिमाण सरकार द्वारा लिये गये अबवाबोंसे कहीं अधिक रहता है। यह जान कर भी सरकार गत १८ वर्षोंसे कानमें तेल डाले बैठी रही। खेदकी बात है कि उसने इस कुप्रथाको हटानेका, जैसा चाहिए वैसा, प्रयत्न नहीं किया।

इस सम्बन्धमें राष्ट्रीय प्रान्तीय सरकारका पहला कर्त्तव्य यह होगा कि वह सब गाँवोंमें यह घोषणा करवा दे कि ऐसे समस्त कर नाजायज हैं और किसानोंसे कोई जमींदार ऐसे टैक्स वसूल न करे; यदि वह इन करोंको वसूल करता हुआ पकड़ा जायगा तो दण्डका भागी होगा। साथ ही साथ किसानोंकी शिकायतें

रायर सुननेका और अत्याचारी जमींदारोंको उचित दण्ड नेका प्रबन्ध भी उस सरकारको शीघ्रही करना होगा। किसानों-ो भी यह प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए कि वे इस प्रकारका कोई ी टैक्स जमींदारोंको न देंगे। किसानोंको अपने अधिकार समझानेमें और उनसे उपरोक्त प्रतिज्ञा करानेमें शिक्षित जनता ी बहुत कुछ सहायता पहुँचा सकती है।

युक्तप्रान्तमें गैरमौरूसी काश्तकारोंसे नजराना लिये जानेका ुख्य कारण यह है कि नौकरशाही सरकारने जमींदारों और ाल्लुकेदारोंको अधिकार दे रक्खा है जिससे वे अपने गैर-ौरूसी किसानोंको बेदखल कर सकते हैं।

अवधमें बेदखलीके समयमें जो किसान अधिक नजराना ता है उसीको उस खेतका पट्टा दे दिया जाता है। बेदखलीकी स भयङ्कर मारसे अवधके हर एक जिले, गाँव और झोपडोंमें ाहाकार मच गया है। बेदखलीके भयके कारण ही वे पर्याप्त पया लगाकर अच्छी तरहसे खेती नहीं करते जैसा कि मौरूसी ाश्तकार करते हैं। इससे देशकी उपज भी नहीं बढ़ती ौर किसानोंकी दशा दिनपर दिन खराब होती जाती है। ायद पञ्जाबमें भी गैरमौरूसी काश्तकारोंसे बेदखलीके समय जराना लिया जाता हो। हमारी समझमें इस कुप्रथाका तुरन्त न्द किया जाना कृषि सुधारके लिए बहुत ही आवश्यक है। मींदारोंसे बेदखलीका अधिकार वापिस ले लेना इस कुप्रथाको न्द करनेका एक मात्र साधन है। काश्तकार सम्बन्धी कानून?

(Tenancy Law) में परिवर्त्तन करके ऐसे सब गैरमौरूसी काश्तकारोंको—जो कि गत तीन वर्षोंसे खेती करते हों—अपने खेतोंपर मौरूसी हक दे देना बहुत ही आवश्यक है। मध्य-प्रान्तमें नये कानून द्वारा सब काश्तकारोंको ऐसा हक देनेका प्रयत्न किया गया है। युक्तप्रान्त और पञ्जाबमें भी वैसा कानून बना देनेमें राष्ट्रीय सरकार देर न करे।

बेदखलीका कानून मन्सूख करानेके लिए किसानोंको भी भारी आन्दोलन करना चाहिए। जब तक कानून न बदला जाय तब तक उनको अपने आन्दोलन द्वारा सरकारको यह बतला देना चाहिए कि इस बेदखलीसे उन्हें अकथनीय दुःख है और जब तक उनको मौरूसी हक न दे दिये जायँगे तब तक वे सुखी न हो सकेंगे। किसान लोग अपनी सङ्घ-शक्तिका उपयोग करके बेदखलीको बहुत कुछ रोक सकते हैं। प्रत्येक गाँवमें किसान सभा स्थापित करके वे यह शपथ ले लें कि वे जमींदारको किसी भी प्रकारका नजराना न देंगे। यदि जमींदार किसी किसानको नजराना न देनेपर बेदखल करे तो गाँवके सब किसानोंको ऐसा एका कर लेना चाहिए कि कोई दूसरा किसान उस जमीनको न जोते। यदि कोई उसको जोतनेको तैयार हो जावे तो गाँवके सब किसान उसको अपने समाजसे अलग कर दें। न उसका छुआ पानी पीवें, न मरने-जीनेमें उससे किसी प्रकारका सम्बन्ध रक्खें। न उसका पानी भरें, न कोई और काम करें और न उसको अन्य किसी भी प्रकारकी सहायता दें। इसका फल यह

होगा कि गाँवके अन्य किसान बेदखल की हुई जमीनको जोतना-बोना स्वीकार नहीं करेंगे और जमींदारको वह खेत पुराने किसानको, विना नजराना लिये, देनेको बाध्य होना पड़ेगा। शिक्षित जनता—खासकर कालेजके सहयोगी और असहयोगी विद्यार्थी—गाँवोंमें जाकर किसान सभा स्थापित करनेमें बहुत कुछ सहायता पहुँचा सकते हैं।

किसानोंको यह भी शिकायत रहती है कि जमींदार और ताल्लुकेदार उनसे बेगार लेते हैं और कभी कभी उनका माल जबरन कम क़ीमतपर ले लेते हैं। कहीं कहींपर वाजिबुल अर्जमें भी जमींदारोंको रसद और बेगार लेनेका अधिकार दिया गया है। दूसरोंको गुलाम बनानेवाले ये अधिकार किस प्रकार न्याय युक्त समझे जाने लगे, इसका उत्तर वाजिबुल-अर्जके रचनेवाले अफसर ही दे सकते हैं। वर्त्तमान युगमें गुलामीकी इस प्रथाको एक दिन भी जारी रखना अन्याय है। क्या किसानोंको गुलाम बनाये रखना ही जमींदार अपना कर्तव्य समझते हैं ? राष्ट्रीय सरकारको तुरन्त ही वाजिबुल-अर्जमें परिवर्त्तन करके किसानोंको पूरी स्वतन्त्रता देनी होगी। किसानोंको भी अपनी सभा स्थापित करके रसद और बेगार न देनेकी प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए। उनको चाहिए कि बिना पूरी मजदूरी लिये किसीका काम न करें और न बिना पूरे दाम पाये किसीको अपना माल दें। ऐसा करनेका उन्हें पूर्ण अधिकार है।

किसान ये सब काम विना एकताके नहीं कर सकते। अत

प्रत्येक गाँवमें एक किसान सभा शीघ्र ही स्थापित की जानी चाहिए। अन्य प्रान्तोंमें भी, जहाँ जहाँ जमींदार अत्याचार कर रहे हों वहाँ, किसानोंको ऐसा ही करना चाहिए। हर्षकी बात है कि युक्तप्रदेशमें किसान भाई अपने अधिकारोंको समझने लगे हैं और किसान सभाकी स्थापना प्रत्येक गाँवमें बहुत शीघ्रतासे हो रही है। शिक्षित जनता और विद्यार्थियोंका इस समय यह कर्तव्य है कि वे किसानोंको किसान सभा स्थापित करनेमें यथाशक्ति सहायता पहुँचावें। गाँवमें जाकर किसान सभा स्थापित करें और उनको निम्नलिखित किसान प्रतिज्ञा अच्छी तरह समझावें तथा उन्हें ऐसी प्रतिज्ञा लेनेके लिए उत्साहित करें। ये प्रतिज्ञाएँ श्रीयुत प० गौरीशङ्कर मिश्र और प० रामचन्द्र शर्माने अवधके किसानोंके लिए रची हैं। थोड़ा सा आवश्यक परिवर्त्तन करके वे देशके अन्य भागोंमें भी काममें लाई जा सकती हैं।

किसान-प्रतिज्ञा *

(१) हम किसान सच बोलेंगे, झूठ न बोलेंगे और अपने दुःखकी बात सच सच कहेंगे।

(२) कितना ही दुःख हो तो भी मार-पीट कभी न करेंगे। न किसीको गाली देंगे और न किसीको मारेंगे।

---

* ये प्रतिज्ञाएँ प० गौरीशङ्कर मिश्र लिखित "किसानो! उठो!" नामक पुस्तकसे ली गई हैं। लेखक

(३) गाँव गाँवमें किसान सभा बनावेंगे। हम सभामें जायँगे और किसीके रोकनेपर भी सभामें जाना बन्द न करेंगे।

(४) आपसमें झगडा नहीं करेंगे, सुमति रक्खेंगे। हर गाँव या दो चार गाँव मिलाकर पञ्चायत बनावेंगे और जब कभी आपसमें झगडा तकरार होगी तो उसे आपसमें ही तय कर लेंगे।

(५) अपने गाँवमें अगर कोई किसान खाने पीनेसे तङ्ग होगा या और किसी दु खसे दुखी होगा तो हम उसकी मदद करेंगे। सब किसानोंके दु ख सुखको हम अपना दु ख सुख समझेंगे।

(६) हम हथियावन, घोडावन, मोटरावन, मुडावन नचावन, लटियावन वगैरह गैरकानूनी टैक्स न देंगे। पूरी मजूरी बिना लिये बेगार नहीं करेंगे। भूसा, रस और अन्य सब चीजें बाजार भावपर बेचेंगे और रुपया लेकर ही देंगे।

(७) खेतका लगान ठीक समयपर चुकावेंगे, पर लगानकी रसीद जरूर लेंगे। रसीद न मिलेगी तो डाकसे लगान भेजेंगे। गाँववाले मिलकर एक साथ जमींदारके पास जाकर लगान देंगे।

(८) खेत भले ही निकल जाय "नजराना" न देंगे।

(९) बेदखलीका कानून मन्सूख करानेको सभा जरूर करेंगे और जब तक यह मन्सूख न होगा तब तक दम न लेंगे।

(१०) बेदखल खेतको पुराने किसानके सिवा और कोई न लेगा और यदि कोई दूसरा किसान उसे ले लेगा तो उसको

सभासे हटा देंगे। उसका छुआ पानी नहीं पीयेंगे। उसकी सलाम-वन्दगी बन्द कर देंगे और उससे किसी तरहका सम्बन्ध नहीं रक्खेंगे।

(११) बेदखल खेत जोतनेके लिए ताल्लुकेदारसे मांगेंगे। अगर वह न दे तो भूखे मरेंगे परन्तु जबरदस्ती कभी न करेंगे। यदि वह हमारी सुध न लेगा तो उससे भी सम्बन्ध न रक्खेंगे।

(१२) अगर हमारा मालिक पडती जमीनपर ढोर न चरने देगा तो हम न चरावेंगे। हमारे ढोर मर जावे तो भी हम कानूनके खिलाफ काम न करेंगे।

(१३) रुई बोवेंगे। घर घरमें चरखा रक्खेंगे। सूत कातेंगे और अपनी तहसीलके जुलाहेसे कपडा बुना लेंगे।

(१४) अपने लडकोंको पढावेंगे। कपडा बुनना सिखावेंगे। ईश्वरमें विश्वास रक्खेंगे। सुबह और शाम ईश्वरसे अपना दुःख मिटानेके लिए प्रार्थना करेंगे। साहस और धीरजसे तथा निडर होकर अपना दुःख दूर करनेकी कोशिश करेंगे। √

कृषि सुधारके लिये काश्तकार सम्बन्धी कानूनमें और भी परिवर्त्तन करनेकी आवश्यकता है। अन्य अध्यायोंमें बतलाया जायगा कि कुछ सुधार (Improvement) तो ऐसे हैं जो कि जमींदार या मालगुजार द्वारा बहुत सरलतासे किये जा सकते हैं। हमारे कानून ऐसे होने चाहिएं जिससे जमींदारको सुधार करनेकी पूरी स्वतन्त्रता हो और उन सुधारों द्वारा उपजमें जो बढती हो उसमें उसको पूरा भाग मिले। इसके साथ ही साथ

किसानोंको भी अपनी हैसियतके अनुसार सुधार करनेकी पूरी स्वाधीनता होनी चाहिए। इसलिए सब किसानोंको मौरूसी हक देते समय यह भी कानून बना देना चाहिए कि जमींदार या मालगुजार किसानोंका लगान सरकारी अदालतों द्वारा उसी समय बढा सके जब कि वह कुछ सुधार कर किसानोंको उपज बढानेमें कुछ लाभ पहुँचावे, अन्यथा नहीं। इसका परिणाम यह होगा कि जमींदारके लिये अपनी आमदनी बढानेका एकमात्र साधन किसानोंकी दशा सुधारना ही रह जायगा। वह किसानोंपर जबरदस्ती न कर सकेगा और न उनको कष्ट पहुँचाकर अपनी आमदनी ही बढा सकेगा। जमींदार और किसानोंमें भी हित विरोध न रहेगा और जमींदार किसानोंका भला करनेमें ही अपना भला समझने लगेंगे। यदि कोई मालगुजार या जमींदार अपने किसानोंकी उपज बढानेमें सहायता न करेगा तो उसकी वार्षिक आमदनी हमेशा उतनी ही रहेगी जितनी कि पहले थी।

अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि मनुष्य सख्याकी वृद्धिसे, नई सडकोंके बनाये जानेसे, नई रेलकी लाइनोंके खुलनेसे तथा अन्य वस्तुओंके मूल्यकी वृद्धिसे, बिना मिहनत किये, उपजकी कीमतमें जो बढती (Unearned increment) होती है वह किस प्रकारसे सरकार, मालगुजार और कृषकोंके बीचमें बाँटी जाय। आजकल तो नौकरशाही सरकारकी नीति यह है कि इस बढतीको वह अपने और जमींदारके बीचमें प्राय आधी आधी

बाँट लेती है। बेचारे किसानोंको इसका कुछ भी हिस्सा नहीं मिलता। जब बन्दोबस्त (Settlement) होता है तब किसानोंके लगानमें जो वृद्धि होती है उसका आधा भाग जमींदार और मालगुजारोंको मिलता है। हमारी समझमें यह भाग मौरूसी किसानोंको मिलना चाहिए। वास्तवमें वे ही जमीनके मालिक हैं अत इस वृद्धिपर उन्हीका अधिकार है। जमींदार और मालगुजारके प्रयत्नोंसे तो यह वृद्धि होती नहीं, इसलिए उसपर उनका कुछ भी अधिकार नहीं है। आजकलके मालगुजार तो सरकारी लगान वसूल करनेवाले सरकारी गुमाश्ते मात्र हैं परन्तु तिसपर भी जमींदारों या माल-गुजारोंको जो लगान आजकल मिलता है उसको घटाना न्याययुक्त न होगा, क्योंकि वहुतसे जमींदार या मालगुजार ऐसे होंगे जिन्होंने इसी आमदनीकी आशासे रुपये खर्च करके जमींदारी खरीदी होगी। परन्तु उनके विना प्रयत्न किये मौरूसी काश्तकारोंकी उपजमें भविष्यमें जो वढती होगी उसपर उनका कुछ भी अधिकार नहीं है। इसलिए यह भी कानून वना दिया जाना आवश्यक है कि ऐसे प्रान्तोंमें, जहाँ कि अस्थायी बन्दोवस्त (Temporary Settlement) होता है, वहाँपर बन्दोवस्तके समय मौरूसी काश्तकारोंका लगान जितना आजकल वढाया जाता है उसका आधा ही वढाया जावे और वह वढा हुआ पूरा भाग मालगुजार सरकारको दिया करे। इसका परिणाम यह होगा कि मालगुजारोंको अपनी आमदनी बराबर 'मिलती

जावेगी, राष्ट्रीय सरकारको भी अपना भाग पूरा मिलता जावेगा और आजकलकी तरह बन्दोबस्तके समय मौरूसी काश्तकारोंका लगान अधिक नहीं बढ़ सकेगा तथा कमसे कम ३० वर्ष तक उनको उतना ही लगान देना होगा। काश्तकार सम्बन्धी कानूनमें उपर्युक्त परिवर्त्तन होनेसे जमींदारोंके अत्याचार करनेके सब साधन उनके हाथसे निकल जावेंगे और जमींदार और काश्तकार दोनोंको सुधार करके उपज बढ़ानेकी प्रबल इच्छा होगी।

हमारे जमींदार भाइयोंका भी इस सम्बन्धमें कुछ कर्त्तव्य है। उनके सामने इस समय अपनी आमदनी बढ़ानेके दो साधन हैं। (१) किसानोंसे रसद बेगार लेकर तथा जबरन नजराना या अन्य कई प्रकारके नाजायज टैक्स वसूल कर वे अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं और (२) काश्तकारोंको अपनी उपज बढ़ानेमें सहायता पहुँचा कर। आजकल पहले मार्गका अवलम्बन करनेवाले जमींदार तो बहुत हैं परन्तु किसानोंकी मदद कर अपनी आमदनी बढ़ानेवाले बहुत कम। हमारी समझमें पहले मार्गके अवलम्बन करनेवालोंमें दूरदर्शिताका बिल्कुल अभाव है। वे हमेशाके लिए किसानोंपर अत्याचार नहीं कर सकते। अब किसान भी अपने अधिकारोंको कुछ कुछ समझने लगे हैं। ऐसे जमींदार अपने स्वार्थमें अन्धे हो बहुत ही शीघ्र मिलनेवाले कुछ थोड़े लाभके लिये अपनी सब भावी आमदनीसे हाथ धो बैठनेका प्रयत्न कर रहे हैं। इस नीतिसे किसानोंकी

दशा भी खराब होती जाती है और देशकी उपज न बढ सकनेके कारण देशका भी भारी नुकसान होता है। किसानोंको सहायता पहुँचा कर अपनी आमदनी बढानेसे जमींदार और मालगुजार दोनोंको बहुत लाभ है। शायद शीघ्र ही उन्हें अधिक लाभ न हो परन्तु उससे उनकी भावी आमदनी बढनेकी बहुत सम्भावना है। किसान भी पहलेके समान अपने हितचिन्तक जमींदारोंको अपना तन मन धन अर्पण करनेके लिए तैयार रहेंगे। देशकी उपजमें भी बढती होगी इससे देशको भी लाभ होगा। हमें पूर्ण आशा है कि अनुकूल परिस्थितियोंमें हमारे जमींदार भाई पहले मार्गको छोडकर अपनी आमदनी बढानेके लिए किसानोंको उपज बढानेमें सहायता देंगे। जमींदारोंको यह भी चाहिए कि वे अपने लडकोंको कृषिकी उच्च शिक्षा दिलानेका प्रयत्न करें, जहाँ तक हो सके वहाँ तक जमींदारीका सब काम स्वय ही किया करें और किसानोंकी शिकायतोंपर उचित ध्यान दिया करें। कारिन्दोंके भरोसे सब काम छोड दिया जाय तो वे किसानोंपर बहुत अत्याचार करने लग जाते हैं। यदि जमींदार किसानोंकी शिकायतोंपर ध्यान नहीं देते और अपने कारिन्दोंपर उचितसे अधिक विश्वास करते हैं तो परिणाम यह होता है कि कारिन्दा किसानोंपर और भी अधिक अत्याचार करने लगता है। अन्य अध्यायोंमें हम यथासमय यह बतलानेका प्रयत्न करेंगे कि जमींदार किसानोंको किस तरहसे उपज बढानेमें सहायता पहुँचा सकते हैं।

हम पहले यह भी वतला चुके हैं कि शिकमी दर-शिकमी (Subtenants) किसानकी दशा सब प्रान्तोंमें खराब है। उनसे सर्वत्र बहुत ही अधिक लगान लिया जाता है। इसके रोकनेका एकमात्र उपाय यह है कि किसानोंको मौरूसी हक देते समय यह भी कानून बना दिया जावे कि शिकमी दर शिकमी काश्तकारसे मालगुजारी किस्तकी दुगुनी रकमसे अधिक लगान लेना नाजायज समझा जायगा और विधवा स्त्री, बच्चों और असमर्थ किसानोंको छोड़कर यदि कोई दूसरा किसान अपना खेत किसी और किसानको तीन वर्ष तक जोतनेको दे तो उस खेतपरसे उसका मौरूसी हक उठ जावेगा और जो किसान उस खेतको तीसरे वर्ष जोतता होगा उसे एक वर्षका अधिक लगान देनेपर उस खेतका मौरूसी हक मिल जायगा। इसका यह परिणाम होगा कि खेत उन्हीं लोगोंके हाथमें रहेगा जो उसमें खेती करते होंगे और किसान भी तीन वर्षसे अधिक अपना खेत अधिक लगानपर बटाई पर न दे सकेंगे।

अन्तमें हम कृषि-सुधारके लिये काश्तकार सम्बन्धी कानूनमें जो जो परिवर्त्तन करनेकी आवश्यकता समझते हैं उसको दुहराकर इस अध्यायको समाप्त करते हैं। वे परिवर्त्तन ये हैं —

(१) सब ग़ैर मौरूसी काश्तकारोंको तुरन्त मौरूसी हक दे दिये जायँ।

(२) वाजिबुल अर्जसे जमींदारका रसद और बेगार लेनेका अधिकार निकाल दिया जाय।

(३) बन्दोवस्तके समय मौरूसी किसानोंका जितना लगान पहले बढता था उसका आधा ही बढाया जाय और उस बढतीका सब भाग सरकारको ही मिले। जमींदारको लगानसे आजकल जितनी आमदनी होती है उतनी ही रहने दी जाय।

(४) यदि जमींदार किसानोको उपज बढानेमें सहायता दे तो वह सरकारी अदालत द्वारा किसानोंके लगानमें इजाफा कर सके।

(५) मौरूसी काश्तकारका शिकमी दर-शिकमी काश्तकारसे मालगुजारी किस्तसे दूनी रकमसे अधिक लेना नाजायज समझा जाय।

(६) यदि खेत तीन वर्ष तक किसी अन्य किसानको जोतनेको दिया जाय तो उसपरसे पुराने किसानका मौरूसी हक उठ जाय और नये किसानको एक सालका अधिक लगान देनेपर उसका मौरूसी हक मिल जाय।



छठाँ अध्याय

किसानोंके रहन-सहनकी उन्नति और कृषि-विद्या प्रचार

[किसानोंके रहन-सहनके सम्बन्धमें विचार, अनियमित जन-संख्याकी वृद्धिकी रोक, कृषि-विद्या-प्रचारका उत्तम तरीका, प्रारम्भिक कृषि-शिक्षा कैसी हो ? यात्रामें सहायता ।]

पाठक यह भली भाँति जानते हैं कि भारतीय किसानोंकी पहली असुविधा उनकी गरीबी और बहुत नीचे दर्जेका उनका रहन सहन है। पाठक यह भी अच्छी तरह जानते हैं कि लालची और स्वार्थी जमींदार भारतीय किसानोंको किस प्रकार सताते हैं। देशके अभाग्यसे किसानोंका सच्चा हित चाहनेवाले जमींदार बहुत ही कम नजर आते हैं। पाँचवें अध्यायमें हमने यह बतलानेका प्रयत्न किया है कि जमींदारोंके अत्याचारोंसे किसान कैसे बच सकते हैं, और देश और किसानोंके प्रति हमारे जमींदार भाइयोंका क्या कर्त्तव्य है। अब इस अध्यायमें हम इस प्रश्नपर विचार करेंगे कि किसानोंका रहन-सहन किस तरहसे ऊँचा किया जा सकता है। कृषि विद्या-प्रचारका इस प्रश्नसे बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है। अत हम इस अध्यायमें उसपर भी विचार करेंगे।

भारतीय किसानोंके रहन-सहनके सम्बन्धमें सरकारी अफसरों और ग़ैर-सरकारी विद्वानोंमें गहरा मत-भेद है। यह सभी मानते हैं कि उनका रहन-सहन बहुत नीचे दर्जेका है। परन्तु सरकारी अफसर उनकी ऊपरी और बाहरी दशाको देखकर यह कहते हैं कि उनका रहन-सहन धीरे धीरे बढ रहा है। वे कहते हैं कि पहले गाँवोंमें जहाँपर फूसके छप्पर और मिट्टीकी दीवालोंकी झोपडियाँ दिखाई देती थीं वहाँ अब कहीं कहीं ईंटकी दीवालोंवाले पक्के मकान भी नज़र आते हैं। मोटा कपडा पहननेके बदले कितने ही किसान अब विदेशी बारीक कपडा पहनने लगे हैं। मिट्टीके बर्तनोंके बदले अब वे ताँबे-पीतलके बहतनोंका उपयोग करने लगे हैं। देशमें प्रतिवर्ष कई करोड रुपयोंका सोना चाँदी आता है। इससे अफसर लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यहाँके निवासियोंका रहन सहन धीरे धीरे ऊंचा हो रहा है। उनकी समझमें इस उत्तरोत्तर वृद्धिकी गतिको थोडा सा और बढ़ा देनेसे ही भारतीय किसानोंकी दशा बहुत शीघ्र सुधर जायगी।

ग़ैर-सरकारी विद्वानोंका यह कहना है कि देशवासियोंको अब वैसा खानेको नहीं मिलता जैसा कि उनको पहले मिलता था। उन्हें वर्ष भरमें कई दिनों तक तो आधे पेट भोजनपर ही सन्तोष करना पडता है। पहले जमानेके दूध-घी आदि अन्य पौष्टिक पदार्थोंका मिलना अब उनके लिये स्वप्न हो गया है। अब तो त्योहारके दिन भी उनको प्राय. घी दूध नहीं मिलता। कुछ

थोडेसे किसान अब पहलेसे अच्छे मकानोंमें भले ही रहते हों, और पहलेसे अच्छा कपडा भले ही पहनने लगे हों परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि अब प्राय सभी किसानोंको पहले जैसा अच्छा भोजन नहीं मिलता। इसलिए यदि हम रहन-सहनके सम्बन्धमें भोजन, वस्त्र, मकान इत्यादि सब बातोंपर विचार करें तो हमको यह मानना पडेगा कि किसानोका रहन सहन बहुत नीचे दर्जेका होनेपर भी दिनपर दिन और नीचे गिरता जाता है। इसलिए गैर-सरकारी विद्वानोका यह कथन है कि, किसानोंकी परिस्थितिमें भारी परिवर्त्तन किये बिना उनकी दशा सुधारना बहुत कठिन है। अब हमें यह देखना है कि इस समय कौन कौनसे परिवर्त्तनोंकी अत्यन्त आवश्यकता है।

अर्थ शास्त्रका एक मुख्य सिद्धान्त यह है कि किसी भी श्रमीकी आमदनी, चाहे वह किसान हो या मजदूर, उसके रहन सहनपर बहुत कुछ अवलम्बित रहती है। और आमदनीका प्रभाव भी रहन सहनपर बहुत अंशोंमें पडता है। आमदनी या रहन सहन किसी एकमें भी घटा बढी होनेपर दूसरेमें घटा बढी होनेकी सम्भावना रहती है। परन्तु यदि किसी कारणसे आमदनी बढनेके साथ साथ रहन सहन न बढे तो उसका परिणाम प्राय यह होता है कि श्रमी पहलेसे कम काम करने लग जाता है। इससे उसकी आमदनी फिर कम होकर पहलेके बराबर हो जाती है। इसको यों समझिए कि यदि किसी मजदूरकी मजदूरी आठ आनेसे बढाकर बारह आने कर दी जाय

और यदि उसका रहन सहन न बढे तो वह पहले यदि सप्ताहमें छ रोज़ काम करता होगा तो अब चार रोज ही करेगा। दो रोज आलस्यमें बितावेगा। फलत उसकी आमदनी पहलेके बराबर ही रहेगी। परन्तु यदि साथ ही साथ रहन सहन ऊँचा करनेके साधन भी बढा दिये जायँ तो वह वैसा नहीं करेगा। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि आमदनीकी बढतीके साथ ही साथ रहन-सहन भी ऊँचा हो। यदि रहन-सहनकी उच्चता कुछ पहले आरम्भ हो जाय तो उससे आमदनी बढ़ानेमें बहुत सहायता मिलती है। श्रमी अपने बढे हुए रहन सहनके अधिक खर्चके लिये अधिक परिश्रम करता है जिससे देशको भी लाभ होता है। परन्तु रहन सहनका आमदनीसे एकदम बहुत अधिक बढ़ जाना भी खराब है। इससे या तो श्रमी कर्जदार हो जाता है या ईमानदारीसे काफी रुपया न मिलनेपर बेईमानी करने लग जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम सब मिलकर इस तरह प्रयत्न करें जिससे भारतीय किसानोंके रहन सहनकी वृद्धि शीघ्र ही आरम्भ हो जाय और उनकी आमदनी भी उसके साथ ही साथ बढ़ने लगे।

अनियमित रूपसे जन-संख्याके बढनेसे जनताके रहन सहनकी वृद्धि रुकती है। यदि किसी गरीब मनुष्यके यहाँ अधिक सन्तान उत्पन्न हों तो उसे अपना रहन-सहन बढानेमें बडी कठिनता पडेगी। सम्भवत उसे लाचार होकर अपना खर्च घटाना ही पडेगा। इस अनियमित जन-सख्याकी वृद्धिको

रोकनेका एकमात्र उपाय यह है कि कम अवस्थाके विवाह बन्द कर दिये जायँ और विवाह होनेपर भी यथा-सम्भव मनुष्य आत्मसंयम द्वारा इन्द्रिय निग्रह करें, यानी वे केवल उतनी ही सन्तान पैदा करनेका प्रयत्न करें जितनीका वे अच्छी तरह पालन पोषण कर सकते हों और उचित शिक्षा भी दे सकते हों। इस नियमका पालन करके पाश्चात्य देशोंमें मालथस साहबके अनुयायियोंने अपने रहन सहनको बढानेमें खासी सफलता प्राप्त की है। भारतीय किसान अविद्याके कारण इस आत्मसंयमके लाभोंको नहीं समझ सकते और जब तक उनमें विद्याका प्रचार नहीं होता तब तक उनसे आत्मसंयम द्वारा अपने कुटुम्बको छोटा रखकर अपने रहन सहनको बढानेकी आशा नहीं की जा सकती। हाँ, बाल विवाह जैसी कुरीतियोंका शीघ्र ही बन्द किया जाना बहुत ही आवश्यक है।

भारतीय किसानोंके रहन सहन और आमदनी बढानेका सर्वोत्तम साधन उनमें कृषि विद्याका प्रचार करना है। कृषि विभागके अफसरोंके प्रयत्नोंसे भारतीय कृषिके सम्बन्धमे, खासकर भारतीय जमीनों, तथा उचित खादोंके उपयोग, उत्तम प्रकारके बीज, पौधोंके रोग और उनकी चिकित्सा, नये प्रकारके औजारोंके उपयोग और नये तरीकोंसे खेती करनेके सम्बन्धमें, कई उत्तम बातोंका ज्ञान प्राप्त किया जा चुका है। परन्तु जनतामें इस ज्ञानका प्रचार होना अभी बाकी है। नौकरशाही सरकार इस सम्बन्धमें कृषिविभाग द्वारा सन्तोषजनक प्रयत्न नहीं कर,

रही है। कृषि-विभागके अफसर सरकारी फार्मोंपर या नुमाइशगाहोंमें नये प्रकारके औजारोंका उपयोग, करनेके लाभ और नये प्रकारसे खेती करनेके तरीके वतलानेका प्रयत्न करते हैं सही, परन्तु वे उस समय किसानोंको यह समझानेकी कोशिश नहीं करते कि यदि वे उन तरीकोंका उपयोग अपने खेतोंमें करे तो उनको लाभ अवश्य होगा। कभी कभी तो वे किसानोंके प्रश्नोंका समुचित उत्तर तक नहीं देते और उनकी शङ्काओंका समाधान नही करते। इससे किसानोंको नये तरीकोंकी आर्थिक सफलतामें विश्वास नहीं होता। इसका फल यह होता है कि वे उनका उपयोग करनेमें हिचकिचाते हैं और कृषि-विभागके अफसर प्राय यह कहा करते हैं कि भारतीय किसान पुरानी लकीरके इतने फकीर हैं कि नये तरीकोंके वतानेपर भी वे उनका उपयोग नहीं करते।

हमारी समझमें जनतामें नये तरीकोंके प्रचार करनेका सबसे उत्तम उपाय यह है कि कृषि विभागके जो अफसर कृषक-हितैषी विभागकी मातहतीमें काम करें, वे प्रत्येक गाँवमें किसी एक किसानको इस शर्तपर नये तरीकेसे खेती करनेके लिए राजी करें कि यदि वह अफसरकी निगरानीमें, उसके वताये हुए तरीकोंसे, खेती करे और उसमें यदि कुछ नुकसान हो तो नुकसानकी पूरी रकम सरकार उसे दे देगी। और यह स्पष्ट है कि अफसरके वताये हुए तरीकोंसे खेती करनेमें नुकसानकी वहुत कम सम्भावना रहेगी। क्योंकि कृषि विभागके अफ़सर वे

ही तरीके बतलावेंगे जो कि अनुभवसे लाभकारी सिद्ध हुए हैं। इसलिए उपर्युक्त शर्तके अनुसार हानिके रुपये चुकानेमें सरकारका भी अधिक खर्च न होगा। परन्तु इसका प्रभाव गाँवके अन्य किसानोंपर बहुत अच्छा पड़ेगा। जब वे अपनी आँखोंसे किसी एक मामूली किसानको नये तरीकोंके उपयोगसे लाभ उठाते देखेंगे तो उनको उन तरीकोंकी आर्थिक सफलतामें पूरा विश्वास हो जायगा और वे भी उनका उपयोग करने लग जायँगे। इस तरहसे लाभकारी नये तरीकोंका उपयोग सर्वत्र होने लगेगा। राष्ट्रीय सरकारको इस तरफ ध्यान देना होगा और कृषि विभागमें ईमानदार भारतीय अफसरोंकी संख्या बढ़ाकर उनको यह कार्य सौंप देना होगा। यदि काम इस तरहसे आरम्भ किया जाय तो देशका बड़ा लाभ हो और सरकारके सदुद्देशोंमें किसानोंका विश्वास भी दृढ़ होता जाय। हमारे जमींदार भाई भी किसानोंको इस सम्बन्धमें बहुत सहायता पहुँचा सकते हैं। यदि वे खुद अपने खेतोंमें नये तरीकोंका उपयोग करके अपने काश्तकारोंको उसका उपयोग करनेके लिए उत्साहित करें और उनको उसमें हर तरहका सुभीता कर दें तो नये तरीकोंका प्रचार देशमें बहुत शीघ्र बढ़ सकता है।

किसानोंका रहन-सहन ऊँचा करनेका दूसरा साधन प्रारम्भिक शालाओं द्वारा कृषि-विद्याका प्रचार करना है। नौकर-शाही सरकारने इस तरफ बहुत थोड़ा ध्यान दिया है। अभी तक सरकारी अफसरोंकी यह धारणा रही है कि कृषि सम्बन्धी शिक्षा गाँवोंमें दी ही नहीं जा सकती। गाँवोंमें शाला-ओंका बेतरह अभाव है। सात गाँवोंमेंसे ६ गाँव ऐसे हैं जहाँपर एक शाला तक नहीं। और जहाँ कहीं शालाएँ हैं वहाँ जो

शिक्षा दी जाती है वह विद्यार्थियोंके किसी कामकी नहीं रहती। उससे विद्यार्थियोंकी अर्थोत्पादक शक्तिका बढ़ना तो अलग रहा, बल्कि उन शालाओंमे पढ़नेको जानेवाले लडके खेतीके कामके भी नहीं रह जाते। वे हाथोंसे काम करना नीच काम समझने लग जाते हैं। उनको खेतीके सम्बन्धमे कुछ नही सिखाया जाता। गाँवोंकी शालाओंका उचित निरीक्षण नही होता। उनके शिक्षकोंको इतना कम वेतन दिया जाता है कि कोई भी आत्म-गौरव रखनेवाला मनुष्य उस वेतनको स्वीकार नही करेगा! कही कही तो उनका वेतन अपढ मजदूरोंकी मजदूरीसे भी कम रहता है। फिर ये शिक्षक लडकोंको इतनी निर्दयतासे पीटते हैं कि वे पाठशालाओंमें जानेसे डरने लगते हैं। धार्मिक और राष्ट्रीय भावोंको जागृत करनेवाली शिक्षाका तो बिलकुल ही अभाव है। ग्रामीण शिक्षाप्रणालीमें एक साथ इतने दोष आ गये हैं कि शीघ्र ही उसमे परिवर्त्तन किया जाना देशकी उन्नतिके लिये बहुत आवश्यक है। सरकारकी बात तो अलग रही, हमारे दुर्भाग्यसे हमारी शिक्षित जनताने भी इस महत्वपूर्ण प्रश्नके सम्बन्धमें कुछ ध्यान नहीं दिया। उसने कहीं कहीं हाई-स्कूल और कालेज खोलनेका तो प्रयत्न किया है परन्तु ऐसी प्रारम्भिक शालाएं कितनी हैं जो कि शिक्षित जनता द्वारा खोली गई हैं? किसान भाइयोंके प्रति क्या हमारा कुछ भी कर्तव्य नहीं है? शिक्षित जनताकी इस उदासीनताके कारण ही किसानोंकी दशा दिन पर दिन खराब होती जाती है।

इस सम्बन्धमें विदेशी मिशनोंका काम सराहनीय है। सब मिशनोंने मिलकर, ग्रामीण शिक्षाप्रणालीके दोषोंकी जाँच करने और समयानुकूल उचित ग्रामीण शिक्षाप्रणालीकी सिफारिश करनेके लिए सन् १९१९ में एक कमीशन नियुक्त किया था। उसमें पाँच विद्वान् सभासद थे। कमीशनने सन् १९२० में अपनी रिपोर्ट पेश की जो भारतमें ग्राम्य शिक्षा [Village Education in India] नामक पुस्तकके रूपमें प्रकाशित हुई है। कमीशनकी मुख्य मुख्य सिफारिशें नीचे लिखे अनुसार हैं —

[१] ग्रामीण शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि जो भविष्यमें विद्यार्थियोंके काम आवे। उनकी पाठ्य पुस्तकोंमें ऐसे विषयोंपर पाठ होने चाहिए जिनसे वे भली-भाँति परिचित हों। उनको गणितमें ऐसे प्रश्न दिये जाने चाहिए जो कि उनके हमेशा काममें आवें।

[२] प्रारम्भिक स्कूलमें चार वर्ग होने चाहिए जिनमें कि प्राय ६ से ११ वर्ष तकके लडके पढ सके। तीसरे और चौथे वर्गमें कृषिके सम्बन्धमें कुछ पढाना चाहिए।

[३] मुख्य मुख्य गाँवोंमें ऐसे मिडिल स्कूल खोले जाय जिनमें ६ से ११ वर्ष तकके लडके शिक्षा पावें। इन मिडिल स्कूलोंमें किसी खास पेशेकी शिक्षा देनेकी ओर अधिक ध्यान दिया जाय जिससे लडके स्कूल छोडनेपर अपना जीवन निर्वाह सुगमतासे कर सकें। जो लडके खेतीका विषय लें उनके लिये प्रयोगात्मक कृषि शिक्षाका उचित प्रबन्ध होना चाहिए। खेतीके सम्बन्धमें

उनको वे ही नये तरीके सिखाये जाय जिनका उपयोग वे अपने खेतोंमें करके लाभ उठा सकें।

[४] इन शालाओंकी सफलता शिक्षकोंपर बहुत कुछ निर्भर रहेगी। इसलिये उचित शिक्षक तैयार करनेके अभिप्रायसे शीघ्रही नार्मल स्कूल खोले जाने चाहिए।

विदेशी मिशनोंने इस कमीशनकी रिपोर्टको छपवाकर ही अपने कर्तव्यकी इतिश्री नहीं समझ ली। उन्होंने उसकी सिफारिशोंके अनुसार कार्य करना भो आरम्भ कर दिया है। आगामी वर्षसे इलाहाबादका एग्रीकलचरल इन्स्टीट्यूट (Allahabad Agricultural Institute) इस प्रान्तके नवीन मिडिल स्कूलोंके लिए शिक्षकतैयार करेगा और शिक्षकोंके तैयार होनेपर ग्रामोंमें मिडिल स्कूल खोलनेका प्रबन्ध शीघ्र ही किया जायगा। क्या हमारे शिक्षित भाइयोंकी आखें अब भी नही खुलेंगी? विद्यादानके बराबर दूसरा कोई दान नहीं है। इन स्कूलोंके खोलनेमें अधिक रुपये भी नहीं लगेंगे। प्रारम्भिक कृषि-शिक्षाकी इस समय बहुत ही अधिक आवश्यकता है। यदि देशके धनवान् दानवीर सज्जन-गण और जमींदार भाई चाहें तो अपने खर्चसे कई प्रारम्भिक कृषिशालाएँ आसानीसे चला सकते हैं।

हमारी समझमें कमीशनकी सिफारिशके अनुसार मिडिल स्कूलोंको मुख्य मुख्य गावोंमें अलग अलग खोलनेके बदले यदि प्रारम्भिक पाठशालाओंमें ही दो वर्ग बढ़ा दिये जाय' तो उनमें इतना पाठ बहुत सरलतासे पढाया जा सकता है जितना कि

कमीशनने मिडिल स्कूलोंमें पढ़ानेकी सिफारिश की है। हमारी सम्मतिमें ग्राम्य प्रारम्भिक पाठशालाएँ नीचे लिखे ढङ्गके अनुसार होनी चाहिए और उनमें नीचे लिखे विषय भी पढ़ाये जाने चाहिए।

(१) प्रत्येक ग्रामीण पाठशालामें वही शिक्षा दी जानी चाहिए जो कि भविष्यमें विद्यार्थीके काम आवे।

(२) उसमें प्राय ६ वर्ग हों। किसानोंके लड़कोंको पाचवें और छठे वर्गोंमें प्रयोगात्मक कृषिकी शिक्षा अवश्य दी जाय। उनमें उनको वे ही तरीके सिखाये जायँ जिनके उपयोगसे वे लाभ उठा सकें। इसलिए यह जरूरी है कि प्रत्येक पाठशालासे एक छोटा खेत अवश्य लगा हुआ होना चाहिए। जो खेती न करना चाहते हों उनको अन्य किसी पेशेकी शिक्षा उन वर्गोंमें दी जाय।

(३) उनकी पाठ्य पुस्तकोंमें उन्हीं विषयोंपर पाठ रहें जिनसे वे परिचित रहते हैं। गणितमें भी सवाल वे ही रहने चाहिए जिनको हल करनेकी उनको प्राय हमेशाही जरुरत पड़ती है जैसे लगान, व्याज, मुनाफा सम्बन्धी प्रश्न।

(४) शिक्षाका माध्यम मातृभाषा ही हो और शिक्षा बिलकुल नि शुल्क दी जानी चाहिए। विद्यार्थियोंको पारितोषक आदि देकर उत्साहित करते रहना भी आवश्यक है।

(५) विद्यार्थियोंकी शारीरिक शिक्षा और व्यायामपर शिक्षकोंको समुचित ध्यान देना चाहिए।

(६) पाठशालाओंमें छुट्टिया इस तरहसे दी जाएँ कि

जिससे लडके वोनी और कटनीके समय अपने माता पिताके साथ काम कर सकें।

(७) शालाओंका निरीक्षण वरावर होना चाहिए और निरीक्षकगण ऐसे हों जिनको पढानेका कई वर्षोंका अनुभव हो और जो पाठ्य विषयोंका अच्छा ज्ञान रखते हों।

(८) शिक्षकोंको उचित वेतन दिया जाय। उनको दण्ड विधानका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। दण्डका उपयोग कभी कभी और सौम्य रीतिसे ही हो।

(९) सहकारी साख समितियों और अन्य प्रकारकी समितियोंके सम्वन्धमें भी उनको पाचवें या छठे वर्गोंमें कुछ सिखाया जाय।

(१०) पाठशालाओंमें विद्यार्थियोंको चरखा चलाना भी सिखाना चाहिए। इससे यह लाभ होगा कि जव वे पढ़ना छोडकर खेती करने लगेंगे तव वे कामसे वचे हुए समयका सदुपयोग कर सकेंगे।

(११) गैर सरकारी और राष्ट्रीयशालाओंमे धार्मिक शिक्षा देनेका भी उचित प्रवन्ध हो। शालामें जहांतक हो सके, सर्वमान्य धार्मिक आचारों और विचारोंका परिपोषण होना चाहिए। हिन्दुओंके लिए रामायण और महाभारतसे चुनी हुई कहानियों द्वारा धार्मिक शिक्षा इन विद्यार्थियोंको वहुत सरलतासे दी जा सकती है।

(१२) गैर सरकारी और राष्ट्रीयशालाओंमें राष्ट्रीय भावों-

की जागृति की जाय। राष्ट्रीय नेताओंके जीवनचरित्र भी पढाये जाने चाहिए और देशका इतहास इस तरहसे सिखलाना चाहिए जिससे विद्यार्थियोंका देश प्रेम बढे।

(१३) उनको यह भी बतलाया जाय कि उनके अधिकार क्या हैं और वे उनका किस तरहसे उपयोग कर सकते हैं। उदाहरणके लिए उनको यह समझा देना चाहिए कि जमींदारोंको नजराना और अन्य प्रकारके नाजायज टैक्स लेनेका कुछ भी अधिकार नहीं है, तथा रसद और बेगार देनेसे इनकार करनेका प्रत्येक मनुष्यको पूरा अधिकार है। यदि इस सम्बन्धमें कुछ पाठ उनकी पाठ्य पुस्तकोंमें रख दिये जाय तो बडा लाभ हो।

इन पाठशालाओंकी सफलता शिक्षकोंपर बहुत कुछ अवलम्बित है। आज कलके बहुतसे ग्राम्य शिक्षक ऐसी शिक्षा देनेमे असमर्थ होंगे। इसलिए आजकल सबसे अधिक आवश्यक काम यह है कि उपर्युक्त ग्राम्यशालाओंके लिए अध्यापक तैयार करनेको नार्मल स्कूल शीघ्रही खोले जाय। नार्मल स्कूलोंमें उन्हीं विषयोंके पढानेका ढग सिखाया जाय जो कि उन्हें ग्रामीणशालाओंमें पढाने पडें। आजकलके नार्मल स्कूल इन शिक्षकोंकी पूर्ति नहीं कर सकते। ऐसे नार्मल स्कूल जहाँतक हो सकें, गाँवोंमें ही खोले जायं। राष्ट्रीय सरकारको भी इस तरफ शीघ्र ही ध्यान देना होगा।

जो लडके प्रारम्भिक ग्राम्य पाठशालाओंमें पढकर कृषिके सम्बन्धमें अधिक पढना चाहें उनके लिए मातृभाषामें कृषिकी

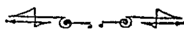
उच्च कोटिकी शिक्षा दी जानेके लिए भी उचित प्रबन्ध कर देन चाहिए। इस शिक्षाका पाठ्यक्रम इस तरह नियत करना चाहिए जिससे कृषक-हितैषी विभागके सब मातहत विभागोंके लिये अफसर तैयार हो सकें। हमारा पूर्ण विश्वास है कि कृषि विद्या प्रचारके लिए जितना अधिक रुपया सरकार और जनता खर्च करेगी उसका दस गुना अधिक लाभ सरकार और देशको उससे होगा और उतनी ही जल्दी किसानोंकी दशा भी सुधरेगी।

कृषि विद्या प्रचारका काम इस तरहसे आरम्भ किया जाय कि २० वर्षोंमें एक भी गाँव ऐसा न रहने पावे जहाँपर कि एक कृषि-पाठशाला न हो और जहाँ नये तरीकोंसे खेती न होती हो। प्रारम्भिक शिक्षाका भार सरकारने आजकल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपलिटियोंपर छोड दिया है। इसके अतिरिक्त उनको इतने काम सौंप दिये हैं और उनकी आमदनी इतनी कम है कि वे पाठशालाओंको खोलने और उनकी देखरेख करनेका काम अच्छी तरह नहीं कर सकती। राष्ट्रीय सरकारको माल-गुजारी (Land Revenue का कमसे कम एक तिहाई भाग लोकल (स्थानीय) बोर्डोंको प्रारम्भिक कृषि-विद्या प्रचारके लिए देना होगा।

रहन सहन ऊँचा करनेका एक और साधन यात्रा है। रेलकी सुविधाके कारण हमारे किसान भाई भी यात्रा करनेमें कमी नहीं करते। हजारों किसान प्रयाग, हरिद्वार, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, मथुरा, द्वारका, उज्जैन इत्यादि तीर्थ-स्थानोंकी यात्रा करते देखे

जाते हैं। परन्तु इन यात्राओंसे उनको यथार्थ लाभ नहीं होता वडी मुश्किलसे सञ्चित किया हुआ धन व्यय करके वे योंही गया लौट आते हैं। इसका मुख्य कारण इन तीर्थ स्थानोंके पण्डोंकी अज्ञानता है। अपने कर्मको समझनेवाले पण्डे वहुत कम हैं। अनेक पण्डे तो अपना कर्मकाण्ड करना भी नहीं जानते और अनेक प्रकारकी विलासितामें अपना समय तथा धन नष्ट किया करते हैं। यात्रियोंको नैतिक लाभ पहुचानेका तो वे कभी ख्याल भी नहीं करते। वे यात्रियोंसे जितना अधिक हो सके उतना अधिक धन चूसनेकी फिक्रमें लगे रहते हैं। अतएव, वडोदा राज्यकी तरह यदि व्रिटिश राज्यमें भी यह कानून वना दिया जाय कि विना एक खास परीक्षामें उत्तीर्ण हुए कोई भी ब्राह्मण तीर्थ-स्थानोंमें पुरोहित (पण्डा)का काम न करने पावे तो जनता को वडा लाभ हो। परीक्षामें वेही विषय रखे जायँ जिनका ज्ञान होना पण्डोंके लिए वहुत ही आवश्यक है। आशा है कि राष्ट्रीय महासभाके सभासद्गण इस प्रश्नपर ध्यान देंगे और स्वराज्य-प्राप्त राष्ट्रीय सरकार द्वारा शीघ्रही ऐसा कानून पास करानेका प्रयत्न करेंगे। यदि सव तीर्थ-स्थानोंमें ऐसी सेवासमितियां स्थापित हो जायं जो सेवाका उच्च आदर्श सामने रखकर यात्रियोंको हर प्रकारसे सहायता पहुचावे तो यात्रियोंको वडी सुविधा हो और उनकी यात्राएँ सचमुच सफल हो जाएँ।

सातवाँ अध्याय



प्रत्येक किसानके खेतोंका एक चकमें होना



[दूर दूर, छोटे छोटे टुकडोंमें खेत बटे रहनेसे हानिया, चकबन्दी अफसरोंका कार्य, भविष्यमें खेतोंके बटवारेकी रोक।]

पाठक यह भली भाँति जानते हैं कि किसानोंकी एक वडी असुविधा उनके जोतके खेतोंका दूर दूर पर, छोटे छोटे टुकडोंमें बँटे हुए, होना है। तीसरे अध्यायमें बता चुके हैं इससे उनको नीचे लिखे नुकसान होते हैं—

(१) ऐसे खेतोंमें आने जानेमे उनका बहुत सा समय नष्ट हो जाता है।

(२) उनको नये यन्त्रोंके उपयोग करनेमें वडी असुविधा होती है और इस कारण वे उनसे यथेष्ट लाभ नहीं उठा सकते।

(३) खेतोंकी रखवाली करनेमे वडी कठिनाई पडती है।

(४) खेतोंमें जानेके लिए रास्ते बनानेमें और नहरका पानी उनमें ले जानेमें उनको वडी अडचन पडती है।

(५) किसानोंका पारस्परिक झगडा भी इससे बहुत बढता है और इस कारण मुकद्मेबाजीमें उनका बहुत सा रुपया नष्ट हो जाता है।

(६) मेंड बनानेमें बहुत सी जमीन बेकार पडी रहती है।

इन सब हानियोंके कारण बहुतसे किसान खेतीसे पूरा पूरा लाभ नहीं उठा सकते और उन्हें कठिन परिश्रम करनेपर भी रूखा सूखा भोजनतक भरपेट नहीं मिलता। कृषि सुधारके लिए इस असुविधाका शीघ्र ही दूर किया जाना बहुत ही आवश्यक है और उसका एक मात्र साधन यह है कि प्रत्येक किसानके जोतके खेत एक स्थानमें हो जायँ—एक चक हो जायँ—और भविष्यमें उनका छोटे छोटे टुकडोंमें बाँटा जाना कानूनन रोक दिया जाय। यह कैसे किया जा सकता है इसी प्रश्नपर इस अध्यायमें विचार किया जायगा।

इस प्रश्नके सम्बन्धमें कई प्रान्तोंमें बहुत कुछ चर्चा हुई, सरकारमें लिखा पढी भी की गई और कौंसिलोंमें भी बहस हुई, परन्तु उसका परिणाम कुछ भी नहीं हुआ। प्रतापगढके भूतपूर्व डिप्टी कमिश्नर श्रीयुत वी० एन० मेहता आई० सी० एस० और वहाँके कोर्ट आव् वार्डसके स्पेशल मैनेजर श्रीयुत चम्पाराम मिश्र बी० ए० ने कालाकाँकर रियासतके मनारगाँवमें खेतोंकी चकबन्दी करनेका प्रयत्न किया। उसमें वे सफल भी हुए। उन्होंने उस गाँवके किसानोंसे अपनी जोतके त्यागपत्र लिखवा लिये और फिर पूर्वनिश्चयके अनुसार उनके चक बनाकर किसानोंको उनके खेत उचित रूपसे बाँट दिये। इस व्यवस्थासे उस गाँवके प्रत्येक किसानकी भूमि एक स्थानमें हो गई। इससे उस गाँवके किसानोंको बहुत लाभ हुआ। वे अब अपने खेतोंकी उपजकी

देखरेख सुभीतेके साथ सरलतापूर्वक कर सकते हैं। सिचाईमें भी उनको अडचन नही पडती। खाद डालनेके लिए उनको अब कई जगह नहीं जाना पडता और यदि वे प्लेग, हैज़ा इत्यादि छूतकी बीमारियोंसे बचना चाहें तो अपनी जोतकी भूमिपर घर बनाकर आबाद भी हो सकते हैं। किसानोंके हितके लिए यह अनिवार्यत: आवश्यक है कि उपर्युक्त व्यवस्था प्रत्येक गाँवमें शीघ्र कर दी जाय।

यह सम्भव नहीं कि प्रत्येक जिलेके डिप्टी कमिश्नर या कलेक्टरको इस प्रश्नके सम्बन्धमें श्रीयुत मेहताके समान दिल-चस्पी हो। यदि किसीका ध्यान इस प्रश्नकी तरफ गया भी तो उसको अन्य कामोंमें इतना फँसा रहना पडता है कि वह इस सम्बन्धमें अधिक काम नही कर सकता। इसलिए कृषक हितैषी विभाग द्वारा प्रत्येक कमिश्नरी या ज़िलेमें एक ख़ास अफसर इसी कामके लिए नियुक्त किया जाना चाहिए। इस अफसरको हम चक-बन्दीका अफसर कह सकते हैं। इस अफ़सरको किसी भी गाँवमें खेतोंके चक बनानेका अधिकार तब तक न होना चाहिए जबतक उस गाँवकी जमीनके कमसे कम तीन चौथाई हिस्सेके मालिक या तीन चौथाई किसान मिलकर उसको चक बनानेके लिए दरख़ास्त न दें। इस शर्तसे यह लाभ होगा कि वह अफसर गाँवमें रहनेवालोंकी इच्छाके विरुद्ध यह व्यवस्था जबरदस्ती उनपर न लाद सकेगा। जब किसान लोग चकबन्दीके लाभको समझने लगेंगे तब वे स्वयं ही उसके लिये

दरख्वास्त देने लगेंगे। शिक्षित जनता, मालगुजार और जमींदार भी इस काममें किसानोंको सहायता पहुचा सकते हैं। सरकारकी सहायताके विना तो यह व्यवस्था कार्यरूपमें परिणत की ही नहीं जा सकती परन्तु गैर सरकारी कार्यकर्त्ता इतना अवश्य कर सकते हैं कि वे किसानोंको खेतोंके दूर दूर, छोटे छोटे टुकडोंमें, बँटे हुए होनेकी हानिया समझावें और प्रत्येक किसानको यह बतलावें कि उसकी जोतके सब खेत एक जगहपर आ जानेसे उसे क्या क्या लाभ होंगे। इस तरहसे वे प्रत्येक गावके किसानोंसे अपने गावके खेतोंकी चकबन्दी करानेके लिए सरकारको दरख्वास्त दिला सकते हैं। यह दरख्वास्त दिलानेका काम किसान-सभाओं द्वारा भी किया जा सकता है।

किसी गाँवके किसानोंकी दरख्वास्त पानेपर चकबन्दीके अफसरका यह कर्तव्य होगा कि वह उस गाँवमें जाकर वहाँके किसानोंकी सभा करे और उसमें उन्हें चक बन्दीके लाभ समझावे तथा उस काममें मदद करनेके लिए उनसे अपने तीन प्रतिनिधि चुननेके लिये कहे। जब प्रतिनिधि चुन लिये जायँ तब वह उनकी सलाहसे सब काम करे। उस अफसरको अपने मातहत कर्मचारियों द्वारा पहले सब खेतोंकी पैमाइश कराके उनकी कीमत कूतनी होगी और एक फेहरिस्त तैयार करनी होगी जिसमें यह बतलाना होगा कि प्रत्येक किसानके पास कितनी जमीन किस हक्की है और उसकी कितनी कीमत कूती गई है। इस फेहरिस्तके तैयार होनेपर वह यह जाननेका प्रयत्न

करे कि कितने किसान भारतके अन्य भागोंमें रोजगार, मजदूरी या खेती करनेके लिए जानेको तैयार हैं। इसके लिए यह आवश्यक है कि वह सरकारके औद्योगिक-विभागसे लिखा पढी कर इस बातका पता लगाता रहे कि कहाँपर मजदूरोंकी माँग अधिक है, कहापर मजदूरी अधिक मिल सकती है। और वह यह भी जानता रहे कि कहाँपर पडती जमीन किसानोंको उचित शर्तोंपर मिल सकती है। जो किसान उस गाँवको छोडनेकी इच्छा प्रकट करें उनको वह उनके खेतोंकी पूरी कीमत दे दे और औद्योगिक विभाग द्वारा स्थापित लेबर ब्यूरोकी सहायतासे अथवा अन्य विभागों द्वारा उनको अच्छी नौकरी या काफी परिमाणमें जमीन प्राप्त करनेमें मदद दे।

इसके बाद उसका यह कर्त्तव्य होगा कि वह चरागाह, आबादी, सडकें, बगीचा, बाजार इत्यादिके लिये जगह छोडकर जो कुछ बोने लायक जमीन बचे उसके (Rectangular) समकोण समानान्तर चतुर्भुजके आकारके चार एकडके या उससे बडे बडे चक बनावे और उनकी कीमत कूते। समकोण समानान्तर चतुर्भुजके आकारके टुकडे करनेसे यह लाभ होगा कि सब खेतोंकी मेडें सीधी एक लाइनमें रहेंगी जिससे खेतवाले अपनी मेंडको बढाकर एक दूसरेकी जमीन आसपासके खेतोंसे नहीं चुरा सकेंगे। इससे मेंड सम्बन्धी कई झगडोंका बिलकुल अन्त हो जायगा।

फिर चकबन्दीके अफसरका यह कर्त्तव्य होगा कि वह

गाँवके प्रतिनिधियोंकी सलाहसे उन चकोंको किसानोंमें बाँट दे और उनको उस पर कमसे कम दो तीन महीनेका समय दे। फिर वह उनकी उज्रोंपर किसानोंके प्रतिनिधियोंके साथ विचार करे और अपना फैसला दे। यदि कोई किसान चकोंके बँटवारेसे असन्तुष्ट हो तो उसे हाईकोर्टमें अपील करनेका अधिकार रहे। चकोंको बाँटते समय अफसर इस बातका खयाल रक्खे कि जहाँ तक हो सके वहाँ तक किसानको पुराने खेतका कुछ हिस्सा मिले और नये चककी कीमत भी उसके पुराने खेतोंकी कीमतके बराबर हो। नये चकपर किसानको वही अधिकार दिये जायँ जो कि पुराने खेतोंपर उसे हासिल थे। इस व्यवस्थासे यह लाभ होगा कि प्रत्येक किसानके जोतकी सब जमीन एक जगहपर आ जायगी, सब खेत समकोण समानान्तर चतुर्भुजके आकारमें होंगे और किसी भी खेतका रकबा चार एकड़से कमका न रह सकेगा। हमारी समझमें चार एकड़से छोटे खेतमें खेती करके कोई भी किसान अपने कुटुम्बका पालन पोषण नहीं कर सकता। इसलिए किसी भी खेतको चार एकड़से कममें विभाजित न होने देना चाहिए।

यहाँ यह कहनेकी आवश्यकता नहीं है कि कृषक हितैषी विभागको, चकबन्दीके अफसर और उसके मातहत कर्मचारियों-को नियुक्त करनेमें बड़ी सावधानीसे काम करना पड़ेगा। ऐसे अफसरोंको घूस खानेके कई मौके मिलेंगे इसलिए यह आवश्यक है कि ये अफसर और कर्मचारी घूसखोर और बेईमान

न हों। यदि किसी कर्मचारीपर घूस खानेका जरा भी सन्देह हो तो उसको उचित दण्ड देकर तुरन्त निकाल देना चाहिए। यदि इन कर्मचारियोंका काम वैसा ही हुआ जैसा कि सटलमेण्ट विभागके नीचे दर्जेके अनेक कर्मचारियोंका है तो इस चकबन्दीकी व्यवस्थासे लाभके बदले हानि ही अधिक होगी।

अब प्रश्न यह होता है कि जिन खेतोंके चार या उससे अधिक एकडके चक बनाये जायँगे उनका भविष्यमें छोटे छोटे टुकडोंमें बाँटा जाना किस प्रकार रोका जा सकता है। और आजकल भी खेतोंका छोटे छोटे टुकडोंमें बाँटा जाना किस प्रकार रोका जा सकता है। आजकल खेतोंका छोटे छोटे टुकडोंमें दूर दूर पर बँटे हुए होनेका मुख्य कारण है हिन्दुओं और मुसलमानोंका दाय-विभाग सम्बन्धी क़ानून। हिन्दुओंमें कानूनके अनुसार एक पिताके सब पुत्रोंको पैत्रिक सम्पत्तिके बराबर हिस्से पानेका अधिकार है। और मुसलमानी कानूनके अनुसार वह कई हिस्सोंमें भिन्न भिन्न रिश्तेदारोंमे बँट जाती है। इस बँटवारेके कारण खेत छोटे छोटे टुकडोंमें विभाजित हो जाते हैं। मान लीजिये कि किसी हिन्दू किसानके चार लड़के हैं और उसके पास अलग अलग चार खेतोंमें १२ एकड जमीन है। यदि लडके समझदार हुए तो वे उसका बँटवारा न करके १२ एकड जमीनमें पूर्ववत् एक साथ ही खेती करते रहेंगे। परन्तु यदि उनमें झगडा हो गया तो प्रत्येक लडका तीन तीन एकडका टुकडा अलग ले लेगा। यदि लडके बहुत ही लडाकू हुए तो वे प्रत्येक खेतसे

चौथाई चौथाई टुकड़ा लें, इसका परिणाम यह होगा कि प्रत्येक लड़केके हिस्सेमें एक एक एकड़से भी छोटे, अलग, अलग चार टुकड़े आवेंगे जिससे उनमेंसे कोई भी अच्छी तरह खेती न कर सकेगा। इस प्रकारके बँटवारेसे सबको हानि उठानी पड़ेगी। इसलिए हमारी समझमें उत्तराधिकार सम्बन्धी कानूनमें कुछ परिवर्तन आवश्यक है। यदि पैतृक सम्पत्तिका धर्मशास्त्रके अनुसार बँटवारा करनेका परिणाम यह होता है कि किसी खेतका चार एकड़से कम हिस्सा किसी हकदारको मिलता है तो यह बँटवारा कानून द्वारा नाजायज समझा जाय। ऐसे अवसरोंपर यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि वह पूरा खेत सब हकदारोंमें ही नीलाम कर दिया जाय। जो उसके लिए सबसे ज्यादा रुपये देनेको तैयार हो उसीको वह खेत मिले और दूसरे हकदारोंको अपने हिस्सोंके अनुसार रुपया दिला दिया जाय। इससे पैत्रिक सम्पत्तिपर प्रत्येक पुत्रके समानाधिकार सम्बन्धी हिन्दू धर्मशास्त्र-के सिद्धान्तमें भी फर्क न पड़ने पावेगा और मुसलमानी धर्मशास्त्रके सिद्धान्तोंकी भी रक्षा हो सकेगी, तथा खेतोंका भी चार एकड़से कमके टुकड़ोंमें बंटा जाना बन्द हो जायगा। सारी जमीन बड़े लड़केको दे दी जानेकी प्रथाके पक्षमें हम नहीं हैं। ऐसा करना हिन्दू और मुसलमान धर्मशास्त्रोंके सिद्धान्तोंके विरुद्ध होगा और इसलिए इस विदेशी प्रथाका इस देशमें जारी करना कदापि उचित नहीं।

उपर्युक्त व्यवस्थाके अनुसार प्रत्येक गाँवमें चक बनानेमें

न हों। यदि किसी कर्मचारीपर घूस खानेका ज़रा भी सन्देह हो तो उसको उचित दण्ड देकर तुरन्त निकाल देना चाहिए। यदि इन कर्मचारियोंका काम वैसा ही हुआ जैसा कि सटलमेण्ट विभागके नीचे दर्जेके अनेक कर्मचारियोंका है तो इस चकबन्दीकी व्यवस्थासे लाभके बदले हानि ही अधिक होगी।

अब प्रश्न यह होता है कि जिन खेतोंके चार या उससे अधिक एकड़के चक बनाये जायँगे उनका भविष्यमें छोटे छोटे टुकडोंमें बाँटा जाना किस प्रकार रोका जा सकता है। और आजकल भी खेतोंका छोटे छोटे टुकडोंमें बाँटा जाना किस प्रकार रोका जा सकता है। आजकल खेतोंका छोटे छोटे टुकडोंमें दूर दूर पर बँटे हुए होनेका मुख्य कारण है हिन्दुओं और मुसलमानोंका दाय विभाग सम्बन्धी क़ानून। हिन्दुओंमें कानूनके अनुसार एक पिताके सब पुत्रोंको पैत्रिक सम्पत्तिके बराबर हिस्से पानेका अधिकार है। और मुसलमानी कानूनके अनुसार वह कई हिस्सोंमें भिन्न भिन्न रिश्तेदारोंमें बँट जाती है। इस बँटवारेके कारण खेत छोटे छोटे टुकडोंमें विभाजित हो जाते हैं। मान लीजिये कि किसी हिन्दू किसानके चार लडके हैं और उसके पास अलग अलग चार खेतोंमें १२ एकड जमीन है। यदि लडके समझदार हुए तो वे उसका बँटवारा न करके १२ एकड जमीनमें पूर्ववत् एक साथ ही खेती करते रहेंगे। परन्तु यदि उनमें झगडा हो गया तो प्रत्येक लडका तीन तीन एकडका टुकडा अलग ले लेगा। यदि लडके बहुत ही लडाकू हुए तो वे प्रत्येक खेतसे

आठवाँ अध्याय



पानीकी कमी दूर करना

[भारतमें आबपाशीकी गुन्जाइश, रक्षक नहरोंके सम्बन्धमें सरकारकी नीति, तालाब और कुओंसे आबपाशी ।]

इस अध्यायमें हम यह बतलानेका प्रयत्न करते हैं कि पानीकी कमी किस तरह दूर की जा सकती है।

भारतमें आबपाशी बढानेकी अभी बहुत गुञ्जाइश है। सन् १९०१ के आबपाशी सम्बन्धी कमीशनकी जाँचसे पता लगता है कि भारतकी औसतके हिसाबसे ३७॥ इञ्च वार्षिक वर्षाका जल २२ इञ्च तो पृथ्वीमें समा जाता है और १२॥ इञ्च बहकर नदी नालों द्वारा समुद्रमें पहुँच जाता है। इन १२॥ इञ्चोंमेंसे केवल ๆ। इञ्च ही आबपाशीके उपयोगमें लाया जाता है और बाकी पानी, यानी पृथ्वीपर बहते हुए पानीका ८५ फी सदी भाग—व्यर्थ ही बिना किसी उपयोगमें लाये बह जाता है। यदि उचित छान-बीन करके नहरें बनवाई जायँ या तालाब खुदवाये जाय तो इस पानीका बहुत सा भाग खेतीके उपयोगमें लाया जा सकता है।

प्रारम्भमें तो राष्ट्रीय सरकारको कुछ धन ख़र्च अवश्य ही करना पड़ेगा परन्तु उससे किसानोंको बहुत अधिक लाभ होगा। कृषि सुधारकी एक बड़ी भारी असुविधा दूर हो जायगी और किसानोंकी दशा सुधरने पर अन्तमें सरकारको भी लाभ होगा। राष्ट्रीय सरकारको इस तरफ शीघ्र ही ध्यान देना होगा।



सकना कि इन नहरोंके बनवानेमें कितने वर्ष लगेंगे। नौकरशाही सरकार इस काममें बडी ढील कर रही है। कई वर्ष तो किसी नहरके बनानेकी स्वीकृति लेनेमें ही लग जाते हैं। राष्ट्रीय सरकारको कर्ज लेकर इन नहरोंको शीघ्र ही बनवानेका प्रयत्न करना होगा।

परन्तु केवल उत्पादक नहरोंके बनानेसे ही काम न चलेगा। जिन स्थानोंमें पानीकी कमी है और जहाँ पहाडोंके कारण नहरें बनानेमें अधिक खर्च लगता है वहाँ उत्पादक नहरें बहुत ही कम बनाई जा सकती हैं। परन्तु वहाँपर दूसरे प्रकारकी नहरें बनाई जा सकती हैं जिनको हम रक्षक (Protective) नहरें कह सकते हैं। ये नहरें अकालसे देशकी रक्षा करती हैं। इनके बनानेमें इतना अधिक रुपया खर्च होता है कि उससे जो आमदनी होती है उसमें उनका वार्षिक खर्च और पूँजीका ब्याज भी नहीं निकलता, लाभकी बात तो अलग रही। परन्तु ऐसी नहरोंसे एक बडा लाभ यह होता है कि जहाँ ये बनाई जाती हैं उस भागमें अकाल पडना बहुत कुछ बन्द हो जाता है। किसानोंको भी उनसे बहुत अधिक लाभ पहुँचता है। सन् १९०१ के आबपाशी सम्बन्धी कमीशनने सरकारसे कर्ज लेकर, शीघ्र ऐसी नहरोंको बनवानेकी सिफारिश की थी। उसकी यह भी एक थी कि इन नहरोंकी आमदनीमें खर्चसे जो कमी हो वह फैमिन इनश्योरेंस ग्राण्ट (अकाल रक्षक मद) से पूरी की जाय। परन्तु नौकरशाही सरकारने देशको लाभ पहुँचानेवाली

पुस्तकके अंतमें दिये हुए नकशेको देखनेसे मालूम होता है कि राजपूताना, गुजरात, दक्षिण भारत और मध्य-भारतके कुछ हिस्सोंमें ३० इञ्चसे कम पानी बरसता है, इसलिए वहाँपर पानीकी कमीके कारण कई समय फसलें बरबाद हो जाती हैं और अकाल भी पडता रहता है। इन भागोंमें नहर, तालाब अथवा कुओं द्वारा आबपाशीका इन्तजाम करना बहुत आवश्यक है। आबपाशीसे जमीनकी उत्पादक शक्ति बहुत बढ़ जाती है और अधिक अन्न पैदा होने लगता है। जहाँपर नहरें बनाई जाती हैं वहाँपर अकाल बहुत कम पडता है। भारत सरकारने नहरोंके लाभोंको समझकर ही देशके कुछ भागोंमें नहरें बनवाई हैं, जिनसे सरकार और किसान दोनोंको लाभ हुआ है। परन्तु नहरोंके बनवानेमें सरकारने अपने लाभकी तरफ अधिक नजर रक्खी है। नहरें दो प्रकारकी हैं। एक तो वे जिनसे इतनी आमदनी होती है कि प्रतिवर्ष सूद और खर्चका रुपया निकालकर कुछ रकम बच जाती है। इनको उत्पादक (Productive) नहरें कहते हैं। ऐसी कई नहरें भारत सरकारने बनवाई हैं और उसको प्रतिवर्ष उनसे लाखों रुपयेका लाभ होता है। गत वर्ष (सन् १९२१) के अर्थ-सचिवके भाषणसे पता लगता है कि ऐसी ३४ नई उत्पादक नहरें बनवानेके लिए भारतसरकार विचार कर रही है। इनके बनवानेमें प्राय ४ करोड़ रुपया खर्च होगा और उनसे करीब ११५ लाख एकड जमीन सींची जायगी। परन्तु अभी यह नहीं कहा जा

सरकारके हाइड्रो इलेक्ट्रिक सरवे विभागने ऐसे स्थानोंकी जाँच-कर अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें यह बतलाया गया है कि किन किन स्थानोंमें जल प्रपातोंसे बिजली तैयार करनेसे लाभ होगा। भारतके धनवान मनुष्योंको भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए।

जिन स्थानोंमें नहरों द्वारा पानी नहीं पहुँचाया जा सकता वहाँपर तालाब या कुओं द्वारा आबपाशीका प्रबन्ध किया जाना चाहिए। किसान बहुत गरीब हैं। उनके पास रुपयोंकी हमेशा कमी रहती है, इसलिए जब तक उनको कम ब्याजपर रुपया उधार न मिलेगा तब तक वे अपने खेतोंमें कुआँ खोदनेके लिए अधिक रुपया न लगा सकेंगे। इस कामके लिए सरकारको तकावी अधिक परिमाणमें देनी होगी। सन् १९०१ के आबपाशी सम्बन्धी कमीशनका यह अनुमान था कि कुओं द्वारा सींची जानेवाली जमीनका रकबा शीघ्र ही दूना हो जायगा परन्तु करीब १८ वर्ष बीत जानेपर भी उसमें कुछ विशेष वृद्धि नहीं हुई। सन् १९०३ में १'५ लाख एकड़ जमीन कुओंसे सींची गई थी और १९१७ १८ में ८,२० लाख एकड़। इससे सिद्ध है कि सरकारने इस तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया। यदि तकावी अधिक परिमाणमें दी जाती तो शायद कुओंकी संख्या आज-कल बहुत अधिक बढ़ गई होती। जमींदारोंको भी अपने खेतोंमें कुँआ खुदवाकर किसानोंको अधिक उपज पैदा करनेमें सहा-यता पहुँचाना चाहिए। कई स्थानोंमें तालाब भी बनवाये जा

और अकालके भयङ्कर परिणामोंसे बचानेवाली इस सिफारिशको नही माना। सरकारका कहना यह था कि वह ऐसे कामोंके लिये देशके ऋणका परिमाण बढाना वह उचित नही समझती। क्या सरकारके लिये देशको लाभ पहुँचानेवाले काम करनेके लिए ऋण लेना उचित नहीं है? उसे देश और जनताके हित-का ही अधिक ख्याल करना चाहिए, और उसे स्वार्थी पूँजी वालोंके समान मुनाफेके लिए इतना अधिक लालायित नहीं होना चाहिए। आशा है, राष्ट्रीय सरकार उदार नीतिका अनुसरण करेगी और कर्ज लेकर उन रक्षक नहरोंका बनवाना शीघ्र आरम्भ कर देगी जिनकी सिफारिश सन् १६०१ के कमीशनने की थी।

हम यह मानते हैं कि सब स्थानोकी पानीकी कमी नहरों द्वारा दूर नहीं की जा सकती। कही कही ऐसा करना असम्भव भी है। परन्तु हमे यह विश्वास है कि अभी ऐसे बहुतसे स्थान रह गये हैं जहाँ कि पानीकी कमी नहरों द्वारा दूर की जा सकती है। कई स्थानोंमें नदियोका पानी ऊँचे स्थानमे पप द्वारा उठाकर आबपाशीके काममे लाया जा सकता है। सिन्धमें इसकी बहुत सम्भावना है। राष्ट्रीय सरकारको इस तरफ भी ध्यान देना होगा। कई स्थानोंमें जलके प्रपातोसे बिजली भी तैयार की जा सकती है तथा इकट्ठे किये हुए पानीका उपयोग आबपाशीके लिए भी किया जा सकता है। इससे खेती और उद्योग धन्धोंको लाभ पहुँचनेकी बहुत सम्भावना है। भारत

नवाँ अध्याय

किसानोंका ऋणमुक्त करना।

[किसानोंके कर्जदार होनेके मुख्य कारण, ऋणमुक्त करनेवाले अफसरोंका कार्य, शिक्षा-प्रचार, सामाजिक रीति-रिवाजोंका परिवर्तन, घूसखोरी बन्द करना, रैयतवारीवाले भागोंमें मालगुजारी कम करनेकी आवश्यकता, मालगुजारीका किन किन दशाओंमें मुल्तवी या माफ किया जाना।]

पाठक यह अच्छी तरह जानते हैं कि भारतके असंख्य किसानोंको अत्यधिक सूदखोर तथा निर्दयी महाजनोंके चंगुलमें पडे रहनेसे, अपनी दशा सुधारनेमें बहुत कठिनाई पडती है, इनके अतिरिक्त फसल पकनेपर उनका बहुतसा मुनाफा बीचके दलाल हडप जाया करते हैं। इस अध्यायमें इस प्रश्नपर विचार किया जायगा कि भारतीय किसान ऋण मुक्त कैसे किये जा सकते हैं।

किसानोंके कर्जदार होनेके मुख्य कारण ये हैं,—

(१) साहूकार उनसे अधिक व्याज लेते हैं।

(२) किसानोंकी अज्ञानता—जिसके कारण वे जहाँ जाते हैं वहीं ठगे जाते हैं।

सकते हैं। छोटे छोटे तालाव तो वडे वडे जमींदार भी बनवा सकते हैं परन्तु वडे वडे तालाव सरकारको ही बनवाने पडेंगे। आवपाशीका विभाग कृषक-हितैषी विभागमें मिला दिया जाना चाहिए और उसको करीब १५-२० वर्षोंमें पानीकी कमी भारतमें पूरी तरहसे दूर करनेकी जिम्मेदारी दे देनी चाहिए।



विशेष ध्यान देकर ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे कि २० या २५ वर्षोंमें सब किसान अपने पुराने ऋणोंसे मुक्त हो जायँ और फिर वे कृषि सुधारमें अपना भाग ले सकें।

हमारी समझमें प्रत्येक जिले अथवा तहसीलमें कृषक हितैषी विभाग द्वारा ऐसे खास अफसरोंकी नियुक्ति की जानी चाहिये जिनका एकमात्र काम किसानोंको ऋणसे मुक्त करना हो। उन्हींको किसानोंके ऋण सम्बन्धी सारे मुकदमे सुनने और यह जाँच करनेका अधिकार दे दिया जाय कि असलमें किसानोंको महाजन द्वारा कब और कितने रुपये दिये गये थे। बहुधा ऐसा देखा जाता है कि दस्तावेजकी कानूनी मियाद पूरी होनेपर उसको पलटते समय, असली रकमपर सूद दर सूदसे अधिक ब्याज लगाकर बहुत भारी रकम नये दस्तावेजमें लिखा ली जाती है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि असलमें बहुत थोड़े रुपये उधार दिये जाते हैं और पुरजेमें अधिक रकम लिखा ली जाती है। मान लीजिये कि रामावतार किसानने सन् १९१६ में रामदयाल महाजनसे १००) रुपये, इकन्नी रुपया प्रतिमास ब्याजकी दरसे उधार लिये और एक वर्षमें उसे अदा करनेका वचन दिया। अब सन् १९२० में जब पुरजेकी मियाद पूरी होने लगेगी तब रामदयाल महाजन रामावतार पर रुपया पटानेका तकाजा करेगा और यदि वह रुपया वापिस देनेमें असमर्थ हुआ तो उसे नया पुरजा लिखानेके लिए बाधित किया जायगा। इस समय वह १००) रुपयोंपर चार वर्षका सूद दर सूद इकन्नी रुपये

(३) विवाह आदिमें वे अपनी हैसियतसे अधिक खर्च करते हैं।

(४) नीचे दर्जेके सरकारी अफसरों और मुलाज़िमोंकी घूसखोरी।

(५) ज़मींदार उनसे अधिक लगान लेते हैं।

(६) रैयतवारी भागोंमें सरकार द्वारा किसानोंसे उनकी हैसियतसे अधिक मालगुजारी वसूल की जाती है।

(७) अनावश्यक मुकदमे बाज़ी।

(८) मादक वस्तुओंके सेवनमे अपव्यय।

किसानी एक ऐसा धन्धा है जिसमें रुपयोंकी आवश्यकता हमेशा रहती है। भारतीय किसान गरीब हैं अत उनको महाजनोंका मुह ताकना पडता है जो कि उनसे बहुत अधिक ब्याज वसूल करते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि यदि कोई किसान एक वार उनके जालमें फँस जाता है तो फिर उसका उससे बाहर निकलना बहुत कठिन हो जाता है। इसी जालमें फॅसकर असख्य किसान बरबाद हो चुके है और हो रहे हैं। नौकरशाही सरकारका ध्यान भी इस ओर आकर्षित हुआ है और गत १५ वर्षोंसे अनेक गाँवोंमें सहकारी सभाएँ भी स्थापित की गई हैं। परन्तु (जैसा कि हम किसी पिछले अध्यायमें बतला चुके हैं) इन समितियोंसे अभी तक सन्तोषजनक लाभ नहीं हो रहा है। और वे बहुत ही कम किसानोंको ऋणसे मुक्त करनेमें समर्थ हुई हैं। सरकारको इस प्रश्नकी तरफ

कारण महाजनको रुपयोंके वसूल करनेमें किसी प्रकारकी जोखिम नहीं उठानी पड़ेगी—इसलिए उनको केवल ६) प्रति सैकड़ा साधारण व्याज दिलाना अनुचित न होगा। क्योंकि रुपये वसूल करनेमें जोखिमकी अधिकताके कारण ही उसका अधिक व्याज लेना उचित समझा जा सकता है। जब रुपया वसूल करनेमें जोखिम ही नहीं रही तो फिर उसे ६) प्रति सैकड़ेसे अधिक व्याज क्यों दिलाया जाय? इस योजनासे किसानोंको यह लाभ होगा कि महाजन उनसे मनमाना सूद नहीं वसूल कर सकेंगे और उनको अपनी हैसियतके अनुसार किश्तोंमें रुपया चुकानेका अवसर मिल जायगा। इस योजना-की सफलताके लिए यह आवश्यक है कि ऋण मुक्त करनेवाले अफसर अपना काम ईमानदारीसे करें और एक पाई भी घूस लेना पाप समझें और महाजनोंके जालमें न फँसने पावें। इन अफसरोंकी नियुक्ति वहुत सोच विचार करके की जाय।

यदि उपर्युक्त योजनाके अनुसार कार्य आरम्भ कर दिया जाय तो, हमारी समझमें, २० वर्षोंमें किसान बहुत आसानीसे अपने पुराने ऋणोंसे मुक्त हो सकते हैं। उनके ऋण मुक्त होनेके साथ ही साथ सरकारको उन्हें उचित व्याजपर रुपये दिलानेका भी सुभीता कर देना चाहिये जिससे कि वे फिरसे महाजनके चंगुलमें न फँस जायँ। इसके मुख्य साधन सहयोग समितियों-का खोलना और तकावी देना है। हमारा पक्का विश्वास है कि सहयोग समितियोंसे किसानोंको वहुत लाभ पहुँचाया

प्रतिमासकी दरसे लगाकर ६३८) का नया पुरजा लिखवा लेगा अब यदि रामदयालने इस नये पुरजेपर रामावतारके नाम ऋण मुक्त करनेवाले अफसर (Redemption Officer) के यहाँ १६२७ में नालिश दायर की तो उस अफसरका यह कर्त्तव्य होगा कि वह इस बातका पता लगावे कि असलमें रामावतार-को सन् १६१६ में केवल १००) ही उधार दिया गया था। उसे यह नहीं मान लेना चाहिये कि रामावतारने १६२० में ६३८) रामदयालसे उधार लिये। असली कर्ज़का पता लगानेके बाद उस अफसरका यह कर्त्तव्य होगा कि जिस समयसे वह रुपया कर्ज दिया गया है उस समयसे मुकदमेका फैसला होनेकी तारीख तकका ६) प्रति सैकडा प्रतिवर्षके हिसाबसे साधारण ब्याज असली कर्जमें जोड दे और किसानको उतनी ही रकमके लिये देनदार ठहराये। इस हिसाबसे सन् १६२७ में ११ वर्षोंका ब्याज केवल ६६) होगा और इसलिये उस अफसरका काम है कि १६६) की डिग्री महाजनको दे। उसका यह भी कर्त्तव्य होगा कि वह किसानकी हैसियत देखकर उस रकमको अदा करनेकी किश्तें बाँध देने और वह रुपया किसानसे सरकार-द्वारा मालगुजारीके समान भिन्न भिन्न किश्तोंमें वसूल किये जानेकी आज्ञा दे। अफसरके फैसलेकी अपील केवल प्रधान न्यायालयमें ही हो सके। रुपया वसूल होनेपर वह रकम राष्ट्रीय सरकार द्वारा महाजनको दे दी जायगी। रुपया राष्ट्रीय सरकार द्वारा मालगुजारीकी तरह वसूल किये जानेके

है। इस शोचनीय दशाको सुधारनेका एकमात्र उपाय उचित शिक्षाका प्रचार ही है। इस सम्बन्धमें हम अपने विचार किसी पिछले अध्यायमें प्रकट कर चुके हैं।

यह भी सच है कि कितने ही किसान विवाह तथा अन्य उत्सवोंमें अपनी हैसियतसे बहुत अधिक खर्च करते हैं और अन्तमें कर्जदार होकर हमेशाके लिये अपनी आर्थिक दशा बिगाड़ बैठते हैं। इस फिजूलखर्चीका मुख्य कारण सामाजिक रीति-रिवाज और कुप्रथाएँ हैं जिनका बदला जाना आर्थिक दृष्टिसे भी बहुत आवश्यक है। आशा है, समाज सुधारक और शिक्षित जनता इस ओर समुचित ध्यान देगी और विवाह सम्बन्धी रीति रिवाजोंमें ऐसा परिवर्त्तन करनेका प्रयत्न करेगी जिससे गरीब मनुष्योंको अपने कुटुम्बियोंकी शादियोंमें अपनी हैसियतसे अधिक खर्च करनेके लिए बाधित न होना पड़े।

नीचे दर्जेके सरकारी अफसरों और मुलाजिमोंकी घूस-खोरीके सम्बन्धमें यहाँ इतना कह देना ही पर्याप्त होगा कि इससे अनपढ़ किसानोंको बहुत ही कष्ट उठाना पड़ता है। घूस देनेके लिए वे कई तरहसे सताये जाते हैं। पुलिसके कान्स्टेबिल महकमे मालके निम्न श्रेणीके अफसर और मुलाजिम, पटवारी, दीवानी और फौजदारी अदालतोंके मुन्शी, मजकूरी, रेलवे विभागके कर्मचारी—खासकर टिकट बाबू, माल बाबू—नहर, रजिस्ट्री और बन्दोबस्त विभागके मुलाजिम घूस लेना अपना निसर्गसिद्ध अधिकार समझते हैं। घूसखोरी यहाँतक

जा सकता है परन्तु वे अभी तक उनको पुराने ऋणसे मुक्त करने में अधिक सफल नहीं हुई हैं। इसलिए जब किसान उपर्युक्त योजनाके अनुसार पुराने ऋणसे मुक्त हो जायँ तब उनको फिरसे महाजनोंके चगुलमे फँसनेसे बचानेका सबसे उत्तम तरीका यही है। सहयोग-विभागको कृषक-हितैषी विभागमें मिलाकर उसको अपना काम इस तरहसे करनेका आदेश दिया जाना चाहिए जिसमें कुछ ही वर्षोंमें एक भी ऐसा गाँव न रह जाय जिसमें सहयोग-समिति न हो। इस कार्यमें ग्रामीण पाठशालाओंके अध्यापकोंसे सहायता ली जा सकती है। शिक्षित जनता और महाजनोंको भी इस पवित्र कार्यमें सहायता करनी चाहिये और अपनी बचतका रुपया अपने जिलेके सहयोग बैंकमें जमा कर देना चाहिये जिससे वे अपने लाभके साथ साथ किसानोंका और देशका भी भला कर सकें। यहाँपर यह ध्यान रखना आवश्यक है कि किसानोंके कर्जदार होनेके और भी कई कारण हैं और जब तक वे दूर न किये जायँगे तब तक उपर्युक्त योजनाके अनुसार कार्य करनेसे भी बहुत अधिक लाभ होनेकी आशा नहीं। वे सब किस तरहसे दूर किये जा सकते हैं, यह नीचे बतलाया जाता है।

पाठकोंको बखूबी मालूम है कि अज्ञानके कारण किसानोंको कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं। यह बिलकुल सच है कि कितने ही सीधे और अनपढ़ किसानोंका अपनी अज्ञताके कारण लोभी, लालची और धूर्त महाजनोंके फदेमें पडनेसे सत्यानाश हो चुका

मनुष्य यह समझने लगें कि उनके अधिकार क्या हैं और उनकी रक्षा वे किस तरह कर सकते हैं।

भारतके प्राय. सभी प्रान्तोंमें गैरमौरूसी और शिकमी दर-शिकमी किसानोंके कर्जदार होनेका कारण है—जमींदार और ताल्लुकेदारोंका अधिक लगान और नजराना वसूल करना। नजराना किस तरहसे बन्द किया जा सकता है अथवा लगान किस तरहसे वाजिब किया जा सकता है, इन प्रश्नोंपर हम अपने विचार जमींदार और किसान सम्बन्धी अध्यायमें प्रकट कर चुके हैं। भिन्न भिन्न प्रान्तोंमें औसतके हिसाबसे प्रति एकड कितनी मालगुजारी सरकार द्वारा सन् १९१८—१९ में वसूल की गई थी वह नीचेके कोष्ठकमें दी जाती है।

बढ गई है कि किसी किसी विभागमें सबसे नीचे दर्जेके मुलाज़िम अपने एक महीनेका वेतन प्रतिवर्ष अपने अफसरको दिया करते हैं और अपनी इस कमीको वसूल करनेके लिए मनमानी घूस लेते हैं। फिर अफसर भी उनकी घूसखोरीकी तरफ उचित ध्यान नहीं देते। दें कैसे, मुह तो पहले ही बन्द करवा बैठे हैं। कही कहीपर घूसने टैक्स (कर) का रूप धारण कर लिया है और वह बिना किसी उज्रके चुपचाप दे दिया जाता है। यह तो सभी जानते हैं कि भारतमें ऊँचे दर्जेके कर्मचारियोंको बहुत अधिक वेतन और सबसे नीचे दर्जेके कर्मचारियोंको बहुत कम वेतन दिया जाता है। कई सरकारी कर्मचारियोंका वेतन इतना कम है कि उससे वे अपने कुटुम्बके लिए उतना अनाज और कपडा नही खरीद सकते जितना कि दुराचारी कैदियोंको जेलमें खाने और पहननेको दिया जाता है। ऐसी दशामें इन कर्मचारियोंका घूस लेना स्वाभाविक है।

घूसखोरीको बन्द करनेके मुख्य साधन ये हैं —

(१) नीचे दर्जेके कर्मचारियोंका वेतन बढा दिया जाय और उनको घूस न लेनेकी सख्त ताकीद कर दी जाय।

(२) घूस लेनेवालेका खुफिया तौरसे पता लगानेकी व्यवस्था की जाय।

(३) जिनपर घूस लेनेका अपराध साबित हो उनको कठिन सजा दी जाय।

(४) ऐसी शिक्षाका प्रचार कर दिया जाय जिससे सभी

उपर्युक्त कोष्ठकसे मालूम होता है कि देशके जिन भागोंमें स्थायी बन्दोबस्त है, वहाँ मालगुजारी फी एकड बहुत कम ली जाती है और इसलिए वहाँपर अब मालगुजारीके कारण अधिकतर किसान ऋणी नहीं हो सकते। देशके जिन भागोंमें मालगुजारी अथवा ताल्लुकदारी प्रथा प्रचलित है और बन्दोबस्त कायममुकाम रहता है, वहाँ मालगुजारी, जमींदारकी लगान द्वारा होनेवाली आमदनीपर करके समान है और यदि मालगुजारी कम भी कर दी जाय तो भी यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि किसानोंको उससे लाभ हो सकेगा या नहीं। सम्भवत मालगुजारीकी वह सब कमी जमींदारोंके हाथमें ही रह जावे और किसानोंके लगानमें कुछ भी कमी न हो। इसलिए इन भागोंमें जमींदारोंके लगान (Rent)की परिमाण घटानेसे किसानोंको लाभ होगा, न कि मालगुजारी (Land Revenue) की कमीसे। परन्तु रैयतवारी भागोंकी स्थिति बिलकुल भिन्न है। वहाँपर सरकार ही जमींदार है और वह किसानोंसे बिना किसी मध्यस्थके स्वय मालगुजारी वसूल करती है। इसलिए यदि इन भागोंमें मालगुजारी कम कर दी जाय तो उसका सब लाभ किसानोंको ही मिलेगा। सरकार अपनी जमींदारीमें किसानोंसे कितनी अधिक मालगुजारी वसूल करती है यह उपर्युक्त कोष्ठकके देखनेसे मालूम हो जाता है। युक्तप्रान्तमें मालगुजारीकी औसत फी एकड एक रुपया बारह आना है तो मदरासमें रैयतवारीकी औसत दो रुपये आठ आना।

कोष्ठक नं० (२९)

स्थायी बन्दोबस्तवाला भाग	प्रति एकड़ बोई हुई जमीन पर मालगुज़ारी		
	रु०	आ०	पा०
बङ्गाल	१	२	१
मदरासका कुछ भाग	०	१३	६
बिहार और उड़ीसा	०	६	१
आसाम	०	१	६
युक्तप्रान्तका कुछ भाग	१	५	६
कायम मुकाम बन्दोबस्त वाला भाग			
(अ) जमींदार			
युक्तप्रान्त—सूबा आगरा	१	१२	६
युक्तप्रान्त—सूबा अवध	१	१५	३
पञ्जाब	१	६	६
मध्यप्रान्त	०	१०	१
उत्तर पश्चिमी प्रान्त	०	१५	७
(ब) रैयतवारी			
मद्रास प्रान्तका शेष भाग	२	६	१
बम्बई अहाता	१	५	७
सिन्ध	३	०	६
बर्मा	२	७	०
बरार	१	५	०

फसल सम्बन्धी रिपोर्ट भेजनेका काम माल विभागके नीचे दर्जेके कर्मचारियोंको सौंपा गया है जिनको इस काममें दिलचस्पी नहीं रहती और अन्य बहुतसे कामोंमें फँसे रहनेके कारण उनको इस कामके लिये समय भी काफी नहीं मिलता। इसका परिणाम यह होता है कि कई जगह फसल खराब होनेपर भी रिपोर्ट कर दी जाती है कि फसल साधारण है। हमारी समझमें फसल-सम्बन्धी रिपोर्ट भेजनेका काम कृषकहितैषी अथवा कृषि विभागके अनुभवी अफसरोंको दिया जाना चाहिये। और किसी भी भागमें फसल बिगड़नेकी रिपोर्ट आनेपर वहाँकी मालगुजारीको मुल्तवी अथवा माफ करनेका शीघ्र ही प्रबन्ध किया जाना चाहिये। ऐसा न करनेसे किसानोंकी दशा खराब होती है, वे अधिक ऋणी होते जाते हैं और उनमें असन्तोष बढ़ता है जो कि जमींदार और सरकार दोनोंके लिये अहितकर है।

अनावश्यक मुकदमेबाजी और मादक वस्तुओंके सेवनमें भी किसानोंका बहुत सा रुपया नष्ट हो जाता है। कहीं कहीं तो इन कारणोंसे ही वे ऋणी हो जाते हैं। ग्राम्य पचायतोंको शीघ्र ही छोटे छोटे दीवानी और फौजदारी मुकदमे सुननेका अधिकार दे दिया जाना चाहिये। किसानसभा भी किसानोंके पारस्परिक झगड़ोंको निपटा कर उनको मुकदमेबाजीकी फजूलखर्चीसे बचाकर बहुत कुछ लाभ पहुँचा सकती है। जहाँ तक हो सके, किसानोंको अदालतोंसे दूर ही रहना चाहिये। मादक वस्तुओंके प्रचारको रोकनेमें जातीय पचायतोंने बहुत सफलता प्राप्त की है और आशा की जाती है कि वे भविष्यमें भी इसी प्रकारसे प्रयत्न करती रहेंगी।

मद्रासकी जमीन युक्तप्रान्तकी जमीनसे अधिक उपजाऊ न होनेपर भी उसमें इतनी अधिक मालगुजारी क्यों वसूल की जाती है ? क्या यह न्यायसङ्गत नहीं है कि रैयतवारी भागोंमें किसानों की मालगुजारी कम कर दी जाय अथवा ऐसे किसानोंसे माल गुजारी वसूल ही न की जाय जिनकी खेतीसे वार्षिक आमदनी ५००) रुपयोंसे कम हो।

देशके जिन भागोंमें कायममुकाम बन्दोवस्त होता है, वहाँ बन्दोवस्तके समय जो मालगुजारी बढाई जाती है उसमें न तो किसानोंकी सुनाई होती और न उनके प्रतिनिधियोंको ही व्यव स्थापिका सभामें कुछ कहनेका मौका मिलता है, क्योंकि बन्दो-बस्त नौकरशाही सरकारकी आज्ञाके अनुसार होता है न कि किसी कानूनके अनुसार। इन सब बातोंको विचारकर सन् १९१९में पार्लिमेण्टकी ज्वाइण्ट कमेटीने यह सिफारिश की थी कि बन्दोवस्तके समय मालगुजारी घटाने बढानेके सिद्धान्तोंका समावेश प्रान्तीय सरकार द्वारा बनाये हुए कानूनोंमें किया जाना चाहिए। परन्तु इस सम्बन्धमें अभी तक कुछ नहीं किया गया। राष्ट्रीय सरकारको ऐसा एक कानून शीघ्र ही बनाना होगा।

प्रत्येक प्रान्तमें यह नियम है कि यदि किसी भागमें अनावृष्टि होने ओले गिरने और बाढ़ आने इत्यादि किसी कारणसे फसल बिगड जाती है तो उस भागकी मालगुजारी मुल्तवी अथवा माफ कर दी जाती है परन्तु इस नियमका ठीक ठीक पालन नहीं होता।

(१) फसलके समय पैदावारको बेचनेसे दाम कम मिलते हैं।

(२) साल भरके खर्चके लिये महाजनसे कर्जे लेनेपर सूद देना पडता है।

(३) खानेके लिए फिर वही अन्न अधिक दाम देकर खरीदना पडता है।

फसल प्राय नीचे लिखी रीतिसे बेची जाती है।

(१) किसान स्वय बाजार ले जाते हैं।

(२) व्यापारी खलिहान पर जाकर पैदावार ले आते हैं।

(३) साहूकार, बनिया, मालगुजार या अन्य पूजीवाले फसल खरीद लेते हैं।

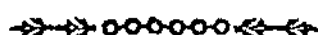
पहली रीतिमें यह दोष है कि बाजारमें पहुँचनेपर यदि भाव मन्दा रहा तो भी ले आने और ले जानेके झझटसे बचनेके लिये किसानको किसी भी दामपर बेचनेके लिए विवश होना पडता है, क्योंकि एक तो उसे रुपयोंकी जरूरत रहती है और दूसरे खेतीके अन्य कामोंके कारण वह अधिक समय तक बाजारकी तेजी मन्दीके लिये ठहर नहीं सकता।

दूसरी रीतिमें यह दोष है कि किसानोंको बाजारकी तेजी मंदीका ज्ञान न होनेसे व्यापारी मनमाने भावपर पैदावार ले जाते हैं।

तीसरी रीतिमें यह दोष है कि किसान खरीदारोंका ऋणी रहता है या वह उसपर अन्य प्रकारके दबाव डाल सकता है।

दसवाँ अध्याय

बीचके दलालोंकी संख्या कम करना



[फसल किस तरह बेची जाती है, किसानोंकी फसल बेचने वाली सहयोग-समितियोंकी स्थापना, हाट बाजार सम्बन्धी नियमों परिवर्तन, पक्की सडकोंका अभाव ।]



हम तीसरे अध्यायमे बतला चुके हैं कि फसल पकनेपर किसानोंका बहुत सा मुनाफा दलालों द्वारा हडप कर लिया जाता है। इसलिए इस अध्यायमें हम इस प्रश्नपर विचार करते हैं कि दलालोंकी संख्या किस तरह कम की जा सकती है।

फसल तैयार होनेके पहिले ही मालगुजार, महाजन बनिये एजेंट इत्यादि गरीब किसानोंको पेशगी रुपया देना शुरू कर देते हैं। उधर मालगुजारी और बनिये-महाजनके कर्जके तकाजे शुरू हो जाते हैं। ऐसी दशामें किसानोंको विवश होकर या तो पेशगी रुपये लेकर या फसल तैयार होते ही उसे महँगे सस्ते दामोंपर बेचकर इन तकाजोंसे जान छुडानी पडती है। इससे किसानोंको तीन प्रकारसे हानि उठानी पडती है।

कि उनको अपनी फसलकी बाजारू कीमत उसी समय मिल जायगी जिससे वे मालगुजारी और कर्ज चुका सकेंगे और समितिको उस फसलके उचित समयपर बेचे जानेसे जो लाभ होगा उसका आधा भाग भी किसानोंको मिलेगा। इस कामके लिये दलालोंकी आवश्यकता भी न पड़ेगी और उनकी संख्या कम हो जायगी। इस प्रकार आजकल जो लाभ इन बीचके दलालोंको होता है उसका कमसे कम आधा भाग तो किसानोंको अपनी दशा सुधारनेके लिए अवश्य मिल सकेगा।

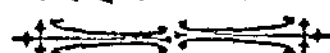
हाट बाजारोंके ऐसे नियम बना दिये जाने चाहिये जिससे वहाँके व्यापारी, किसानोंसे या खरीदारोंसे, बेईमानी न कर सकें। म्यूनिसिपैलिटी अथवा डिस्ट्रिक्ट कौंसिल, जिनकी सीमाके अंदर ये बाजार लगाये जाते हैं उनका यह कर्त्तव्य है कि वे बेईमान व्यापारीको पकड़वाके उचित दंड दिलानेकी व्यवस्था करें। प्रत्येक जिले और प्रांतमें तौलके वजनोंकी भिन्नताके कारण भी सीधे सादे किसानोंको कई समय ठगा जाता है। यह भी बहुत आवश्यक है कि देश भरमें या कमसे कम प्रत्येक प्रान्तमें एकसे ही माप तौलका उपयोग किया जाय।

यहाँपर बीचके दलालोंकी संख्या घटाने और उनको मिलने वाला मुनाफा किसानोंको दिलानेकी योजना लिखी गई है, किन्तु इसकी सफलताके लिये सड़कोंका भी काफी प्रबन्ध होना

इस कारण मोल-तौल ठीक ठीक नहीं होता और किसानोंको कम दामोंपर अपनी पैदावार वहा देनी पडती है। इस प्रकार किसानोंको पैदावारसे उतना लाभ नहीं होता, जितना कि होना चाहिए।

इन सब हानियोंसे बचनेका एकमात्र उपाय यह है कि ऐसे प्रत्येक गाँव या शहरमें, जहाँपर अनाजका व्यापार होता है, एक ऐसी सहयोग-समितिकी स्थापना की जाय जिसका काम यह हो कि वह फसलके तैयार होनेपर उसे किसानोंसे बाजारू भावपर इस शर्तसे खरीदे कि उसको उचित समयपर बेचनेमें जो कुछ लाभ हो उसका आधा भाग किसानको दे दिया जाय। ऐसी समितिको हम किसानोंकी फसल बेचनेवाली सहयोग-समिति कह सकते हैं। समितिको एक पक्का गोदाम बनवाना पडेगा और कुछ ईमानदार कर्मचारी भी नियुक्त करने होंगे। समिति की पूँजी गाँव या शहरकी शिक्षित जनता और धनवान् व्यापारियोंसे इकट्ठी की जाय। समितिके डाइरेक्टर उसके काम-की देख रेख करते रहेंगे। जब काम बराबर चलने लगे तब किसानोंको भी उसके शेयर (हिस्से) खरीदनेको उत्साहित करना उचित होगा। ऐसी समितियाँ प्रत्येक शहरमें या बडे बडे गाँवोंमें सहयोग-विभाग या शिक्षित जनता द्वारा शीघ्र ही स्थापित की जानी चाहिये। परन्तु रजिस्ट्रारको यह हमेशा ध्यान रखना होगा कि वह किसी धूर्त महाजन या दलालके हाथमें न पडने पावे। इस समितिसे किसानोंको यह लाभ होगा

ग्यारहवाँ अध्याय



किसानोंकी शेष असुविधाओंका दूर करना।



[गाय-बैलोंके ह्रासका कारण, चरागाहोंकी कमी, साइलो बनवाना, बैलोंकी देखरेख, गोहत्याको रोकना, उत्तम बीज प्राप्त करनेकी व्यवस्था, नये यन्त्रोंका और उत्तम खादका उपयोग ।]

पाठक यह अच्छी तरह समझ गये होंगे कि भारतीय किसानोंको नीचे लिखी असुविधाओंसे एक साथ ही सामना करना पड़ता है जिसके कारण उनकी आर्थिक दशा दिन पर दिन खराब होती जाती है।

(१) जमींदार उनसे अधिक लगान वसूल करते हैं।

(२) किसानोंका रहन सहन बहुत नीचे दर्जेका है।

(३) प्रारम्भिक शिक्षा और कृषि शिक्षाका उनमें अभाव है।

(४) उनके खेत छोटे छोटे टुकड़ोंमें दूर दूरपर बँटे हुए हैं।

(५) किसान गरीब होनेके सिवा ऋणी भी हैं।

(६) दलालों द्वारा उनका बहुत सा मुनाफा हड़प लिया जाता है।

(७) पानीकी कमी है।

(८) उत्तम बीज, बैल, खाद और औजारोंकी भी कमी है।

चाहिए। क्योंकि भारतमें पक्की सडकोंकी भी बहुत कमी है। वर्षा ऋतुमें कई दिनों तक बैलगाडियोंका आना-जाना कई ग्रामोंमें बिलकुल बन्द हो जाता है। बोझा ढोनेवाले पशुओंको भी एक स्थानसे दूसरे स्थानपर जानेमें कठिनाई पडती है। सडकें कच्ची होनेके कारण यदि बोझा गाडीमें न ले जाकर पशुओं द्वारा अथवा सिरपर ले जाना पडे तो हिसाब लगानेसे मालूम होता है कि उसमें करीब पचगुना अधिक खर्च होता है। इससे भी किसानोंको नुकसान होता है। आजकल पक्की सडकें देशके व्यापार या जनताके सुभीतेके खयालसे बहुत कम बनाई जाती हैं। पक्की सडकें इस तरहसे बनाई जानी चाहिये कि जिसमें वे किसी रेलवे-स्टेशनपर अथवा व्यापारके केन्द्रपर आकर मिलें और अन्य दूसरी सड़कोंका मिलान भी उसी सडकपर हो। गाँवमें जानेवाली सडकोंको खेतोंके मालिक अथवा जमींदार बनवाकर साफ रक्खे। एक गाँवसे दूसरे गाँवको जानेवाली अथवा सीधे स्टेशनको जानेवाली सडकोंको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बनवाकर पक्की करे और समय समयपर उनकी ठीक मरम्मत भी कराते रहें। प्रान्तीय सरकार अथवा भारत सरकार ऐसी बडी और पक्की सडकें बनवा दे जो रेलके स्टेशनों और व्यापारके केन्द्रोंको मिलाती हों।

जमीनकी माँग बहुत बढ जानेसे हमारे देशमें चरागाहोंकी बहुत कमी हो गई है। इस सम्बन्धमें लाला लाजपतरायजीने अपने एक लेखमें लिखा है —

"हिन्दुस्तानका कुल क्षेत्रफल ६२ करोड १० लाख एकड है। जिस भागमें कृषि होती है उसका क्षेत्रफल २२ करोड १० लाख एकड है। परन्तु जिस भागमें चारा बोया जाता है उसका क्षेत्रफल केवल ६४ लाख एकड है। दूसरे शब्दोंमें, सब जमीनके १०० भागोंमेंसे केवल १ भाग चारेके हिस्सेमें आता है और इस कारण लाचारीसे एक एकडपर २२ पशुओंका जीवन निर्भर करना पडता है। अमरीकाकी यूनाइटेड स्टेट्समें चारेके वास्ते फी सैकडा ३.५ भाग जमीन आती है और प्रत्येक पशुके हिस्सेमें १.१६ एकड आते हैं। इन सख्याओंसे सिद्ध होता है कि हिन्दुस्तानमें चरागाह और चारा उत्पन्न करनेकी जमीन अमरीकाकी अपेक्षा बहुत कम है।"

अखिल भारतीय गो-कान्फ़रेन्सके एक डेपुटेशनने भूतपूर्व भारत-सचिव माटेगू साहबका ध्यान जब चरागाहकी कमीकी तरफ आकर्षित किया तब उनसे यह कहा गया कि —"ऐसे कृषि प्रधान देशके लिये मैंने पार्लिमेण्टमें यह राय पेश की है कि फी १०० एकड जमीनके पीछे ७ एकड जमीन चरागाहके लिए छोडी जाय। इसके लिये एक पाश्चर (चरागाह) बिल पेश करनेकी जरूरत पड़ेगी। इसमें कठिनाई यह पडेगी कि उस जमीन परसे सरकारको मालगुजारी उठा लेनी पडेगी।"

एक अध्यायमें हमने बतलाया है कि ज़मींदार, सरकार और शिक्षित जनताका किसानोंके प्रति क्या कर्त्तव्य है और फिर अन्य अध्यायोंमें यह बतलानेका प्रयत्न किया है कि जमींदारोंके अत्याचारोंसे किसान किस प्रकार बच सकते हैं, उनका रहन-सहन किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, उनमें उचित एव सामयिक कृषि शिक्षाका प्रचार किस तरह किया जा सकता है, उनके खेत एक चकमें कैसे किये जा सकते हैं, ऋणसे शीघ्र ही उनका छुटकारा किस तरह किया जा सकता है और दलालोंकी संख्या किस प्रकार कम की जा सकती है। इस अध्यायमें हम इस प्रश्नपर विचार करेंगे कि किसानोंको उत्तम बीज, उत्तम खाद, अच्छे औजार और बैल दिलानेमें किस तरहसे सहायता पहुँचाई जा सकती है।

भारतकी खेती बैलोंपर निर्भर है और हमारे दुर्भाग्यसे प्रतिदिन उनका ह्रास होता जाता है। गाय-बैलोंकी संख्या दिन पर दिन कम हो रही है जिसके कारण दूध, घी और बैलोंकी क़ीमत अत्यधिक बढ गई है। गाय-बैलोंकी दशा भी खराब होती जाती है और हृष्ट पुष्ट बैल तो गाँवोंमें बहुत ही कम नजर आते हैं। इस दुरवस्थाके मुख्य कारण ये हैं —

(१) चरागाहोंका अभाव और घासकी कमी।

(२) गाय-बैलोंके पालन-पोषणमें असावधानी।

(३) मांस और चमड़ेके लिये गाय, बैल तथा बछड़ोंकी

डंठल भी साइलोमें अवश्य रखे जायँ क्योंकि इनमें शर्कराका परिमाण अधिक होता है। साइलोमें जो घास रखी जाती है उसे साइलेज कहते हैं। साइलेजको छोटे छोटे टुकडोंमें काटकर साइलोमें रखते हैं। जिस कच्ची घासको गाय, बैल यों नहीं खाते उसीको यदि साइलोमें रखकर साइलेज बना दिया जाता है तो वे उसे बडे चावसे खाते हैं। यह इलाहाबाद एग्रीकलचरल इन्स्टिट्यूटके अनुभवसे मालूम हुआ है। साइलेजमें प्रोटीडकी मात्रा बहुत कम रहती है इसलिए उसे खिलाते समय उसमें थोडी खली, बिनौले या अनाज भी मिला देना चाहिए। साइलोमें घास भरजाने पर नमक मिला हुआ जल उसपर छिड़क देना चाहिए और उसे ऊपरसे टीन या अन्य किसी छप्परसे छा देना चाहिए। यदि साइलोमें नीचेतक सीढिया बना दी जायँ तो साइलेज निकालनेमें बडा सुभीता होता है। साइलोमें दो तीन वर्षतक कच्ची (हरी) घास रक्खी जा सकती है। उसमें घासको इस प्रकार सुरक्षित रख देनेके कारण घासकी कमीके समय, साइलेजका उपयोग बहुत आसानीसे किया जा सकता है। इससे कम पशुओंके लिये साइलो बनानेमें लाभ नहीं है। ऐसी दशामें दो चार ऐसे लोग जिनके पास चार पाँच बैल हों मिलकर साइलो बना सकते हैं। जमींदार भी इस काममें किसानोंको सहायता पहुँचा सकते हैं। यदि प्रत्येक गाँवमें जमींदार, पंचायत अथवा सहयोग समिति द्वारा एक दो पक्के साइलो बना दिये जायँ और उसमें सबकी घास रक्खी जाय तो इससे

सरकारको मालगुजारीका इतना लालच क्यों है जिसके कारण उसे चरागाहोंके लिए काफी ज़मीन छोड़नेमें कठिनता पडती है? क्या देशके उपयोगी पशुओंकी दशा सुधारनेके लिए सरकारका यह कर्त्तव्य नही है कि उनकी चरागाहोंके लिये वह उचित प्रबन्ध करे? यद्यपि हमारी समझमें १०० एकड़ जमीनके पीछे ५ एकड जमीन चरागाहोंके लिए काफी न होगी तो भी कमसे कम उतनी जमीन प्रत्येक गाँवमें इस कार्यके लिये छोडी जानेका प्रबन्ध सरकारको शीघ्र करना चाहिए। इन चरागाहोकी देख-रेखका काम गाँवकी पञ्चायतके सुपुर्द कर देना चाहिए।

गाय-बैलोंको हरी ताजी घास खिलानेकी आवश्यकता है। परन्तु सदा हरी घासका मिलना सहज बात नहीं। अतएव इँगलैंड, अमरीका आदि देशोंमें साइलो (Silo) बनवाये जाते हैं और उनमें हरी घास रखते हैं। भारतमें साइलो कुएँके समान बनवाना लाभदायक है। गड्ढा कमसे कम २० फुट चौडा और ७ फुट गहरा होना चाहिए। यह जितना अधिक गहरा होगा उतना ही अधिक अच्छा होगा, परन्तु यह ध्यान रहे कि गड्ढा पानीकी सतह तक न पहुँचने पावे। साइलोंकी दीवारें ईंटोंसे पक्की कराकर उनपर चूने या गोबरका पलस्तर करवाना चाहिए। साइलो इस तरहसे बनवाया जाना चाहिए कि जिसमें पानी और हवाका प्रवेश उसमें न हो सके। दूब और अन्य घासोंके अतिरिक्त मकई, जौ, ज्वार और बाजराके

डठल भी साइलोमें अवश्य रखे जायँ क्योंकि इनमें शर्कराका परिमाण अधिक होता है। साइलोमें जो घास रक्खी जाती है उसे साइलेज कहते हैं। साइलेजको छोटे छोटे टुकडोंमें काटकर साइलोमें रखते हैं। जिस कच्चो घासको गाय, बैल यों नहीं खाते उसीको यदि साइलोमें रखकर साइलेज बना दिया जाता है तो वे उसे, बडे चावसे खाते हैं। यह इलाहाबाद एग्रीकलचरल इन्स्टिट्यूटके अनुभवसे मालूम हुआ है। साइलेजमें प्रोटीडकी मात्रा बहुत कम रहती है इसलिए उसे खिलाते समय उसमें थोडी खली, बिनौले या अनाज भी मिला देना चाहिए। साइलोमें घास भरजाने पर नमक मिला हुआ जल उसपर छिडक देना चाहिए और उसे ऊपरसे टीन या अन्य किसी छप्परसे छा देना चाहिए। यदि साइलोमें नीचेतक सीढिया बना दी जायँ तो साइलेज निकालनेमें बडा सुभीता होता है। साइलोमे दो तीन वर्षतक कच्ची (हरी) घास रक्खी जा सकती है। उसमें घासको इस प्रकार सुरक्षित रख देनेके कारण घासकी कमीके समय, साइलेजका उपयोग बहुत आसानीसे किया जा सकता है। दससे कम पशुओंके लिये साइलो बनानेमें लाभ नहीं है। ऐसी दशामें दो चार ऐसे लोग जिनके पास चार पाँच बैल हों मिलकर साइलो बना सकते हैं। जमींदार भी इस काममें किसा नोंको सहायता पहुँचा सकते हैं। यदि प्रत्येक गाँवमें जमींदार, पंचायत अथवा सहयोग समिति द्वारा एक दो पक्के साइलो बना दिये जायँ और उसमें सबकी घास रक्खी जाय तो इससे

किसानोंका बड़ा हित हो सकता है और कई पशुओंकी जान भी बच सकती है।

घासकी कमीको दूर करनेका एक उपाय यह भी है कि गाय बैलोंके खानेकी वस्तुओंको उत्पन्न करनेके लिए भी खेती की जाय, अनेक प्रकारकी पुष्टिकर घासें बोई जायँ और पशुओंके खानेके लिए जौ, बाजरा, मकई और ज्वार (चरी) बोई जाय। किसानोंको इस तरफ ध्यान देना चाहिए।

जिस प्रकार प्रत्येक मनुष्यको स्वस्थ रहनेके लिए यह जरूरी है कि वह ठीक समयपर भोजन करे, साफ पानी पिये, तथा साफ़ और हवादार घरमें रहे, उसी तरह पशुओंको भी बलिष्ठ और कामके लायक रखने और दीर्घजीवी बनानेके लिए यह आवश्यक है कि उन्हें समयपर और साफ भरपेट खूराक दी जाय, साफ पानी पिलाया जाय तथा साफ़ और हवादार घरमें उन्हें रक्खा जाय। इस भाँतिके उपचारसे बैल बलिष्ठ रहेंगे और वे अच्छी तरहसे काम कर सकेंगे। उनको कोई रोग भी न होगा। किसान भाईयोंको इस तरफ ध्यान देना चाहिए और पशुओंकी ठीक देख रेख करनी चाहिए। पशुओंकी छूतकी बीमारीके समय बीमार पशुओंसे अलग रखना चाहिए और आरोग्य पशुओंको टीका लगवा देना चाहिए। यद्यपि पशु-चिकित्सा विभागको स्थापित हुए कई वर्ष हो गये तथापि उसने आशाजनक उन्नति नहीं की। प्रत्येक बड़े बड़े गाँवमें पशु-चिकित्साशाला शीघ्र ही खोल दी जानी चाहिए।

देशमें अच्छे और बलिष्ठ बैल उत्पन्न करनेके लिये यह आवश्यक है कि गाय बलिष्ठ और युवा साँडसे गर्भवती कराई जाय। इस कामके लिए पशुचिकित्सा विभागको उत्तम साँड तैयार करके रखने चाहिए और उनको जमीदारोंको मामूली कीमतपर बेचते रहना चाहिए।

गाय, बैल और बछडे भारतमें तीन कारणोंसे मारे जाते हैं —

(१) चमडे और मासके व्यापारके लिये।

(२) भारतमें रहने वाले सिविल और फौजी यूरोपियनोंके लिये, और

(३) कुर्बानीके लिये।

हिन्दू धर्मके अनुसार गो हत्या बडा भारी पाप है। परन्तु यदि केवल आर्थिक दृष्टिसे ही विचार किया जाय तो ऐसी स्थितिमें जब कि गाय और बैलोंकी सख्या बहुत कम है और वह दिनपर दिन कम होती जाती है, फौज और मास भोजी मनुष्योंके लिये बलिष्ठ और उत्तम पशुओंका मारा जाना बहुत ही हानिकारक है। अकेले सयुक्तप्रातमें ही केवल ग्रहा देशके मासके व्यापारके लिये डेढ लाखके करीब पशु प्रतिवर्ष मारे जाते हैं। मि० जस्सावालने हिसाब लगाया है कि १॥ लाखसे अधिक गायों और बछडोंका मास प्रतिवर्ष गोरे चमडेवाले भारतमें डकार जाते हैं। भारत जैसे
गाय और बैल राष्ट्रके बल हैं, इसलिये

किया जाना राष्ट्रहितके विरुद्ध है। यह जानकर प्रसन्नता होती है कि कई म्युनिसिपैलटियोंने अपनी सीमाओंमें गोवध बिलकुल बद करवा दिया है। हम आशा करते हैं कि अन्य म्युनिसिपैलटियाँ भी इनका अनुकरण करेंगी। कुछ देशी रियासतोंने भी अपने राज्यमें गोवधकी मनाही कर दी है। राष्ट्रीय सरकारको भी गाय बैल और बछडोंका बध कानूनन बद करा देना होगा, और फौजके लिये मास आस्ट्रेलिया, अमरीका तथा अन्य किसी देशसे मगानेकी व्यवस्था करनी होगी।

अबतक धार्मिक कारणोंसे मुसलमानों द्वारा कुर्बानीके लिये कुछ गायोंका वध किया जाता था। परन्तु हमारे नेताओंके प्रयत्नोंसे हिन्दू मुसलमानोंमें अब एकता हो गई है और यह प्रश्न अब बहुत कुछ हल हो गया है। अब कुर्बानीके समय बहुत कम गायें मारी जाती हैं। आशा की जाती है कि भविष्यमें गायकी कुर्बानी भारतमें बिलकुल बद हो जायगी।

भारतके किसान बीजके बारेमें बडी लापरवाही दिखाते हैं। बोनीके समय उनको जैसा सडा या घुना बीज मिल जाता है वैसा ही बो देते हैं। इससे उनको हानि भी उठानी पडती है क्योंकि वे जैसा बीज बोते हैं वैसा ही उनका अनाज भी पैदा होता है। इसका मुख्य कारण यह है कि उनको एकजाई और उत्तम बीज, बोनेके समय, प्रयत्न करनेपर भी नही मिलता। कृषि-विभागका यह कर्त्तव्य है कि वह प्रत्येक अनाजके उत्तम बीज अपने फार्मोंमें पैदा करावे और उनको बोनीके समय किसानोको उचित

दामपर देनेका प्रबन्ध करे। जमींदार लोग भी इस काममें किसानोंको सहायता पहुँचा सकते हैं। वे कृषि विभागसे इन बीजोंको खरीदकर अलग बोवें और इस प्रकार अधिक बीज पैदा होनेपर अपने गांवके किसानोंको उचित शर्तों पर दे दें। सहयोग साख समितियों द्वारा भी ये बीज सभासदोंको दिये जा सकते हैं।

नये औजारों और यन्त्रोंके उपयोगके सम्बन्धमें हमारी यह धारणा है कि जैसे जैसे मजूरी बढती जायगी और व्याजकी दर घटती जायगी वैसे वैसे इनका उपयोग बढता जायगा। कृषि-विभागको नये औजारोंकी उपयोगिता बतलाकर यह समझानेका प्रयत्न करना चाहिए कि यदि किसान उनका उपयोग करें तो उनको लाभ अवश्य होगा और उनके बिगड जानेपर उनके सुधार-नेका उचित प्रबन्ध कर दिया जायगा। आज कल कईतरहके हल, बीज बोने वाली मशीनें और अन्य औजार ईजाद किये गये हैं और वे सस्ते दाममें भी मिल सकते हैं। उदाहरणार्थ इलाहाबाद कृषि शालाके ग्रिफिन साहबने एक हल ईजाद किया है जो कि १५ रु०में मिल सकता है। उन्होंने इस हलका नाम सेंधिया प्लाऊ रक्खा है। वह इतना हलका है कि मामूली बैल उसको खींच सकते हैं। वह गहरा जाता है और साथही साथ उससे मिट्टी भी उलटती जाती है। कुँएसे पानी ऊपर उठानेके, हाथ द्वारा चलाये जाने वाले, पम्प लगाकर किसान लोग लाभ उठा सकते हैं। भूसा उडानेवाली मशीन, कर्वी काटनेवाली मशीन

और फसल काटने वाली मशीन मामूली किसान नहीं खरीद सकते, परन्तु जमींदार, सहयोग समिति, पचायत अथवा किसान सभा उन्हें खरीदकर किरायेपर पर दे सकती है। इससे जमींदारको भी लाभ होगा और किसानोंको भी सहूलियत हो जायगी। ट्रैक्टरके समान कीमती मशीनका उपयोग बड़े जमींदार ही कर सकते हैं क्योंकि उससे वेही लाभ उठा सकते हैं जिनके पास १०० एकड़से अधिक जमीन हो। इन सब औजारोंके सुधारे जानेका उचित प्रबन्ध कृषि-विभागको करना होगा।

भारतीय किसान खादके सम्बन्धमे भी बड़ी लापरवाही करते हैं। गोबरके कडोंको जलानेसे देशका बहुत नुक्सान होता है। यदि इस गोबरका खेतोंमें खादके लिए उपयोग किया जाय तो करोड़ों मन अधिक उपज पैदा हो। गोबरके कण्डोंको जलानेके काममें लाये जानेका मुख्य कारण ईधनकी महँगी और उसकी कमी है। पड़ती जमीनमें बबूल जैसे जल्दी बढ़नेवाले वृक्ष लगाये जाने चाहिए। जगल-विभागको भी ज गलोंमें ईधनकी लकडीके लिए नये वृक्ष लगानेका प्रयत्न करना चाहिए। हमारी समझमें जब किसानोंको ईधनके लिए लकडी सस्ती मिलने लगेगी तब वे अधिक परिमाणमें अपने खेतोंमें खादके लिए गोबरका उपयोग करने लग जायँगे। खादके लिए गोबरको इस तरहसे रखना चाहिए कि उसमें बहुत कम हवा जा सके। नही तो बहुत हवा के लगनेसे अमोनिया गैस (Nhz) बनकर हवामें उड जावेगी।

गोबरकी खाद खेतोंमें डालनेका उत्तम समय वर्षासे पहलेका है। उस समय खेतोंमें उसे डालकर भली भांति मिला देना चाहिए। वर्षाका पानी पड़नेसे सब खाद गलकर मिल जायगी और उसके बाद यदि कोई फसल बोई जायगी तो बड़ी अच्छी उपज होगी। गोबर और कूडे कचरेको खादके रूपमें उपयोग करनेका एक उत्तम तरीका पहली परिशिष्टमें बतलाया गया है। गरीबसे गरीब किसान भी उस तरीकेसे खाद देकर, बिना एक भी रुपया खर्च किये, थोड़े परिश्रमसे अपनी उपज बहुत बढ़ा सकता है। आशा है हमारे किसान भाई उससे लाभ उठावेंगे।

गोबर और कूडे कचरेके अतिरिक्त और भी कई तरहके खाद उपयोगमें लाये जा सकते हैं। उनमें सबसे उत्तम शोरा (Sodium nitrate) है जिसके उपयोगसे किसान बहुत लाभ उठा सकते हैं। हड्डियोंका चूरा और राख भी उपयोगमें लायी जा सकती है। परन्तु यह सारी खाद देनेके पहले जमीनकी जाँच कर लेनी बहुत आवश्यक है। जमीनमें वही चीज डालना चाहिए जिसकी उसमें कमी हो और वह भी उचित परिमाणमें। इसके लिए कृषि विभागके कर्मचारियोंका यह कर्तव्य होगा कि वे प्रत्येक गांवमें जा जाकर किसानोंकी जमीनकी जाँच करें और उनको उचित खादका उपयोग करनेके सम्बन्धमें सलाह देते रहें। हमको यह विश्वास है कि उचित खादके उपयोगसे भूमिकी उपज आसानीसे दुगुनी या तिगुनी बढ़ाई जा सकती है।

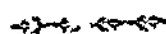
यहांपर कृषिसुधार योजनाको समाप्त करनेके पहले पाठकों-

को हम फिरसे यह याद दिलाना चाहते हैं कि भारतीय किसानों
को सब असुविधाएँ एक साथ उठानी पडती हैं इसलिए उनक
एक साथ दूर करनेका प्रयत्न दत्तचित्त होकर किया जान
चाहिए। हमने इस पुस्तक द्वारा अपनी क्षुद्र बुद्धिके अनुसा
यह बतलानेका प्रयत्न किया है कि वह किस तरहसे किया ज
सकता है। इस योजनाके भिन्न भिन्न भागोंका अन्य भागों
इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि केवल उनका, दूसरोंसे अलग
विचार किया जाना ठीक न होगा। हम पाठकोंसे अनुरोध
करते हैं कि वे पूरी योजनापर एक साथ विचार करें। ह
अगले अध्यायमें सपूर्ण योजनाका साराश बतलावेंगे। यदि इस
योजनाकी कुछ बातें अव्यवहारिक सिद्ध हों तो उस समय
आवश्यकताके अनुसार उनमें सुधार भी हो सकता है। परन्
हमारा यह पक्का विश्वास है कि यदि इस योजनाके अनुसार
कार्य आरम्भ कर दिया जाय तो कुछ वर्षोंमें हमारे किसानोंकी
आर्थिक दशा इतनी सुधर जायगी कि वे अन्य किसी देशके
किसानोंसे किसी बातमे कम न रहेंगे।



चित्र नं० ४(अ)

बारहवां अध्याय



सारांश और उपसंहार।

[कृषि-सुधारकी आवश्यकता, 'कृषक-हितैषी' विभागका कार्य क्रम, राष्ट्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकारोंकी जिम्मेदारी, शिक्षित जनताका उत्तरदायित्व, योजनाके कार्यान्वित होनेपर जमींदारोंकी और किसानोंकी दशा।]

हमने गत नौ वर्षोंकी अनाजकी कमी और मांगका जो हिसाब लगाया है उससे मालूम हुआ है कि भारतमें प्रतिवर्ष अनाजकी कमी भयङ्कर परिमाणमें रहती है। सुकालके दिनोंमें यह कमी करीब १७ करोड मनकी रहती है और अकालके समय इसका परिमाण ६८ करोड मन तक पहुंच जाता है। इस कमीके कारण हमारे देशके लगभग ८ करोड युवा नर नारियोंको आधा पेट भोजन पाकर ही जीवन व्यतीत करना पडता है। अनाजकी कमीको दूर करनेका प्रश्न इस समय बहुत ही महत्त्वका है। इसको हल करनेका मुख्य साधन है अनाजकी रफ्तनीको रोकना और देशमें अनाजकी उपजको बढाना। राष्ट्रीय सरकारका पहला कर्तव्य यह होगा कि देशमें जब तक काफी परिमाणमें अन्नकी उपज न होने लग

जाय तब तक देशसे बाहर अनाजके भेजे जानेकी सख्त मनाही कर दे। परन्तु हिसाब लगाकर हम यह भी बतला चुके हैं कि सिर्फ अनाजकी रफ्तनीको रोक देनेसे ही हमारा काम न चलेगा। यदि बाहरी देशोंके साथ अनाजका व्यापार एकदम रोक दिया जाय—अन्नका एक दाना भी अन्य देशोंको न भेजा जाय—तोभी भारत-वासियोंकी खूराकके लिए कई लाख मन अन्नकी कमी बनी ही रहेगी। इसलिए अनाजकी रफ्तनीको रोकनेके साथ ही साथ देशमें अन्नकी उपज भी बढानी होगी जिससे कि जितना खर्च है उतना अन्न मिल सके।

भारतीय किसानोंकी दशा दिन पर दिन खराब होती जा रही है। पहले उनकी दशा सुधारे बिना देशमें अनाजकी उपज बढ़ नहीं सकती। अतएव उनकी दशा सुधारनेके लिए सबसे पहले यह जान लेना आवश्यक है कि उन्हें आजकल कौन कौन सी असुविधाएँ हैं। क्योंकि जब तक रोगका ठीक ठीक निदान न हो लेगा तब तक अँधाधुन्ध दवाओंका सेवन करानेसे रत्तीभर भी लाभ होनेकी आशा नहीं। हम देख चुके हैं कि भारतके अधिकाश किसान बहुत ही गरीब हैं, उनका रहन सहन बहुत ही नीचे दर्जेका है, और उनकी जमीन छोटे छोटे टुकडोंमें—दूर दूर पर—बँटी हुई है। देशके कई भागोंमें, सिचाईके लिए, उन्हें पानी भी नहीं मिलता। काफी परिमाणमें, मुनासिब व्याजपर, उन्हें रुपये नहीं मिलते और वे दिन पर दिन कर्जके दलदलमें बुरी तरह फँसते जाते हैं। उत्तम बीज, सशक्त बैल, अच्छी खाद और

औजारोंकी भी बहुत कमी है। गैर मौरूसी और शिकमी दर शिकमी किसानोंसे बहुत अधिक लगान वसूल किया जाता है। शिक्षाका उनमें सर्वथा अभाव है और खास कर कृषि शिक्षा देनेका उनके लिए कुछ भी प्रबन्ध नहीं है। इन सारी असुविधाओंके कारण खेतीकी उन्नति करना उनके लिए असम्भव कार्य हो गया है। इसमे विशेषरूपसे ध्यान देने योग्य बात यह है कि किसान भाइयोंको उपरोक्त सारी असुविधाओंका सामना एक साथ करना पडता है इसलिए जबतक उन सारी असुविधाओंको एक साथ हटानेका प्रयत्न नहीं किया जाता तब तक उनकी दशा सुधरना सम्भव नहीं। केवल एक दो असुविधाओंको हटानेसे काम न चलेगा। अभी तक उनकी तमाम असुविधाओं-को दूर करनेका प्रयत्न कभी किया भी नहीं गया। लेकिन इन सारी मुश्किलोंको एक साथ हटा देना कोई आसान काम नहीं है। किसान, राष्ट्रीय सरकार और शिक्षित जनता तीनों जब सम्मिलित रूपसे इसके लिये दृढ प्रयत्न करेंगे तब कहीं जाकर यह महत्कार्य सिद्ध होगा।

हम देख चुके हैं कि भारतीय किसान अपनी दशा सुधारनेके लिए अनिच्छुक नहीं हैं। संसारमें ऐसा कौन होगा जो अपना भला न चाहे? अपनी अपनी तरक्की सभी चाहते हैं और इसी कारण भारतके भी किसान अपनी उन्नतिकी आकांक्षा रखते हैं। उन्हें आवश्यकता है केवल समुचित पथप्रदर्शन की और पर्याप्त सहायता तथा प्रेरणा की। हमें पूर्ण विश्वास है कि इच्छित

सहायता मिलते ही वे अपनी दशा सुधारनेमें कोई बात उठा न रक्खेंगे।

कृषि-सुधारके लिए कार्य आरम्भ करनेके पहले, हमारी समझमें, राष्ट्रीय सरकारको अपना यह ध्येय निश्चित करना होगा कि वह इस प्रकारसे प्रयत्न करे जिसमें अधिकसे अधिक २० २५ वर्षमें ही सब किसानोंकी सारी असुविधाएं दूर हो जायँ और देशमें एक भी किसान दीन दुखी न रहे। यह ध्येय निश्चित करने के बाद यदि सरकार ध्यान लगा कर नीचे लिखे अनुसार कार्य करेगी तो हमें विश्वास है कि किसानोंकी दशा शीघ्र सुधर जायगी और वे कृषि-सुधार तथा देशकी उन्नतिमें अपने हिस्सेका कार्य कर सकेंगे।

सारी असुविधाओंको एक साथ हटानेके लिए एक विशेष विभाग स्थापित करना चाहिए। उसका नाम कृषक हितैषी विभाग रक्खा जा सकता है। यह विभाग राष्ट्रीय मन्त्रि मण्डलके किसी मन्त्रीके सुपुर्द रहेगा और प्रत्येक प्रान्तमें भी प्रान्तीय मन्त्रि मण्डलके किसी सदस्यके अधीन रहेगा। इस कृषक हितैषी विभागको निम्न लिखित काम सौंपे जायँ —

(१) वह अपने सब काम करनेमें इस बातका ध्यान रक्खे कि सब किसानोंकी दशा ज्यादासे ज्यादा २० २५ वर्षके दर्मियान सुधर जानी चाहिए, और इसी ध्येयपर लक्ष्य करके वह अपना कार्य करे।

(२) अपने मातहत चकबन्दीके अफसरों द्वारा वह प्रत्येक गावमें खेतोंकी चकबन्दी करानेमें किसानोंको सहायता दे।

(३) अपने आबपाशी विभागसे ऐसा प्रयत्न करावे जिससे किसानोंको पानीकी कमी न रहे। कुँए बनवानेके लिए, आवश्यकतानुसार वह तकावी बँटवावे।

(४) किसी भी कारण यदि फसल मारी जाय अथवा कम उपज हो तो मालगुजारी किश्त अदा करनेकी मियाद बढा दे अथवा जरूरत हो तो उचित परिमाणमें उसे मनसूख कर दे।

(५) किसानोंको ऋण मुक्त करनेके लिए ऋण मुक्त अफसर द्वारा किसानोंको शीघ्र ऋणसे मुक्त करनेमें सहायता दे।

(६) अपने सहयोग विभाग द्वारा प्रत्येक गाँवमें सहयोग साख समिति और सहयोग थोक अनाज बेचने वाली समितियाँ स्थापित करावे और उनकी यथोचित देखरेख करे।

(७) अपने कृषि विभाग द्वारा सब प्रकारके उत्तम बीज तैयार करावे और बोनीके समय उनको किसानोंमें उचित रीतिसे वितरण करानेका प्रबन्ध करे। उसी समय बीजका मूल्य मिल सके तो ले ले, अन्यथा फसल तैयार होनेपर जितना अन्न बोनीके लिए दिया गया हो उससे कुछ अधिक मात्रामें ले ले। शर्त यह है कि अन्न उमदा छाँट कर लिया जाय जो बीजके काम आ सके।

(८) अपने कृषि विभाग द्वारा नये नये तरीकों, उपयुक्त खाद, और औजारोंका उपयोग करनेके लिए किसानोंको उत्साहित करे।

(९) अपने शिक्षा-विभाग द्वारा प्रत्येक गाँवमें नीचे लिखे ढँगकी प्रारम्भिक शालाएँ स्थापित करनेका प्रबन्ध करे और इन शालाओंके लिए शीघ्र अध्यापक तैयार करनेका भी प्रबन्ध करे।

अ—प्रत्येक ग्राम्य पाठशालामें वही शिक्षा दी जाय जो कि भविष्यमें विद्यार्थीके काम आवे।

ब—उसमें प्राय ६ वर्ग (श्रेणियाँ) हों। किसानोंके लडकोंको पाँचवें और छठे वर्गमें प्रयोगात्मक कृषि-शिक्षा अवश्य मिले। उनमें उन्हें कृषिके वही तरीके सिखलाये जायँ जिनका उपयोग करनेसे उन्हें प्रत्यक्ष लाभ हो।

स—शिक्षकोंको उचित वेतन दिया जाय।

उ—पाठशालाके विद्यार्थियोंको चर्खा कातना सिखलाया जाय।

क—धार्मिक और शारीरिक शिक्षा देनेका उचित प्रबन्ध हो।

ख—विद्यार्थियोंमें राष्ट्रीय भावोंकी जागृति की जाय।

ग—उनको यह बतलाया जाय कि उनके क्या क्या अधिकार हैं और वे उनकी रक्षा किस प्रकार कर सकते हैं।

(१०) अपने पशु चिकित्सा विभाग द्वारा प्रत्येक बडे बडे गाँवमें पशु चिकित्सा-शाला खोलनेका प्रबन्ध करे और किसानोंको उचित मूल्यपर उत्तम उत्तम साँड तैयार करके दे।

(११) अपने मातहत सब विभागोंकी व्यवस्था इस तरहसे करे जिससे सभी अफसर अपना कार्य करते समय यह समझने

लग जायँ कि वे जनताके नौकर हैं—उनके मालिक नहीं, और रिशवत खोरीकी बिलकुल जड़ उखाड़ दे।

(१२) किसी गाँवकी चकबन्दीके समय जो किसान किसी अन्य शहरमें मजदूरी करनेके लिए जाना चाहें तो औद्योगिक विभागसे लिखा पढ़ी करके उन्हें हर प्रकारसे सहायता दे।

कृषि सुधारके सम्बन्धमें राष्ट्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकारकी जिम्मेदारी भी नीचे लिखे अनुसार होगी —

(१) कृषक हितैषी विभागको स्थापित करे और उसमें आधुनिक कृषि विभाग, आबपाशी विभाग, सहयोग विभाग, बन्दोबस्त विभाग, कृषि शिक्षा विभाग और पशु चिकित्सा विभागको सयुक्त कर दे।

(२) कृषक हितैषी विभागमें अच्छे ईमानदार आदमियोंको नियुक्त करे, और इस विभागको काफी परिमाणमें रुपये देनेको तैयार रहे। यह नहीं कि माँगा जावे हजार और दिया जावे पचास।

(३) किसान सम्बन्धी कानूनमें निम्न लिखित परिवर्तन कर दे —

अ—तमाम गैरमौरूसी किसानोंको तुरन्त मौरूसी हक दे दे।

ब—धाजिबुलअर्जसे जमींदारका रसद और बेगार लेनेका अधिकार खारिज कर दे।

स—बन्दोबस्तके समय मौरूसी किसानोंका जितना लगान

पहले बढता था उसका आधाही बढाया जाय और उस नीचे बढतीका सब भाग राष्ट्रीय सरकारको ही मिले। लगानकी मदसे जमींदारको आजकल जितनी आमदनी होती है वह उतनी ही रहने दी जाय।

ङ—हाँ, यदि जमींदार किसानोंको उपज बढ़ानेके कार्यमें सहायता दे तो वह किसानों पर लगान बढाये जानेके लिए राष्ट्रीय सरकारकी अदालतमें दरख़ास्त कर सके।

क—मौरूसी काश्तकारका शिकमी दर शिकमी काश्तकारसे मालगुजारी किश्तकी अपेक्षा दूनी रकमसे अधिक लगान लेना नाजायज समझा जाय।

ख—खेत यदि लगातार तीन वर्षतक किसी अन्य किसानको जोतनेके लिए दिया जाय तो उस परसे पुराने किसानका मौरूसी हक उठ जाय, और नये किसानको, एक सालका अधिक लगान देने पर, उस पर मौरूसी हक हासिल हो जाय। लेकिन नाबालिक बच्चों और बेवा स्त्रियोंपर इस धाराका प्रयोग न हो सके।

(४) देशी उद्योग धन्धोंकी वृद्धि की जाय जिससे केवल खेतीपर निर्वाह करनेवाले मनुष्योंकी संख्या कम होने लगे।

(५) निम्न श्रेणियोंके कर्मचारियोंका वेतन बढाया जाय और एक ऐसा विभाग स्थापित कर दिया जाय जो सरकारी नौकरोंके रिशवत लेनेकी छान बीन करता रहे और रिशवत लेनेवालोंको अदालतसे उचित दण्ड दिलावे।

(६) सभी ग्रामोंमें पञ्चायतें स्थापित करा दी जायँ और उन्हें छोटे छोटे दीवानी तथा फौजदारी मुकदमे फैसला करनेका अधिकार हो।

(७) ऋण मुक्त करनेवाले अफसरों द्वारा ही महाजनोंका कर्ज वसूल होनेकी व्यवस्था की जाय।

(८) रैयतवारी भागोंमे तबतक मालगुजारी न बढ़ाई जाय जबतक मालगुजारीकी अन्य प्रान्तोंकी औसत वहाकी मालगुजारीकी औसतके बराबर न हो जाय।

(९) जिन सिद्धान्तोंके आधारपर बन्दोबस्त होता है शीघ्र कानूनमें समाविष्ट कर दिये जायँ।

(१०) मालगुजारीका एक तिहाई हिस्सा जिला बोर्डोंको प्रारम्भिक कृषि शिक्षा-प्रचारके लिये दिया जाय।

(११) सरकारी जङ्गलोंसे, अकालके समय, उचित शर्तोंपर किसानोंको घास दी जानेका प्रबन्ध हो।

(१२) प्रत्येक गावमें कमसे कम पाँच फी सैकड़ा ज़मीन चरागाहके लिये रखनेका प्रबन्ध हो।

(१३) गो-वध कानूनन रोक दिया जाय।

(१४) जिन गाँवोंमें नियमानुकूल सड़के न हों वहा सड़कोंका प्रबन्ध शीघ्र कर दिया जाय।

(१५) ऐसी शिक्षाके दिये जानेका प्रबन्ध हो जिससे कृषक हितैषी विभागके लिये सब प्रकारके कर्मचारी तैयार हो सकें।

(१६) देशमें जबतक अनाजकी उपज काफी परिमाणमें न

हो तबतक अनाजकी रफ्तनीपर नियन्त्रण रक्खा जाय।

कृषि सुधारके लिये शिक्षित जनताको भी नीचे लिखी जिम्मेदारियां उठानी होंगी —

(१) सब स्थानोंमें ऐसी समितियाँ स्थापित की जायँ जिनका एकमात्र कर्त्तव्य कृषि-सुधारमें सरकार और किसानोंको सब तरहसे सहायता पहुचाना हो।

(२) तीर्थ स्थानोंमें ऐसी सेवा-समितियाँ स्थापित की जायँ जिनका कर्त्तव्य यात्रियोंको सब तरहसे सहायता पहुचाना और व्याख्यान तथा पुस्तकों इत्यादिके द्वारा अपना सुखमय जीवन व्यतीत करनेका मार्ग उन्हें बताना हो।

(३) शिक्षित पुरुषोंको यथासम्भव देहातमें जाकर रहना और किसानोंकी हर तरहसे सहायता करनी चाहिये।

(४) देशके उद्योग-धन्धोंकी वृद्धिके लिये, जहाँतक हो सके देशी वस्तुओंका ही उपयोग किया जाय।

(५) जबतक अनाज काफी परिमाणमें देशमें पैदा न होने लगे तबतक उसको विदेशमें भेजे जानेके लिये न बेचे।

(६) प्रत्येक गाँवमें कृषि-सहयोग समितियोंको स्थापित करनेमें सहायता की जाय।

(७) गोशालाएं स्थापित करें।

(८) गाँवोंमें कृषिकी शिक्षा देनेके लिये पाठशालाएँ खोलें और इस प्रकारकी शिक्षा देनेके कार्यमें सरकारकी भी सहायता करें।

(६) राष्ट्रीय विद्यापीठोंको हर तरहकी सहायता दे ।

(१०) सामाजिक रीति रिवाजोंमें ऐसे परिवर्त्तन करानेका त्न करें जिससे विवाह तथा अन्य उत्सवमें किसीको अपनी सियतसे अधिक खर्च करनेके लिये वाधित न होना पड़े ।

हम यह जानते हैं कि यदि इस योजनाके अनुसार कार्य रम्भ कर दिया जाय तो जमींदारोंको वेदखलीके अधिकारसे थ धोना पड़ेगा, इस कारण वे काश्तकारोंसे नज़राना वसूल न र सकेंगे । इसके सिवा किसानोंसे न वे वेगार ले सकेंगे और रसद वगैरह ही ले सकेंगे । फिर वन्दोवस्तके समय उनके स्तोंके लगानमें भी इजाफा न किया जा सकेगा । इस तरह जब सानोंपर अत्याचार करनेके तमाम सुभीते उनके हाथसे निकल यँगे तव जमींदारके पास अपनी आमदनी वढानेका एकमात्र धन यही रह जायगा कि वह किसानोंको उपज वढानेमें हायता दे । वास्तवमें इसीमें उसका भला है । यदि जमींदार हे तो किसानोंकी मदद करके अपनी आमदनी वहुत कुछ वढा कता है । यदि वह किसानोंको किसान सभा स्थापित करनेमें हायता देगा तो गाँवके सभी लोग उससे प्रेम करने लगेंगे । ो इसपर उसे गाँवकी पञ्चायतमें भी जगह मिल जायगी । अपने गाँवमें आवपाशीके सुभीतेके लिए कुआ तालाव दि खुदवाकर अपने लिए लगानमें इजाफा करवा सकेगा । ई कई तरहकी कीमती मशीनें—जैसे भूसा उड़ानेकी और री काटनेकी मशीन, ट्रैक्टर आदि—रखे और उन्हें किराये-

र किसानोंको दे। इसमें उसे खासा लाभ हो सकेगा। वह कृषि-विभागसे उत्तम बीज लेकर, बोनेके समय, किसानोंको वाजिब शर्तोंपर दे सकेगा। यदि वह अपने गांवका सब काम कारिन्दोंके भरोसे न छोडकर स्वयं देखरेख करे या खेती करना आरम्भ कर दे तो उसे हानि तो हो ही नहीं सकती। उलटा लाभ हो जाय। परन्तु इतना अवश्य होगा कि उसे आजकलके समान किसानोंपर अत्याचार कर कई तरहके नाजायज कर वसूल करनेका मौका न रहेगा।

इस योजनाके अनुसार कार्य होनेपर किसानोंकी परिस्थिति में भी बहुत कुछ अन्तर पड जायगा। यदि वे अपने खेतोंको एक चकमें कराना चाहे तो चकबन्दी अफसर द्वारा वैसा करा सकेंगे। मौरूसी हक मिल जानेके कारण उनकी बेदखली न हो सकेगी। रसद और बेगारसे भी उनका पिण्ड छूट जायगा। वे एकत्रित प्रयत्नसे किसान-सभा द्वारा जमींदारके अत्याचारोंसे अपना बचाव कर सकेंगे। ऋण-मोचक अफसर द्वारा वे वाजिब शर्तोंपर अपने कर्जसे भी मुक्त हो सकेंगे। प्रत्येक गावमें सहयोग साख समिति स्थापित हो जायगी। सहयोग-थोक समिति द्वारा वे अपना गल्ला वाजिब कीमतपर बेच सकेंगे। कृषि विभागके अफसरों द्वारा वे अपने खेतकी जमीनकी जाच कराकर यह मालूम कर सकेंगे कि किस खादकी जरूरत है और वह कहाँसे मिल सकती है। उनके गाँवमें उनकी आँखोंके सामने, कृषि विभागके अफसरकी देखरेखमें किसी किसान द्वारा नये तरीकोंसे खेती

कराई जायगी । इससे वे नये तरीकोंकी उपयोगिता और लाभको भली भांति समझ जायँगे और तब वे स्वयं उनका उपयोग करने लगेंगे। सरकारी आबपाशी-विभाग द्वारा उनकी पानीकी कमीको हटानेका प्रयत्न किया जायगा। शिकमी दर-शिकमी किसानसे उतना ही लगान लिया जायगा जो कि, मालगुजारी किश्तसे अधिक यानी तिगुना चौगुना न होगा। छोटे छोटे दीवानी और फौजदारीके मामलोंका फैसला वे अपने गांवकी पञ्चायत द्वारा करा सकेंगे।

साख समितियों द्वारा उनको कम सूदपर काफी परिमाणमें कर्ज मिलने लगेगा। कृषि-विभाग और जमींदार द्वारा उन्हें उत्तम बीज मिलने लगेगा। चरागाहके लिये हर मौजेमें काफी जमीन छोड़ी जाने लगेगी और उनके लड़कोंके लिये गांवमें निःशुल्क उचित कृषि शिक्षा मिलनेका पूरा प्रबन्ध हो जायगा। इस प्रकार कृषि-सुधारके लिए वे जो जो कार्य करेंगे उनमें उन्हें देशकी सरकार, शिक्षित जनता और जमींदारसे सब तरहकी सहायता मिलेगी और हमको पूरा भरोसा है कि इन दशाओंमें हमारे किसान भाई अपने खेतोंकी उपज बढ़ानेका प्रयत्न करनेमें कोई बात उठा न रखेंगे। उनकी गरीबी शीघ्र दूर हो जायगी और तब वे भारतको समृद्धिशाली बनानेमें और उन्नत करनेमें अपना यथोचित भाग ले सकेंगे। सर्वत्र सुख और आनन्दका साम्राज्य हो जायगा, अकाल कहीं नामको भी न रह जायगा और कोई भी मनुष्य भूखा न रहेगा।

हम यह जानते हैं कि इस योजनाको कार्यरूपमें परिणत करनेके लिए राष्ट्रीय सरकारको कई करोडका खर्च प्रति वर्ष करना होगा। परन्तु स्वराज्य स्थापित हो जानेपर खर्चके लिए रुपयोंकी तङ्गी न रहेगी। फौजी खर्चकी मद्से काट छाँट करने पर बहुत कुछ बचत हो सकेगी। यद्यपि निम्न श्रेणीके कर्मचारियोंका वेतन बढ़ जायगा किन्तु ऊँचे दर्जेके कर्मचारियोंका वेतन घट जायगा। अतएव इससे भी कुछ बचत होगी। आयात मालपर कर बढ़ानेके लिए अभी बहुत कुछ गुञ्जायश है, इससे कई करोडकी आमदनी बढ़ाई जा सकेगी और देशके उद्योगधन्धोंकी वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त और भी नये नये टैक्स लगाये जा सकेंगे। इतने पर भी यदि कमी रहेगी तो देशमें करोडोंका कर्ज लिया जा सकेगा। इसलिए हम यह समझते हैं कि रुपयेकी कमीके कारण कृषि-सुधार-कार्य बहुत दिनोंतक रुका न रहेगा।

अन्तमें जगन्नायक परमेश्वरसे सविनय प्रार्थना है कि वह हमारे किसान भाइयोंको अपनी उन्नति करने योग्य शक्ति दे और सर्वसाधारणको ऐसी सुमति दे जिससे कि वे कृषि सुधार-कार्यमें उनकी पूरी पूरी सहायता कर सकें।



परिशिष्ट (१)

खादका महत्व और उपयोग।

भारत कृषिप्रधान देश है। यहाके करीब ७० फी सैकडा निवासी अपना जीवन निर्वाह खेती द्वारा ही करते हैं। परन्तु कई कारणोंसे कृषकोंकी दशा आजकल बहुत खराब हो गई है और दिन पर दिन वह अधिक खराब होती जा रही है। दिन रात कठिन परिश्रम करनेपर भी उनको रुखा सूखा भर पेट भोजन नहीं मिल पाता। जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है, उनको कई असुविधाओंका एक साथ सामना करना पडता है। वे बहुत गरीब हैं। उनका रहन सहन बहुत नीचे दर्जेका है। उनके खेत प्राय छोटे छोटे टुकडोंमें दूर दूरपर बँटे हुए रहते हैं। उनसे अत्यधिक सूद और लगान वसूल किया जाता है। बीचके दलाल लोग उनका बहुत सा मुनाफा हडप कर जाते हैं। उनमें विद्याका अभाव है। और अपनी अज्ञानताके कारण वे जहा जाते हैं वहीं ठगे जाते हैं। उनकी इन सब असुविधाओंको विना हटाये उनको आर्थिक-दशा सुधारना यदि असम्भव नहीं तो अत्यन्त कठिन अवश्य है। किसान हमारे राष्ट्रके मुख्य अङ्ग हैं। इसलिये जबतक इनकी दशा नहीं सुधरती तबतक देशकी उन्नति

भी नहीं हो सकती। उनकी दशा स्थायीरूपसे शीघ्र सुधारनेके लिये उनकी सब असुविधाओंको एक साथ हटाना कोई सरल काम नहीं है। प्रत्येक देशहितैषी सज्जनको इस जटिल प्रश्नपर खूब विचार करना चाहिये और दत्तचित्त होकर अपने तन, मन, धनसे किसानोंकी दशा शीघ्र सुधारनेका प्रयत्न करना चाहिये।

हिसाब लगानेसे मालूम हुआ है कि देशमें अनाजकी भयङ्कर कमी प्रतिवर्ष रहती है। इस कमीके कारण हमारे देशके प्रायः दोतिहाई युवा मनुष्योंको आधा पेट भोजन पाकर ही अपना जीवन व्यतीत करना पडता है। इस अनाजकी कमीको पूरी करनेके लिये देशमें अनाजकी उपज बढाना बहुत आवश्यक है। प्राय सब अनाजोंकी हमारी फी एकड उपज अन्य देशोंकी अपेक्षा बहुत कम है। पर हमारी जमीन खराब नहीं है, क्योंकि कृषि-विभागके अफसर उसी जमीनपर नये तरीकोंसे खेती करके दूनी तिगुनी उपज पैदा कर लेते हैं। इसलिये प्रत्येक अनाजकी फी एकड उपज बढानेकी अभी बहुत गुंजायश है। परन्तु उपज बढानेके लिये भी हमको किसानोंकी आर्थिक दशा सुधारना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना उनकी दशा सुधारे और बिना उनको उचित प्रोत्साहन दिये उनसे नये तरीकोंसे खेती करानेकी आशा नहीं की जा सकती। यह मानते हुए कि बिना सब असुविधाओंको एक साथ हटाए किसानोंकी दशा स्थायी रूपसे नहीं सुधर सकती, हम यह समझते हैं कि

यदि हमारे किसान भाई अपने गोवर, कूडा, कचरा, राख इत्यादि वस्तुओंका खादके रूपमें उचित रीतिसे उपयोग करें—जिनका करना इस आधुनिक दशामें भी कठिन नही है—तो वे उपज आसानीसे वहुत कुछ वढा सकते हैं और अपने लाभके साथ साथ देशको भी फायदा पहुँचा सकते हैं।

इस परिशिष्टमें खादका महत्व वतलाते हुए हम पाठकोंको गोवर, कूडा, कचरा, राख इत्यादि वस्तुओंका खादके रूपमें उपयोग करनेका एक ऐसा अनुभवसिद्ध तरीका वतलावेंगे जिसके अनुसार खाद देनेसे कई वर्षोंतक उपज वढ जाती है और जिसका उपयोग कर गरीवसे गरीव किसान भी अपने आपको लाभ पहुचा सकता है।

संसारके सभ्य देशोंके किसानोंने नये तरीकोंसे खेती करके तथा उत्तम और काफी परिमाणमें खाद देकर गत १०-१५ वर्षोंके अन्दर अपनी उपज दूनीसे अधिक वढा ली है। भारतके किसान जव रोटीके टुकडोंके लिये मोहताज हो रहे हैं तव पाश्चात्य देशोंके किसान मालामाल हो रहे हैं। कीटिङ्ग साहवने—जो कि गत १४ वर्षों से वम्बई प्रान्तके कृषि विभागके डायरेक्टर थे—इङ्गलैण्ड, फ्रास और जर्मनीके विशेषज्ञोंसे यह दरयाफ्त किया कि उनके देशकी उपजकी वढती भिन्न भिन्न तरीकोंसे कितनी फी सैकडा हुई। उनको जो कुछ उत्तर मिला उसका साराश नीचे दिया जाता है —

कोष्ठक (३०)

	उपजकी वृद्धि फी सैकडा		
	इङ्गलैण्डमें	फ्रासमें	जर्मनीमें
१–उत्तम और अधिक खाद देनेसे	बहुत कुछ	५० से ७०	५०
२–नये तरीकोंसे खेती करनेसे	सबसे अधिक	१५ से २०	२५
३–उत्तम बीजका उपयोग करनेसे	१०	५ से २०	१५

फ्रास और जर्मनीमें ५० फी सैकडा उपजकी वृद्धि उत्त और अधिक खाद देनेसे हुई है, और इङ्गलैण्डकी उपजकी वृ भी बहुत कुछ उसी कारणसे हुई है। इससे खादकी उपयोगित स्वय सिद्ध है। बम्बई प्रान्तके कृपिक्षेत्रोंसे जो कुछ अनुभव प्रा हुआ उसके आधारपर कीटिंग साहब अपनी पुस्तक (Agri cultural Progress in Western India) 'एग्रिकल्चर प्रोग्रेस इन वेस्टर्न इण्डिया' में यह बतलाते हैं कि सूरत, जल गाव, पूना और धारवाड जिलोंमे नीचे लिखे तरीकोंसे फी सैकडा कितनी उपजकी वृद्धि आजकल हो सकती है —

कोष्ठक (३१)

	उपजकी वृद्धि फी सैकडा			
	सूरत	जलगाव	पूना	धारवा
खादसे —	३०	३०	३०	३०
नये तरीकोंसे खेती करनेसे —	२०	२५	३०	३५
उत्तम बीजसे —	१०	१०	१०	१०
खेतोंमें बाँध बाँधनेसे —	—	१५	१५	२०
	६०	८०	८५	९५

कीटिंग साहबने यह भी जाननेका प्रयत्न किया है कि बम्बई
न्तके साधारण किसान लोग पुराने तरीकोंसे खेतीकर
ी एकड कितनी कीमतका अनाज पैदा करते हैं और पूनाके
रकारी फार्मपर उत्तम तरीकेसे खेती करनेसे कितनी कीमतका
नाज पैदा होता है। इस सम्बन्धमें उनको जो कुछ हाल
लूम हुआ है वह साराशमें नीचेके कोष्ठकमें दिया जाता है —

काष्ठक (३२)

सलोंके नाम	फी एकड उपजकी कीमत			
	साधारण किसानोंके खेतोंमे		सरकारी फार्मोंपर	
	रु०	आ०		रु०
ज्वार —	२४	१३	खरीफ	५५
			रबी	८०
बाजरा —	१७	४		३८
गेहूँ —	२४	२		७६
मूगफली —	४५	११		६६

उपरोक्त कोष्ठकसे यह पता लगता है कि नये तरीकेसे खेती
रनेके कारण सरकारी फार्मो की फी एकड उपज किसानोंकी
पजसे प्राय दुगुनीसे भी अधिक रहती है। परन्तु कीटिंग
ाहबने यह नहीं बतलाया है कि किसानोंका खेतोंमें फी एकड
र्च कितना होता है और सरकारी फार्मो पर फी एकड कितने
पये खर्च किये जाते हैं। यदि ये खर्च मालूम हो जाते तो
ानि लाभका लेखा तैयार किया जा सकता और इस बातका

पता भी लग जाता कि नये तरीकोंसे खेती करनेमें फी एकड कितने आर्थिक लाभकी आशा की जा सकती है। खैर, तो भी यह तो स्वय सिद्ध है कि उपजकी वृद्धिका वहुत सा भाग— कमसे कम ३० फी सैकडा—उत्तम और काफ़ी परिमाणमें खाद देनेका फल है। हमारा विश्वास है कि भारतके अन्य प्रान्तोंमें भी खादका उचित रीतिसे उपयोग करनेसे कमसे कम ३० फी सैकडा उपज शीघ्र वढाई जा सकती है। इसलिये नीचे हम खादके उपयोग करनेका एक ऐसा तरीका वताते हैं जो प्रयागके कृषि विद्यालयमें वहुत लाभदायक सिद्ध हुआ है। उसमें व्यय भी अधिक नहीं पडता। इस कारण उसका उपयोग गरीवसे गरीव किसान भी कर सकता है।

भारतमें वैलके विना खेती सम्भव नही है, इसलिये प्रत्येक किसानके पास कमसे कम दो वैल अवश्य रहते हैं। किसी किसी किसानके पास इनकी सख्या अधिक भी रहती है। किसी किसीके पास गायें और भैंसें भी रहती हैं। परन्तु किसान लोग इनके गोवरका उचित उपयोग नहीं करते। गोवरका वहुत सा भाग तो वे कडे वनाकर जला देते हैं और यदि थोडा वहुत गोवरका खाद अपने खेतोंमें देते भी हैं तो इस तरहसे कि गोवरका लाभदायक अश नष्ट हो जाता है और उससे अधिक लाभ नहीं होता। भारतीय किसान आजकल जो कूडा, कचरा प्रतिदिन वाहर फेंक देते हैं और जो गोवर कंडे वनाकर जला देते हैं उसमें उपजके वढानेवाले वे पदार्थ मौजूद रहते हैं जिनकी

कीमत एक रुपयेसे कम नहीं कूती जा सकती। परन्तु हमारे किसान भाई यह नहीं जानते कि इन लाभदायक वस्तुओंका दुरुपयोग करनेसे वे अपने हाथोंसे अपना एक रुपया रोजका नुकसान करते हैं। यदि इस कूडा, कचरा और गोबरका उनके खेतोंमें उचित रीतिसे उपयोग किया जाय तो उनकी उपज बढे और उनको कई वर्षों तक अन्य कोई खाद देनेकी आवश्यकता भी न पडे, वे मालामाल हो जायँ और कुछ वर्षोंमें वे अपनी दशा भी सुधार सकें। प्रत्येक किसानको यह निश्चय कर लेना चाहिये कि वह अपना कूडा, कचरा, राख और गोबरको कभी भी नष्ट न होने देगा और वह उसका उचित रीतिसे खादके रूपमें अवश्य उपयोग करेगा। यदि किसान लोग अपनी हैसियतके अनुसार नीचे दिये हुए दो तरीकोंमेंसे किसी एक तरीकेके अनुसार अपने कूडे, कचरे और गोबरका खादके रूपमें उपयोग करेंगे तो हमको पूर्ण विश्वास है कि उनको बहुत लाभ होगा।

(१) यदि किसानके पास खेत छोटा हुआ और ढोरोंकी संख्या कम हुई तो उसे खेतके एक कोनेमें, मेडसे एक फुट जमीन छोडकर, पाच फुट लंबा, पाच फुट चौडा और करीब एक फुट गहरा गड्ढा खोदना चाहिये (चित्र नं० ६ में 'अ' स्थान देखिये)। इस गड्ढेकी मिट्टी मेडके पासकी बची हुई एक फुट जमीनपर डाल देनी चाहिये (चित्र न० ६ में 'क' स्थान देखिये)। फिर ढोरोंका ताजा गोबर तथा मूत्र, सब प्रकारका कूडा कचरा, घास, राख, सूखे हुए पत्ते इत्यादि प्रतिदिन इकट्ठे

इस गड्ढेमें डालते जाना चाहिये। दो चार रोजमें जब वह गड्ढा भर जाय तब उसके पास उसी लाइनमें एक दूसरा गड्ढा पाच फुट लंबा, पाच फुट चौडा और करीब एक फुट गहरा खोदना चाहिये और इस दूसरे गड्ढेकी मिट्टी महीन करके पहले गड्ढेपर डाल देनी चाहियें (चित्र न० ६ में 'स' स्थान देखिये)। इसी प्रकार गड्ढे खोदते और उनको खाद तथा मिट्टीसे भरते जाना चाहियें जबतक कि एक लाइन पूरी न हो जाय। लाइन पूरी होनेपर उसके आखिरी गड्ढेके दाहिनी या बाईं तरफ एक दूसरा पाच फुट लंबा, पाच फुट चौडा और एक फुट गहरा गड्ढा खोदना चाहिये (चित्र न० ६ में 'ड' स्थान देखिये)। इस गड्ढेकी मिट्टी पहली लाइनके आखिरी गड्ढेपर डाल देनी चाहिये और जब यह गड्ढा खादसे भर जाय तब उसी लाइनमें उसके पास नया गड्ढा ऊपर लिखे अनुसार खोदना चाहिये। इस प्रकार दूसरी लाइनके अन्ततक खाद भरते चले जाना चाहिये। दूसरी लाइनका आखिरी गड्ढा पहली लाइनके पहले गड्ढेके पास होगा। इसलिये जब वह गड्ढा खादसे भर जाय तब सबसे पहले गड्ढेके पास जमा की हुई मिट्टी इस गड्ढेपर डाल देनी चाहिये। इस प्रकार पाच फुट चौडी दो लाइनोंमें इस नये तरीकेसे खाद आसानीसे दे दी जायगी। तीसरी पाच फुटकी लाइनमें ठीक उसी तरहसे खाद देना आरंभ करना चाहिये जिस तरहसे कि पहली लाइनमें आरम्भ किया गया था। उपरोक्त तरीकेके अनुसार

एकके बाद एक लाइन खाद और मिट्टीसे भरते जाना चाहिये जबतक कि सब खेत भरमें खाद न दे दिया जाय।

चित्र नं० ६

अ—पहली लाइनका सबसे पहला गड्ढा।

ब—पहली लाइनके पहले गड्ढेकी मिट्टी इस स्थानपर डाली जायगी।

ड—पहली लाइनका दूसरा गड्ढा। इस गड्ढेकी मिट्टी 'अ' स्थानपर उसकी खादसे भर जानेपर डाली जायगी।

ध—पहली लाइनका पहला गड्ढा। इसकी मिट्टी पहली लाइनके आखिरी गड्ढेपर उसके खादसे भर जानेपर डाली जायगी।

क—दूसरी लाइनका आखिरी गड्ढा। इस गड्ढेके खादसे भर जानेपर 'ध' स्थानपर इसकी भी कुछ मिट्टी इसपर डाली जायगी।



परिशिष्ट (२)

कपास

[कपासकी आवश्यकता । कपासका निर्यात । कपासके उपज-को बढ़ाना । कपास नई जमीनोंपर कहा बोया जा सकता है । कपासकी फी एकड उपज कैसे बढाई जा सकती है । लंबे रेशे-दार कपासकी उपज बढानेकी आवश्यकता । लंबे रेशेदार कपास कहापर बोया जा सकता है । जीनवालोंकी बेईमानिया । सेंट्रल-काटन कमेटी । उपसहार ।]

स्वदेशी आन्दोलनकी सफलताके लिये यह आवश्यक है कि भारतमें प्रतिवर्ष ५०० करोड गज कपडा तैयार किया जाय। इसमें २०० करोड गज कपडा तो मिलों द्वारा तैयार किया जा सकेगा और ३०० करोड गज कपडा हमको हाथसे करघों द्वारा बुनना होगा। ५०० करोड गज कपडा तैयार करनेके लिये कमसे कम १२५ करोड पौण्ड सूतकी आवश्यकता होगी। इसमेंसे ६५ करोड पौण्ड मिलके सूतसे काम लिया जा सकेगा और कमसे कम ६० करोड पौण्ड सूत हाथसे कातना होगा। इस ६० करोड पौण्ड सूतके लिये कमसे कम ६० करोड पौण्ड अथवा करीब ७५ लाख मन कपासकी आवश्यकता पढेगी। इस परिशिष्टमें यह बतलाया गया है कि इतना कपास किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता

है, कपासकी खेतीकी और व्यवसायकी इस समय क्या दशा है, और उसकी किस प्रकार उन्नति की जा सकती है।

कपासकी उपरोक्त आवश्यकताको पूर्ण करनेके दो साधन हैं (१) कपासके निर्यातके परिमाणको कम करना अर्थात देशके बाहर कम कपास जाने देना और (२) कपासकी उपजको बढाना। नीचेके कोष्ठकमें यह बतलाया गया है कि सन् १९१३—१४ और १९१९—२० में कितना कपास कहाँ कहाँपर भेजा गया, जो भेजा गया वह सम्पूर्ण उपजका फी सैकडा कौनसा भाग था और कपासके निर्यातका मूल्य क्या था।

कोष्ठक नं० (३३)

	१९०९-१० से १९१३ १४ तक पाँच वर्षोंके निर्यात का वार्षिक औसत (लाख मन)	१९१९ २० में कपासका निर्यात (लाख मन)
जापान —	५०	८२
इटली —	११॥	८
बेलजियम —	१४	७
जर्मनी —	१७॥	२॥
इङ्गलैण्ड —	६	७॥
अन्य देश —	२१॥	१३
कुल निर्यात —	१२०॥	१२०

नोंको यह अच्छी तरह समझाना होगा कि नये तरीकोंसे खेती करनेमें लाभ बहुत होता है और यदि वे भी उसी तरहसे खेती करें तो उनको भी लाभ अवश्य होगा। किसानोंकी सब प्रकारकी शकाओंका समाधान भी कृषि विभागके अफसरोंको करना होगा। तब कहीं नये तरीकोंका प्रचार करनेमें वे कुछ अंशमें सफल हो सकेंगे। यदि कृषि विभागके अफसर प्रत्येक गाँवमें चुने हुए साधारण किसानोंको अपनी देख रेखमें इस शर्तपर नये तरीकोंसे खेती करनेको उत्साहित करें कि यदि उससे कुछ नुकसान होगा तो वह सरकार द्वारा चुका दिया जायगा, तो नये लाभदायक तरीकोंका बहुत शीघ्र प्रचार होने लगेगा। जब गावके अन्य किसान एक साधारण किसानको अपनी आखोंके सामने नये तरीकोंका उपयोग करके लाभ उठाते देखेंगे तो वे भी उनका उपयोग आरम्भ कर देंगे। कृषि विभागके अफसर भी उन्हीं तरीकोंको बतलावेंगे जो कि उनकी प्रयोगशालामें अनुभवसे लाभदायक सिद्ध हो चुके हैं। सरकारको भी इससे कुछ अधिक नुकसान न होगा क्योंकि अनुभव सिद्ध लाभदायक नये तरीकोंसे खेती करनेमें किसानोंको टोटा होनेकी बहुत कम गुञ्जाइश रहेगी। काटन कमेटीने कृषि-विभागके कुछ अफसरोंकी संख्या वृद्धि करनेकी सिफारिश की है, परन्तु क्या इतनेसे ही काम चल जायगा? क्या ये अफसर किसानोंकी सब असुविधाओंको एक साथ हटानेमें समर्थ होंगे? जबतक किसानोंकी सब असुविधाओंको, एक साथ हटानेका प्रयत्न नहीं किया जाता

तबतक उनकी आर्थिक दशा शीघ्र नहीं सुधर सकती और न तबतक फी एकड उपज ही अधिक बढ सकती है। उस समय तक भारतके किसान भी अन्य देशोंके किसानोंका मुकाबला नहीं कर सकते।

भारतमें लंबे रेशेदार (Long Stapled Cotton) उत्तम कपासकी उपज बढनेकी इस समय बहुत आवश्यकता है। यहा-पर ऐसा कपास इतना कम पैदा होता है कि मिलोंको बारीक सूत कातनेके लिए या तो कपास अमरीकासे खरीदना पडता है या मिस्रसे और बारीक कपडा बुननेके लिए बारीक सूत इङ्गलैण्डसे मँगाना पडता है। गत वर्ष (सन् १९२० २१) में करीब ७ लाख मन कपास विदेशसे भारतमे आई, जिसकी कीमत करीब १ करोड ६८ लाख रुपये थी। लम्बे रेशेदार कपास और बारीक सूतकी कमीके कारण ही भारतीय मिलोंमे तथा देशी करघों द्वारा बारीक कपडे अधिक परिमाणमे नहीं बनाये जाते और इस कारण करोडों रुपयोंके पतले महीन कपडे इंग लैण्डसे प्रतिवर्ष मँगाये जाते हैं। यदि लम्बे रेशेदार कपास काफी परिमाणमें भारतमे ही पैदा होने लगे और उसका पतला सूत यहापर काता जाकर उससे बारीक कपडे बनने लगें तो फिर विदेशसे कपडा मँगानेकी आवश्यकता ही न पड़े। नीचेके कोष्ठकमें यह बतलाया गया है कि भिन्न भिन्न प्रकारका कितना सूत गत वर्ष (सन् १९२० २१) मे भारतमें आया और कितना भारतकी मिलोंमें काता गया।

कोष्ठक नं० (३५)

सूतका नम्बर	सूतकी आयात (लाख सेर)	देशकी मिलोंमें काता गया सूत
१ से २५ नम्बरतकका सूत	४०	(लाख सेर)
२६ से ३० " " "	१६	२९६०
३१ से ४० " " "	१२४	२५३
४० से अधिक नम्बरका सूत	२०	७५
रंगीन सूत	२१	१०
अन्य तरहके सूत	१७	२
	२३६	३३००

उपरोक्त कोष्ठकसे पता लगता है कि ३१ नम्बरसे कम नम्बरके सूतका आयात बहुत थोडा है, वह सम्पूर्ण आयातका करीब एक चौथाई हिस्सा है, बाकीका तीन चौथाई हिस्सा ३० से अधिक नम्बरके सूतका और रंगीन सूतका है। इस कोष्ठकसे यह भी मालूम होता है कि देशी मिलोंमें ३० से अधिक नम्बरका सूत बहुत कम काता जाता है और इसका मुख्य कारण लंबे रेशेदार कपासकी कमी है।

अमरीका और मिस्रकी लंबे रेशेदार कपास भारतमें सिन्ध पंजाब और मद्रास प्रान्तमें सफलतापूर्वक बोई जा सकती है, परन्तु इन जातिके कपासोंके लिये सिंचाईकी बहुत आवश्यकता रहती है। जबतक सिन्धमें सकर बैरेज नहर पूरी नहीं बन

जाती और किसानोंको बारहों महीने पानी देनेका प्रबन्ध नहीं किया जाता तबतक यहाँपर अमरीका और मिश्रके कपासकी बोनी अधिक नहीं बढाई जा सकती। हाँ, उस नहरके बन जाने-पर करीब ६ लाख एकड जमीनमें लंबे रेशेदार कपास बोई जा सकेगी। पञ्जाब और मद्रासमें नहरोंके आस पासके खेतोंमें भी ऐसे कपासकी खेती बढाई जा सकती है। परन्तु इसमें एक बडी बाधा है। लंबे रेशेदार कपासको देशी कपासकी अपेक्षा अधिक समय लगता है और उसके बोनेमें खर्च भी अधिक लगता है इसलिये जबतक किसानोंको लंबे रेशेदार कपासकी कीमत देशी कपासकी कीमतसे काफी अधिक नहीं मिलती तब तक वे उसको बोना उचित न समझेंगे। आजकल कई कारणोंसे किसानोंको अपने कपासकी उचित कीमत नहीं मिल पाती। बीचके दलाल उनका बहुत सा मुनाफा हडप कर जाते हैं। किसान अपना कपास प्राय गाँवके उन बनियोंको बेच देते हैं जिनके कि वे कर्जदार होते हैं। इस कारण बनिया उनसे कपास बाजारू दरसे कम कीमतपर ले लेता है। कभी कभी तो बनिये खडी फसल ही खरीद लेते हैं जिसकी कीमत बाजारू कीमतसे प्राय ३० रु० से १०० रु० प्रति खडीतक कम रहती हैं। गाँवके इन छोटे छोटे बनियों द्वारा वह बडे व्यापारियोंको बेंच दिया जाता है। ये व्यापारी उसे विदेश भेजनेवाली किसी कम्पनीके हाथ बेंच देते हैं अथवा जीनमें बीज अलग करनेके लिये भेज देते हैं। किसानोंको अपने कपासकी उचित कीमत दिलानेके लिये

यह आवश्यक है कि जिन भागोंमें कपास बोई जाती है, वहाँ कपासके बाजार खोले जायँ और बाजारका प्रबन्ध तथा उसकी देख-रेख करनेके लिये गाँवमें रहनेवालोंकी एक कमिटी नियुक्त की जाय। इस बाजारमें किसान अपनी कपास खरीदारोंको विना किसी दलालकी मध्यस्थताके बेच सकेंगे और इस प्रकार उनको उसकी उचित कीमत मिल जाया करेगी। बाजारमें उनके मालको तौलनेमें भी बेईमानी न होगी क्योंकि यदि कोई ऐसा करता पकडा जायगा तो वह बाजारके नियमोंके अनुसार दण्डित होगा। उत्तम कपासके बोनेवाले अपने कपासके लिये अधिक कीमत भी पा सकेंगे। इस ढंगके बाजारोंसे बरारमें बहुत लाभ हुआ है और काटन कमिटीने ऐसे बाजारोंको शीघ्रही अन्य भागोंमें खोलनेकी सिफारिश की है। सहयोग थोक-विक्रय समिति (Co-operative Wholesale Society) की स्थापना करनेसे भी दलालोंकी संख्या कम की जा सकती है।

जब कपास जीनमें बीज अलग करनेके लिये भेजी जाती है तब वह बहुत कुछ शुद्ध दशामें रहती है। कई जीनोंमें बीज निकालनेपर कपास (रुई) में रद्दी कपास और कूडा कचरा मिला दिया जाता है, कहीं कहीं तो गट्ठा बाधनेके लिए उसको दबाते समय उसपर पानी छिडक दिया जाता है जिससे कि उसका वज़न बढ जाय। इसका परिणाम यह होता है कि जब रुईकी गाठें मिलोंमें पहुँचती हैं तो प्रत्येक गाठमेंसे बहुत सी रुई उनके किसी भी कामकी नहीं रहती। इस कारण मिलवाले रुईकी

क़ीमत भी कम देते हैं। जीनवालोंको रुईकी कीमत कम मिलनेपर वे किसानोंको भी कपासकी कम क़ीमत देते हैं, और इसका फल यह होता है कि जीनवाले तो बेईमानी करके मालामाल हो जाते हैं परन्तु उनकी बेईमानीका प्रायश्चित्त गरीब किसानोंको भोगना पडता है। कभी कभी जीनोंमें लंबे रेशेदार रुईके साथ छोटे रेशेकी रुई मिला दी जाती है। जबतक यह मिली हुई रुई मिलोंमें काती नहीं जाती तबतक इसका पता नहीं लगता कि उसमें छोटे रेशेकी रुई भी मिली हुई है। इस प्रकार उत्तम श्रेणीके कपासकी रुई जीनवालोंकी बेईमानियोंके कारण बिगाड दी जाती है। जीनोंसे एक बडा नुकसान यह भी होता है कि लंबे रेशेदार कपासके बीज छोटे रेशेदार कपासके बीजके साथ मिल जाते हैं और जब यही बीज बोये जाते हैं तब कपासकी किस्म भी बिगड जाती है। काटन कमिटीके सदस्योंने हुबली स्टेशनपर अपनी आखोंसे देखा है कि बम्बईसे कई मालगाडीके डब्बे रद्दी कपाससे भरकर वहाँको भेजे गये थे, और उनकी यह धारणा है कि यह रद्दी कपास वहाँकी जीनोंमें उत्तम कपासके साथ मिलानेके लिये ही मँगाई गई थी। कमिटीके सदस्योंने हुबलीकी एक जीनमें यह देखा कि उसमें प्रति ६ मन उत्तम कपासके पीछे दो मन रद्दी कपास मिलाई जा रही थी। इस प्रकारकी बेईमानियोंको शीघ्र बंद करना बहुत आवश्यक है। काटन कमिटीने यह सिफारिश की है कि रद्दी कपासका रेल द्वारा भेजा जाना बिलकुल बंद कर दिया जाय। जब जीन,

वालोंको काफ़ी परिमाणमें रद्दी कपास ही न मिलेगी तब फिर वे उसे उत्तम कपासमें नहीं मिला सकेंगे।

परन्तु केवल रद्दी कपासका रेल द्वारा भेजा जाना बन्द करनेसे ही काम न चलेगा। जीनवाले अन्य तरहसे बेईमानियाँ कर सकेंगे। उनकी बेईमानियोंका अन्त करनेके लिए काटन कमिटीने यह सिफारिश की है कि जीनोंको अपना काम करनेके लिये खास खास शर्तोंपर लाइसेंस दिया जाय और जो जीनें बिना लाइसेंस लिये चलाई जायँ उनके मालिकोंको दण्ड दिया जाय। प्रत्येक जीनको एक नम्बर या खास मार्क दिया जाय और वह उसे अपने यहाँके रुईके गट्ठोंपर लगानेके लिए बाधित की जाय। यदि मिलमें गट्ठोंके पहुंचने पर किसी गट्ठमें खराब रुई निकले तो उस गाठपरके नम्बर या मार्कसे तुरन्त पता लग जायगा कि वह कौनसी जीनसे भेजा गया है और इस प्रकार आसानीसे बेईमानी करनेवालेका पता लग जायगा और उसे उचित दण्ड भी मिल सकेगा। लाइसेंस देने और मसूख करने की सिफारिश करनेका अधिकार सेंट्रल काटन कमिटी (Central Cotton Committee) को रहेगा। इस कमिटीकी स्थापना काटन कमिटीकी सिफारिशके अनुसार १९२१ के अप्रैल मासमें भारत-सरकार द्वारा की गई है। कमिटीमें आज कल २६ सदस्य हैं, उसमें ६ सरकारी हैं और बाकी गैर सरकारी। कमेटीका सङ्गठन इस प्रकार है —

सभापति

१—भारत सरकारके कृषि-सम्बन्धी परामर्श दाता (Agricultural Adviser to the Government of India)

सरकारी सदस्य

२ ६—मद्रास, बम्बई, पञ्जाब, युक्त प्रात, वर्मा, मध्य प्रान्त-और बरार, तथा सिन्धके कृषि विभागके एक एक प्रतिनिधि और व्यवसाय विभागके डायरेक्टर-जनरल।

गैर सरकारी सदस्य

१०—पूर्व भारतीय काटन एसोसियेशनके एक प्रतिनिधि।

११-१६—निम्नलिखित संस्थाओंका एक एक प्रतिनिधि—

(अ) बम्बई मिल ओनर्स एसोसियेशन

(ब) बम्बई चेंबर आफ कामर्स

(स) अहमदाबाद मिल ओनर्स एसोसियेशन

(ड) कराची चेंबर आफ कामर्स

(क) ट्यूटीकोरिन चेम्बर आफ कामर्स

(ख) उत्तर भारतीय चेम्बर आफ कामर्स

१७ १८—मध्यप्रात और बरारके मिल और जीनवालोंके दो प्रतिनिधि

१९ २१—मद्रास, पञ्जाब, और बंगालके मिलों और जीनवालोंके एक एक प्रतिनिधि।

२२—लंकाशायरका एक प्रतिनिधि।

अन्य प्रतिनिधि

२३—सहयोग विभागका कोई सरकारी या गैरसरकारी अफसर, जिसे भारत सरकार नियुक्त करे।

२४-२५—हैदराबाद और बडोदाके एक एक प्रतिनिधि।

२६—राजपूताना और मध्य भारतके रक्षित राज्योंकी तरफसे एक प्रतिनिधि।

उपरोक्त सेंट्रल काटन कमिटीको जीनवालोंका लाइसेंस मंसूख करनेकी सिफ़ारिश करनेके अतिरिक्त यह काम भी सौंपा गया है कि वह कपासकी उन्नतिके सब प्रकारके तरीकोंके सम्बन्धमें भारत सरकार या प्रांतिक सरकारको सलाह देती रहे। इस कमिटीको सलाह देनेके सिवा और कोई खास अधिकार नहीं दिया गया है। अभी इस कमिटीको अपना कार्य करते बारह महीने भी नहीं हुए हैं इसलिये हम यह नहीं कह सकते कि वह कपासकी किस्म सुधारने और जीनवालोंकी बेईमानियोंको रोकनेमें कहाँतक सफल हुई है। यदि वह अपना कार्य करनेमें सफल हुई तो किसानोंकी कपास-सम्बन्धी एक बडी असुविधा दूर हो जायगी और नई नहरोंका काम पूरा होने पर भारतमें लम्बी रेशेदार कपास इतनी पैदा होने लगेगी कि फिर बाहरसे कपास, पतला सूत या बारीक कपडे मँगानेकी आवश्यकता न पडेगी, और भारत देशवासियोंकी कपडे सम्बन्धी सब आवश्यकताओंको पूरी करके आजकल जो करोडों रुपयोंका कपास बाहर भेजा जाता है उसके बदले, करोडों गज कपडा बाहर भेजनेमें समर्थ होगा।

परिशिष्ट (३)

गन्ना, गुड और शक्कर।

[भारतमें गुड और शक्करका उपयाग। भारतमें अपवित्र विदेशी शक्करकी खपत। भारतमें गन्ने और शक्करकी उपज। भारतमें गुड और शक्करकी खपत। ससारके कुछ देशोंमें शक्कर और गुडकी फी मनुष्य खपत। गन्नेकी उपज बढ़ानेकी आवश्यकता। नई जमीनमे गन्ना कहा कहापर बोया जा सकता है। गन्नेकी फी एकड़ उपज कैसे बढ़ाई जा सकती है। सुगर-कमेटीकी गन्नेकी खेती सुधारने सम्बन्धी सिफारिशें।]

गुड और शक्कर हमारे भोजनकी मुख्य वस्तुए हैं। ऐसे बहुत कम मनुष्य मिलेंगे जिनको कई दिनों-तक गुड अथवा शक्करके उपयोग करनेका सौभाग्य न प्राप्त होता हो। भारतको छोडकर ससारके अन्य सभ्य देशोंमें गुडका उपयोग नहीं किया जाता। यदि कहीं होता भी है तो बहुत थोडा। भारतके बहुत गरीब होनेके कारण यहाँ-पर गुडका ही उपयोग अधिक किया जाता है। परन्तु कुछ वर्षोंसे शक्करका उपयोग भी बढ रहा है। देशमें शक्करकी माँग अब इतनी अधिक बढ गई है कि हमको प्रतिवर्ष अन्य देशोंसे करोडों रुपयोंकी, हड्डीके कोयलोंसे साफ की हुई, अपवित्र शक्कर

मँगानी पडती है। नीचेके कोष्ठकमें यह बतलाया गया है कि गत तीन वर्षोंमें कितनी विदेशी शक्करका उपयोग भारतमें किया गया और उसकी कीमत कितनी थी।

कोष्ठक नं० (३६)

भारतमें विदेशी शक्करकी खपतका परिमाण

	(लाख मनमें)	मूल्य (करोड रुपयोंमें)
१६१६	१११	१६
१६२०	६६	१७
१६२१	१७४	२३॥

विदेशी शक्करका प्राय ८० फी सैकडेसे अधिक भाग जावासे आता है। उपरोक्त अङ्कोंसे मालूम होता है कि हमारे दुर्भाग्यसे अपवित्र विदेशी शक्करका प्रचार हमारे देशमें दिन पर दिन खूब बढ रहा है। गत दो वर्षोंमें ही परिमाण और मूल्य दोनो करीब ५० फी सैकडा बढ गये हैं। यदि सन् १६२० में शक्करकी कीमत बहुत अधिक न बढ गई होती तो शायद उस वर्ष भी और अधिक परिमाणमें विदेशी शक्कर मँगाई जाती। इसी अपवित्र विदेशी शक्करके लिये देशसे १६ से २३ करोडतक रुपया प्रतिवर्ष बाहर चला जाता है।

अब जरा यह विचार कीजिए कि भारतमें कितना गन्ना पैदा होता है और कितनी शक्कर तथा कितना गुड तैयार किया

जाता है। भारतमें करीब २६ लाख एकड़ जमीनमें गन्ना बोया जाता है। संसार भरमें जितनी जमीनमें गन्ना बोया जाता है उसका यह आधा हिस्सा है। परन्तु उपज पञ्चमांशसे भी कम होती है। नीचेके कोष्ठकमें यह बतलाया गया है कि संसारके मुख्य देशोंमें सन् १९१९-२० में कितनी शक्कर तैयार की गई। भारतके सम्बन्धके अङ्क कल्पित हैं क्योंकि उनमें यह बतलाया गया है कि भारतमें जितना गन्ना पैदा होता है उतने सबसे यदि शक्कर तैयार की जाय तो कितनी शक्कर तैयार होगी।

कोष्ठक नं० (३७)

शक्करकी सन् १९१९ २० की उपज	(करोड मनमें)
क्यूबा	१०२
भारत	७२
जावा	३६
जर्मनी	१८
संयुक्त प्रदेश (अमरीका)	१७
अन्य देश	१५३
कुल मीज़ान —	३९८

भारतमें शक्करकी उपजकी कमीका कारण है फी एकड उपजका कम होना। भारतमें शक्करकी फी एकड उपज केवल २६ मन है जब कि वह क्यूबामें ५३ मन और जावामें ११२ मन है। अर्थात् क्यूबाकी फी एकड उपज भारतकी उपजसे करीब दूनी और जावाकी उपज करीब चौगुनी है।

भारतकी २६ लाख एकड ज़मीनमें करीव ८४ करोड मन गन्ना पैदा होता है जिसमेंसे करीव ७१ करोड मन गन्नेका गुड तैयार किया जाता है और केवल ८२ लाख मन गन्नेसे २२ फैक्ट्रियोंमें ५ ६ लाख मन शक्कर तैयार होती है। ७१ करोड मन गन्नेसे करीव ६ ८ करोड मन गुड तैयार होता है। इसके तीन चौथाई भागका तो गुडके रूपमें उपयोग किया जाता है और एक चौथाई भागकी शक्कर वनाई जाती है। इसके अलावा भारतमें क़रीव ८० लाख मन गुड खजूरसे तैयार किया जाता है। और जैसा कि ऊपर वताया जा चुका है, औसतके हिसावसे करीव १६० लाख मन शक्कर विदेशसे आती है। इस प्रकार भारतमें गुड और शक्करकी वार्षिक खपत आजकल नीचे लिखे अनुसार है —

कोष्ठक नं० (३८)

गन्नेसे वना हुआ गुड	५ १	करोड मन
खजूरसे „ „ „	० ८	„ „
देशी शक्कर	१ ०	„ „
विदेशी शक्कर	१ ६	„ „
कुल मीज़ान—	८ ५	करोड मन

कुछ महाशयोंका यह खयाल है कि भारतवासी मीठा खाना अधिक पसन्द करते हैं, इसलिये उनकी गुड और शक्करकी खपत अन्य देशोंकी अपेक्षा वहुत अधिक है। नीचेके अङ्क देखनेसे यह मालूम हो जायगा कि उनका अनुमान कहाँतक सच है —

कोष्ठक नं० (३६)

फी मनुष्य शक्कर और गुड़की सन् १६१६—२० की खपत

डेनमार्क	४७	सेर
इँगलैण्ड	४६	„
अमरीका	४४	„
जर्मनी	२२	„
फ्रान्स	२१	„
भारत	११	„
इटली	५॥	„

इन अङ्कोंसे पता लगता है कि डेनमार्क, इँगलैण्ड और अमरीकामें शक्करकी खपत भारतसे चौगुनी है और फ्रान्स तथा जर्मनीमें दुगुनी। यदि हम यह चाहते हैं कि अपवित्र विदेशी शक्करके लिये हमारे देशके १६ से २३ करोड रुपये व्यर्थ विदेश न जायँ तो हमको कमसे कम ७॥ करोड मन शक्कर प्रति वर्ष देशमें तैयार करनी होगी। परन्तु आजकल बडी मुश्किलसे केवल एक करोड मन शक्कर देशमें तैयार होती है। जबतक हमारे देशमें काफी परिमाणमें शक्कर तैयार न होने लगे तबतक देशवासियोंको शक्करका उपयोग यद्यपि वह अन्य देशोंकी अपेक्षा कम है तोभी और भी अधिक कम कर देना चाहिए, केवल देशी शक्करको ही काममें लाना चाहिए और अपवित्र विदेशी शक्करका बहिष्कार कर देना चाहिए।

इस परिशिष्टमें हम यह बतलानेका प्रयत्न करेंगे कि देशवा-

सियोंकी आवश्यकताओंकी पूर्त्तिके लिये देशमें १०-१२ वर्षोंके अन्दर काफी परिमाणमें गुड और शक्कर कैसे तैयार की जा सकती है। भारत सरकारका ध्यान भी शक्करके उद्योगकी तरफ आकर्षित हुआ है। उसने सन् १९१९ में शक्करकी उपजके बढ़ानेके साधनोंपर विचार करनेके लिये ९ सदस्योंकी एक कमिटी नियुक्त की थी, जिसमें दो भारतीय सदस्य भी थे। कमिटीने भारतके मुख्य मुख्य स्थानोंमें भ्रमण किया, जावाकी सैर की और वहाँके खेतों और फैक्टरियोंका मुलाहिजा किया। इसके बाद अपनी रिपोर्ट लिखी जो कि अभी, कुछ दिन हुए, प्रकाशित हुई है। यहाँ हम इस रिपोर्टका भी यथासम्भव उपयोग करेंगे।

शक्करकी उपज बढ़ानेके लिये यह भी आवश्यक है कि देशमें गन्नेकी उपज बढ़ाई जाय। गन्नेकी उपज बढ़ानेके दो साधन हैं, एक तो गन्नेका अधिक क्षेत्रफलमें बोया जाना और दूसरा गन्नेकी फी एकड उपजका परिमाण बढ़ाना। जब देशमें अनाजकी इतनी कमी रहती है कि करोडों देशवासियोंको आधा पेट भोजन पाकर ही अपना सारा जीवन व्यतीत कर देना पड़ता है, तब हम यह उचित नहीं समझते कि ऐसे एक भी एकड जमीनमें गन्ना बोया जाने लगे जहाँपर कि आजकल अनाज बोया जाता है। परन्तु नई नहरोंके आस पास नई जमीनोंपर गन्नेके बोये जानेकी बहुत गुञ्जाइश है। नीचेके कोष्ठकमें यह बतलाया गया है कि भिन्न भिन्न प्रान्तोंमें कितनी ज़मीनमें गन्ना बोया जाता है।

कोष्ठक नं० (४०)

युक्त प्रान्त	१२ ६२ लाख एकड
पञ्जाब	४ ३८ " "
बिहार और उडीसा	१ ६७ " "
बङ्गाल	२ २० " "
मद्रास	१ ०६ " "
बम्बई	१ ०२ " "
अन्य प्रान्त	१ ८४ " "
कुल मीज़ान	२६ १२ लाख एकड

उपरोक्त अङ्कोंको देखनेसे मालूम होता है कि युक्त प्रान्तमें गन्ने बोये जानेवाली जमीनका रकबा सम्पूर्ण भारतमें गन्ने बोये जानेवाली जमीनके रकबेसे करीब आधा है। युक्त प्रान्तके बाद पञ्जाबका नम्बर आता है। और इन्हीं दो प्रान्तोंमें और अधिक क्षेत्रफलमें गन्ना बोये जानेकी बहुत गुञ्जाइश है। गन्नेके लिये सिंचाई और खादकी बहुत आवश्यकता रहती है। बिना सिंचाईका इन्तिजाम किये गन्नेकी खेती नही की जा सकती। इसलिये जैसे जैसे नई नई नहरें बनती जायगी वैसे वैसे गन्ने बोये जानेवाली जमीनका क्षेत्रफल भी बढता जायगा। युक्त प्रान्तमें शारदा नहर बन जानेपर आशा की जाती है कि, १ लाख एकड अधिक जमीनमें गन्ना बोया जा सकेगा। पञ्जाबमें आजकल जो बडी बडी नहरें हैं उनके आस पास कमिटीके

मतानुसार करीब ८७००० एकड़ अधिक जमीनमें गन्ना बोये जानेकी गुञ्जाइश है और नई नहरों (थाल और सतलज वेली प्रोजेक्ट) के बन जानेपर और अधिक जमीनमें गन्ना बोया जा सकेगा। बिहार और उडीसा प्रान्तमें भी, सोनकी नहरके आसपास अधिक जमीनमें गन्ना बोये जानेकी गुञ्जाइश है। कमिटीके अनुमानके अनुसार बम्बई प्रान्तमे १ लाख २० हजार एकड नई जमीनमें, नई नहरोंके आसपास गन्ना सफलतापूर्वक बोया जा सकता है। वर्मा और आसाममे भी अधिक जमीनमे गन्ना बोये जानेकी बहुत गुञ्जाइश है, परन्तु बङ्गाल और मद्रास प्रान्तमे गुञ्जाइश बहुत कम है। इस प्रकार यदि सब नई नहरे शीघ्र बन जायँ तो सम्पूर्ण भारतमें ५ लाखसे १० लाख एकडतक अधिक जमीनमें गन्ना बोया जा सकता है और यदि फी एकड उपज बढानेका कुछ भी प्रयत्न नहीं हुआ तोभी इस जमीनसे इतना गन्ना उत्पन्न होगा जिससे करीब २॥ से ५ करोड मनतक शुद्ध शक्कर तैयार की जा सकेगी। इसलिये सरकारको प्रस्तावित नहरोंको शीघ्र बनवानेका प्रयत्न करना चाहिए। खेद है कि नहरोंके बनजानेकी तरफ सरकार उचित ध्यान नहीं दे रही है। रेलके खर्चके लिये तो काफी रुपया मिल जाता है परन्तु नहरोंके लिये शीघ्र मंजूरी ही नहीं मिलती।

नहरोंके सम्बन्धमें एक बातपर और ध्यान रखना आवश्यक है। कई नहरोंके किनारे कच्चे रहते हैं, इसलिये पानी नहरसे आसपासके खेतोंमें बह जाता है और यदि उसको बाहर निक-

लनेकी सुविधा न हुई तो खेतोंमें दलदल हो जाता है। यदि इन खेतोंकी मिट्टी चिकनी हुई तो दशा और भी खराब हो जाती है। दलदलके कारण ये खेत फसलके कामके नहीं रहते और खेतोंके मालिकोंको बहुत नुकसान पहुँचता है। खासकर युक्त प्रान्त, बिहार, पञ्जाब और बम्बई प्रान्तोंमें इस प्रकार दलदलोंके बन जानेसे बहुत हानि हुई है। इसको रोकनेका एकमात्र उपाय यह है कि ऐसे स्थानोंमें नहरोंके किनारे पक्के बाँध दिये जायँ। इससे सरकारको खर्च तो पड़ेगा परन्तु नहरके पानीकी बचत होगी और उन खेतोंका बहुत सा भाग जो कि आजकल दलदलके कारण कुछ भी काममें नहीं आता गन्ना या अन्य फसल बोनेके उपयोगमें आ सकेगा।

गन्नेकी उपज बढ़नेका दूसरा साधन फी एकड़ उपजको बढ़ाना है। ऊपर बताया जा चुका है कि भारतकी उपजसे क्यूबाकी उपज दूनी और जावाकी चौगुनी है। हमारी जमीन खराब नहीं है तो फिर उपज इतनी कम क्यों होती है? इस के मुख्य कारण हैं हमारी गरीबी, हमारा अज्ञान और उत्तम तरीकोंका उपयोग न करना। भारतमें गन्नेकी खेतीके लिये फी एकड़ खर्च तो कम होता है परन्तु उपजकी कमीके कारण जो फी मन खर्च पड़ता है वह अन्य देशोंकी अपेक्षा बहुत अधिक है। यदि अधिक खाद देकर और नये तरीकोंसे खेतीमें फी एकड़ अधिक रुपया लगाया जाय तो फसल इतनी बढ़ जायगी कि फी मन खर्च कम हो जायगा। इससे किसान और देश

द्रोनोंको लाभ होगा। कमिटीने हिसाब लगाकर यह बतलाया है कि बम्बई प्रान्तमें किसानोंका फी मन गन्नेका खर्च ४॥ आने होता है, परन्तु यद्यपि जावा और सरकारी फार्ममें फी एकड खर्च अधिक किया जाता है तथापि उसी प्रान्तके माजरी नामक स्थानके सरकारी फार्मपर खर्च ६ आनेसे भी कम रहता है और जावामें यह खर्च ५ आनेसे भी कम होता है। युक्त प्रान्तमें भी यही हाल है। किसानोंका फी मन खर्च प्रायः ६ आनेसे ७ आनेतक रहता है जब कि उसी प्रान्तके शाहजहाँपुरके सरकारी फार्मपर फी मन खर्च ६ आनेसे कम पडता है। नीचेकी योजनामें यह बतलाया गया है कि भिन्न भिन्न मदोंमें जावाके दो स्थानोंमें और भारतके शाहजहाँपुर और माँजरीके सरकारी फार्मोंमे फी एकड खर्च कितना होता है —

कोष्टक नं० (४१)

भिन्न भिन्न मदोंके नाम	गन्नेकी उपजका फी एकड़ खर्च			
	जावामें		भारतमें	
	अ	ब	शाहजहाँपुर	माँजरी
	रु०	रु०	रु०	रु०
(१) लगान	५१ ४	५१ ३	३०	८० ०
(२) खाद	१०२ ८	६८ ६	१००	१२८ २
(३) बोनेका खर्च	४५ ७	५७ १	३०	३२ ०
(४) आबपाशी और खेतीका खर्च	९१ ४	९७ १	९५	९२ ३
(५) काटने और फैक्टरीमें ले जानेका खर्च	३४ ३	२६ ०	३०	३३ ०
(६) व्यवस्था सम्बन्धी खर्च	१० ८	१० ८	१५	१५ ०
(७) कुल खर्च	३३६ ४	३११ ०	३००	३८० ५
गन्ने की उपज फी एकड़ (मनमें)	११३२	१०७५	८३८	१०६६
खर्च फी मन (आनोंमें)	४ ७५	४ ६३	५ ७४	५ ७

उपरोक्त कोष्ठकसे पता लगता है कि यदि भारतमें फी एकड़ करीब तीन सौ रुपये गन्नेकी खेतीमें खर्च किये जायँ तो फी मन खर्च छ आनेसे भी काम हो सकता है परन्तु इसके

लिये यह आवश्यक है कि किसानोंको रुपया काफी परिमाणमें उचित व्याजकी दरपर मिले। इसके लिये सहयोग साख-समितियोंकी स्थापना बहुत आवश्यक है। यदि किसानोंको रुपया काफी परिमाणमें कम व्याजपर मिलने लगे और वे उचित खाद देकर नये तरीकोंसे खेती करने लगें तो हमारा विश्वास है कि उनका फी मन खर्च कम हो जायगा, फी एकड उपज बढ़ जायगी और किसानोंके लाभके साथ साथ देशका लाभ भी होगा।

कमिटीने गन्नेकी खेती सुधारनेके लिये निम्न लिखित सिफारिशें की हैं।

(१) खेतमें किसी एक प्रकारका उत्तम गन्ना ही बोया जाय। यह नहीं कि दो तीन प्रकारके उत्तम और मामूली गन्ने जैसे मिलें वैसे सब एक साथ बो दिये जायँ। जिस तरहका गन्ना जिस भागमें अनुभवसे अधिक लाभदायक सिद्ध हो वही वहाँ-पर बोया जाय। कृषि विभागके अफसरोंको यह जाननेका प्रयत्न करते रहना चाहिए कि प्रान्तके किस भागमें कौनसा गन्ना अच्छा पैदा होगा, और साथ ही उन्हें यह प्रयत्न भी करना चाहिए कि वही गन्ना उस भागमें बोया जाय।

(२) गन्ना बोनेके पहले फसलके लिये जमीन खूब तैयार करनी चाहिए। ऐसे हलोंका उपयोग करना चाहिए जो कि गहरे जाते हों और उनसे साथ ही साथ नीचेकी मिट्टी भी ऊपर उलटती जाती हो। बड़े बड़े मालगुजार अथवा जमींदार, जिनके

स १०० एकडसे भी अधिक जमीन है, ट्रेक्टर अथवा भाप रा चलनेवाले हलोंका उपयोग कर सकते हैं। परन्तु छोटे टे काश्तकार मेस्टन नामके हलका अथवा सिंधिया नामके लका उपयोग कर सकते हैं। ये हल १०-१५ रुपयोंमें मिल भी ते हैं। ये गहरे भी जाते हैं, उनसे नीचेकी मिट्टी भी उलटती ती है और मामूली बैल उनको खींच भी सकते हैं। आशा है, न्नेकी खेती करनेवाले किसान इन नये हलोंका उपयोग करना घ्र आरम्भ कर देंगे।

(३) गन्ना सीधी लाइनोंमें बोया जाय और किसी भी दो इनका अन्तर दो फुटसे कम न हो। यह अन्तर यदि ४ फुट हो और भी अच्छा है। कोई कोई किसान गन्ना बहुत नजदीक जदीक बो देते हैं इससे फसल अच्छी नहीं आती। कहीं कहीं फी एकड २६००० गन्ने बो दिये जाते हैं। यह बहुत अधिक । कमिटीकी राय है कि प्रत्येक एकडमें १५००० से अधिक न्ने नहीं बोये जायँ। यदि गन्ना मोटा हुआ तो उसको ऐसी ाइयों (Trenches) में एक लाइनमें बोना चाहिए जो दो ट चौडी और छ इञ्च गहरी हों। एक खाईका दूसरी खाईसे न्तर दो फुट हो। जब कि गन्ना खाईके बीचमें एक लाईनमें या जायगा तो गन्नेकी लाइनोका अन्तर चार फुट हो जायगा। खाइया नवम्बर (कार्तिक) में तैयार की जानी चाहिए और सी समय उनमें सिंचाईकी जानी चाहिए। बोनेके करीब दस न बाद दूसरी सिंचाई करनी चाहिए और उसके बाद बरसा-

तके पहले चार पाच सिचाई और करनी चाहिए। खाई बनानेके पहले गर्मीके मौसममें खेतको खाली पडे रहने देना चाहिए। गोरखपुर और रुहेलखण्डमें, जहाँ पर कि मजदूरी चार आना रोज है, इन खाइयों (Trenches)के बनानेका खर्च १५ रुपये फी एकड पडता है। जावामें खाइयाँ बना कर गन्ना बोनेसे बहुत लाभ हुआ है और दक्षिण भारतमें भी इनका उपयोग बढ रहा है। मामूली गन्नेके लिये यदि खाइयाँ न बनाई जाँय तोभी काम चल जायगा, परन्तु जमीन गहरी जोतना और गन्नेकी लाइनोंका अन्तर करीब चार फुट रखना बहुत आवश्यक है। बरसातके पहले गन्नेके पेडकी आसपासकी मिट्टी इकट्ठी कर जडके पास एक दो वार जमा कर देनेसे बहुत लाभ होता है, क्योंकि ऐसा करनेसे वरसातमें पेड़ आडे नहीं गिरते।

(४) गन्नेकी फसलका अच्छा होना सिचाई और खादपर बहुत कुछ निर्भर रहता है। इसलिये खादका उचित परिमाणमें दिया जाना बहुत जरूरी है। गन्नेके लिये उत्तम खाद गोवर और खली (Oil Cake) है। भारतीय किसान भी गन्नेकी फसलके लिये खादके महत्वको समझते हैं परन्तु तिसपर भी उचित परिमाणमें खाद नहीं दिया जाता। भिन्न भिन्न खेतोंके लिये भिन्न भिन्न परिमाणमें खादकी आवश्यकता पडेगी। युक्तप्रान्तके रुहेल खण्ड विभागमें अनुभवसे यह सिद्ध हुआ है कि एक एकडके लिये करीब ३५ मन अण्डीकी खली (Castor Cake) या ३०० मन गोवरकी खाद देनी चाहिए। हमारे दुर्भाग्यसे हमारे देशमें

गोबरका उपयोग कण्डे बनाकर जलानेके लिये अधिक किया जाता है। इससे खादकी कमी पडती है और किसान तथा देश दोनोंको नुकसान होता है। जितना गोबर हमें प्राप्त होता है उतना यदि सब खादके रूपमें ही उपयोगमें लाया जाने लगे तो देशमें केवल गन्नेकी ही नहीं परन्तु सब अनाजोंकी भी उपज बहुत बढ जाय। हमारे देशमें तिल्ली, अलसी सरसों, अण्डी इत्यादि बहुत पैदा होती हैं परन्तु उनका तेल अधिक परिमाणमें देशमें नहीं निकाला जाता। इन वस्तुओंका वार्षिक निर्यात करीब २४ करोड रुपया है। इनको विदेश भेजनेसे देशका बहुत नुकसान होता है। हमको खादके लिये काफी परिमाणमें खली नहीं मिलती। यदि इन वस्तुओका तेल देशमें ही निकाला जाता तो खली देशमें ही रहती और खादके उपयोगमें आती, हमारे कुछ मजदूरोंका तेल निकालनेके उद्योगमें पेट पलता, एक उत्तम उद्योगकी उन्नति होती और इन वस्तुओंके बदले तेलको विदेश भेजकर हम २४ करोडसे अधिक रुपया अन्य देशोंसे वसूल करते। कर लगाकर इन वस्तुओंका निर्यात रोकना इस समय बहुत आवश्यक है।

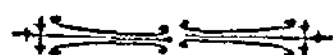
(५) किसानोंको इस बातपर भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि गन्नेके बाद कौनसी फसल बोनेमें उनको अधिक लाभ होगा। जहाँपर गन्ना हर चौथे साल बोया जाता है वहाँ-पर गन्नेके बाद गेहूँ, उसके बाद ढोरोंका चारा, और उसके बाद चना बोना चाहिए। इसके बाद गन्ना फिरसे बोनेके

खेतको कुछ समयके लिये पडती पडा रहने देना चाहिए। यदि गन्ना प्रति तीसरे वर्ष वोया जाय तो गन्नेके वाद गेहूँ वोया जाय और उसके वाद जमीनमें कुछ समयके लिये कुछ न वोया जाय। कपासके वाद कभी भी गन्ना नही वोना चाहिए।

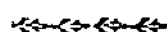
यदि गन्नेके वोनेवाले हमारे किसान भाई कमिटीकी उपरोक्त सिफारिशोंपर ध्यान देंगे और उनके अनुसार खेती करनेका प्रयत्न करेंगे तो हमें विश्वास है कि उनकी फी एकड उपज वहुत वढ जायगी, उनको वहुत लाभ होगा और वे अपने लाभके साथ ही साथ देशको भी लाभ पहुंचावेंगे।



परिशिष्ट (४)



संसारके कुछ देशोंमें कृषि-सुधार कैसे हो रहा है ?



(दक्षिण अमरीकामें नये तरीकोंका प्रचार; डनमार्ककी कृषि-उन्नति, जर्मनीमें खेतोंकी चकबन्दी और कृषि-विद्याप्रचार, जापानके खेतोंकी चकबन्दी और ग्रामीण संगठन; इंगलैंडकी कृषि उन्नतिकी प्रबल इच्छा, बडोदा राज्यकी आर्थिक दशा सुधारक कमिटीकी कृषि सम्बन्धी सिफारिशें।)

कृषि सुधारके लिये हम संसारके सभ्य देशोंके अनुभवसे भी कुछ लाभ उठा सकते हैं। इसलिये हम इस परिशिष्टमें यह बतलानेका प्रयत्न करते हैं कि अमरीका, डेनमार्क, जर्मनी, जापान, इंगलैण्ड और बडोदामें कृषिकी उन्नति करनेका किस तरह प्रयत्न किया जा रहा है और उससे हम अपने किसान भाइयोंकी दशा सुधारनेके लिये क्या शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं।

दक्षिण अमरीकामें नये तरीकोंका प्रचार

अमरीकाका संयुक्त राज्य एक विशाल देश है। वहाँपर

खेतको कुछ समयके लिये पडती पडा रहने देना चाहिए। यदि गन्ना प्रति तीसरे वर्ष बोया जाय तो गन्नेके बाद गेहूँ बोया जाय और उसके बाद जमीनमें कुछ समयके लिये कुछ न बोया जाय। कपासके बाद कभी भी गन्ना नही बोना चाहिए।

यदि गन्नेके बोनेवाले हमारे किसान भाई कमिटीकी उपरोक्त सिफारिशोंपर ध्यान देंगे और उनके अनुसार खेती करनेका प्रयत्न करेंगे तो हमें विश्वास है कि उनकी फी एकड उपज बहुत बढ जायगी, उनको बहुत लाभ होगा और वे अपने लाभके साथ ही साथ देशको भी लाभ पहुंचावेंगे।



स काममें बोर्डका साथ दिया। बोर्डके उस कामको करनेका तरीका बहुत ही साधारण था। बोर्डका कर्मचारी किसी गाव में जाता और वहाके किसानोंसे कहता कि यदि कोई किसान उसके देखरेखमें उसके बतलाये हुए तरीकोंसे खेती करेगा तो उनकी उपज अवश्य दूनी हो जायगी। वह उस समय अपने तरीकोंको उपयोगिता समझाने और किसानोंकी शंकाओंका समाधान करनेका भी प्रयत्न करता था। जब किसी किसानका उन तरीकोंमें विश्वास होने लगता और वह उसके आदेशानुसार खेती करनेके लिये राजी हो जाता तो फिर उस कर्मचारीका यह कर्त्तव्य था कि उस किसानसे बिना कुछ लिये वह उसे नये तरीकोंसे खेती करना सिखलाये और उसकी हर तरहसे मदद करता रहे। जब फसल पकनेपर उपज सचमुचमें दूनी या उससे अधिक पैदा होती तो गावके सब किसानोंकी एक सभा की जाती और नये तरीकोंकी उपयोगिता फिरसे समझाई जाती थी। उस समय वह किसान भी अपना अनुभव बतलाता था। उस किसानका विश्वास भी नये तरीकोंमें पक्का हो जाता था और भविष्यमें वह सदा नये तरीकोंका ही उपयोग करने लगता था। जब गावके दूसरे किसान अपनी आखोंसे उस किसानको नये तरीकोंका उपयोग करके लाभ उठाते देखते तब वे भी धीरे धीरे उनका उपयोग आरम्भ कर देते। इस प्रकार नये तरीकों-का प्रचार कुछ वर्षोंके अन्दर आप ही आप गाव भरमें हो जाता।

जमीनकी कमी नहीं। खेत भी बड़े बड़े हैं और खेती भी अच्छे तरीकेसे होती है। उपज भी खूब होती है। वहाँके कला-कौशल और व्यवसायमें भी बहुत कुशल हैं। इसी क वे बहुत धनवान हैं। परन्तु कुछ दिन पूर्व संयुक्तराज्यके दि भागके किसान बहुत गरीब थे। वे अपनी खेती भी पुराने पर करते थे। संयुक्तराज्यमें सन् १९०२ में जनरल एज्यूके बोर्ड नामक संस्थाकी स्थापना हुई, जिसको छ सात व अन्दर वहाँके सबसे धनवान व्यापारी जान डी० राकफेलरने करोड रुपयेके लगभग दक्षिण भागमें विद्याप्रचार करनेके लि दान दिया। शायद ही इतना अधिक दान किसी सज्जनने संसा और कभी दिया हो। उक्त बोर्डने कई तरीकोंसे विद्याप्रचार कार्य आरम्भ किया। परन्तु हमारे लिये उनका सबसे महत्व काम था संयुक्तराज्यके दक्षिणी भागमें खेतीके नये तरीकों प्रचार करना और वहाँके गरीब किसानोंको उनका उपयो करनेके लिये उत्साहित करना। वहाँपर कृषि पाठशाला खोलनेके पहिले बोर्डके सदस्योंने यह उचित समझा कि वहा किसान लोग नये तरीकोंके कामोंको अच्छी तरह समझ लें और उनका उपयोग करने लग जायँ। बोर्डके सदस्योंने य सोचा कि जब किसान नये तरीकोंका लाभ अच्छी तरह सम झने लगेंगे तब वे अपने लडकोंको कृषि पाठशालाओंमें भेजनेका प्रयत्न स्वयं ही करेंगे। बोर्डने नये तरीकोंके प्रचारका काम सन् १९०५ में आरम्भ किया और वहाकी राष्ट्रीय सरकारने भी

अपने किसानोंकी दशा सुधारनेके लिये क्या इससे हम कुछ शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं? हमारे कृषि विभागके अफसरोंने नये तरीकोंके सम्बन्धमे काफी ज्ञान प्राप्त कर लिया है, परन्तु उसका प्रचार करनेका अभी दत्तचित्त होकर प्रयत्न ही नही किया गया। यदि कृषि-विभागके कर्मचारी अपनी देखरेखमें उपरोक्त रीतिसे प्रत्येक गाँवके किसी साधारण किसानको नये तरीकों-का उपयोग करनेके लिये उत्साहित करें और यदि उस किसान को उससे सचमुच लाभ हो तो हमको पूर्ण विश्वास है कि गाव के अन्य किसान भी धीरे धीरे लाभदायक तरीकोंका उपयोग करने लगेंगे। परन्तु भारतीय कृषि विभागके कर्मचारी ऐसा करें कैसे? अभी तो उन्हींको घाटा होता है।

कुछ दिन हुए संयुक्त प्रान्तके लेजिस्लेटिव कौंसिलमें "एक मेम्बरने सरकारसे पूछा कि आपके खोले हुए कृषि क्षेत्रोंकी आम दनी और खर्चका हिसाब तो बतानेकी कृपा कीजिए। उत्तरसे मालूम हुआ कि दो को छोडकर बाकीके सभी क्षेत्र घाटेमें रहे। मुजफ्फरनगरका १०६ एकडका क्षेत्र ७५००) रु० एक साल (१९२०—२१) में ला गया। और आमदनी उससे कितनी हुई? सिर्फ १७४०) की! अर्थात् ५७६० रुपये का घटा रहा। मैनपुरी के क्षेत्रकी आमदनीसे खर्च तिगुना पडा। कमीवेश यही हाल और क्षेत्रोंका भी रहा। सब क्षेत्रोंकी आमदनी और खर्चका हिसाब लगानेपर १६०००) रुपये का घाटा हुआ। यदि ये क्षेत्र सरकारके न होकर और किसीके होते और वह जी लगाकर

बोर्डके कर्मचारी निम्नलिखित नये तरीकोंका प्रचार करते थे'—

(१) अनावश्यक पानीका खेतसे निकाल देना।

(२) जमीनको गहरा जोतना।

(३) उत्तम बीजका उपयोग करना।

(४) पौधोंको काफी दूरीपर बोना।

(५) थोडी जमीनमें ही खूब पूंजी और मेहनत लगाना।

(६) उत्तम खादका उचित परिमाणमें उपयोग करना।

(७) अपने कुटुम्बके खर्चके लिये जिन जिन अनाजोंकी आवश्यकता हो उनका पैदा करना।

(८) उत्तम औजारों और यन्त्रोंका उपयोग करना।

(९) उत्तम तरहकी घास पैदा करना।

(१०) खेतीके खर्चका ठीक ठीक हिसाब रखना।

अपना कार्य करनेमें बोर्डको एक बडा सुभीता यह था कि दक्षिण भागके किसान यद्यपि गरीब थे फिर भी वे अधिक कर्जदार नहीं थे और उनके खेत दूर दूरपर छोटे छोटे टुकडोंमें बँटे हुए नहीं थे। बोर्डकी रिपोर्ट देखनेसे मालूम होता है कि उपरोक्त रीतिसे नये तरीकोंका प्रचार करनेमें बोर्डने बडी सफलता प्राप्त कर ली है। उसके प्रयत्नोंसे ६ वर्षों के अन्दर पाच 'जिलोंके करीब ७०,००० खेतोंमें नये तरीकोंसे खेती होने लगी है। इस कार्यमें बोर्डका केवल १८ लाख रुपया खर्च हुआ। इससे देशको इतना आर्थिक लाभ हुआ है कि उसका हिसाब ही नहीं लगाया जा सकता।

दशा बहुत कुछ सुधरी। अब तो उनकी दशा बहुत कुछ अच्छी है। १६वीं सदीके अन्तमें डेनमार्कमें एक ऐसा कानून बनाया गया जिसकी सहायतासे शिक्षित किसानको बड़ी आसानीसे खेत मिल सकता था। उसको खेतके लिये स्थानीय कमीशनके पास दरख्वास्त भेजनी पड़ती थी और उस कमीशनके सभासदोंको यह विश्वास दिलाना पड़ता था कि वह अच्छी चाल चलनका और परिश्रमी है और खेतीकी भी योग्यता रखता है। खेतकी कीमतका दसवां हिस्सा देनेपर कमीशन उसे ३ से १६ एकड़तकका एक खेत दिलानेका प्रबन्ध करता था और खेतकी कीमतका ६० फी सदी भाग उस किसानको कमीशन द्वारा कर्ज दिया जाता था। इस कर्जपर पांच सालतक तो किसानको कुछ भी सूद नहीं देना पड़ता था। इसके बाद उसे प्रतिवर्ष केवल ३) रु०फी सैकड़ा व्याज और १) रु०फी सैकड़ा मूलधन अदा करना पड़ता था। इन खेतोंका बटवारा नहीं किया जा सकता था और न वे गिरवीं रखे जा सकते थे जबतक कि सरकारी ऋण पूरा अदा न हो जाये। इस प्रकार योग्य परिश्रमी और शिक्षित किसानोंको आसानीसे जमीन मिल जाती थी। साथ ही साथ उनको बहुत ही लाभदायक शर्तोंपर सरकारसे ऋण भी मिल जाता था। इन किसानोंने खेतीकी बहुत उन्नति की। साथही साथ सड़क बनानेका सरकार द्वारा उचित प्रबन्ध किया गया और कृषि शिक्षा तथा सहयोग समितियोंकी तरफ विशेष ध्यान दिया गया। डेनमार्कमें सब

काम देखता तो क्या यही नतीजा होता ? सरकारने सब क्षेत्र खोले तो इस लिये हैं कि सरकारकी देखादेखी काश्तकार भी उसी तरह खेती करके और वैसा ही बीज बोकर ला उठावें पर जब उसे खुद ही घाटा होता है तब अपढ किसा उसकी बातोंपर कैसे विश्वास कर सकते हैं।" *

कृषि विभागके कर्मचारियोंको प्रत्येक नये तरीकेकी इ दृष्टिसे जाँच करनी चाहिये कि जिस परिस्थितिमें भारती किसान आजकल हैं उस परिस्थितिमे यदि उसका उपयोग कि जाय तो उससे आर्थिक लाभ होगा या हानि। केवल उन्हीं तर कोंके प्रचार करनेका प्रयत्न किया जाय जो इस जाँचमें लाभ दायक सिद्ध हो। कृषि-विभागके अफसरोंको अपना का इस प्रकार लापरवाहीसे न करना चाहिए जिससे कि सरका क्षेत्रोंमें घाटा उठाना पडे। उन्हें लाभदायक तरीकोंका, अमरीक की एज्यूकेशन बोर्डकी रीतिसे, प्रचार करनेका प्रयत्न करन चाहिए।

डेनमार्ककी कृषि-उन्नति।

यूरोपमें डेनमार्क एक छोटा सा देश है। उसकी मनुष संख्या ३० लाखके लगभग है। सन् १८८०—९० तक वहाँ किसानोंकी दशा बहुत खराब थी। किसान गाँवोंको छोड़ छोड़ कर शहरोंमें बसने जाते थे। सन् १८९९ में उनकी दशा सुधारने का प्रयत्न आरम्भ किया गया और सन् १९०६ तक उनकी

* (सरस्वती—फरवरी १९२२ पृष्ठ १९०—९१)

कृषि शिक्षा प्रचार और सब प्रकारकी सहयोग समितियोंकी स्थापना कर अपने किसानोंकी दशा सुधार सकते हैं।

जर्मनीमें चकबन्दी और कृषि-विद्या प्रचार।

सन् १८८३ तक जर्मनीके किसानोंकी दशा भी बहुत खराब था। इंगलैंडके मुकाबलेमें वहाँकी फी एकड उपज भी बहुत कम थी। परन्तु तीस वर्षोंके अन्दर उनकी दशा बहुत सुधर गई और उपज भी दूनीसे अधिक हो गई। जर्मन लोगोंने पहले इस बातको समझा कि सामाजिक और राजनैतिक दृष्टिसे यह बहुत ही आवश्यक है कि वहाके किसान हृष्ट पुष्ट, सुखी और उन्नतिशील हों। उन्होंने यह भी निश्चय किया कि उनको जितने अनाजकी आवश्यकता होती है उतना अनाज देशमें ही पैदा होना चाहिए। इसलिये अनाजके आयात पर जर्मन सरकारने भारी कर लगाया और किसानोंको उपज बढानेमें हर तरहसे मदद दी। भारतकी तरह जर्मनीके कुछ हिस्सोंमें भी खेत दूर दूरपर छोटे छोटे टुकडोंमे बटे हुए थे। इन खेतोंकी चकबन्दी करनेका काम लैण्ड कमीशनों (Land Commission) को दिया गया। इन कमीशनोंको किसी भी गाँवके आधेसे अधिक किसानोंकी दरख्वास्त आनेपर खेतोंको चकबन्दी करनेका अधिकार दिया गया। चकबन्दी करनेमें खर्च भी अधिक नहीं पडता था। सेक्सनी में होहेनहेडा (Hohenhaida) एक गाँव था जिसका क्षेत्रफल १३७४ एकड था, और ७७४ खेत थे। इन खेतोंके मालिकोंकी संख्या केवल ३५ थी। चकबन्दी

प्रकारकी सहयोग समितियोंने बहुत ही उन्नति की है। डेनमार्ककी सम्पत्ति गोधनपर ही अवलम्बित है। अच्छी नस्लकी गायें कैसे पैदा हों, गायोंका पालन पोषण कैसे किया जाय, छूतकी बीमारियोंसे उनकी रक्षा क्योंकर की जाय, गायोंके दूधका परिणाम कैसे बढ़ाया जाय और उनको कौनसे पदार्थ खिलाये जायं जिससे उनका दूध सुधरे—इन सब बातोंके जाननेमें डेनमार्कने बहुत कुछ उन्नति की है। जगह जगहपर दूध सम्बन्धी देख-रेख करनेवाली सहयोग सभाओं (Co opretive Milk Control Society) की स्थापना हो गई है। उन सभाओंका इन्स्पेक्टर प्रत्येक पखवाड़ेमें प्रत्येक गायकी कमसे कम एक बार तो अवश्य जाँच करता है। वह प्रत्येक गायके दूधकी जाँच करता है और सलाह देता है कि उस गायको क्या खिलाना चाहिये जिससे उसका दूध सुधरे और बढ़े। यदि कोई गोरू बीमार हो तो इन्स्पेक्टर यह बतलाता है कि उसको कौन सी दवाई दी जाये। इसके अलावा यह खेती सम्बन्धी बातोंमें भी सलाह देता है। इससे किसानोंको बहुत लाभ होता है। सरकार भी सहयोग समितियोंको हर तरहसे सहायता देती है। यद्यपि भारतके समान डेनमार्कमें भी खेत बहुत छोटे छोटे हैं तोभी उपरोक्त तरीकोंसे वहाके किसानोंकी दशा बहुत सुधर गई है और वे अन्य देशके किसानोंसे किसी बातमें कम नहीं हैं। यदि हमारी सरकार डेनमार्ककी सरकारके समान किसानोंको सब तरहसे सहायता देनेको तत्पर हो जाय तो हम भी भारतमें

थी और कई स्थानोंपर शरद् ऋतुमें किसानोंको थोडे समयके लिये, नये तरीकोंके सम्बन्धमें कुछ सिखाया जाता था। फिर ग्रीष्म ऋतुमें वे ही अध्यापक उनके गावोंमें आकर किसानोंको हर तरहकी सलाह देते थे। नये तरीकोंके प्रचार करनेका पूर्ण प्रयत्न किया गया। फल यह हुआ कि देशकी उपज बहुत बढ गई और जरमनी अपनी औद्योगिक उन्नतिके साथ ही साथ अपने देशमें अपनी आवश्यकताके अनुसार अनाज पैदा करनेमें समर्थ हो गया और उसको अब अनाजके लिये पहलेकी भाति दूसरे देशोंका मुह नहीं ताकना पडता।

जापानके खेतोंकी चकबन्दी और ग्रामीण संगठन

जापानमें भी खेत छोटे छोटे टुकडोंमें दूर दूर पर बंटे हुए थे। खेतोंकी चकबन्दी करनेका कानून १८६६ में बनाया गया था। उसके अनुसार एक कमीशन नियुक्त किया गया जिसको चकबन्दी करनेका अधिकार दिया गया था। परन्तु यह कमीशन किसी भी गाँवमें अपना कार्य तबतक नहीं आरम्भ कर सकता था जबतक कि उस गाँवके आधेसे अधिक किसान, जोकि उस गाँवके दो तिहाईसे अधिक जमीनके मालिक हों, चकबन्दीके लिये राजी न हो जावें। कमीशनके प्रयत्नोंसे कई गाँवोंमें चकबन्दी की जा चुकी है। इससे बहुतसे किसानोंको लाभ हुआ है। जापानमें किसानोंका बहुत अच्छा संगठन हुआ है। प्राय प्रत्येक गावमें एक कृषि सभा है। उसके बाद प्रत्येक जिलेमें

करनेपर ९७५ खेतोंके केवल ६० खेत बनाये गये जो कि एक सडकपर आ गये। चकबन्दीका खर्च करीब २०००७०)रु० हुआ, जो कि फी एकड डेढ रुपयेके बराबर था। चकबन्दीका यह खर्च उस २१ एकड जमीनसे वसूल हो गया जो कि पहिले मेड, बागुड और रास्तोंके कारण खेतीके उपयोगमें न आती थी। उस चकबन्दीसे जो अन्य लाभ हुए हैं उनका तो केहना ही क्या है। जिस खेतकी चकबन्दी की जाती थी वह विना कमीशन की आज्ञाके दो या अधिक हिस्सोंमें नहीं बाँटा जा सकता था और उसके मालिकके मरनेपर पूरा खेत किसी एक लडके या वारिसको दे दिया जाता था। भारतमें भी उपरोक्त रीतिसे चक बन्दी करनेसे बहुत लाभ होनेकी सम्भावना है। जर्मनीकी औद्योगिक उन्नतिसे भी किसानोंको बहुत लाभ पहुँचा। उद्योगोंकी वृद्धिसे मजदूरोंकी कमी हो गई। जिसके कारण मशीनोंका उपयोग बढा। शहरमें रहनेवाले मनुष्योंकी उन्नतिके कारण वहाके किसानोंको अपने अनाजकी अच्छी कीमत मिलने लगी। उनको पूजी भी कम व्याजपर मिलने लगी और वे सहयोगका तरीका भी धीरे धीरे सीखने लगे। कई ऐसी सस्थाओंकी स्थापना हुई जो जमीनकी साखपर रुपया उधार देती थी। सब प्रकारकी सहयोग समितियोकी भी खूब उन्नति हुई और शिक्षा खासकर कृषि शिक्षाकी तरफ पूरा ध्यान दिया गया। केवल प्रशियामें ही तीन कालेज और पाच विश्वविद्यालयोंमें उच्च कृषिकी शिक्षा दी जाती थी। १७ शालाओंमें साधारण रीतिसे शिक्षा दी जाती

रखना होगा कि वे खेतीसम्बन्धी कामोंके लिए मजदूरोंको २५ शिलिंग (करीब १६ रुपये) प्रति सप्ताहसे कम न दें। इससे मजदूरों और किसानों दोनोंको लाभ हुआ और इङ्गलैण्डमें अब अधिक क्षेत्रफलमें गेहूं और ओट्स बोये जाने लगे हैं।

बड़ोदा राज्यकी आर्थिक दशा सुधारक-कमिटीकी कृषि-सम्बन्धी सिफ़ारिशें

पाठक देख चुके होंगे कि संसारके प्राय सभी मुख्य देशोंने कृषि सुधारके लिए कैसे प्रयत्न किये और अब वे उस सम्बन्धमें क्या कर रहे हैं। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ ७२ फी सैकडा मनुष्योंकी जीविका खेतीपर ही अवलम्बित होने पर भी और उनकी दशा दिन पर दिन खराब होती जानेपर भी कृषि सुधारकी तरफ सरकार और शिक्षित जनता दोनोंकी उदासीनता दूर नहीं होती। क्या हमारी गाढ़ निद्रा अब भी न खुलेगी? यदि हम चाहें तो बडोदा राज्यसे ही इस सम्बन्धमें कुछ सीख सकते हैं। बडोदा राज्यके किसानोंकी दशा वृटिश भारतके किसानोंसे कुछ अच्छी होने पर भी वहाँके प्रजाहितैषी महाराजाको उनकी दशा सुधारनेकी हमेशा चिन्ता रहती है। इसी कारण सन् १९१८में उन्होंने एक कमिटी नियुक्त की और उसको बड़ोदा राज्यके निवासियोंकी आर्थिक दशा सुधारनेके तरीकोंपर विचार करनेका कार्य सौंपा गया। उस कमिटी।

एक जिला सभा है और उन सबोंका नियत्रण जापानके सम्पूर्ण किसानोकी एक राष्ट्रीय महासभा करती है। इन सभासदोंको जापानी सरकारसे तथा स्थानीय गैर-सरकारी संस्थाओंसे आर्थिक मदद भी मिलती है। इन सभाओंकी संख्या करीब ११००० है *। भारतमें भी हम ऐसा सगठन किसान सभाओंके रूपमें करके लाभ उठा सकते हैं।

इङ्गलैण्डकी कृषि-उन्नतिकी प्रबल इच्छा

गत महायुद्धके समयसे इँगलैंड सरीखे औद्योगिक देशकी भी आँखें खुल गई हैं। वहाँके लोग भी कृषिके महत्वको समझने लग गये हैं और आजकल वहाकी सरकार हर प्रकारसे किसानोंको अपनी उपज बढानेमे सहायता देनेके लिए तैयार रहती है। इँगलैण्डके किसान गेहूँ तथा अन्य अनाज अधिक परिमाणमें लगातार कई वर्षोंतक बोनेके लिए इस लिए आगा पीछा करते थे कि कही ऐसा न हो कि इनकी कीमत एक दो वर्षमें गिर जावे और उनको नुकसान उठाना पडे। इन हानिसे उनकी रक्षा करनेके लिए सरकारने सन् १९१७से १९२३ तक ६ वर्षोंकी गेहूँ और ओट्सकी कीमत निर्धारित कर दी और किसानोंको यह ग्यारण्टी देदी कि दरकी कीमत यदि निर्धारित कीमतसे कम हुई तो उस कमीके कारण जो नुकसान होगा वह सरकार द्वारा पूरा कर दिया जावेगा, परन्तु किसानोंको इस बातका ध्यान

* See Reconstructing India by Sir M Visvesvarya (1920) Pages 180 81.

(५)खेतोंकी चकबन्दीका प्रबन्ध शीघ्र किया जाना चाहिए। (इस सम्बन्धमें सन् १९१७ में एक कमिटी नियुक्त की गई थी। उसकी सिफारिशोंके अनुसार एक कानून भी वहाँपर बनाया गया है जिससे चकबन्दी करनेके सम्बन्धमें कई सहूलियतें दी गई हैं।)

(६)नये तरीकोंका प्रचार करनेका हर तरहसे प्रयत्न किया जाना चाहिए।

(७) किसानोंके ऋण सम्बन्धी दीवानी मामलोंमें न्यायाधीशको यह जाननेका प्रयत्न करना चाहिये कि असलमें साहूकारने किसानको कितना कर्ज दिया था। साहूकारको अत्यधिक व्याज नहीं दिलाना चाहिए।

(८) कृषि सम्बन्धी एक बडा बैंक खोला जाना चाहिए जो बडे बडे किसानोंको अधिक परिमाणमें कर्ज दे सके।

(९) किसानोंको नये तरीकोंका उपयोग करनेमें सहायता देनेके लिए बडोदेकी सरकार २५ लाख रुपये तकावी देनेके निमित्त अलग रख दे और ये रुपये किसानोंको ३) सैकडे व्याज की दरसे उधार दिये जायँ। रुपये वसूल करनेमें सख्ती न की जानी चाहिए।

(१०) सहयोग-विभागमें और योग्य मनुष्य नियुक्त किये जायँ। ग्रामीण अफसरों और अध्यापकोंको सहयोग-संबन्धी काम सिखाया जाना चाहिए।

(११) अमरेली तालुकामें जो मालगुजारीकी कई किश्तें

खूब सोच विचार कर एक रिपोर्ट* प्रकाशित की है जिससे वृटिश भारतकी सरकार और शिक्षित जनता बहुत लाभ उठा सकती है। कमिटीकी कृषि-सम्बन्धी मुख्य मुख्य सिफ़ारिशोंका सारांश नीचे दिया जाता है —

(१) कृषि विभागका यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह लाभदायक नये तरीकोंका पता लगाता रहे और उनका जनतामें प्रचार करे। इस कार्यको अच्छी तरह चलानेके लिए काफी सख्यामें शिक्षित (Trained) कर्मचारी नियुक्त किये जायँ।

(२) इस विभागको अपना कार्य चलानेके लिए १ लाख रुपये वार्षिक दिये जायँ। (बडोदा राज्यकी वार्षिक आय दो करोड रुपयेके लगभग है और शिक्षाप्रचारके लिए प्रति वर्ष करीब २० लाख रुपया खर्च किया जाता है। इसके अतिरिक्त करीब ५५ हजार रुपया कृषि-विभाग पर खर्च किया जाता है। कमिटीकी रायमें इस विभागपर एक लाख रुपया खर्च किया जाना;चाहिए।)

(३) कृषि-विभागके मैकेनिकल इंजीनियरको किसानोंमें लाभदायक मशीनोंका प्रचार करना चाहिए।

(४) बैलोंकी नस्ल सुधारनेके लिये सरकारी फार्मोंसे साँड मुफ्तमें दिये जायँ। चरी बोनेकी तरफ विशेष ध्यान दिया जाय।

* See Report of the Baroda Economic Development Committee 1918—19 Times Press, Bombay

(१८) नई सड़क बनवानेका शीघ्र प्रबन्ध होना चाहिए।

(१९) बाजारोंकी ठीक व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे किसान अपना माल बेचनेमें ठगे न जावें।

(२०) गावोंमें चरखा, करघा और अन्य ऐसे छोटे छोटे उद्योगोंका जोरोंसे प्रचार किया जाना चाहिए जिससे किसान लोग अपने फालतू समयमें थोडा बहुत काम करके अपनी आमदनी बढ़ा सकें।

कमिटीकी सिफारिशोंपर बडोदा सरकार विचार कर रही है और लेखकको विश्वस्त सूत्रसे पता लगा है कि वह उनके अनुसार कार्य शीघ्र आरम्भ कर देगी। क्या हम आशा कर सकते हैं कि भारत सरकार और प्रान्तीय सरकारें भी किसानोंके प्रति अपना कर्तव्य पा[illegible] करनेका दत्तचित्त होकर प्रयत्न करेंगी?



वसूल नहीं की जा सकी हैं वे माफ कर दी जायँ। सहयोग-समितियों द्वारा किसानोंके पुराने कर्ज चुकाये जानेका प्रबन्ध होना चाहिए।

(१२) किसानोंकी दशा अच्छी तरहसे जाननेके लिये स्टेटिस्टिकल विभाग द्वारा चुने हुए गाँवोंकी जाँच की जाय और फिर इनकी रिपोर्ट भी प्रकाशित की जाय।

(१३) प्रत्येक तालुकसे पाँच छ किसानोंको चुनकर प्रतिवर्ष सरकारी खर्चसे निम्नलिखित विषयोंपर लेक्चर दिये जानेका प्रबन्ध किया जाना चाहिए —

स्थानीय स्वराज्य, सहयोग, कृषि-सिद्धान्त, सफाई, ग्रामीण लायब्रेरी, सामाजिक दशा सुधारक क़ानून इत्यादि।

(१४) ग्रामीण लडकियोंको ऐसी शिक्षा देनेके लिए, जोकि उनको भविष्यमें काम आवे, स्त्री शिक्षकाएँ नियुक्त की जायँ।

(१५) मादक पदार्थोंका बेचा जाना जितना शीघ्र हो सके उतना शीघ्र बन्द कर दिया जाय।

(१६) गुजरातकी नदियोंमें बाध बाधकर जाँच की जानी चाहिए कि वे आबपाशीके लिए कहातक उपयोगमें लाई जा सकती हैं। अधिक संख्यामें कुएँ खोदे जानेके लिए सरकारसे अधिक समयके लिए कर्ज दिया जाना चाहिए। इस कर्जके लिए बड़ोदा सरकार १० लाख रुपये अलग रख दे।

(१७) गोचर (चरागाह) भूमि गाँवके रकबेके ५ फी सैकडेसे कम न होने देनी चाहिए।

भारत दर्शन—(लेखक, श्री० सुखसंपत्ति राय भंडारी),
भारतमें दुर्भिक्ष—(लेखक, पं० गणेशदत्तजी शर्म्मा),
भारतीय किसान—(लेखक, प० प्राणनाथ विद्यालंकार),
भारतीय गोधन—(लेखक, झावरमल शर्म्मा),

पत्र-पत्रिकाएँ—

सरस्वती (मासिक पत्र)
प्रभा ”
श्रीशारदा ”
मर्यादा ”
स्वार्थ ”
साहित्य ”
किसान * (साप्ताहिक पत्र)

अँगरेजी पुस्तकें

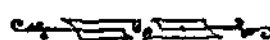
1 *Commissons Report—*
Famine Commission Report (1901)
Irrigation Commission Report (1902)
Report of Canal Colonies Committee (1905)
Report of the Committee on Cooperation in India (1915)
Industrial Commission Report (1916 1918)
Report on Indian Constitutional Reforms ([illegible])

* अब बंद हो गया है।

परिशिष्ट (५)



कृषि-संबंधी उपयोगी पुस्तकों और पत्रपत्रिकाओंकी सूची



इस पुस्तकके लिखनेमें निम्नलिखित हिन्दी और अगरेजी पुस्तकों और पत्र पत्रिकाओंसे सहायता ली गई है। जो महाशय कृपिशास्त्र अथवा कृपि-सुधारके सम्बन्धमें अधिक ज्ञान प्राप्त करना चाहें वे इनको पढकर लाभ उठा सकते हैं :—

हिन्दी—

कृपिशास्त्र—(लेखक, प० तेजशकर कोचक कानपुर)
कृपिसार—(लेखक, अघौरी अगेश्वरप्रसाद सिंह)
किसानो उठो—(लेखक, प० गौरीशकर मिश्र)
किसानोंपर अत्याचार—(लेखक, प० प्राणनाथ विद्यालकार)
खाद—(लेखक, श्री मुख्तार सिंह, वकील),
गोवश रक्षा या वायसरायको मेमोरियलका हिंदी अनुवाद—(प्रकाशक निप्काम आर्य सेवा सभाकलकत्ता)।
भारतका दु खी अग—(लेखक प० रामनरेश त्रिपाठी)
भारतकी सापत्तिक अवस्था—(लेखक, प्रो० राधाकृष्ण झा)

Report on Land Revenue Administration (of all provinces)
Settlement Reports,

IV Other books—

Baden Powell —Land systems in British India, Three Volumes,
Baden Powell —Land Revenve Administratin
Batchelor E —Silewani Ghat Hydro Electric Power Project
Bhatnagar B G, —Paper on Ideal System of Land Tenure (Indian Journal of Economic No 12)
Calvert H —Laws and Principles of Cooperation
Chatterton A —Industrial Evolution in India
Crosthwaite H R —Cooperation, Comparative Study and C P System
Dadabhai Naoroji —Poverty and Unbritish Rule in India
Digby —Prosperous British India—A revelation
Dubey, Daya Shankar —The Way to Agricultural Progress
Gangaram R B —The Agricultural Problems of India
General Education Board (Account of its activities 1902 14, 61 Broadway, New York)
Gilling H T —Fodder in India
Gokhale G K —Speeches of Hononrable Mr Gokhale
Higginbottom S —How to save Cattle
Higginbottom S —Trenching

Report of the Baroda Economic Development Committee (1918-19)
Village Education in India (Roport of the Committee appointed by Missionaries)
Cotton Committee Report (1919)
Sugar Committee Report (1920)
Report of the Indian Fiscal Commission (1921 22)

II Government of India Publications—

Census of India 1911 Volumes I & II.
Statistics of British India Volumes III & IV (Annual)
Imperial Gazeteer Vol III & IV
Agricultural Statistics of India Volumes I & II (Annual)
Estimats of Area and Yield of Principal Crops in India (Annual)
Irrigation in India (Annual Review)
Statements Shewing Progress of Cooperative Movement in India (Annual)
Proceedings of the Board of Agriculture
Proceedings of the Conference of Registrars of Cooperative Societies.
Land Revenue Policy of the Govt of India (1902)

III Local Government Publications—

Administration Reports Annual (of all Provinces)
Annual Report on the Working of Cooperative Societis (of all provinces)
Annual Report on the work of Agricultural Department (of all provinces)

Report on Land Revenue Administration (of all provinces)
Settlement Reports,

IV Other books—

Baden Powell —Land systems in British India, Three Volumes,
Baden Powell —Land Revenve Administratin
Batchelor E —Silewani Ghat Hydro Electric Power Project
Bhatnagar B G, —Paper on Ideal System of Land Tenure (Indian Journal of Economic No 12)
Calvert H —Laws and Principles of Cooperation
Chatterton A —Industrial Evolution in India
Crosthwaite H R —Cooperation Comparative Study and C P System
Dadabhai Naoroji —Poverty and Unbritish Rule in India
Digby —Prosperous British India—A revelation
Dubey, Daya Shankar —The Way to Agricultural Progress
Gangaram R B —The Agricultural Problems of India
General Education Board (Account of its activities 1902 14, 61 Broadway, New York)
Gilung H T —Fodder in India
Gokhale G K —Speeches of Hononrable Mr Gokhale
Higginbottom S —How to save Cattle
Higginbottom S —Trenching

Jack J C —Economic Life of a Bengal District
Jevons H S —*Consolidation of Agricultural Holdings in U P* (Bulletic No 9)
Jevons H S —Economics of Tenancy Law & Estate Management
Jevons H S —Paper on Capitalistic Development of Agriculture (from Report of *Industrial* Conference 1916)
Kale V G —Introduction *to* Indian Economics (4th edition)
Do Indian Administration
Do Gokhale & Economic Reforms
Keatinge G —Rural Economy in Bombay Deccan
Keatinge G —Agricultural Progress in Western India
Lucas Dr —Economic Life of a Punjab Village
Leake H M —Bases of Agricultural Practice & Economics in U P
Mackenna James —*Agriculture in India*
Mann, Dr Harold —Land & Labour in a Deccan Village Study Nos 1 and 2
Moreland W H —Agriculture in U P.
Moreland W H —Revenue Administration of U P.
Mukerjee N G —*Handbook of Indian Agriculture*
Mukerjee P —Cooperative Movement in India
Ray —Agricultural Indebtedness
Ray ,—Land Revenue Administration
Slater G —Some South Indian Villages
Straightoff —The Standerd of Living

Tomkinson C W —State Help for Agriculture
Visvesvarya Sir M —Reconstructing India
Wattal P K —The Population Problem in India
Weld —Marketing of Farm Products

V Journals & Periodicals—

Indian Journal of Economics Issued by the Allahabad Univercity
Journal of the Indian Economic Society (Bombay)
Mysore Economic Journal (Bangalore)
Agricultural Journal of India (Pusa, Behar)
The wealth of India (Madras)
The Indian Review (monthly from Madras)
The Modern Review (monthly from Calcutta)
Capital (weekly from Calcutta)



अंग्रेजी शब्दोंका कोष GLOSSARY.

Advisory board	परामर्शदाता बोर्ड ।
Agriculturists Benefit Department	कृषक हितैषी विभाग ।
Average	औसत ।
Average expectation of life	जीवनकालकी औसत अवधि ।
Barley	जव ।
Bribery	घूसखोरी ।
Census	मर्दुम शुमारी ।
Cooperative credit society	सहयोग साख समिति ।
Cooperative wholesale society	सहयोग थोक विक्रय समिति ।
Consolidation of Holdings	खेतोंकी चकबन्दी ।
Culturable waste	बोने लायक पडती जमीन ।
Debt Redemption officer	ऋण मुक्त करनेवाला अफसर ।
Demand	मांग ।
Export	निर्यात, रफ्तनी ।
Fallow land	पडती जमीन ।
Famine Code	अकाल नियमावली ।
Famine Insurance Grant	अकाल रक्षक मद ।
Index	इंडेक्स, विषय सूची ।
Industrial Commission	औद्योगिक कमीशन ।
Inheritance	दाय विभाग ।

Irrigation Commission	आवपाशी संबधी कमीशन।
Landlord	जमींदार।
Land Revenue	मालगुजारी।
Litigation	मुकदमेवाजी।
Low Standard of Living	रहन-सहन नीचे दर्जेका होना।
Machinery	मशीन या यन्त्र।
Manure	खाद।
Middle-man	दलाल।
Occupancy tenant	मौरूसी काश्तकार।
Permanent Settlement	स्थायी बन्दोवस्त।
Productive Canals	उत्पादक नहरे।
Proportion	अनुपात।
Protective Canals	रक्षक नहरें।
Rectangular	समकोण समानान्तर चतुर्भुज।
Rent	लगान।
Rural schools	ग्रामीण पाठशालाए।
Silo	साइलो।
Statistics	चिह्न, अङ्क।
Sub-tenant	शिकमी दर-शिकमी काश्तकार
Supply	पूर्ति।
Table	कोष्ठक।
Tenancy law	काश्तकार सबधी कानून।
Trench	खाई।
Veterinary Department	पशुचिकित्सा विभाग।
Waterfalls	जल प्रपात।

शब्दानुक्रमणिका (Index.)

अ

उ

ऋ

औ

क

ख

ग

घ

च

ज

ट

ड

त

थ

द

न

प

फ

व

म

य

र

ल

व

श

स

ह

कांग्रेसका जन्म और विकास

लेखक कर्मवीरके सहकारी सम्पादक, सिद्धनाथ माधव लोंढे, जिस समय अंग्रेज वणिक् तराजू लेकर कराचीके बन्दरमें व्यापार करनेके लिये आये उस समयसे लेकर आजतककी मुख्य मुख्य घटनाओंका संक्षिप्त वर्णन करते हुए १८८५ की पहली कांग्रेससे लेकर १९२०की कांग्रेस तकका संक्षिप्त परिचय बड़ी मनोहर और ओजपूर्ण भाषामें लेखकने दिया है। इस छोटीसी पुस्तिकामें भारतीय जातीयताके संगठनका दिग्दर्शन कराया गया है। पुस्तक पढ़ने और विचार करने योग्य है। मूल्य केवल ≠)

विक्रयकला

अथवा माल बेचनेकी रीति, ले० गंगाप्रसाद भोतिका एम० ए० बी० एल० । आज कल व्यापार और व्यवसायकी तरफ लोगोंका ध्यान आकृष्ट हो रहा है। परन्तु व्यापारके लिये दूकानदारी मुख्य चीज है। दूकानदारी भी एक कला है जिसपर अंग्रेजी भाषामें सैकड़ों पुस्तकें हैं। पाश्चात्य देशकी सभी युनिवर्सिटियोंमें इस विषयकी शिक्षा दी जाती है पर भारत ऐसे पराधीन देशमें न तो कोई स्कूल है न भारतीय भाषाओंमें इस विषयकी अच्छी पुस्तकें हैं। प्रस्तुत पुस्तकमें सरल भाषामें माल बेचनेके प्रत्येक अंगोंका दिग्दर्शन कराया गया है। मूल्य सजिल्दका ॥)

नेताओंकी तीर्थयात्रा और उनके सन्देश

भारतीय स्वराज्यकी प्राप्तिके लिये अहिंसात्मक लड़ाईमें जेल जाते समय जो उपदेश देशके नेताओंने दिया है उन्हीं उपदेशोंका यह बड़ा ही मनोहर और सचित्र संग्रह है। नेताओंके चित्र दे देनेसे पुस्तककी सुन्दरता भी बढ़ गयी है। मूल्य केवल ≠)

हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, १२६, हरिसन रोड, कलकत्ता।

हिन्दी पुस्तक एजेन्सी माला

स्थायी ग्राहकोंके लिये नियम—

—प्रत्येक व्यक्ति ॥) आने प्रवेश शुल्क जमाकर इस मालाका स्थायी ग्राहक बन सकता है।

—स्थायी ग्राहकोंको मालाकी प्रकाशित प्रत्येक पुस्तकें पौने मूल्यमें मिल सकेंगी।

—स्थायी ग्राहक मालामें प्रकाशित प्रत्येक पुस्तककी एकसे अधिक प्रतियां पौने मूल्यमें मंगा सकेंगे।

—पूर्व प्रकाशित पुस्तकोंको लेने न लेनेका पूर्ण अधिकार स्थायी ग्राहकोंको होगा, पर नव प्रकाशित पुस्तकोंमेंसे कमसे कम आधे मूल्यकी पुस्तकें ग्राहकोंको लेनी होंगी, अर्थात् एक वर्षमें जितनी पुस्तकें प्रकाशित होंगी, उनमेंसे आधे मूल्यकी पुस्तकें उन्हें नियमानुसार लेनी होंगी, किसी भी हालतमें ६) रु० से कम लागतकी पुस्तकें न हों।

—पुस्तक प्रकाशित होते ही उसकी सूचना स्थायी ग्राहकोंके पास भेज दी जाती है। स्वीकृति मिलनेपर पुस्तक वी० पी० द्वारा सेवामें भेजी जाती है। जो ग्राहक वी० पी० नहीं छुडावेंगे उनका नाम स्थायी ग्राहकोंकी श्रेणीसे काट दिया जायगा।

—यदि उन्होंने वी० पी० न छुडानेका कोई यथेष्ट कारण बतलाया और वी० पी० खर्च (दोनों बारका) देना स्वीकार किया तो उनका नाम ग्राहकश्रेणीमें पुन लिख लिया जायगा।

-हिन्दी पुस्तक एजेन्सी मालाके स्थायी ग्राहकोंको मालाकी नव प्रकाशित पुस्तकोंके साथ अन्य प्रकाशकोंकी कमसे

कम ६) रु० के लागतकी पुस्तकें भी पौने मूल्यमें दी जायगी। पुस्तकोंकी नामावली नव प्रकाशित पुस्तककी सूचनाके साथ भेजी जाती है।

८—हमारा वर्ष विक्रमीय संवत्‌से आरम्भ होता है।

मालाकी विशेषतायें

१—सभी विषयोंपर सुयोग्य लेखकों द्वारा पुस्तकें लिखायी जाती हैं।

२—वर्तमान समयके उपयोगी विषयोंपर अधिक ध्यान दिया जाता है।

३—मौलिक पुस्तकें ही प्रकाशित करनेकी अधिक चेष्टा की जाती है।

४—पुस्तकोंको सुलभ और सर्वोपयोगी बनानेके लिये कमसे कम मूल्य रखनेका प्रयत्न किया जाता है।

५—गम्भीर और रुचिकर विषय ही मालाको सुशोभित करते हैं।

६—स्थायी साहित्यके प्रकाशनका ही उद्योग किया जाता है।

१—सप्तसरोज

लेखक श्रीयुक्त "प्रेमचन्द"

प्रेमचन्दजी अपनी प्रतिभा, मानवभावोंकी अभिज्ञता, वर्णन-पटुता, समाजज्ञान, कल्पनाकौशल तथा भाषाप्रभुत्वके कारण हिन्दी संसारमें अद्वितीय लेखक माने गये हैं। यह कहानियां उन्हींकी प्रतिभाकी ज्योति हैं। इस "सप्तसरोज" में सात अति मनोहर उपदेशप्रद गल्पें हैं, जिनका भारतकी प्राय सभी भाषाओंमें अनुवाद निकल चुका है। हिन्दी संसारने इसे कितना पसन्द किया इसका अनुमान केवल इसीसे होगा कि यह हिन्दी साहि-

कोममें और सरकारी युनिवर्सिटियोंकी प्राइज लिस्टमें हैं। अर्थात् राजा और प्रजा दोनोंने इनका आदर किया है। थोड़े ही समयमें यह चौथा संस्करण आपकी भेंट है। मूल्य केवल ॥)

२—महात्मा शेखसादी

लेखक श्रीयुक्त "प्रेमचन्द"

फारसी भाषामें बड़े प्रसिद्ध और शिक्षाप्रद गुलिस्तां बोस्ताके लेखक महात्मा शेखसादीका बड़ा मनोरंजक और उपदेशप्रद जीवन चरित्र, अनूठा भ्रमण वृतान्त विख्यात गुलिस्तां और बोस्ताके उदाहरणों द्वारा आलोचना, चुनी हुई कहावतें, नीति-कथायें, गजलें, क़सीदे इत्यादिका मनोरञ्जक संग्रह किया गया है। इसमें महात्मा शेखसादीका ३०० वर्षका पुराना चित्र भी दिया गया है जिससे पुस्तकके महत्वके साथ साथ इसकी सुन्दरता भी बढ़ गई है। दूसरा संस्करण मूल्य ॥)

३—विवेक वचनावली

लेखक स्वामी विवेकानन्द

जगत्प्रसिद्ध स्वामी विवेकानन्दजीके बहुमूल्य विचारों और अद्भुत उपदेशोंका बड़ा मनोरंजक संग्रह। बड़ा सीधी साधी और सरल भाषामें, प्रत्येक बालक, स्त्री, वृद्धके पढ़ने तथा मनन करने योग्य। दूसरा संस्करण, साफ सुथरी छपाई और बढ़िया चिकने कागजके ४८ पृष्ठोंका मूल्य।)

४—जमसेदजी नसरवानजी ताता

लेखक स्वर्गीय पं० मन्नन द्विवेदी गजपुरी बी० ए०

संसारमें आजकल उसी राष्ट्र या व्यक्तिकी तूती बोल रही है

जो उद्योग धन्धे और व्यापारमें बढ़ा चढ़ा है। इन्हीं नररत्नोंमें आज भारतका मुख उज्ज्वल करनेवाले श्रीमान् धनकुबेर टाटा का नाम है। यह उन्हीं कर्मवीरकी जीवनी बड़ी प्रभावशाली और ओजस्वी भाषामें लिखी गयी है। इस पुस्तकको यु० पी० और बिहारके शिक्षाविभागने अपने पारितोषिक-वितरणमें रखा है। दूसरा संस्करण। अच्छे चिकने कागजकी सचित्र पुस्तकका मूल्य केवल ।)

५—कर्मवीर गांधीके लेख और व्याख्यान

लेखक—गांधीभक्त

इस पुस्तकके सम्बन्धमें कुछ लिखना सूर्यको दीपक दिखाना है। बस, इतना ही समझ लीजिये कि एक वर्षके भीतर पहला संस्करण समाप्त हो गया। शीघ्र ही दूसरा संस्करण बड़ी सजधजसे निकलनेवाला है। मूल्य लगभग १।)

६—सेवासदन

लेखक—श्रीयुक्त "प्रेमचन्दजी"

हिन्दी-संसारका सबसे बड़ा गौरवशाली सामाजिक उपन्यास, जिसका दूसरा संस्करण प्रायः खतम होनेमें आया है। यह हिन्दीका सर्वोत्तम, सुप्रसिद्ध और मौलिक उपन्यास है। इसकी खूबियोंपर बड़ी आलोचना और प्रत्यालोचना हुई है। पतित सुधारका बड़ा अनोखा मन्त्र, हिन्दू समाजकी कुरीतियां जैसे अनमेल विवाह, त्यौहारोंपर वेश्यानृत्य और उसका कुपरिणाम, पश्चिमीय ढङ्गपर स्त्रीशिक्षाका कुफल, पतित आत्माओंके प्रति घृणाका भाव इत्यादि विषयोंपर लेखकने अपनी प्रतिभाकी

दूसरा संस्करण। खादी जिल्द मूल्य २॥) एण्टिक [कागज मनोहर स्वदेशी कपडेकी जिल्दका ३)

७—संस्कृत कवियोंकी अनोखी सूझ

लेखक—पं० जनार्दन भट्ट एम० ए०

संस्कृतके विविध विषयोंके अनोखे भावपूर्ण उत्तमोत्तम श्लोकोंका हिन्दी भावार्थ सहित संग्रह। ऐसी खूबीसे लिखा गया है कि साधारण मनुष्य भी पढकर आनन्द उठा सकें। व्याख्यानदाताओं, रसिकों और विद्यार्थियोंके बड़े कामकी पुस्तक है। दूसरा संस्करण मूल्य ।≈)

८—लोकरहस्य

लेखक—उपन्यास-सम्राट् श्रीयुक्त बंकिमचन्द्र चटर्जी

का "हास्यरस" ग्रन्थ। इसमें वर्तमान धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक त्रुटियोंका बडे मजेदार भाव और भाषामें चित्र खींचा गया है। पढिये और समझ समझकर हँसिये। दिलबहलावके साथ साथ आपको कई विषयोंपर ऐसी शिक्षा मिलेगी कि आप आश्चर्यमें पड जायगे। अनुवाद भी हिन्दीके एक प्रसिद्ध और अनुभवी हास्यरसके लेखकको कलमका है। दूसरा संस्करण, बढिया एण्टिक कागजपर छपी पुस्तका मूल्य ॥≈)

९—खाद

लेखक—श्रीयुक्त मुख्तारसिंह वकील

भारत कृषिप्रधान देश है। कृषिके लिये खाद सबसे बड़ा आवश्यकीय पदार्थ है। बिना खादके पैदावारमें कोई उन्नति नहीं की जा सकती। यूरोपवाले खादके बदौलत ही अपने खेतोंमें

दूनी चौगुनी पैदावार करते हैं। इसलिए इस पुस्तकमें खादोंके भेद तथा किन अन्नोंके लिये कौन सी खादकी आवश्यकता होती है इनका बड़ी उत्तमतासे वर्णन किया गया है, चित्रों द्वारा भली प्रकार दिखलाया गया है। यह प्रत्येक कृषक तथा कृषिप्रेमियोंको अवश्य रखना चाहिये। पहला संस्करण खतम हो चला है। दूसरा संस्करण शीघ्र ही निकलेगा। मूल्य सचित्र और सजिल्दका १)

१०—प्रेम-पूर्णिमा

लेखक—श्रीयुक्त "प्रेमचन्द"

प्रेमचन्दजीकी लेखनीके सम्बन्धमें अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने उनके "सप्तसरोज" और "सेवासदन" का रसास्वादन किया है उनके लिये तो कुछ लिखना व्यर्थ है। प्रत्येक गल्प अपने ढगकी निराली है। जमींदारोंके अत्याचारका विचित्र दिग्दर्शन कराया गया है। भाषाकी सजीविता, भावकी उत्कृष्टता और विषयकी उच्चताका अनूठा सग्रह देखना हो तो इस ग्रन्थको अवश्य पढ़िये। इसमें श्रीयुत "प्रेमचन्द" जीकी १५ अनूठी गल्पोंका सग्रह है। बीच बीचमें चित्र भी दिये गये हैं। खादीकी सुन्दर जिल्दका दूसरा संस्करण। मूल्य २)

११—आरोग्य साधन

लेखक—म० गांधी

बस, इसे महात्माजीका प्रसाद समझिये। यदि आप अपने शरीर और मनको प्राकृत रीतिके अनुसार रखकर जीवनको सुखमय बनाना चाहते हैं, यदि आप मनुष्य-शरीरको पाकर

हमाजीके अनुभव किये हुए तरीकेसे रहकर अपने जीवनको, सरल, सादा, स्वाभाविक बनाइये और रोगमुक्त होकर आनन्दसे जीवन लाभ कीजिये। जिन तरीकोंको महात्माजीने बतलाया हैं वही यहांका प्राचीन प्रचलित तरीका था जिसके मुताबिक काम न करनेसे हमारी दशा इतनी बिगड़ गई। तीसरा संस्करण १३० पृष्ठका, दाम केवल ।८) मात्र।

१२--भारतकी साम्पत्तिक अवस्था

लेखक श्रीयुत राधाकृष्ण झा, एम०ए०

भारतकी आर्थिक अवस्थाका यदि आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप यहांके वाणिज्य व्यापारके रहस्यका मार्मिक कारण जानना चाहते हैं, यदि कृषिकी दुर्व्यवस्था और मालगुजारी तथा अन्यान्य टैक्सोंकी भरमारका रहस्य जानना चाहते हैं, यदि आप यहांका उत्पन्न कच्चा माल और वह कितनी कितनी संख्यामें विलायतको ढोया चला जाता है, उसके बदलेमें हमें कौन कौनसा माल दिया जाता है, उन आने और जानेवाले मालोंपर किस नीयतसे कर बैठाया जाता है, यहां प्रत्येक वर्ष कहीं न कहीं अकाल क्यों पड़ता है, हम दिनपर दिन क्यों कौड़ी कौड़ीके मोहताज हो रहे हैं, इत्यादि बातोंको जानना चाहते हैं तो आपका परम कर्त्तव्य है, कि इस पुस्तकको एक बार अवश्य पढ़ें। पहला संस्करण प्राय खतम हो रहा है। यह पुस्तक साहित्य सम्मेलनकी परीक्षामें है। ६५० पृष्ठकी खादीकी सुन्दर जिल्दका मूल्य ३॥)

१३--भाव चित्रावली

चित्रकार श्रीधीरेन्द्रनाथ गङ्गोपाध्याय

१०० रङ्गीन और सादे चित्र। भावुकताका अनूठा दृश्य।

हिन्दीमें अद्भुत और अपूर्व पुस्तक

सच्चा चित्र है। विविध अवस्थाओं और भावोंको बड़ी खूबीसे सयुक्त किया गया है। किसानोंकी दुर्दशा, जमींदारोंके अत्याचार, पुलिसके कारनामे, वकीलों और डाक्टरोंका नैतिक पतन, धर्मके ढोंगमें सरलहृदया स्त्रियोंका फस जाना, स्वार्थसिद्धिके कलुषित मार्ग, देशसेवियोंके कष्ट और उनके पवित्र चरित्र, सच्ची शिक्षाके लाभ, गृहस्थीके झंझट, साध्वी स्त्रियोंका चरित्र, सरकारी नौकरीका दुष्परिणाम आदि भावोंको लेखकने इस खूबीसे चित्रित किया है कि पढते ही बनता है, एक बार शुरू करनेपर बिना पूरा किये छोडनेको दिल नहीं चाहता। मैटर ठूस २ कर भर दिया गया है फिर भी ६५० पृष्ठोंसे अधिक है। सुन्दर खादीकी जिल्दका मूल्य केवल ३॥)

१६--पंजाब हरण

लेखक प्रसिद्ध सिक्ख इतिहासवेत्ता प० नन्दकुमार देव शर्म्मा। यह सिक्खोंके पतनका इतिहास है। १६ वीं सदीके आरम्भमें सिक्ख साम्राज्य महाराज रणजीतसिहके प्रतापसे समृद्धशाली हो गया था। उनके मरते ही आपसके फूट बैर, कुचक्र, भीतरी घातों, अग्रेजोंके विश्वासघातसे उसका किस प्रकार पतन हुआ, जो अग्रेज जाति सभ्यताकी हामी भरती है, मैत्रीकी डींग हाकती है, उसने अपने परम प्रिय मित्र महाराज रणजीतसिहके परिवारके साथ किस घातक नीतिका व्यवहार किया इसका वास्तविक दिग्दर्शन इस पुस्तकसे होता है। इससे अग्रेजोंके सच्चे पराक्रमका भी पूरा पता चलता है। जो अंग्रेज-जाति आज गली गली ढिढोरे पीट रही है कि "हमने तलवारके बल जीता है" उनके　　सिक्खि
युद्धमें लुप्त हो गये थे　　मिलकर
उसी प्रकार और　　लोग

२०—भारतमें कृषि-सुधार

लेखक पण्डित दयाशंकर दुबे एम० ए०

भारतीय अर्थशास्त्रके धुरन्धर विद्वान—लखनऊ विश्वविद्यालयके अर्थशास्त्रके प्रोफेसर हैं। प्रस्तुत पुस्तकमें लेखकने बड़ी खोजके साथ दिखलाया है कि भारतकी गरीबीका क्या कारण है, कृषिका अध पतन क्यों हुआ है, अन्य देशोंकी तुलनामें यहांकी पैदावारकी क्या अवस्था है और उसमें किस तरह सुधार किया जा सकता है, सरकारका क्या धर्म है और वह उसका किस तरह प्रतिपालन कर रही है, इत्यादि बातोंका दिग्दर्शन लेखकने बड़ी मार्मिक भाषा और दृढतर प्रमाणोंके साथ किया है। पुस्तक अपने ढगकी निराली है और बड़ी ही उपयोगी है। पुस्तकमें कई चित्र भी दिये गये हैं। पृष्ठ संख्या २७५ मूल्य १॥)

२१—देशभक्त मैजिनीके लेख

लेखक पण्डित छविनाथ पाण्डेय बी० ए० एल० एल० बी०

भूमिका लेखक—दैनिक "आज"के सम्पादक बाबू श्रीप्रकाश बी० ए०, एल० एल० बी० बैरिस्टर-एट-ला।

इटलीका इतिहास पढनेवालोंको भली भांति विदित है कि १८ वीं सदीमें इटलीकी क्या दशा थी। परराजतन्त्रके दमनचक्रमें पड़कर इटली घोर यातनायें भोग रहा था। न कोई स्वतन्त्रतापूर्वक लिख सकता था और न बोल सकता था। कहनेका मतलब यह है कि भारतकी वर्त्तमान दशा इटलीकी उस समयकी दशासे ठीक मिलती जुलती है। इटली एकदम निर्जीव हो गया था। ऐसी ही दशामें देशभक्त मैजिनीने अपने लेखोंका शंखनाद किया। इनका ही प्रभाव था कि इटली जाग उठा और स्व०

बन गया। ग्रन्थके अन्तमें संक्षेपमें मेजिनीका जीवनचरित्र भी दिया गया है। पृष्ठसंख्या २६०से भी अधिक है। मूल्य २)

२२—गोलमाल

ले०—रायबहादुर काली प्रसन्न घोष

जिन लोगोंने बंकिम बाबूका चौबेका चिट्ठा और गोबर गणेश संहिता पढ़ी हैं, वे गोलमालके मर्मको भली भांति समझ सकते हैं। रायबहादुर काली प्रसन्न घोषने बंगलाके 'भ्रान्ति विनोद' में समाजमें प्रचलित कुछ साधारण बुराइयोंकी—जिसे वर्त्तमान समाजने प्रायः अनिवार्य और क्षम्य मान लिया है—मार्मिक भाषामें चुटकी ली है। प्रत्येक निबन्ध अपने ढंगके निराले हैं। रसिकता और रसीली बातोंसे लेकर दिगन्त मिलन तक समाजकी बुराइयोंकी आलोचनासे भरा है। भाषा रसीली, विषय गम्भीर, पढ़नेमें चटपटी है। तीनों बातें इस पुस्तकमें वर्त्तमान हैं। उसी भ्रान्ति विनोदका यह गोलमाल हिन्दी अनुवाद है। मूल लेखकके भावको ज्योंका त्यों रखनेकी पूरी चेष्टा की गई है। पुस्तक पढ़नेमें बड़ी ही रोचक है। सुन्दर छपाई, बढ़िया कागज, आर्ट कवरके २०० पृष्ठोंका मूल्य १≈) मात्र

२३—१८५७ ई० के गदरका इतिहास

लेखक—पण्डित शिवनारायण द्विवेदी

सिपाहीविद्रोह क्यों हुआ? यह प्रश्न अभीतक प्रत्येक भारतवासीके हृदयको आन्दोलित कर रहा है। कोई इसे सिपाहियोंका क्षणिक जोश बतलाते हैं, कोई सिपाहियोंकी बेजड़ बुनियाद, धर्मभीरुता बतलाते हैं और कोई इसे राजनीतिक कारण बतलाते हैं। साधारण बुद्धिसे भी विचार करनेपर यही

और विशेष कारणके नहीं हो सकती। प्रस्तुत पुस्तक अनेक अंग्रेज इतिहासज्ञोंकी पुस्तकोंके गवेषणापूर्ण छानबीनके बाद लिखी गयी है। पूरे प्रमाण सहित इसमें दिखलाया गया है कि सिपाहियोंकी क्रान्तिके लिये अंग्रेज अफसर पूर्णत दोषी हैं और यदि वे चाहा किये होते तो लार्ड डलहौजीकी कुटिल और दोषपूर्ण नीतिके रहते भी इतना रक्तपात न हुआ होता। प्रस्तुत पुस्तकसे इस बातका भी पता लगता है कि इस रक्तपात की भीषणता बढ़ानेमें अंग्रेजोंने भी कोई बात उठा नहीं रखी थी। पुस्तक प्रत्येक भारवासीके पढ़ने योग्य है। पुस्तक दो भागोंमें समाप्त हुई है। सुन्दर एण्टिक कागजपर छपी है। प्रथम भागके सजिल्द प्राय ६०० पृष्ठोंका मूल्य ३॥) मात्र। द्वितीय भागका मूल्य ४॥) सजिल्द। पृष्ठ स० लगभग ८००

२४—भक्तियोग

लें०—श्रीयुक्त अश्विनीकुमार दत्त

अनुवादक चन्द्रराज भण्डारी 'विशारद'। कौन भगवानकी प्रमसे सेवा नहीं करना चाहता? कौन भगवद्-भक्तिके रसका आनन्द नहीं लेना चाहता? आदर्श भक्तोंके जीवनका रहस्य कौन नहीं जानना चाहता? हृदयकी साम्प्रदायिक संकीर्णताको त्यागकर सुन्दर मनोहर दृष्टान्तोंके साथ साथ उच्च कोटिके धर्मशास्त्रों और विद्वानों, भक्तों और महात्माओंके अनुभवोंसे भक्तिका रहस्य जाननेके लिये इस 'भक्तियोग' ग्रन्थका आदिसे अन्ततक पढ़ जाना आवश्यक है। ईश्वर भक्तोंके लिये हिन्दी साहित्यमें अपने ढङ्गका यह एक अपूर्व ग्रन्थ है। पृष्ठ संख्या २६८ मूल्य सजिल्द १।॥)

२५—तिब्बतमें तीन वर्ष

ले० जापानी यात्री श्रीइकाई कावागुची

तिब्बत एशिया खण्डका एक महत्वपूर्ण अङ्ग है, परन्तु वहाके निवासियोंकी धार्मिकता तथा शिक्षाके अभावके कारण अभी तक वह खंड ससारकी दृष्टिसे ओझल ही था, परन्तु अब कई यात्रियोंके उद्योग और परिश्रमसे वहाका बहुत कुछ हाल मालूम हो गया है। इन्हीं यात्रियोंमें सबसे प्रसिद्ध यात्री कावागुचीकी यात्राका यह विवरण हिन्दी भाषा भाषियोंके सामने रक्खा जाता है।

इस पुस्तकमें आपको ऐसी ऐसी भयानक घटनाओंका विवरण पढनेको मिलेगा जिनका ध्यान करने मात्रसे ही कलेजा कांप उठता है, साथही ऐसे ऐसे रमणीक स्थानोंका चित्र भी आपके सामने आयेगा जिनको पढकर आप आनन्दके सागरमें लहराने लगेंगे। आपको आश्चर्य होगा कि तिब्बत भारतके इतना नजदीक होने पर भी अभीतक हमलोग उसके विषयमें कितने अनभिज्ञ थे।

इस पुस्तकमें दार्जिलिङ्ग, नैपाल, हिमालयकी बर्फीली चोटिया, मानसरोवरका रमणीय दृश्य तथा कैलाश आदिका सविस्तर वर्णन पढकर आप बहुतही आनन्दलाभ करेंगे।

इसके सिवा वहाँके रहन सहन, विवाहशादी, रीति-रिवाज एव धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक अवस्थाओंका भी पूर्ण हाल विदित हो जायगा। यह पुस्तक इस ढङ्गसे लिखी गई है कि आप एक बार आरम्भ करनेके बाद बिना समाप्त किये नहीं छोड़ सकेंगे। पढनेमें उपन्याससे भी अधिक आनन्द मिलेगा। पुस्तक सुन्दर चिकने कागजके प्राय ५२५ पृष्ठकी है। कावागुचीका चित्र भी दिया गया है मूल्य २॥) सजिल्द २॥।≈)

२६—संग्राम

लेο उपन्यास सम्राट् श्रीयुक्त "प्रेमचंदजी"

मौलिक उपन्यास एव कहानिया लिखनेमें श्रीयुक्त प्रेमचन्दजीने हिन्दीमें वह नाम पाया है जो आजतक किसी हिन्दी लेखकको

प्राय समस्त हिन्दी एवं अन्य भाषाके पत्रोंने मुक्तकंठसे प्रशंसा की है।

इन उपन्यासोंको रचकर उन्होंने हिन्दी संसारमें एक नवयुग उपस्थित कर दिया है, और नये तथा पुराने लेखकोंके सामने भाषाकी प्रौढ़ता तथा मौलिकता, विषयकी गंभीरता और रोचकताका एक आदर्श रख दिया है। जिससे आज हिन्दीके लेखकों और पाठकोंमें विचार क्रान्ति उत्पन्न हो गई है तथा विचारोंमें शुद्धता और पवित्रता आगई है।

उन्हीं प्रेमचन्दजीकी कुशल लेखनी द्वारा यह 'संग्राम' नाटक लिखा गया है। यों तो उनके उपन्यासोंमें ही नाटकका मजा आ जाता है फिर उनका लिखा नाटक कैसा होगा यह बतानेकी आवश्यकता नहीं, प्रतीत होती। उनकी लेखनी मनोभावोंको प्रकट करनेमें सिद्धहस्त तो है ही नाटकमें तो मनोभावोंका ही संग्राम होता है फिर उसका क्या कहना। प्रस्तुत नाटकमें मनोभावोंका जो चित्र उन्होंने खींचा है वह आप पढ़कर ही अन्दाजा लगा सकेंगे। बढ़िया एन्टिक कागजपर प्राय २७५ पृष्ठोंमें छपी पुस्तकका मूल्य केवल १॥)

२७—चरित्रहीन

लेखक—श्रीयुक्त शरच्चन्द्र चट्टोपाध्याय

'बंगलामें श्रीयुत शरत् बाबूके उपन्यास उच्च कोटिके समझे जाते हैं। मनुष्यके चरित्र चित्रण करनेमें शरत् बाबूकी लेखनी अद्वितीय है। उनके लिखे उपन्यास पढ़ते समय आंखोंके सामने घटना स्पष्ट रूपसे भासने लगती है और यही जान पड़ता है कि मानों पढ़नेवाला वहीं मौजूद है।

चरित्रहीनका विषय नामसे ही प्रकट हो जाता है। इसमें दिखाया गया है कि युवा पुरुष बिना पूर्णदेख रेखके किस

चरित्रहीन हो बैठते हैं। साथ ही यह भी दिखाया गया है कि सच्चा स्वामिभक्त सेवक किस तरह दुर्व्यसनके पञ्जोंसे अपने मालिकको छुडा सकता है और अपने ऊपर आनेवाले कष्टकी कुछ परवा न कर, मालिककी भलाईका हमेशा खयाल रख कैसे उसे सच्चरित्रताके सिंहासनपर बिठा सकता है।

इसके अतिरिक्त पति पत्नीमें प्रेमका होना कितना सुखद है, पतिव्रता स्त्री अपने पतिकी सेवा किस प्रकार कर सकती है और सच्चरित्र पुरुष अपनी सती सहधर्मिणीको हृदयसे कितना प्यार कर सकता है तथा अच्छे घरकी विधवा दुष्टके बहकावे-में पडकर भी कैसे अपने धर्मकी रक्षा कर सकती है, इन सब बातोंका भी इसमें पूर्णरूपसे दिग्दर्शन कराया गया है।

उपन्यास इतना रोचक और शिक्षाप्रद है कि एक बार हाथमें लेनेपर पुन. समाप्त किये बिना छोडनेको जी नहीं चाहता।

पृष्ठ संख्या ६६४ सुन्दर खादीकी जिल्द सहित मूल्य ३)

२८—राजनीति विज्ञान

ले० श्रीयुत सुखसम्पति राय भण्डारी

आज भारतमें राजनैतिक आन्दोलनकी धूम सी मची है। राजनीतिक विषयोंकी अनेक लोग अनेक तरहसे व्याख्या कर रहे हैं जिससे लोगोंमें भ्रम पड सकता है। इसी लिये बडे परिश्रम और खोजके साथ लेखकने इस पुस्तकको लिखा है। जिसके पढनेसे हिन्दी भाषा-भाषियोंको बडी सरलता और सुगमतासे इस विषयका ज्ञान हो जायगा। इस पुस्तकको लेखकने इस ढङ्गसे लिखा है कि यह कालेज और स्कूलोंके पाठ्य पुस्तकोंमें भी रखी जा सकती है। इस विषयके मूल सिद्धान्तको सभी भारतवासियोंको समझ लेना चाहिये। पुस्तक सुन्दर एण्टिक [illegible]